

धौलासिध जल विद्युत् परियोजना (66 मेगा वाट) के लिए हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर एवं काँगड़ा ज़िले में भूमि अर्जन हेतु सामाजिक प्रभाव आंकलन एवं सामाजिक प्रभाव प्रबंधन

हिमाचल प्रदेश भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता अधिकार (सामाजिक प्रभाव आंकलन और सहमती) नियम-2015 के तहत

मसौदा रिपोर्ट

(खंड अ: कार्यकारी सारांश और मुख्य रिपोर्ट)

प्लान फाउंडेशन (सामाजिक प्रभाव आंकलन पार्टनर एवं प्रैक्टिशनर)

ब्रॉडवे एन्क्लेव, संजौली, शिमला (हि.पी.)-171006 Phn: 0177-2841204, 91290-57008, 7827826665,

www.planfoundation.org



द्वारा तैयार

हिमाचल प्रदेश सामाजिक प्रभाव आंकलन इकाई को प्रस्तुत

हिपा फैर्लाव्सए शिमला (हि.प्र.)-171012

तालिका सूची

1	विस्तृत परियोजना विवरण.....	31
1.1	परियोजना पृष्ठभूमि	31
1.1.1	विकासकर्ता की पृष्ठभूमि.....	32
1.1.2	शासन और प्रबंधन संरचना	34
1.2	परियोजना का मूल आधार	37
1.3	परियोजना विवरण.....	37
1.3.1	परियोजना का आकार.....	37
1.3.2	अवस्थिति	41
1.3.3	क्षमता और आउटपुट.....	45
1.3.4	परियोजना लागत और जोखिम	50
1.4	विकल्पों की परीक्षा	51
1.5	परियोजना निर्माण के चरण	55
1.5.1	कार्य अवधि.....	56
1.5.2	काम के घंटे	56
1.6	कोर डिजाइन सुविधाएँ और आकार और सुविधाओं के प्रकार.....	57
1.6.1	बांध.....	57
1.6.2	स्पिलवे.....	58
1.6.3	जलमार्ग	58
1.6.4	इंटेक कार्य	59
1.6.5	पेनसटोक	60
1.6.6	पावर हाउस परिसर	61
1.6.7	सर्विस बे	62
1.6.8	टेल रेस चैनल.....	62
1.6.9	जलाशय/बांध	63
1.6.10	रिवर डायवर्जन की व्यवस्था.....	65
1.6.11	डायवर्सन टनल और कॉफर बांध का हाइड्रोलिक डिजाइन	66
1.6.12	विद्युत निकासी प्रणाली	67
1.7	सहायक अवसंरचनात्मक सुविधाओं की आवश्यकता	67
1.7.1	दूरसंचार सुविधाएँ.....	69
1.7.2	मलबा निपटान क्षेत्र.....	69
1.7.3	विभिन्न (Miscellaneous).....	70

1.8	कर्मचारियों की आवश्यकता	71
1.9	पर्यावरण समाघात आकलन व तकनीकी व्यवहारिता रिपोर्ट का विवरण	71
2	दल संरचना, दृष्टिकोण, प्रणाली एवं सामाजिक समाघात निर्धारण की अनुसूची	77
2.1	दल विवरण	77
2.2	प्रयुक्त पद्धति और उपकरण का विवरण व औचित्य	79
2.2.1	लक्ष्य	79
2.2.2	उद्देश्य	79
2.2.3	दृष्टिकोण और पद्धति	80
2.2.4	पद्धति का औचित्य	82
2.3	सामाजिक समाघात निर्धारण के लिए सूचना संग्रहण करने के लिए संसाधन	83
2.4	नमूना प्रणाली का उपयोग	87
2.5	सूचना अथवा डाटा स्रोतों के प्रयोग का पर्यवलोकन	87
2.6	प्रमुख हित धारियों के साथ परामर्श और की गई लोक सुनवाई के संक्षिप्त विवरण की अनुसूची	96
3	भू-आकलन	97
3.1	प्राथमिक स्रोतों व भूमि की फर्द से जानकारी	97
3.2	परियोजना के तहत प्रभावित होने वाला तमाम क्षेत्र	101
3.3	परियोजना के लिए कुल जमीन की जरूरत	103
3.4	पहले से खरीदी, बेची, अधिग्रहित/लीज पर ली जमीन और परियोजना के लिए जरूरी जमीन के हरेक प्लॉट का संभावित इस्तेमाल	106
3.5	परियोजना के लिए प्रस्तावित जमीन की लोकेशन और क्षेत्र	107
3.6	प्रकृति, मौजूदा इस्तेमाल और जमीन का वर्गीकरण	111
3.6.1	सिंचाई पैटर्न	112
3.7	जोतों के आकार, मालिकाना पैटर्न	112
3.8	जमीन वितरण और आवासीय मकानों की संख्या	116
3.9	भूमि कीमतें और हाल ही में मालिकाना हक में बदलाव और हस्तांतरण	119
4	प्रभावित परिवारों और आस्तियों का अनुमान और गणना	127
4.1	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित व्यक्ति	127
4.1.1	किराएदार / व्यवसायी	129
4.1.2	जनजाति और पारंपरिक वन निवासी	129
4.1.3	सामान्य संपत्ति संसाधनों पर निर्भरता	129
4.1.4	राज्य सरकार द्वारा दी गई भूमि	130
4.1.5	आजीविका के लिए भूमि पर निर्भरता	131
4.2	उत्पादक आस्तियों और महत्वपूर्ण भूमि की सूची	131
5	सामाजिक-आर्थिक और सांस्कृतिक प्रोफाइल	138

5.1	परियोजना गांवों में जनसंख्या का जनसांख्यिकीय विवरण	138
5.1.1	परियोजना प्रभावित लोगों का जनसांख्यिकीय विवरण	140
5.2	लिंग अनुपात	142
5.3	सामाजिक समूह.....	144
5.3.1	परियोजना प्रभावित लोगों में सामाजिक समूह	146
5.4	साक्षरता	148
5.4.1	पीएपी की साक्षरता स्थिति	150
5.5	आर्थिक प्रोफाइल	151
5.5.1	मुख्य कार्यशील जनसंख्या	153
5.5.2	सीमांत श्रमिक	157
5.5.3	गैर कार्यशील जनसंख्या	161
5.6	आय और गरीबी स्तर	163
5.7	दुर्बल समूह	164
5.8	भूमि उपयोग और आजीविका	166
5.9	स्थानीय आर्थिक गतिविधियाँ	167
5.10	स्थानीय आजीविका में योगदान करने वाले कारक.....	169
5.11	रिश्तेदारी पद्धति.....	170
5.12	प्रशासनिक, राजनीतिक और नागरिक समाज संगठन	171
5.13	क्षेत्रीय गतिशीलता और ऐतिहासिक परिवर्तन प्रक्रियाएं	175
5.14	जीवंत पर्यावरण की गुणवत्ता	180
6	सामाजिक प्रभाव	181
6.1	प्रभावों की पहचान करने के लिए रूपरेखा और दृष्टिकोण	181
6.2	परियोजना के विभिन्न चरणों में प्रभावों का विवरण	182
6.3	प्रभाव क्षेत्रों की सांकेतिक सूची	189
6.3.1	भूमि मालिकों पर प्रभाव	189
6.3.2	आजीविका और आय पर प्रभाव	190
6.3.3	भौतिक संसाधनों पर प्रभाव	192
6.3.4	जैव विविधता और पर्यावरण पर प्रभाव.....	194
6.3.5	सार्वजनिक सेवाओं और उपयोगिताओं पर प्रभाव	197
6.3.6	स्वास्थ्य, संस्कृति और सामाजिक सामंजस्य पर प्रभाव	201
6.3.7	लिंग आधारित प्रभाव.....	201
6.4	PAPs द्वारा प्रभावित के रूप में प्रभाव का अनुमान	203
6.5	धौलासिध बांध जल विद्युत परियोजना के बारे में जागरूकता	208
6.6	परियोजना के लिए सहमति.....	209

6.7	प्रतिकर वरीयताएँ.....	209
6.8	प्राप्त नकद प्रतिकर का उपयोग.....	210
7	अर्जन पर लागत और लाभ और सिफारिशों का विश्लेषण.....	212
7.1	लोक प्रयोजन का आकलन	212
7.2	कम विस्थापन विकल्प और न्यूनतम भूमि की आवश्यकता	215
7.3	सामाजिक प्रभावों की प्रकृति और तीव्रता	216
7.4	सुझाये गये शमन उपाय की व्यवहार्यता.....	220
7.4.1	अंतिम सिफारिश.....	223
8	सामाजिक समाघात प्रबंधन योजना.....	224
8.1	कमी करने पर दृष्टीकोण.....	224
8.2	समाघात से बचने, कम करने और प्रतिपूर्ति करने के उपाय.....	224
8.2.1	सामाजिक उपाय	224
8.2.2	आधारभूत संरचनाओं के उपाय.....	225
8.2.3	पुनर्वास व पुनर्व्यवस्थापन के उपाय.....	228
8.2.4	पर्यावरण उपाय	231
8.2.5	अन्य उपाय.....	233
8.3	R&R और अधिनियम 2013 में शामिल उपाय	234
8.4	SIMP कार्यान्वयन का व्यय.....	240
8.5	अर्जन करने वाली संस्था द्वारा प्रस्तावित आर एंड आर उपाय.....	255
8.6	आवश्यक निकाय द्वारा निर्धारित अतिरिक्त उपाय.....	256
8.7	पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन योजना के कार्यान्वयन के लिए संस्थागत व्यवस्था	258
8.8	शिकायत निवारण समिति)G.R.C(.....	258
8.8.1	शिकायत निवारण के चरण	260
9	संदर्भ.....	265
10	अनुलग्नक	266

तालिका सूची

तालिका 1: धौलासिध HEP परियोजना का आकर व डिजाईन	38
तालिका 2: परियोजना गाँव की सूची	41
तालिका 3:धौला सिद्ध हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की क्षमता और आउटपुट	45
तालिका 4: धौला-सिध परियोजना लागत	50
तालिका 5: परियोजना निर्माण के लिए नयी सड़कों की जरूरत	68
तालिका 6: मलबा निपटान की मात्रा	70
तालिका 7: EIA का विवरण.....	71
तालिका 8: टीम विवरण.....	77
तालिका 9: सर्वेक्षकों की सूची.....	78
तालिका 10: : सूचना और डेटा स्रोतों का अवलोक.....	87
तालिका 11: भूमि की सूची (हैक्ट).....	97
तालिका 12: विभिन्न परियोजना घटकों के तहत जमीन की जरूरत (हैक्टे)	101
तालिका 13: परियोजना के लिए कुल जमीन की जरूरत (हैक्टेयर)	103
तालिका 14: अधिग्रहित भूमि का उपयोग.....	106
तालिका 15: अर्जन के तहत जमीन का क्षेत्र	107
तालिका 16: अर्जन के तहत जमीन का मौजूदा इस्तेमाल.....	111
तालिका 17: जोत आकार और पैटर्न	112
तालिका 18: स्वामित्व पैटर्न.....	115
तालिका 19:होलिडिंग्स का आकार.....	116
तालिका 20: भूमि वितरणऔर आवासीय मकानों की संख्या	117
तालिका 21: 2017-2020 के नीच के सबसे अधिक सर्कल रेट (जिला काँगड़ा)	121
तालिका 22: 2017-2020 के नीच के सबसे अधिक सर्कल रेट (जिला हमीरपुर)।.....	122
तालिका 23: सीधे प्रभावित पीएपी.....	127
तालिका 24: उत्पादक आस्तियों की सूची	131
तालिका 25: पशुधन की सूची	132
तालिका 26: भूमि पर सम्पत्ति की सूची.....	133
तालिका 27: परियोजना क्षेत्र का जनसांख्यिकीय विवरण	138
तालिका 28: परियोजना प्रभावित लोगों का जनसांख्यिकीय विवरण.....	140
तालिका 29: परियोजना क्षेत्र में बाल जनसंख्या	142

तालिका 30: परियोजना गांवों में सामाजिक समूह.....	144
तालिका 31: पीएपी में सामाजिक समूह.....	146
तालिका 32: परियोजना क्षेत्र में साक्षरता की स्थिति.....	148
तालिका 33: पीएपी की साक्षरता स्थिति.....	150
तालिका 34: परियोजना क्षेत्र में कार्यबल.....	151
तालिका 35: परियोजना क्षेत्र में मुख्य कार्यशील जनसंख्या.....	153
तालिका 36: परियोजना क्षेत्र में मुख्य कार्यशील जनसंख्या का वर्गीकरण.....	156
तालिका 37: परियोजना क्षेत्र में सीमांत श्रमिक.....	157
तालिका 38: परियोजना क्षेत्र में सीमांत श्रमिकों का वर्गीकरण.....	160
तालिका 39: परियोजना क्षेत्र में गैर कार्यशील जनसंख्या.....	161
तालिका 40: परियोजना से प्रभावित लोगों की वार्षिक घरेलू आय.....	163
तालिका 41: पीएएफ के बीच ऋणात्मकता.....	164
तालिका 42: परियोजना दुर्बल समूह.....	165
तालिका 43: परियोजना क्षेत्र में भूमि का उपयोग.....	166
तालिका 44: परियोजना क्षेत्र में प्रमुख फसलें.....	166
तालिका 45: परियोजना क्षेत्र में स्थानीय आर्थिक गतिविधियाँ.....	168
तालिका 46: हमीरपुर जिले में परियोजना प्रभावित गांवों का ऐतिहासिक महत्व और भौगोलिक विशेषताएं.....	178
तालिका 47: कांगड़ा जिले में परियोजना प्रभावित गांवों का ऐतिहासिक महत्व और भौगोलिक विशेषताएं.....	179
तालिका 48: परियोजना के विभिन्न चरणों में प्रभाव.....	187
तालिका 49: प्रभावित क्षेत्र में कृषि/बागवानी का उत्पादन.....	191
तालिका 50: संरचनाओं की हानि.....	192
तालिका 51: सार्वजनिक सेवाओं व उपयोगिताओं का नुकसान.....	199
तालिका 52: परियोजना क्षेत्र में PAPs के लिंग वार वितरण.....	202
तालिका 53: PAPs द्वारा प्रभावित के रूप में प्रभाव का अनुमान.....	204
तालिका 54: विद्युत परियोजना के बारे में जागरूकता.....	208
तालिका 55: PAPs के लिए परियोजना के बारे में जानकारी का प्रमुख स्रोत.....	208
तालिका 56: PAPs द्वारा अर्जन के संबंध में कोई आपत्ति.....	209
तालिका 57: PAPs द्वारा प्रतिकर वरीयताएँ.....	210
तालिका 58: प्राप्त नकद प्रतिकर का उपयोग.....	210
तालिका 59: प्रभाव की प्रकृति और तीव्रता.....	217

तालिका 60: पहचाने गए और संबंधित शमन उपाय	235
तालिका 61: एंटाइटलमेंट मैट्रिक्स	240
तालिका 62: भूमि पर अनुमानित मुआवजे का विवरण	244
तालिका 63: पेड़ों पर प्रतिकर का विवरण	252
तालिका 64: पुनर्वास और पुनार्वस्थापन के लिए प्रतिकर	252
तालिका 65: आर एंड आर के लिए अनुमानित लागत	253
तालिका 66: भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनार्वस्थापन के लिए कुल लागत का विवरण	254
तालिका 67: आवश्यक निकाय द्वारा प्रस्तावित विस्थापन योजना	255
तालिका 68: आवश्यक निकाय द्वारा निर्धारित अतिरिक्त उपर्यो का बजट	257
तालिका 69: आवश्यक निकाय द्वारा निर्धारित अतिरिक्त उपर्यो का कुल बजट	257
तालिका 70: SIMP प्रगति की निगरानी के लिए संकेतक	261
तालिका 71: परियोजना के मूल्यांकन के संकेतक	263

चित्रों की सूची

चित्र 1: संगठनात्मक संरचना एस.जे.वि.एन.एल.....	34
चित्र 2: क्षेत्र संगठन संरचना	36
चित्र 3: अध्ययन प्रधिती.....	80
चित्र 4: प्राथमिक सर्वेक्षण के दौरान ली गई तसवीरें	85
चित्र 5: केन्द्रित समूह चर्चा के दौरान ली गई तसवीरें.....	86
चित्र 6: प्रभाव के तहत क्षेत्र	103
चित्र 7: लोकल इकनोमिक एक्टिविटीज	168
चित्र 8: परियोजना क्षेत्र में PAPs के लिंग वार वितरण.....	202
चित्र 9: PAPs द्वारा प्रभावित के रूप में प्रभाव का अनुमान.....	206
चित्र 10: शिकायत निवारण तंत्र.....	260

मानचित्रों की सूची

मानचित्र 1: सामान्य लेआउट योजना, धौलासिध बाँध.....	40
मानचित्र 2: प्रयोजन क्षेत्र का स्थान	41
मानचित्र 3: प्रस्तावित परियोजना की अवस्थिति.....	43
मानचित्र 4: प्रभावित क्षेत्र के तहत तमाम क्षेत्र.....	102
मानचित्र 5: प्रस्तावित अर्जन के लिए जमीन की लोकेशन.....	110

धौलासिध जल विद्युत् परियोजना (66 मेगावाट) के लिए की जा रही प्रस्तावित भूमि अर्जन का सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन ।

लघुरूप

BPL	गरीबी रेखा से नीचे
CA	चार्टर्ड एकाउंटेंट
CHC	सामदायिक स्वास्थ्य केंद्र
CPRs	ससमदायिक संपत्ति संसाधन
CS	कंपनी सचिव
CWC	केन्द्रीय जल आयोग
DSHEP	धौलासिध जल विद्युत् परियोजना
EIA	पर्यावरण प्रभाव आकलन
FC	वितीय शुल्क
FRL	पूर्ण जलाशय स्तर
GSJ	भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण
HEP	जल विद्युत् परियोजना
H.P RTFCTLARR	हिमाचल प्रदेश भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (सामाजिक समाघात निर्धारण और सहमति) नियम, 2015
HPS	हाइड्रो पावर स्टेशन
SIAU	सामाजिक समाघात निर्धारण इकाई
HR	मानव संसाधन
IDC	निर्माण के दौरान ब्याज
IPH	सिंचाई और जन स्वास्थ्य विभाग
L 2	स्तर 2 स्वास्थ्य सुविधा
L 3	स्तर 3 स्वास्थ्य सुविधा
LADF	स्थानीय क्षेत्र विकास निधि
LHEP	लहरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट
NGO	गैर सरकारी संगठन
NHM	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
OBC	अन्य पिछड़ी जातियां
PAFs	परियोजना प्रभावित परिवार
PAPs	परियोजना प्रभावित व्यक्ति
PDFs	परियोजना विस्थापित परिवार
PHC	प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र

धौलासिध जल विद्युत् परियोजना (66 मेगावाट) के लिए की जा रही प्रस्तावित भूमि अर्जन का सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन ।

PMAY	प्रधानमंत्री आवास योजना
PWD	लोक निर्माण विभाग
RTFCTLARR	भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनार्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता
R&R	पुनर्वास और पुनार्व्यस्थापन
SC	अनुसूचित जाति
SIA	सामाजिक समाघात निर्धारण
SIMP	सामाजिक समाघात प्रबंध योजना
SJVN	सतलुज जल विद्युत् निगम
ST	अनुसूचित जनजाति
TRT	टेल रेस सुरंग

शब्दावली

- ❖ **अधिनियम** का अर्थ है: भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का अधिनियम संख्या 30)।
- ❖ **प्रशासक** का अर्थ है, अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1) के तहत प्रभावित परिवारों के पुनर्वास और पुनर्व्यस्थापन के उद्देश्य से नियुक्त एक अधिकारी।
- ❖ **प्रभावित क्षेत्र** का मतलब ऐसे क्षेत्र से है, जिन्हें भूमि अर्जन के उद्देश्यों के लिए उपयुक्त सरकार द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है।
- ❖ प्रभावित परिवार में शामिल हैं:
 - i. एक परिवार जिसकी भूमि या अन्य अचल संपत्ति का अर्जन किया गया है।
 - ii. ऐसा परिवार जिसके पास कोई जमीन नहीं है, लेकिन ऐसे परिवार के सदस्य (सदस्य) शायद खेतिहर मजदूर, किरायेदारों के किसी भी रूप में या सूदखोरी का अधिकार रखने वाले, कारीगरों के प्रति शेर-फसल या जो प्रभावित क्षेत्र में काम कर रहे हों, तीन वर्ष, भूमि के अर्जन से पहले, जिसका आजीविका का प्राथमिक स्रोत भूमि के अर्जन से प्रभावित होता है।
 - iii. अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वनवासी जिन्होंने भूमि के अर्जन के कारण अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकार की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2 का 2007) के तहत मान्यता प्राप्त अपने किसी भी वन अधिकार को खो दिया है।
 - iv. परिवार जिसका अर्जन से पहले तीन वर्षों के लिए आजीविका का प्राथमिक स्रोत जंगलों या जल निकायों पर निर्भर है और इसमें वन उपज, शिकारी, फिशर लोक और नाव के आदमी शामिल हैं और भूमि के अर्जन के कारण ऐसी आजीविका प्रभावित होती है।
 - v. परिवार का कोई सदस्य जिसे राज्य सरकार या केंद्र सरकार ने अपनी किसी भी योजना के तहत जमीन सौंपी हो और ऐसी जमीन अर्जन के तहत हो।
 - vi. शहरी क्षेत्रों में किसी भी भूमि पर रहने वाले परिवार को भूमि के अर्जन से पहले तीन साल या उससे अधिक समय के लिए रहने की अनुमति या भूमि के अर्जन से पहले तीन साल तक आजीविका का प्राथमिक स्रोत ऐसी भूमि के अर्जन से प्रभावित होता है।

❖ कृषि भूमि का अर्थ है:

- i. कृषि या बागवानी।
- ii. डेयरी फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, पिसी कल्चर, सेरीकल्चर, सीड फार्मिंग ब्रीडिंग ऑफ मवेशी या नर्सरी उगाने वाली औषधीय जड़ी-बूटियाँ।
- iii. फसलों, पेड़ों, घास या बगीचे की उपज का उत्पादन; तथा
- iv. पशुओं के चरने के लिए प्रयुक्त भूमि।

❖ गरीबी रेखा से नीचे या BPL परिवार भारत के योजना आयोग द्वारा परिभाषित गरीबी रेखा से नीचे गिरने वाले परिवारों को संदर्भित करता है, साथ ही समय-समय पर हिमाचल प्रदेश की BPL सूची में शामिल लोगों को भी शामिल करता है।

❖ केंद्र सरकार भारत सरकार को संदर्भित करती है।

❖ कलेक्टर का अर्थ एक राजस्व जिले का कलेक्टर होता है, और इसमें एक डिप्टी कमिश्नर और विशेष रूप से उपयुक्त सरकार द्वारा नामित कोई भी अधिकारी शामिल होता है, जो अधिनियम 2013 के तहत कलेक्टर के कार्य करता है।

❖ आयुक्त का मतलब अधिनियम 2013 की धारा 44 की उप-धारा (1) के तहत नियुक्त पुनर्वास और पुनर्वास के लिए आयुक्त से है।

❖ प्रतिकर अधिनियम, 2013 के विभिन्न प्रावधानों के तहत प्रतिकर के रूप में दी जाने वाली राशि को संदर्भित करता है, निजी संपत्ति, संरचनाओं और परियोजना के लिए अर्जित अन्य संपत्तियों के लिए, जिनमें पुनर्वास और पुनर्वास अधिकार शामिल हैं।

❖ अर्जन की लागत में शामिल हैं:

- i. प्रतिकर की राशि, जिसमें इतना सोलाशियम शामिल है, भूमि अर्जन और पुनर्वास और पुनर्वास प्राधिकरण या न्यायालय द्वारा आदेशित किसी भी बढ़ाया प्रतिकर और इस तरह या अदालत द्वारा प्रभावित परिवारों को देय के रूप में निर्धारित किसी भी अन्य राशि पर दिया ब्याज।

- ii. अर्जन की प्रक्रिया में भूमि और खड़ी फसलों को नुकसान लागत के लिए भुगतान किए जाने की मांग।
 - iii. विस्थापित या प्रतिकूल रूप से प्रभावित परिवारों के निपटान के लिए भूमि और भवन के अर्जन की लागत।
 - iv. पुनर्वास क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे और सुविधाओं के विकास की लागत।
 - v. एक्ट 2013 के अंतर्गत पुनर्वास व पुनर्स्थापन के खर्चों के प्रावधान।
 - vi. प्रशासनिक लागत:
 - क) भूमि अर्जन के लिए, परियोजना स्थल और परियोजना क्षेत्र की भूमि से बाहर दोनों सहित, प्रतिकर की लागत के ऐसे प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए जो उपयुक्त सरकार द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है।
 - ख) मालिक के पुनर्वास और पुनर्व्यस्थापन के लिए इसलिए भूमि और अन्य प्रभावित परिवार जिनकी भूमि का अर्जन किया गया है या अर्जन किया जाना प्रस्तावित है या ऐसे अर्जन से प्रभावित अन्य परिवार हैं।
 - vii. SIA स्टडी लेने के तहत लागत।
- ❖ **विस्थापित परिवार** का मतलब किसी भी परिवार से है, जो जमीन के अर्जन के कारण प्रभावित क्षेत्र से हटाकर पुनर्वास क्षेत्र में बसाया जाना है।
- ❖ **परिवार** में एक व्यक्ति, उसके पति या पत्नी, नाबालिक बच्चे, नाबालिक भाई और उस पर निर्भर नाबालिक बहनें शामिल हैं:
बशर्ते परिवारों द्वारा निर्जन विधवाओं, तलाकशुदा और महिलाओं को अलग परिवार माना जाएगा।
- ❖ **भूमि** में भूमि से उत्पन्न होने वाले लाभ शामिल हैं, और पृथ्वी से जुड़ी चीजें या स्थायी रूप से पृथ्वी से जुड़ी किसी भी चीज के लिए उपवास किया गया है।
- ❖ **भूमि अर्जन** का मतलब भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्वास अधिनियम, 2013 में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता के अधिकार के तहत भूमि का अर्जन है।
- ❖ **भूमिहीन** का अर्थ है ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों का वर्ग जो हो सकते हैं:

लागू होने के समय के लिए किसी भी राज्य कानून के तहत माना या निर्दिष्ट; या भूमिहीन के एक मामले में खंड (i) के तहत निर्दिष्ट नहीं किया जा सकता है, जैसा कि उपयुक्त सरकार द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है।

❖ **भूमि स्वामी** में कोई भी व्यक्ति शामिल है-

- (i) जिसका नाम दर्ज किया गया है वह संबंधित प्राधिकारी के रिकॉर्ड में भूमि या भवन का मालिक है या वहां का हिस्सा है; या
- (ii) कोई भी व्यक्ति जिसे अनुसूचित अनुसूचित जनजाति पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 की अधिनियम संख्या 2) या किसी अन्य कानून के तहत वन अधिकार प्रदान किया जाता है; या
- (iii) राज्य के किसी भी कानून के तहत भूमि पर पट्टा अधिकार दिए जाने का हकदार कौन है, जिसमें निर्दिष्ट भूमि या शामिल हैं
- (iv) कोई भी व्यक्ति जिसे न्यायालय या प्राधिकरण के आदेश के अनुसार घोषित किया गया हो;

❖ **सीमांत किसान** का अर्थ है, एक हेक्टेयर से सिंचित भूमि या एक हेक्टेयर तक सिंचित भूमि के साथ एक किसान।

❖ **बाजार मूल्य** का अर्थ है धारा 26 क के अनुसार भूमि निर्धारण का मूल्य अधिनियम 2013।

❖ **अधिसूचना** का अर्थ है भारत के राजपत्र में प्रकाशित एक अधिसूचना या, जैसा कि मामला हो सकता है, एक राज्य का राजपत्र और अभिव्यक्ति "अधिसूचित" तदनुसार निर्धारित की जाएगी।

❖ **परियोजना** का अर्थ है धौलासिध बांध जल विद्युत परियोजना (66MW)।

❖ **लोक प्रयोजन** का अर्थ है, धारा 2 एक्ट 2013 की उप-धारा (1) के तहत निर्दिष्ट गतिविधियाँ।

❖ **पुनर्वास और पुनार्व्यस्थापन (R & R)** का अर्थ है RFCTLARR अधिनियम 2013 के अनुसार पुनर्वास और पुनार्व्यस्थापन।

धौलासिध जल विद्युत् परियोजना (66 मेगावाट) के लिए की जा रही प्रस्तावित भूमि अर्जन का सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन ।

- ❖ अपेक्षित निकायका मतलब सतलुज जल विद्युत निगम (SJVNL) लिमिटेड है।
- ❖ अनुसूचित क्षेत्र का अर्थ अनुसूचित क्षेत्रों से है जैसा कि पंचायतों के प्रावधानों (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996 (1996 का 40) के प्रावधानों 2 में परिभाषित किया गया है।
- ❖ छोटे किसान का अर्थ है, दो हेक्टेयर तक की नन-सिंचित भूमि के साथ या एक हेक्टेयर तक की सिंचित भूमि के साथ एक किसान, लेकिन सीमांत किसान की जोत से अधिक।
- ❖ सामाजिक समाघात निर्धारण का मतलब अधिनियम की धारा 4 के उपधारा (1) के तहत किया गया मूल्यांकन है।
- ❖ सामाजिक समाघात प्रबंध योजना का अर्थ है अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण प्रक्रिया के भाग के रूप में तैयार की गई योजना।
- ❖ राज्य सरकार या “सरकार” का अर्थ है हिमाचल प्रदेश सरकार
- ❖ किरायेदार वे व्यक्ति होते हैं जिनके पास भूमि के अर्जन से पहले तीन साल के लिए बौनाफाइड टेनेंसी समझौते होते हैं, एक संपत्ति के मालिक के पास स्पष्ट संपत्ति खिताब के साथ, निवास, व्यवसाय या अन्य उद्देश्यों के लिए एक संरचना या भूमि पर कब्जा करने के लिए।
- ❖ दुर्बल समूहों में अलग-अलग लोगों जैसे कि एक धब्बा, विधवा, और महिलाओं के नेतृत्व वाले घर, साठ साल से अधिक उम्र के व्यक्ति, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और अन्य समूह शामिल हैं, जो राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट किए जा सकते हैं।
- ❖ महिला मुखिया सदन की पकड़ का मतलब है कि एक महिला के नेतृत्व वाला परिवार और पुरुष कमाने वाला सदस्य नहीं है। यह महिला एक विधवा, अलग या निर्जन महिला हो सकती है।

कार्यकारी सारांश

परियोजना और लोक प्रयोजन

मेसर्स सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड का इरादा हिमाचल प्रदेश में ब्यास नदी पर धौलासिध जलविद्युत परियोजना (66 मेगावाट) को नदी प्रवाह प्रकार योजना के एक भाग के रूप में विकसित करने का है और इसे शिखर शक्ति स्टेशन के रूप में संचालित करने की योजना है। परियोजना हमीरपुर और कांगड़ा जिले में सिंधु बेसिन में स्थित है और सरकार द्वारा इसकी बहुत लंबे समय पहले कल्पना की गई थी । सुजानपुर टीहरा और नादौन में डिस्चार्ज डेटा का उपयोग, विकल्पों के बारे में अध्ययन, डीपीआर की तैयारी, ईआईए और सामाजिक-आर्थिक अध्ययन आदि पहले ही आयोजित किए जा चुके हैं। प्रारंभिक व्यवहार्यता अध्ययन में विभिन्न बांध ऊंचाइयों के साथ 50 मेगावाट और 80 मेगावाट के दो विकल्पों पर विचार किया गया है। धौलासिध एचईपी की जांच, डीपीआर तैयार करने, भूमि अर्जन, डिजाइन, निर्माण, संचालन और रखरखाव के लिए परियोजना को 27 अक्टूबर, 2008 को एसजेवीएन को प्रदान किया गया।

परियोजना का उद्देश्य उत्तरी क्षेत्र में बिजली आपूर्ति में अंतर को कम करना और स्थानीय आवासों पर न्यूनतम खतरनाक और न्यूनतम सामाजिक-पर्यावरणीय प्रभावों के साथ अधिकतम ऊर्जा संसाधनों का दोहन करके राज्य के राजस्व में वृद्धि करना है।

धौलासिध HEP की अनुमानित बिजली उत्पादन प्रति वर्ष 258.31 GWH होगी। कुल परियोजना लागत 789.64 करोड़ रुपये होने का अनुमान है। परियोजना से अपेक्षित राजस्व 90% भरोसेमंद वर्ष में लगभग 108 करोड़ सालाना होगा। यह परियोजना अपने चरम निर्माण चरण के दौरान कुल 600 व्यक्तियों के रोजगार का अनुमान लगाती है जिसमें 500 कर्मचारी और लगभग 100 तकनीकी कर्मचारी शामिल होंगे। यह रोजगार कुशल, अर्ध-कुशल और अकुशल श्रमिकों के लिए उत्पन्न होगा। हिमाचल प्रदेश सरकार के नियम अनुसार, रोजगार का 70% हिमाचल प्रदेश के निवासियों के लिए आरक्षित होना चाहिए।

हिमाचल प्रदेश में पनबिजली ऊर्जा के दोहन के लिए रणनीति का पालन न्यूनतम लागत और न्यूनतम पर्यावरणीय प्रभावों के साथ अधिक से अधिक ऊर्जा का उत्पादन करना है। जलविद्युत क्षमता का तेजी से दोहन निश्चित रूप से राज्य के आर्थिक स्वास्थ्य में सुधार करेगा क्योंकि सभी नए प्रतिष्ठानों पर परियोजना लागत की 12 प्रतिशत मुफ्त बिजली और 1.5% LADF

(स्थानीय क्षेत्र विकास निधि), से राज्य के संसाधनों में एक महत्वपूर्ण वृद्धि होगी। उत्तरी क्षेत्र में बिजली की बढ़ती मांग और बढ़ते ऊर्जा की कमी को पूरा करने के लिए परियोजना की आवश्यकता भी उत्पन्न होती है।

RTFCTLARR अधिनियम, 2013 की धारा 2 उपधारा 1 (बी) के अनुसार, धौलासिध जल विद्युत् परियोजना (66 मेगावाट) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए बुनियादी ढांचा परियोजनाओं (ऊर्जा उत्पादन) की परिभाषा के तहत अच्छी तरह से उचित है।

स्थान

बांध स्थल सुजानपुर-तिहाड़ा में ब्यास नदी पर पीडब्ल्यूडी पुल के 12 किमी नीचे की ओर प्रस्तावित है। इसके अलावा बांध स्थल और पावर हाउस सुजानुर-टीहरा -नादौन रोड MDR 36 से 4 पर हैं। यहाँ तक गांव अमली के माध्यम से सलासी खड्ड पर पुल के बाएं से पैदल चलने योग्य रास्ते से पहुँच है। परियोजना स्थल, निकटतम ब्रॉड गेज रेलवे स्टेशन ऊना से लगभग 90 किमी की दूरी पर स्थित है।

निकटतम रेल स्टेशन ऊना में है। इसी तरह, निकटतम हवाई अड्डा चंडीगढ़ में परियोजना स्थल से लगभग 200 किमी दूर स्थित है। जेहान गांव के पास सलासी खड्ड पर आरसीसी ब्रिज से परियोजना स्थल तक जाने के लिए लगभग 4 किमी की एक पक्की सड़क का निर्माण किया जाना है।

बांध स्थल देशांतर $76^{\circ} 26'30.7''$ E और अक्षांश $31^{\circ} 48'23.1''$ N पर स्थित है। डैमसाइट के लिए मौजूदा पहुँच, जेहान गांव के पास सलासी खड्ड पर आरसीसी पुल से एक छोटे से जंगल कच्चे फुटपाथ के माध्यम से है। साइट, पुल से लगभग 4 किमी दूर स्थित है। वर्तमान में कोई मौजूदा सुविधाएं या साइट के पास नहीं हैं। इस वन मार्ग को परियोजना के लिए एप्रोच रोड के रूप में विकसित किया जाना प्रस्तावित है।

भूमि अर्जन का आकार और विशेषता

परियोजना के लिए कुल 332.87 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता है, 246.8062 हेक्टेयर (74%) निजी भूमि है, 28.32 हेक्टेयर (9%) सरकारी भूमि है और 57.74 हेक्टेयर (17%) वन भूमि है।

इसमें परियोजना प्रभाव के तहत कुल 47 गाँव शामिल हैं, जिसमें से 40 गाँवों में निजी भूमि का अर्जन किया जा रहा है।

जिन 40 गाँवों की निजी ज़मीन अधिग्रहित की जा रही है, उनका विवरण है: गाँव बलेहू, मथान, लौंगनी , भदरियाना भलेठ , रोपा, मिहाड़पुर , गहलियाँ , चौकी, हार , गुरौरु बोहला, टीहरा , बीड खास , कछ, मियाना। सुजानपुर रियाह , भरमाड़ , भगेड़ा बुहला, परगना, बल्ला गीरथा , पलाही, गागला, दाडला , समोना, सरोहल, तहसील सुजानपुर और जंगल महफूजा महदूदा जीहड तहसील नादौन। जिला हमीरपुर और गाँव बूली, टिपरी, क्योड ,चौकी , उप तहसील मझीन, दल्ली, भलंदर, डाडु, भेड़ी नीचली , पपरोला, बाग, बीड , लियुंदा, साई, आलमपुर उप-तहसील आलमपुर जिला कांगड़ा। वे दो जिलों अर्थात् हमीरपुर और कांगड़ा, तीन तहसीलों जैसे सुजानपुर, नादौन, आलमपुर और खंडियान के अंतर्गत 19 ग्राम पंचायतों में आते हैं।

कुल 3684 शीर्षकधारक अर्जन के तहत अपनी भूमि खो रहे हैं, जिसमें से 2473 जिला हमीरपुर से और 1211 जिला कांगड़ा से हैं। प्रस्तावित भूमि अर्जन में 13 PAFs का विस्थापन और 12 PAFs की आजिविका को नुकसान पहुँच रहा है।

अधिग्रहीत की जा रही भूमि और पीएपी के बारे में अधिक जानकारी के लिए अध्याय 3 और 4 के तहत विस्तार से चर्चा की गई है।

विकल्प पर विचार

परियोजना के विभिन्न घटकों के लिए विकल्पों की जाँच की अध्याय 1 में विस्तार से चर्चा की गई है। बांध और बिजली घर और इसके बुनियादी डिजाइन सुविधाओं के स्थान को इष्टतम बिजली उत्पादन, स्थलाकृतिक और भू-तकनीकी विशेषताओं, अपस्ट्रीम पर मौजूदा परियोजनाओं, अर्थव्यवस्था, जलमग्नता और विस्थापन और भूमि अर्जन जैसे अन्य प्रासंगिक कारकों को देखते हुए अंतिम रूप दिया गया है।

परियोजना के लिए कुल भूमि की आवश्यकता 332.87 हेक्ट में से 246.8062 हेक्ट (74%) निजी भूमि है जिसे अधिग्रहित किया जाना है जबकि शेष 86.06 हेक्ट (26%) सरकारी और वन भूमि है। हालांकि निजी भूमि का हिस्सा कुल भूमि की आवश्यकता के बहुमत के रूप में लगता है, इसका मुख्य कारण यह है कि पीएफ नदी के तट पर और नदी तल पर ही कई क्षेत्रों में

भूमि का स्वामित्व रखते हैं। अधिग्रहित की जा रही अधिकांश निजी भूमि प्रस्तावित जलाशय के डूब में आ रही है। इसके अलावा केवल 13 पीएएफ प्रस्तावित अर्जन से विस्थापित हो रहे हैं जो तुलनात्मक रूप से परियोजना और अर्जन के पैमाने और परिमाण को देखते हुए बहुत कम आंकड़ा है। 246.8062 हेक्ट की कुल निजी भूमि में से केवल 9% भूमि खेती योग्य है और शेष 91% भूमि अनुपयोगी है।

विशेष रूप से, प्रस्तावित अर्जन परियोजना के लिए सबसे कम विस्थापित विकल्प है। इसके अलावा, परियोजना के लिए आवश्यक कुल भूमि का केवल 1% (लगभग) इसका निर्माण और निर्माण के बाद के चरणों के दौरान परियोजना के लिए सभी सहायक सुविधाओं के निर्माण के लिए उपयोग किया जाएगा। शेष 99% भूमि जलमग्न हो जाएगी। इसलिए परियोजना गतिविधियों के कारण निजी भूमि के अर्जन के साथ-साथ न्यूनतम विस्थापन को कम करने के लिए सभी प्रयास किए गए हैं।

सामाजिक प्रभाव

परियोजना के लिए प्रस्तावित भूमि के अर्जन का आजीविका, रोजगार, आय, उत्पादन, स्वास्थ्य, कल्याण और समुदाय के जीवन की गुणवत्ता, सामाजिक-सांस्कृतिक प्रणालियों और पर्यावरण पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से असर पड़ेगा।

क्षेत्र में प्रस्तावित धौलासिध जल विद्युत् परियोजना को लेकर एक सामान्य आशा है। अध्ययन में पाया गया कि प्राथमिक हितधारकों में से 93%, अर्जन के लिए अपनी भूमि को आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार थे, बशर्ते कि उचित प्रतिकर का भुगतान किया जाए और केवल 7% ने अर्जन प्रक्रिया का विरोध किया। पंचायतों के साथ समूह चर्चा के दौरान, ग्रामीणों और द्वितीयक हितधारकों में परियोजना के प्रति बहुत सकारात्मक राय मिली, क्योंकि यह बुनियादी ढांचे के विकास (सामाजिक और भौतिक दोनों) और रोजगार व व्यवसाय के अवसरों में वृद्धि के मामले में पूरे क्षेत्र में समग्र विकास लाएगा। साथ ही उन्होंने उस क्षेत्र की भूमि की कीमतों में वृद्धि का अनुमान लगाया जो उनके लिए एक लाभदायक कारक होगा।

हालांकि, वे नकारात्मक प्रभावों के बारे में भी आशंकित थे जो उचित रूप से शमन नहीं किए जाने पर, परियोजना से बढ़ सकते हैं। क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए हितधारकों के बीच विवादों में वृद्धि के बारे में चिंताएं थीं कि दुर्बल समूहों को छोड़ दिया जा सकता है या उनको धोखा

दिया जा सकता है। इसके अलावा, प्रतिकर राशि प्राप्त करने के बाद से, PAF की वित्तीय स्थिति में बदलाव होगा जो बदले में उनकी खरीद क्षमता को बदल देगा और वित्तीय कुप्रबंधन के जोखिम को भी बढ़ाएगा क्योंकि कई जमींदार विशेष रूप से वित्तीय प्रबंधन के बारे में को ठीक से शिक्षित नहीं है। क्षतिपूर्ति राशि वितरित होने के बाद परियोजना क्षेत्र में धोखाधड़ी के मामलों में भी वृद्धि हो सकती है। खर्च के पैटर्न में बदलाव के कारण सांस्कृतिक प्रथाओं और परंपराओं में बदलाव की भी संभावना है।

अर्जन के कारण सार्वजनिक अवसंरचना जैसे श्मशान घाट, मौजूदा सिंचाई सुविधाओं सहित सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य अधोसंरचना का नुकसान भी होगा और पीने के पानी के स्रोतों, घाटों, जंगलों, चरागाहों आदि जैसे सामान्य संपत्ति संसाधनों का नुकसान भी होगा। प्रस्तावित अर्जन के तहत कुल 29 निजी संरचनाएं खो रही हैं, जिसके परिणामस्वरूप 13 पीएएफ का विस्थापन और 12 पीएएफ के लिए आजीविका का नुकसान होगा। इन 29 संरचनाओं में 13 आवासीय घर, 19 दुकानें, 1 आरामिल, 1 कार्यालय, 1 गौशाला, 11 शौचालय, 2 रसोई और 5 स्टोर शामिल हैं। अर्जन के तहत भूमि से जुड़ी अन्य संपत्तियों में, कुल 77,724 फल देने वाले पेड़, 17,280 गैर-फल असर वाले पेड़ भी प्रस्तावित अर्जन के कारण प्रभावित हो रहे हैं ।

इसी प्रकार 80 सार्वजनिक संपत्ति DSHEP के लिए प्रस्तावित अर्जन के तहत खो रही है। इनमें 1 सरकारी प्राथमिक विद्यालय, 1 आंगनवाड़ी, 1 महिला मंडल, 2 मंदिर, सुजानपुर का सीवरेज सिस्टम, 29 श्मशान घाट, आईपीएच योजना, 25 पंपहाउस और ट्यूबवेल, 2 बाउरी, 1 कुएं, भलुंदर गाँव का फूटपाथ और 15 बिजली के खंभे शामिल है। अध्याय 4 में बुनियादी ढांचे और परिसंपत्तियों के नुकसान के विवरण पर चर्चा की गई है। PAFs और साथ ही ग्रामीणों को इस बात की चिंता थी कि अर्जन करने वाले निकाय द्वारा उन्हें कैसे विकल्प प्रदान किए जाएंगे, ताकि यह उनकी दैनिक दिनचर्या में बाधा न बने। ग्रामीणों के पास पशुओं के चारे और जलाऊ लकड़ी के लिए समीपवर्ती चरागाह भूमि और जंगल पर निर्भरता है।

परियोजना के निर्माण चरण के दौरान, हितधारकों का परियोजना के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण था क्योंकि यह उनके लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार और व्यापार के अवसर पैदा करेगा। प्रवासन के कारण वस्तुओं की खपत में वृद्धि होगी, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को लाभ होगा। हालाँकि, उन्होंने परियोजना के लिए श्रमिकों के प्रवास के बारे में भी चिंता व्यक्त की क्योंकि यह स्वास्थ्य सुविधाओं, शैक्षणिक सुविधाओं, सड़कों आदि जैसे मौजूदा बुनियादी ढांचे पर दबाव बढ़ाएगा। स्थानीय लोगों और प्रवासियों के बीच संघर्ष में वृद्धि की संभावना हो सकती

है और हितधारकों ने यह भी कहा कि प्रवासन के कारण क्षेत्र में अपराध दर और असामाजिक गतिविधियों में वृद्धि की संभावना है। यह क्षेत्र सांस्कृतिक मिश्रण का भी गवाह बन सकता है। इसके अलावा, भारी परिवहन वाहनों, सामग्री परिवहन और निर्माण के कारण यातायात, वायु और ध्वनि प्रदूषण की समस्या भी होगी। निर्माण गतिविधियों और उत्खनन के कारण क्षेत्र में स्वास्थ्य समस्याओं में भी वृद्धि हो सकती है।

निर्माण के बाद के चरण के बारे में , हितधारकों ने कहा कि यह क्षेत्र में प्रदूषण को कम और जीवन के माहौल को बेहतर कर सकता है। LADA जैसे फंडों के कारण यह क्षेत्र आगे विकास का भी गवाह बनेगा। इस अवस्था के दौरान एक सांस्कृतिक स्थिरता भी देखी जा सकती है। हालांकि, उन्होंने कुछ नकारात्मक प्रभावों पर भी प्रकाश डाला, जो इस चरण के दौरान उत्पन्न हो सकते हैं, जैसे कि निर्माण गतिविधियों में गिरावट के कारण स्थानीय लोगों के लिए रोजगार और व्यापार के अवसर कम होंगे और इससे परियोजना में शामिल अस्थायी कार्य बल को बेरोजगारी भी हो सकती है।

क्षेत्र स्थानीय अर्थव्यवस्था में अचानक गिरावट और निर्माण चरण में शामिल अस्थायी श्रमिकों के प्रवास के कारण माल और सेवाओं की कम खपत का गवाह बन सकता है। नतीजतन, निर्माण चरण के दौरान आय के स्तर में वृद्धि के कारण बड़े हुए जीवन स्तर बनाए रखने में लोगों को कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है।

कोहरे का असर: ग्रीष्मकाल के दौरान आर्द्रता के स्तर में काफी वृद्धि होगी और सर्दियों के दौरान कोहरे की आवृत्ति और स्थायी घंटों में वृद्धि होगी। नतीजतन, यह फसलों की उत्पादकता और क्षेत्र में मिट्टी की उर्वरता को बदल देगा। कोहरे का असर स्थानीय लोगों के स्वास्थ्य पर भी पड़ सकता है और इसके परिणामस्वरूप बड़े हुए कोहरे और बीमारियों और कीटों के संक्रमण के कारण मानव और पशुओं के स्वास्थ्य पर खर्च बढ़ेगा। हालांकि, गर्मियों के दौरान लोगों को ठंडी जलवायु के कारण गर्मी से राहत मिल सकती है।

पानी से संबंधित बीमारियों में वृद्धि: प्रस्तावित जलाशय के निर्माण से विभिन्न रोग जनक जीवाणुओं के लिए संभावित प्रजनन स्थलों में वृद्धि होगी। ऐसी संभावना है कि प्रस्तावित परियोजना के निर्माण और संचालन के परिणामस्वरूप मलेरिया की घटनाएं बढ़ सकती हैं। जलाशय के निर्माण के अलावा, श्रम के एकीकरण, उत्खनन, श्रम शिविर में अपर्याप्त

सुविधाएं, मलबे के निपटान स्थल जैसे कारक, परियोजना के क्षेत्र में और उसके आस-पास मलेरिया की बढ़ती घटनाओं का कारण बन सकते हैं, यदि उन्हें ठीक से नियोजित नहीं किया गया है

मलबे का निपटान: आम तौर पर निचले इलाकों में मलबे का निपटान किया जाता है, जो मलबे के ढेर के कारण भर जाता है। यह कभी-कभी पानी के संचय के लिए अग्रणी क्षेत्र के प्राकृतिक जल निकासी पैटर्न को प्रभावित कर सकता है या कुछ क्षेत्र में आंशिक बाढ़ आ सकती है जो मच्छरों के लिए आदर्श प्रजनन निवास प्रदान कर सकती है। इसके अलावा मलबे के निपटान स्थल धूल / वायु प्रदूषण की चपेट में हैं और आसपास के क्षेत्र से कचरे के अनियंत्रित खुले डंपिंग का भी खतरा है, जिससे स्थानीय वातावरण खराब हो रहा है।

** विशेष नोट: क्षेत्र सर्वेक्षण के दौरान, गाँव जोल (जांगल पंचायत, जिला कांगड़ा) के लोग टीम SIA के पास पहुँचे और आगामी DSHEP परियोजना से प्रभावित हो रही उनकी ज़मीनों और संरचनाओं के बारे में अपनी चिंता साझा की। उनके अनुसार, डीएसएचईपी के एसआईए के लिए 2010 में कृषि अर्थशास्त्र विभाग, सीएसके एचपी कृषि विश्व विद्यालय, पालमपुर द्वारा किए गए सर्वेक्षण के दौरान, उन्हें बताया गया था कि उनके घर आगामी योजना के लिए अर्जन के तहत आ सकते हैं और उन्हें किसी अन्य स्थान पर जाना चाहिए।*

चूंकि मानसून के दौरान, रिवालेट का पानी उनकी आवासीय संरचनाओं तक पहुंचता है इसलिए ग्रामीणों को चिंता होती है कि डैम के निर्माण के बाद पानी निश्चित रूप से उनकी भूमि और संरचना तक पहुंच जाएगा, जिससे जलमग्न होने का खतरा बढ़ जाता है।

इसलिए यह सुझाव दिया गया है कि परियोजना के अधिकारी इस स्थिति के बारे में विचार करें।

कमी करने के उपाय

संभावित चुनौतियों और कठिनाइयों का सामना करने के लिए, निम्न शमन उपाय प्रस्तावित किए गए हैं:

➤ सामाजिक उपाय

1. यदि हितधारकों के बीच कोई विवाद है, तो इस विवाद को पहले हल किया जाना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कानूनी मालिक को प्रतिकर दिया जाए।

2. आलमपुर और लौंगानी में अर्जन के तहत खोए जा रहे 2 मंदिरों के निर्माण के लिए धनराशि प्रदान करें
3. परियोजना क्षेत्र के सभी गांवों और पंचायतों में सामुदायिक हॉल का निर्माण
4. महिला मंडल, युवक मंडल ग्राम पंचायत कार्यालयों के रूप में उपयोग किए जाने वाले भवन / संरचनाओं का निर्माण, मरम्मत और उन्नयन।
5. निर्णय लेने में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने और अपने पारंपरिक कौशल को बढ़ाने और नए कौशल विकसित करके पिछड़े वर्ग श्रेणियों जैसे महिलाओं और सीमांत वर्गों के उत्थान के लिए प्रयास किए जाने चाहिए।
6. परियोजना प्रभावित व्यक्तियों और परिवारों के लिए परिवार के सदस्यों के लिए नौकरी प्रदान करना
7. खेल परिसरों के निर्माण के माध्यम से खेलों को बढ़ावा देना और युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करना
8. अन्य चल रही विकास योजना से सहायता / ऋण

➤ आधारभूत संरचना के उपाय

1. परियोजना क्षेत्र की ग्राम पंचायतों में सभी मौसम योग्य पक्की सड़कों के लिए गाँव की सड़कों और लिंक सड़कों का उन्नयन।
2. परियोजना क्षेत्र की सभी पंचायतों में उचित जल निकासी सुविधाओं का निर्माण।
3. परियोजना क्षेत्र की सभी ग्राम पंचायतों में स्ट्रीटलाइट प्रदान करें।
4. परियोजना क्षेत्र की सभी पंचायतों को विशेष रियायती दरों पर बिजली प्रदान करना।
5. परियोजना क्षेत्र के गांवों और पंचायतों को स्वास्थ्य सुविधा जैसे PHC, डिस्पेंसरी, अस्पताल, मोबाइल हेल्थ वन, एम्बुलेंस और एम्बुलेंस सड़क का प्रावधान।
6. परियोजना क्षेत्र के सभी गांवों और पंचायतों में सिंचाई की सुविधा प्रदान करें।
7. परियोजना क्षेत्र के सभी गांवों और पंचायतों में पेयजल सुविधाओं का प्रावधान।
8. **स्कूल और छात्रवृत्ति** - स्कूलों में बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना और प्रभावित क्षेत्र में PAF के छात्रों के लिए विशेष छात्रवृत्ति कार्यक्रम।

9. परियोजना क्षेत्र और परिवेश के लिए तकनीकी शिक्षा संस्थान और व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र।
10. **सभी मौसम सड़कें** -SIA टीम की निगरानी और ग्रामीणों की मांग के अनुसार, सभी मौसम सड़कें और पुल क्षेत्र में बनाए और बनाए जा सकते हैं।
11. **नदी पर पुल:** यह सुझाव दिया गया है कि अपेक्षित निकाय निम्नलिखित उल्लिखित सड़कों, पुलियों और पुलों का समुचित संरचनात्मक स्थिरता का अध्ययन करे हैं, जैसे कि वे जल स्तर में वृद्धि का सामना करने में सक्षम होंगे और इसके परिणामस्वरूप यदि आवश्यकता होती है तो क्षेत्र में कनेक्टिविटी को बहाल करने के लिए विकल्पों की योजना बनाएं :
 - हमीरपुर-सुजानपुर पुल, समीप मोचन मंदिर
 - भालेथ-सिरोर पुल
 - सुजानपुर तिराहे को आलमपुर से जोड़ने वाला मुख्य पुल
 - संधोल सुजानपुर टीहरा कलवट, पुल से 1 किमी की दूरी पर है
 - टीहरा पुल से 2 किमी दूर संधोल सुजानपुर मार्ग पर पुल
 - पलाही को पुअर से जोड़ने वाला पुल
 - पुरी को जांगल बेहरी और जंगल बेरी के साथ खेरी से जोड़ने वाला पुल
 - बल्ली टिपरी रोड
12. वैकल्पिक श्मशान घाट उपलब्ध कराए जाँ जहां भी वे अर्जन के तहत आ रहे हैं ।
13. **जल निकासी** - प्रभावित ग्राम पंचायतों में उचित जल निकासी की सुविधा प्रदान करने की आवश्यकता है।

➤ **पुनर्वास व पुनार्व्यस्थापन और आजीविका बहाली के उपाय**

1. जो PAF विस्थापित हो रहे हैं और भूमि हारे हुए लोगों के लिए भी जो अर्जित भूमि के प्रतिकर के रूप में भूमि का चयन करते हैं, अपेक्षित निकाय को उसी ग्राम पंचायत या पड़ोसी ग्राम पंचायत में भूमि प्रदान करनी चाहिए।
2. PAF जिनके घरों का अर्जन किया जा रहा है, उन्हें उचित प्रतिकर दिया जाए और अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत पुनर्वास के कारण होने वाली असुविधा के लिए अतिरिक्त प्रतिकर दिया जाए।

3. कई पंचायतों को लगता है कि प्रतिकर की गणना के लिए जमीन की सर्किल दरें बहुत कम हैं। इसलिए, प्रतिकर की गणना से पहले भूमि की सर्किल दरों को संशोधित और बढ़ाने का अनुरोध किया है।
4. जिन PAFs के घरों के अलावा अन्य संरचनाएँ जा रही हैं उन्हें भी उचित प्रतिकर प्राप्त हो।
5. उन 12 पीएफ के लिए जिनकी आजीविका प्रभावित हो रही है, उनकी आजीविका को मौजूदा स्तर पर या बेहतर तरीके से बहाल करने के उपाय किए जाने चाहिए ।
6. आगामी परियोजना में स्थानीय ग्रामीणों के लिए व्यावसायिक अवसर और अन्यथा निर्माण, आपूर्ति और परिवहन के लिए अनुबंध।
7. आय बहाली के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र।
8. विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत श्रमिक वर्ग की आबादी के लिए कौशल उन्नयन प्रशिक्षण प्रदान करना
9. परियोजना प्रभावित ग्रामीणों के लिए आगामी HEP परियोजना में नौकरी के अवसर।

पर्यावरण के उपाय

I) परियोजना क्षेत्र में वनीकरण और वृक्षारोपण

II) ध्वनि प्रदूषण और वाहनों के आवागमन को कम करने के उपाय

शोर प्रदूषण और यातायात को कम से कम किया जा सकता है:

- a) भारी परिवहन वाहनों के प्रवेश के लिए दिन के विशिष्ट घंटे को परिभाषित करना।
- b) एक दिन में परियोजना स्थल में प्रवेश करने / छोड़ने वाले भारी वाहनों की संख्या को विनियमित करना।
- c) हॉर्न के उपयोग को कम करने के लिए ड्राइवरों को सख्त निर्देश।
- d) परिवहन वाहनों पर दबाव हॉर्न पर पूर्ण प्रतिबंध।
- e) सड़कों और यातायात की स्थितियों पर अनावश्यक अधिभार से बचने के लिए पूरे दिन में समान रूप से परिवहन वाहनों के प्रवेश और निकास के निश्चित समय।
- f) भारी वाहनों के चालकों को गति सीमा का पालन करने के लिए तथा छोटे वाहनों को प्राथमिकता देने और नियमित ओवरटेक करने देने के लिए सख्त निर्देश।

III) वायु प्रदूषण घटाने के उपाय

वायु प्रदूषण को कम करने के उपाय परिवहन, निर्माण, उत्खनन, खनन और डंपिंग के दौरान धूल के कारण उत्पन्न होने वाले वायु प्रदूषण को निर्माण स्थल, परिवहन वाहनों जैसे ट्रकों, टिपरों आदि के खनन और डंपिंग साइटों को उचित तरीके से ढकने से कम किया जा सकता है। साथ ही, परियोजना क्षेत्र में पूरे दिन नियमित जल स्प्रे भी वायु प्रदूषण को कम करने में मदद करेगा।

IV) जल प्रदूषण, जल जनित रोग और बढ़ी हुई आर्द्रता को कम करने के उपाय

- 1) जल प्रदूषण को, खुदाई और खनन के दौरान नदी में न्यूनतम डंपिंग को सख्ती लागू करने से कम किया जा सकता है।
- 2) डंपिंग साइट को नदी के किनारों से दूर बनाया जाना चाहिए ताकि बारिश और मानसून के दौरान मलबा विशेष रूप से नदी में प्रवेश करने से बचें।
- 3) निर्माण सामग्री की भंडारण इकाइयों को विशेष रूप से रेत को नदी के किनारे से दूर रखना चाहिए।
- 4) जलाशय निर्माण के बाद जलाशय में विशेष रूप से छिड़काव नियमित रूप से किया जाना चाहिए ताकि जल जनित बीमारियों से बचा जा सके।
- 5) जलाशय के कारण नमी में वृद्धि वनीकरण द्वारा कम से कम हो सकती है। हालांकि विदेशी सजावटी पेड़ों के बजाय स्थानीय पेड़ों को लगाने के लिए विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। इसके अलावा, केवल उन किस्मों के पेड़ों को लगाया जाना चाहिए जो नमी को कम करते हैं और परिवेश को अपेक्षाकृत ठंडा रखने में मदद करते हैं।

V) जल स्तर में वृद्धि के कारण भूमि स्लाइड के जोखिम को कम करने के उपाय

➤ अन्य शमन उपाय

- a) **पर्यटन को बढ़ावा देना:** क्षेत्र को पर्यटन स्थल के साथ-साथ पानी से संबंधित गतिविधियों / खेल, राफ्टिंग, शिविर आदि के लिए हब के रूप में विकसित किया जा सकता है।
- b) **मत्स्य पालन को बढ़ावा देना:** यह परियोजना मत्स्य पालन के विकास के लिए जन्मजात परिस्थितियाँ प्रदान करेगी। मछली पकड़ने का लाइसेंस जारी करने के साथ प्रभावित क्षेत्र के इच्छुक व्यक्तियों को मछली पालन में प्रशिक्षण भी दिया जा सकता है।

- c) **पशुपालन** को बढ़ावा देने से छोटे और सीमांत किसानों को उनकी आय बढ़ाने में मदद होगी। दुग्ध सहकारी क्षेत्र को बढ़ावा दिया जा सकता है जिससे न केवल परियोजना प्रभावित परिवारों को बल्कि पूरे क्षेत्र को लाभ होगा।
- d) **स्व-सहायता समूहों (SHG)** का गठन और सुदृढीकरण: महिलाओं को एक साथ आने और स्व-सहायता समूह बनाने और मौजूदा लोगों को उचित प्रशिक्षण के साथ मजबूत बनाने और उन्हें विभिन्न योजनाओं के तहत दिए गए ऋण के माध्यम से अपनी आजीविका अर्जित करने की सुविधा प्रदान करने के लिए अवसर प्रदान करना। हस्तकला, डेयरी, शॉल बनाना, सिलाई और कढ़ाई आदि प्रस्तुत की जा सकती है।
- e) **आय बहाली के लिए संस्थागत संपर्क और कौशल उन्नयन:** अर्जन करने वाली संस्था कुछ व्यावसायिक / कौशल प्रशिक्षण के अवसर प्राप्त करने के लिए प्रभावित परिवार के सदस्यों को जुटाने के लिए एक सक्रिय भूमिका निभा सकती हैं और कच्चे माल, आदानों के अलावा विपणन और क्रेडिट सुविधाएं के लिए अग्रामी व अधोग्रामी संबंध स्थापित करने में भी सहायता कर सकते हैं।
- f) **परियोजना-आधारित रोजगार:** परियोजना से संबंधित रोजगार के अवसर जैसे परियोजना निर्माण, रखरखाव, आपूर्ति और परिवहन अनुबंध के तहत काम प्रभावित परिवारों को दिया जा सकता है।
- g) **स्थानीय क्षेत्र विकास समिति**
परियोजना क्षेत्र में स्थानीय क्षेत्र विकास निधि (LADF) का सही तरीके से उपयोग करने के लिए, एक स्थानीय क्षेत्र विकास समिति (LADC) का गठन किया जा सकता है, जिसमें विभिन्न हितधारक शामिल होते हैं जैसे कि सरकारी विभाग, परियोजना प्रभावित परिवारों के सदस्य, निकाय अधिकारियों की आवश्यकता आदि।
- h) **सर्किल दरों में संशोधन**
काँगड़ा जिला और हमीरपुर जिले की कई पंचायतों में पड़ने वाले गांवों के कई PAPs और PAF को लगता है कि उनकी भूमि की मौजूदा सर्कल दरें बहुत कम हैं। इसलिए उन्होंने प्रतिकर की गणना से पहले सर्कल दरों को संशोधित करने और बढ़ाने का अनुरोध किया है।
- i) **बेहतर वित्तीय प्रबंधन** के लिए PAPs और PAF के लिए जागरूकता शिविर और वित्तीय साक्षरता शिविर का आयोजन।

सामाजिक लागत और फायदों का निर्धारण

कुल 246.8062 हेक्टर भूमि के प्रस्तावित अर्जन के लिए अनुमानित प्रतिकर 300.3 करोड़ रुपये हैं।

अर्जन के प्रभाव में 77,724 फल देने वाले पेड़ और 17,280 गैर-फल असर वाले पेड़ों के लिए, कुल 44.40 करोड़ रुपये का प्रतिकर अनुमानित है।

पुनर्वास और पुनर्स्थापन की कुल लागत 4.12 करोड़ रुपये अनुमानित है जिसमें अर्जन के तहत जाने वाले आवासीय संरचनाओं में रहने वाले 13 परिवार भी शामिल हैं।

इस प्रकार, 10% विविध लागत सहित, भूमि अर्जन के लिए R & R सहित कुल लागत 383.31 करोड़ रुपये अनुमानित है।

विश्लेषण पर, परियोजना की सामाजिक लागत और लाभ बड़े पैमाने पर परियोजना से प्रभावित परिवारों की सामाजिक लागत को स्पष्ट करते हैं। RTFCTLARR अधिनियम, 2013 के तहत भुगतान किए जाने वाले क्षतिपूर्ति प्रावधानों का ध्यान रखें कि परियोजना से प्रभावित होने वाले PAPs और PAF को होने वाले नुकसान और असुविधा की भरपाई उदारता से की जाती है। अधिनियम न केवल उस भूमि का प्रतिकर देता है जिसे अर्जित किया जा रहा है, बल्कि इससे जुड़ी संरचनाओं और परिसंपत्तियों के लिए भी। इसके अलावा अधिनियम में खड़ी फसलों और पेड़ों (फल और गैर-फल दोनों) के लिए क्षतिपूर्ति की गई है। विस्थापन के मामले में, अधिनियम निर्वासन के लिए निर्वाह और परिवहन भत्ते के रूप में अतिरिक्त प्रतिकर प्रदान करता है। आजीविका के नुकसान के लिए, अधिनियम PAPs को उसकी आजीविका को फिर से स्थापित करने के लिए या तो उसे वैकल्पिक रोजगार स्रोत या एक बार सहायता प्रदान करके क्षतिपूर्ति करता है।

अध्ययन के दौरान यह देखा गया कि परियोजना की क्षेत्र में सामान्य स्वीकृति है। वास्तव में, अधिकांश प्राथमिक और माध्यमिक हितधारक इस परियोजना को लागू करने के लिए तत्पर हैं क्योंकि यह क्षेत्र में समग्र विकास लाएगा। यहां तक कि सर्वेक्षण से 91% प्राथमिक हितधारक अर्जन के लिए अपनी सहमति देने के लिए तैयार हैं बशर्ते कि उनके मुद्दों का समाधान हो। सामाजिक प्रभाव और शमन उपायों के तहत मुद्दों पर चर्चा की गई है। FGD के दौरान पंचायतें भी परियोजना के पक्ष में थीं क्योंकि वे LADF और सीएसआर जैसे फंडों के माध्यम से अपनी ग्राम पंचायतों के विकास के बारे में आशावादी थीं।

प्रभावित क्षेत्र के लोग रोजगार के अवसरों में वृद्धि, भूमि की कीमत और छोटे और मध्यम व्यापार उपक्रमों के लिए दायरा बढ़ाने को लेकर आशान्वित हैं। वे बेहतर सड़क नेटवर्क और जल निकासी सुविधाओं, उच्च आवृत्ति और बेहतर गुणवत्ता वाली परिवहन सेवाओं, बेहतर ढांचागत सुविधाओं की उम्मीद कर रहे हैं और यह क्षेत्र हिमाचल प्रदेश के HEP मानचित्र में एक मील का पत्थर बन जाएगा।

व्यापक स्तर पर, परियोजना हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा लागू की जाने न्यूनतम लागत और न्यूनतम पर्यावरण नकारात्मक प्रभावों के साथ जितना संभव हो उतनी ऊर्जा का उत्पादन करने वाली रणनीति की सराहना करती है। जल-विद्युत ऊर्जा क्षमता के तेजी से दोहन से निश्चित रूप से राज्य के आर्थिक स्वास्थ्य में सुधार होगा क्योंकि सभी नए प्रतिष्ठानों से 12 प्रतिशत मुफ्त बिजली और परियोजना लागत का 1.5% LADF (स्थानीय क्षेत्र विकास निधि), से राज्य के संसाधनों में एक महत्वपूर्ण सीमा तक वृद्धि होगी। उत्तरी क्षेत्र में बिजली की बढ़ती मांग और बढ़ते ऊर्जा की कमी को पूरा करने के लिए परियोजना की आवश्यकता भी उत्पन्न होती है।

इसलिए यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि परियोजना का लाभ प्रभावित क्षेत्र, जिले और राज्य के लोगों को दिया जाएगा। यदि प्रस्तावित शमन योजना का पालन किया जाता है, तो यह नकारात्मक प्रभावों को कम करके सामाजिक प्रभावों को कम करने में मदद करेगा और सकारात्मक प्रभावों को बढ़ाएगा, जिससे प्रतिकूल सामाजिक लागतों पर प्रभाव पड़ेगा।

1 विस्तृत परियोजना विवरण

1.1 परियोजना पृष्ठभूमि

66 मेगावाट के धौला सिद्ध हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट (DSHEP) का निर्माण सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड (SJVNL) द्वारा किया जा रहा है, जो सरकारी क्षेत्र में, भारत सरकार और हिमाचल प्रदेश का सार्वजनिक उपक्रम है। प्रस्तावित परियोजना, ब्यास नदी पर नदी प्रवाह प्रकार की परियोजना होगी, जिसमें सोनोटू में प्रसिद्ध मंदिर



धौला सिद्ध के पास एक बांध प्रस्तावित है जिसके बायें किनारे पर जंगल जिहान गाँव और दाहिने किनारे पर जिला हमीरपुर और कांगड़ा में बूली गाँव है। प्रस्तावित बांध में पानी सुजानपुर टिहरा से ऊपर बीर बगेहडा तक जा सकता है जो वास्तविक बांध स्थल से लगभग 15 -16 किमी दूर है। बांध क्षेत्र में शामिल होने वाले दो मुख्य खड्ड, भेलथ के पास पुंग खड्ड और सुजानपुर तिहाड़ा के पास नयुगल खड्ड है। ये दोनों खड्ड प्रकृति में बारहमासी हैं। नयुगल खड्ड का कैचमेंट पुंग खड्ड से ज्यादा है। बांध के निर्माण से इन दो खड्डों में पानी स्थानांतरित हो जाएगा और इन खड्डों के साथ स्थित कुछ गाँव प्रभावित होंगे। बांध क्षेत्र हमीरपुर- पालमपुर और नादौन -सुजानपुर राष्ट्रीय राजमार्गों के साथ और आंशिक रूप से सुजानपुर टिहरा - संधोल राज्य राजमार्ग के साथ भी स्थित होगा। परियोजना का उद्देश्य ब्यास नदी की जल क्षमता का दोहन करना है।

परियोजना सुजानपुर टिहरा पुल से नीचे लगभग 10 किमी की दूरी पर प्रस्तावित है । न्युन अवधि के दौरान इसके चरम उपयोग करने के लिए एक छोटे तालाब के साथ परियोजना की

योजना बनाई गई है। 6.87MCM का जीवंत भंडारण न्यूनतम 3 घंटे की एक पूर्णता प्रदान करने के लिए पर्याप्त है। इस परियोजना में विभिन्न परियोजनाओं के लिए सरकारी भूमि के 28.30hectares (हेक्टेयर), 57.7364 हेक्टेयर वन भूमि और 246.8062 हेक्टेयर निजी भूमि के अर्जन की उम्मीद है। इसलिए, इस परियोजना के विकास के लिए अधिग्रहित की जाने वाली कुल भूमि का क्षेत्रफल 332.87 ha है। डैम साइट पर कैचमेंट एरिया 958000 वर्ग मीटर और पावर हाउस एरिया 129240 वर्ग मीटर है। इस परियोजना से 90% भरोसेमंद वर्ष में प्रतिवर्ष 253.18 GWh विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने का प्रस्ताव है। DSHEP को पीक पावर स्टेशन के रूप में संचालित करने की योजना बनाई गई है। आने वाले पानी को चरम अवधि के दौरान जलाशय में संग्रहित किया जाएगा और जलाशय भर जाने पर उसे पूर्ण भार पर छोड़ा जाएगा। रन-ऑफ-द-रिवर स्कीम की तुलना में यह पीक प्लांट के रूप में संचालित होने के दौरान उच्च ऊर्जा उत्पन्न करता है। इसके अलावा, यह हिमाचल प्रदेश में उच्च शिखर बिजली की मांग को पूरा करने में भी मदद करेगा।

1.1.1 विकासकर्ता की पृष्ठभूमि

SJVNL एक सुस्स्थापित, आईएसओ 9001 और ISO 14001 प्रमाणित कंपनी है। यह बहु-आयामी/ अनुशासनात्मक संगठन है और इसने हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स की योजना और क्रियान्वयन के लिए पर्याप्त विशेषज्ञता हासिल कर ली है। एकल जलविद्युत परियोजना कंपनी से शुरू होकर, SJVNL का आज हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और नेपाल और भूटान पड़ोसी देशों में पनबिजली परियोजनाओं में एक पदचिह्न है।

SJVNL लिमिटेड, एक मिनी रत्न, श्रेणी- I और अनुसूची - A सीपीएसई, बिजली मंत्रालय, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में 24 मई, 1988 को भारत सरकार (GOI) और हिमाचल प्रदेश सरकार (GOHP) के संयुक्त उपक्रम के रूप में अस्तित्व में आयी । SJVNL अब एक सूचीबद्ध कंपनी है, जिसके 62.44% शेयर भारत सरकार के पास है, 26.85% हिमाचल प्रदेश सरकार और शेष 10.71% जनता के पास है।

SJVNL एक सुस्स्थापित, आईएसओ 9001 और ISO 14001 प्रमाणित कंपनी है। यह बहु-आयामी/ अनुशासनात्मक संगठन है और इसने हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स की योजना और क्रियान्वयन के लिए पर्याप्त विशेषज्ञता हासिल कर ली है। एकल जलविद्युत परियोजना कंपनी से शुरू होकर, SJVNL का आज हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और नेपाल और भूटान पड़ोसी देशों में पनबिजली परियोजनाओं में एक पदचिह्न है।

SJVNL लिमिटेड, एक मिनी रत्न, श्रेणी- I और अनुसूची - A सीपीएसई, बिजली मंत्रालय, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में 24 मई, 1988 को भारत सरकार (GOI) और हिमाचल प्रदेश सरकार (GOHP) के संयुक्त उपक्रम के रूप में अस्तित्व में आयी । SJVNL अब एक सूचीबद्ध कंपनी है, जिसके 62.44% शेयर भारत सरकार के पास हैं, 26.85% हिमाचल प्रदेश सरकार और शेष 10.71% जनता के पास है।

सहायक कंपनी

- SJVNL अरुण -3 पावर डेवलपमेंट कंपनी प्रा० लिमिटेड (SAPDC) पूरी तरह से स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है जो नेपाल में 900 मेगावाट की अरुण -3 परियोजना के कार्यान्वयन के लिए गठित है।
- SJVNL थर्मल प्राइवेट लिमिटेड- बिहार में 1320 मेगावाट बक्सर थर्मल पावर प्रोजेक्ट के निष्पादन के लिए पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है।

1.1.1.1 संयुक्त उपक्रम

क्रॉस बॉर्डर पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड (CPTC) - 86km लंबी, 400 kV D/C मुजफ्फरपुर नेपाल कनेक्शन बिंदु से मुजफ्फरपुर सब स्टेशन तक ट्रांसमिशन लाइन का निर्माण व रख रखाव कार्य हेतु

भूटान में 600 मेगावाट की खोलोंगचू हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना के निष्पादन के लिए खोलोंगछु हाइड्रो एनर्जी लिमिटेड। परियोजना इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सड़कों और पुलों का काम चल रहा है और मुख्य कार्यों के लिए निविदाएँ आमंत्रित की गयी हैं।

1.1.1.2 वित्तीय प्रदर्शन

वित्त वर्ष 2017-18 के लिए कंपनी की कुल आय रु 2587.07 करोड़ और 12.12.88 करोड़ कर के भुगतान के बाद लाभ अर्जित किया है । SJVNL ने वित्त वर्ष 2017-18 के लिए कुल लाभांश 864.56 करोड़ रुपए (लाभांश कर को छोड़कर) का भुगतान किया है।

1.1.1.3 SJVNL - एक मिनी रत्न कंपनी


SJVNL लिमिटेड को भारत सरकार द्वारा वर्ष 2008 में "मिनी रत्न: श्रेणी- I" का दर्जा दिया गया था।

धौलासिध जल विद्युत् परियोजना (66 मेगावाट) के लिए की जा रही प्रस्तावित भूमि अर्जन का सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन ।

1.1.1.4 SJVNL - अनुसूची 'ए' कंपनी

लोक उद्यम विभाग द्वारा निर्धारित मानदंडों को पूरा करते हुए, गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों मानकों को पूरा करने पर SJVNL को 2008 में अनुसूची 'ए' पीएसयू के रूप में उन्नत किया गया था।

चित्र 1: संगठनात्मक संरचना एस.जे.वि.एन.एल.



Note:

•Projects shall mean Projects in Investigation, Pre-Construction and Construction Stage.

*स्रोत: SJVN कंपनी प्रोफाइल.

1.1.2 शासन और प्रबंधन संरचना

पूर्व-निर्माण अवधि को छोड़कर 43 महीने की अवधि के भीतर परियोजना के कमीशन के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए पीईआरटी और सीपीएम के लिए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर द्वारा सहायता प्राप्त एक कुशल और परिणाम-उन्मुख संगठन की स्थापना की जाएगी। पूरे प्रोजेक्ट के लिए एक मास्टर कंट्रोल नेटवर्क विकसित किया जाएगा, जो किसी भी प्रदेय को , मैन पाँवर, उपकरण और सामग्रियों की न्यूनतम संभव अवधि में उनकी उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रोजेक्ट हेड के स्तर पर निगरानी रखेगा। प्रत्येक घटक को आगे विभिन्न उप गतिविधियों में विभाजित

किया जाएगा और बुनियादी गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए एक कार्य-विच्छेद संरचना तैयार की जाएगी। निर्माण संगठन के प्रभारी चार महाप्रबंधकों के साथ महाप्रबंधक होंगे

- a) बांध और स्पिलवे के सिविल कार्य के साथ संबंधित कार्य
- b) बिजलीघर और पेनसटोक सहित आश्रित कार्यों के सिविल कार्य
- c) सड़कों और इमारतों, पावर निर्माण, पर्यावरण और कार्यशाला, आदि की मरम्मत और रखरखाव कार्य
- d) बिजलीघर उपकरण और अन्य सहायक प्रतिष्ठानों की स्थापना।

गुणवत्ता नियंत्रक प्रबंधक की अध्यक्षता में एक गुणवत्ता नियंत्रण इकाई संचालित की जाएगी जो सभी गुणवत्ता नियंत्रण पहलुओं, परियोजना स्थल प्रयोगशाला परीक्षण आदि की देखभाल करेगी और सीधे परियोजना के महाप्रबंधक को रिपोर्ट करेगी। निर्माण के दौरान कार्यों के सुरक्षा पहलुओं का ध्यान रखने के लिए एक सुरक्षा अधिकारी और एक पर्यावरण अधिकारी नियुक्त होंगे जो सीधे महाप्रबंधक को रिपोर्ट करेंगे ।

तकनीकी और गैर तकनीकी कर्मचारियों की अतिरिक्त श्रेणियों को कार्यशील और विभिन्न पाली में काम करने के आधार पर शामिल किया जाएगा।

डिजाइन और इंजीनियरिंग कार्य डिजाइन और इंजीनियरिंग सलाहकार द्वारा किया जाएगा।


विशेष रूप से हिमालयी क्षेत्र में पनबिजली परियोजनाओं की जांच, डिजाइन, निर्माण और ओ एंड एम में अनुभव रखने वाले इंजीनियरों का एक मुख्य समूह प्रधान कार्यालय में स्थापित किया जाएगा। इस मुख्य समूह के व्यापक कार्य निम्नानुसार होंगे:

- इंजीनियरिंग सलाहकार और अन्य शामिल पक्षों को जांच, डेटा का विश्लेषण और प्रासंगिक डेटा की आपूर्ति में तकनीकी सहायता प्रदान करना
- संबंधित केंद्र और राज्य सरकार की एजेंसियों के साथ तकनीकी बातचीत जैसे केंद्रीय जल आयोग, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, भारतीय मौसम विभाग और अन्य इंजीनियरिंग सलाहकार आदि।
- रिटेनर डिजाइन और इंजीनियरिंग सलाहकार के साथ संपर्क और उनके डिजाइन और निर्माण चित्र की व्यापक जांच

- निर्माण संगठन और ठेकेदार के साथ संपर्क
- संयंत्र के डिजाइन और अन्य क्षेत्र के डिजाइन और निर्माण संगठन को पूर्ण तकनीकी सहायता प्रदान करना
- गुणवत्ता नियंत्रण और निरीक्षण के लिए योजनाएं तैयार करना और यह देखना कि वह संतोषजनक तरीके से लागू की जा रही है
- मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल उपकरणों के निर्माताओं के सहयोग से परीक्षण और कमीशन शेड्यूल और ओ एंड एम मैनुअल तैयार करना

प्रोजेक्ट के फील्ड संगठन का सेटअप दिखाने वाला चार्ट नीचे दिया गया है:

चित्र 2: क्षेत्र संगठन संरचना



*स्रोत: डीपीआर, डीएसएचईपी

1.2 परियोजना का मूल आधार

हिमाचल प्रदेश अपनी पांच प्रमुख नदियों में विशाल पनबिजली क्षमता के साथ धन्य है। हिमाचल प्रदेश सरकार ब्यास नदी की जल क्षमता का दोहन करने के लिए धौलासिध डैम हाइड्रो इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट (66 MW) के निर्माण हेतु हमीरपुर जिले के 25 गाँव व काँगड़ा जिले के 15 गाँव भूमि अर्जन करने का इरादा रखती है। यह नदी प्रवाह प्रकार की प्रस्तावित योजना है और SJVNL लिमिटेड इस कार्य की कार्यान्वयन एजेंसी है। हिमाचल प्रदेश में पनबिजली ऊर्जा के दोहन के लिए रणनीति का पालन न्यूनतम लागत और न्यूनतम पर्यावरणीय प्रभावों के साथ अधिक से अधिक ऊर्जा का उत्पादन करना है। पनबिजली ऊर्जा क्षमता का तेजी से दोहन से निश्चित रूप से राज्य की आर्थिकता में सुधार होगा क्योंकि सभी नए परियोजना प्रतिष्ठानों से 12 प्रतिशत मुफ्त बिजली और 1.5% LADF राज्य के संसाधनों को एक महत्वपूर्ण सीमा तक बढ़ा देगा। उत्तरी क्षेत्र में बिजली की बढ़ती मांग और बढ़ते ऊर्जा की कमी को पूरा करने के लिए परियोजना की आवश्यकता भी उत्पन्न होती है। RTFCTLARR अधिनियम, 2013 की धारा 2 उप-खंड 1 (बी) के अनुसार, धौलासिध डैम हाइड्रो-इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट (66 मेगावाट) लोक प्रयोजनके लिए बुनियादी ढांचा परियोजनाओं (ऊर्जा उत्पादन) की परिभाषा के तहत अच्छी तरह से उचित है।

इसलिए, हिमाचल प्रदेश भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्वास (सामाजिक समाघात निर्धारण और सहमति) नियम, 2015 में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार के नियम 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग, के तहत , भूमि जिसका अर्जन किया जा रहा है, के लिए एक सामाजिक प्रभाव अध्ययन आयोजित किया जाना है

1.3 परियोजना विवरण

1.3.1 परियोजना का आकार

परियोजना, अक्षांश N 31° 48' 23.1" व देशांतर E 76° 26' 30.7" पर 520 मीटर पर एफआरएल के साथ 70.75 मीटर ऊंचे कंक्रीट ग्रेविटी डैम (सबसे गहरे आधार स्तर से ऊपर) के निर्माण की परिकल्पना की गई है। प्रस्तावित बांध स्थान पर नदी का स्तर सबसे गहरा 472 मीटर है। डायवर्सन बांध से पानी, नदी के बाएं किनारे पर स्थित सतह के बिजली घर तक 4.3 मी घरे के 2 पेनस्टॉक्स के द्वारा ले जाया जाएगा, और अंत में एक छोटी टेल रेस टनल के

धौलासिध जल विद्युत् परियोजना (66 मेगावाट) के लिए की जा रही प्रस्तावित भूमि अर्जन का सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन ।

माध्यम से नदी में वापस छोड़ा जाएगा । पावर हाउस स्थान पर सामान्य टेल रेस टनल का स्तर EL 473.30m है। परियोजना को FRL पर 46.37 m & 95.87 MCM के तालाब के सकल उपयोग के साथ 66 मेगावाट (2x33MW) की स्थापित क्षमता के साथ योजनाबद्ध किया गया है और करता है।

परियोजना के विभिन्न घटकों के डिजाइन, आयाम और क्षमता का विवरण नीचे दिया गया है:

तालिका 1: धौलासिध HEP परियोजना का आकर व् डिजाइन


क्रं नं०.	अंग	स्थान	डिजाइन	आयाम	क्षमता
1.	नदी डायवर्जन टनल	नदी के बायें किनारे पर	अपस्ट्रीम कॉफ़र्डम: अर्ध स्थायी, बेर कंक्रीट / कोलक्रेट। डाउनस्ट्रीम कॉफ़र्डम: रॉक तक जेट ग्राउटिंग की एकल पंक्ति।	व्यास : 10.20 मी लम्बाई : 227.71मी	1000 cu.m/sec
2.	बांध	गाँव: जंगल जिहान/झीण	ठोस गुरुत्वाकर्षण	ऊँचाई : 70.75m लम्बाई of Dam at शीर्ष : 195.14m सपीलवे सेक्शन लम्बाई : 90m	सकल तालाब : 88.07 Mm ³ जीवंत तालाब : 6.91 Mm ³ (एमडीडीएल 519 मीटर और एफआरएल 520 मीटर के बीच)
3.	सेवन संरचना	Face of NOF dam blocks 3 and 4	2 Nos.	बांध की शीर्ष चौड़ाई (बिजली का सेवन ब्लॉक): 12.0 मीटर। बिजली बांध की कुल लंबाई: 33.0 मीटर	80.67 cumecs
4.	पेन सटोक		2 Nos.	व्यास: 4.30 मीटर	

धौलासिध जल विद्युत् परियोजना (66 मेगावाट) के लिए की जा रही प्रस्तावित भूमि अर्जन का सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन ।

क्रं नं०.	अंग	स्थान	डिजाइन	आयाम	क्षमता
				ईएल पर केंद्र लाइन। 502.15 मी। सर्विस गेट का आकार: बांध अक्ष से 8.5 मीटर की दूरी पर 3.75 मीटर (डब्ल्यू) x 4.3 मीटर (एच)	
5.	सतह का पावर हाउस	नदी के बायें किनारे पर	Deep seated dam toe power station	70.75 मी ऊँचा	2 units of 33 MW

*स्त्रोत: DPR, DSHEP

मानचित्र 1: सामान्य लेआउट योजना, धौलासिध बाँध



1.3.2 अवस्थिति

प्रस्तावित परियोजना हिमाचल प्रदेश में ब्यास नदी बेसिन पर स्थित है, जिसके बाएं किनारे पर जिला हमीरपुर और दाहिने किनारे पर जिला कांगड़ा है। हालाँकि जलग्रहण क्षेत्र की सीमाएँ उत्तर में जम्मू और कश्मीर, दक्षिण-पूर्व में उत्तर प्रदेश, पूर्व में चीन, दक्षिण में हरियाणा और पश्चिम में पंजाब से लगती हैं। बांध प्रसिद्ध मंदिर धौलासिद्ध के पास प्रस्तावित है जिसके बायें किनारे पर जांगल झीण गाँव और दाहिने किनारे पर जिला हमीरपुर और कांगड़ा में बूली गाँव है। निम्नलिखित मानचित्र परियोजना के स्थान और सीमा को दर्शाता है। तालिका 1-2 हमीरपुर और कांगड़ा जिले में पड़ने वाले गाँवों की सूची प्रदान करती है जहाँ भूमि अर्जन हो रहा है।

तालिका 2: परियोजना गाँव की सूची

क्र० स०	जिला हमीरपुर	जिला कांगड़ा
1.	सुजानपुर	आलमपुर
2.	बल्ला गिरथान'	बाग
3.	लौंगानी	साई
4.	मथान'	भलुंदर
5.	मिहदपुर	बीड
6.	सरोहल	डाडू
7.	चौकी	डल्ली
8.	रोपा	लियुन्दा
9.	बटेहू	निचली भेडी
10.	भद्रिअना	पपरोला
11.	भरमाड़	चोकी
12.	गागला	कियोड
13.	घरोडू बुल्ला	टिपरी
14.	हार	बुल्ली
15.	टीरा	
16.	काछ	
17.	मियाना	
18.	बीड खास	
19.	बगेहडा बुल्ला	
20.	रियाह	
21.	दारला	
22.	गाहलिया	
23.	समौना	
24.	पलाही	
25.	परगना	
26.	जांगल झीण	

मानचित्र 2: प्रयोजन क्षेत्र का स्थान



1.3.2.1 परियोजना क्षेत्र तक पहुँच

परियोजना स्थल राज्य की राजधानी शिमला से लगभग 200 किमी दूर स्थित है और निकटतम रेल हेड (ब्रॉड गेज) ऊना जिले के ऊना में लगभग 93 किमी और निकटतम हवाई अड्डा कांगड़ा जिले में गग्गल, साइट से 83 किमी दूर है। वर्तमान में बांध स्थल पर जेहेन गांव के पास सलासी खड्ड पर आरसीसी पुल से लगभग 4 किमी दूर, छोटे रास्ते ट्रैक से पहुँचा जा सकता है। डैम साइट से निकटतम गाँव बायें किनारे पर जंगल जिहान है और क्रमशः जिला हमीरपुर और कांगड़ा में दाहिने किनारे पर बूली है। बांध और पावर हाउस साइट सुजानपुर की तरफ नीचे की ओर लगभग 12 किमी है और नादौन से ऊपर की ओर 16 किमी है झीण गांव के पास सलासी खड्ड पर आरसीसी पुल से परियोजना स्थल तक जाने के लिए लगभग 4 किमी की एक पक्की सड़क का निर्माण किया जाना है। निकटतम शहरी क्षेत्र 37 किमी की दूरी पर सुजानपुर है।

हमीरपुर, चंडीगढ़- शिमला और पठानकोट से सड़क द्वारा अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। चंडीगढ़ से एनएच -21 के द्वारा रूपनगर - किरतपुर - नंगल - ऊना - अंब के माध्यम से पहुँच है और एनएच -70 के माध्यम से अंब-कलोहा-नादौन - से जुड़ा है।ऊना को स्टेट हाइवे के माध्यम से हमीरपुर से जोड़ने वाला एक और मार्ग है। यह सड़क ऊना से बंगाना - बरसार - सलोनी - भोटा - हमीरपुर होकर जाती है। इस राज्य राजमार्ग का डबल लेनिंग वर्तमान में C & C कंस्ट्रक्शंस द्वारा प्रगति पर है। हमीरपुर शिमला और पठानकोट से सड़क द्वारा भी पहुँचा जा सकता है। बिलासपुर के माध्यम से शिमला से वाया NH-88 और पठानकोट से NH-20 के माध्यम से गग्गल और फिर NH-88 से नादौन और हमीरपुर जाया जा सकता है।


चित्र 1: उन-बंगना-बर्सर-सैलून-भोटा स्टेट हाईवे की डबल



लानिंग

धौलासिध जल विद्युत् परियोजना (66 मेगावाट) के लिए की जा रही प्रस्तावित भूमि अर्जन का सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन ।

मानचित्र 3: प्रस्तावित परियोजना की अवस्थिति



1.3.2.2 भौतिक विशेषताएँ

नदी का संपूर्ण जलग्रहण क्षेत्र हिमाचल प्रदेश में है जिसकी ऊँचाई समुद्र तल से 500 मीटर से 6000 मीटर तक है। हिमाचल प्रदेश राज्य को भौतिक विज्ञान के आधार पर तीन क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है। वह बाहरी हिमालय या शिवालिक, आंतरिक या मध्य हिमालय और ग्रेटर हिमालय या अल्पाइन हैं। शिवालिक में हमीरपुर, कांगड़ा, ऊना, बिलासपुर, और सोलन, सिरमौर और मंडी के निचले हिस्से शामिल हैं। निचले हिमालय की ऊँचाई 350 मीटर से 1500 मीटर के बीच है और इस क्षेत्र में वार्षिक वर्षा 150 सेमी से 175 सेमी के बीच होती है। मध्य क्षेत्र में सिरमौर, मंडी और कांगड़ा, शिमला और चंबा के कुछ हिस्सों में 75 सेमी से 100 सेमी के बीच वर्षा का अनुभव होता है। यह क्षेत्र लगभग पांच से छह महीने तक बर्फ के नीचे रहता है। अल्पाइन क्षेत्र 4,500 मीटर और उससे अधिक की ऊँचाई पर है और इसमें चंबा के किन्नौर और पांगी तहसील और लाहौल और स्पीति के कुछ हिस्से शामिल हैं।

1.3.2.3 जलवायु

जलवायु, क्षेत्र की ऊँचाई के आधार पर अर्ध-उष्णकटिबंधीय से अर्ध-आर्कटिक तक जगह-जगह बदलती रहती है। अप्रैल से जून तक के महीने अधिक ऊँचाई पर सुखद और आरामदायक और निचली पहाड़ियों में आर्द्र पर होते हैं। जुलाई से सितंबर के महीने वर्षा के महीने हैं। हिमाचल प्रदेश में लगभग 160 सेमी की औसत वार्षिक वर्षा होती है। सर्दियों का मौसम अक्टूबर से फरवरी तक शुरू होता है और बहुत गंभीर होता है। इस मौसम में भारी बर्फबारी होती है।

1.3.2.4 भूकंपीयता

भूकंपीय बल महत्वपूर्ण है और धौलासिध एचईपी के 70.75 मीटर ऊंचे बांध की तरह गुरुत्वाकर्षण बांधों के डिजाइन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। परियोजना क्षेत्र हिमालय में स्थित है जिसे भूकंपीय बेल्ट के रूप में जाना जाता है।

साइटों के निकट सेस्मिनोजेनिक स्रोत मेन सेंटरल थ्रस्ट (MCT), सुंदरनगर फॉल्ट और मेन बाउंड्री थ्रस्ट हैं। परियोजना क्षेत्र भूकंपीय रूप से सक्रिय है क्योंकि इस क्षेत्र से कई भूकंप रिपोर्ट किए जाते हैं।

क्षेत्र उच्च भूकंपीय क्षेत्र में है, साइट विशिष्ट भूकंपीय अध्ययन विस्तृत डिजाइन चरण के दौरान किए जाने का प्रस्ताव है। DPR स्टेज डिजाइन के लिए वर्तमान विश्लेषण IS 1893 - 1984 (चौथा संस्करण) / IS 1893-2002 (भाग I) से प्राप्त गुणांक का उपयोग करके किया गया है। IS 1893-1984 भूकंपीय क्षेत्र पांच (5) में धौलासिध बांध और सभी बांधों को 3 का एक महत्वपूर्ण कारक देता है।

1.3.3 क्षमता और आउटपुट

धौलासिध बांध साइट के लिए 28 वर्षों के लिए गणना की गई निर्वहन श्रृंखला का उपयोग परियोजना से बिजली लाभ का निर्धारण करने के लिए किया गया है। टैरिफ के लिए भारत सरकार की अधिसूचना के अनुसार, टैरिफ के निर्धारण के लिए 90% भरोसेमंद वर्ष में उत्पन्न ऊर्जा पर विचार किया गया है। वर्टिकल एक्सिस फ्रांसिस टाइप टरबाइन के साथ प्रत्येक में 33 मेगावाट की 2 इकाइयों सहित 66 मेगावाट क्षमता की स्थापना प्रस्तावित है। 90% भरोसेमंद वर्ष में उपलब्ध होने वाली वार्षिक ऊर्जा नीचे दी गई है:

- वार्षिक ऊर्जा उत्पादन (GWh) 264.59 (10% ओवरलोडिंग के साथ)
- वार्षिक भार कारक (%) 43.79

90% भरोसेमंद वर्ष में 95% उपलब्धता पर टैरिफ के लिए डिजाइन ऊर्जा 258.31 GWh (10% ओवरलोडिंग) के रूप में लिया गया है।

नीचे दी गई तालिका में परियोजना के विभिन्न घटकों की कुल क्षमता और आउटपुट का विवरण है:

तालिका 3:धौला सिद्ध हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की क्षमता और आउटपुट

जल विज्ञान	
बांध स्थल पर कैचमेंट एरिया	9580 km ²
औसत निर्वहन 90% भरोसेमंद वर्ष में उपलब्धता	175 cumec
वार्षिक इनफ्लो / वार्षिक अपवाह	584mm/ 5591MCM
परियोजना बाढ़ मानक	12,000 cumecs
संभावित अधिकतम बाढ़ (PMF)	17674 cumecs
औसत वार्षिक वर्षा	1320mm

धौलासिध जल विद्युत् परियोजना (66 मेगावाट) के लिए की जा रही प्रस्तावित भूमि अर्जन का सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन ।

जलाशय	
अधिकतम जल स्तर (MWL)	522.50m
पूर्ण जलाशय स्तर (FRL)	520.00m
न्यूनतम ड्रा डाउन लेवल (MDDL)	519m
न्यूनतम परिचालन स्तर	512m
FRL पर सकल संग्रहण	95.87MCM
डेड स्टोरेज + सेडिमेंट स्टोरेज + इनएक्टिव स्टोरेज	89.0 MCM
लाइव स्टोरेज	6.87 MCM
ए) डायवर्सन व्यवस्था	
डायवर्सन टनल	
आकार	D- आकार
व्यास	10.2m
लंबाई	227.71m
डायवर्सन डिस्चार्ज	1000 cumecs
ठोस अस्तर की मोटाई	300mm
अपस्ट्रीम कॉफ़र डैम	
प्रकार	Plum Concrete Semi Permanent
अधिकतम ऊँचाई	18m
लंबाई	124.20 m
क्रेस्ट एलिवेशन	490.0 m
डाउनस्ट्रीम कॉफ़र बांध	
प्रकार	आंतरिक कंक्रीट की दीवार के साथ रॉकफिल प्रकार
अधिकतम ऊँचाई	2m
लंबाई	73.40m

धौलासिध जल विद्युत् परियोजना (66 मेगावाट) के लिए की जा रही प्रस्तावित भूमि अर्जन का सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन ।

क्रेस्ट एलिवेशन	473.0m
बांध	
बांध का प्रकार	सीधा कंक्रीट ग्रेविटी बांध
बाँध की शीर्ष ऊँचाई	523.0 m
डैम साइट पर औसत रिवर बेड लेवल	472m
डैम की ऊँचाई फाउंडेशन स्तर से ऊपर	70.75m
शीर्ष पर बांध की लंबाई	195.14m
बांध की शीर्ष चौड़ाई	8.00 m
गहन फाउंडेशन स्तर	452.25m
FRL पर फ्रीबोर्ड	3.0m
स्पिलवे	
डिज़ाइन फ्लड (PMF)	17,674 cumecs
स्पिलवे का प्रकार	Breast wall Sluice Spillway (Orifice Flow)
स्पिलवे की लंबाई	90.0m
खण्डों की संख्या	Six (06) (Block No 3 to 8)
बे चौड़ाई	10.0m
रूटेड ओउटफलो	17,000 cumecs
स्पिलवे गेट्स	10 m (W) X 14m (H)
क्रेस्ट लेवल	485.0 m
ऊर्जा अपव्यय की व्यवस्था	
ऊर्जा अपव्यय प्रकार	Solid Roller Bucket
बकेट का इवर्ट	457.0m
बकेट की त्रिज्या	22m
लिप एलिवेशन और एंगल	463.44m, 45°

धौलासिध जल विद्युत् परियोजना (66 मेगावाट) के लिए की जा रही प्रस्तावित भूमि अर्जन का सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन ।

प्रवेश/इंटेक	
स्थान	Dam Blocks 2 and 3
प्रकार	Dam Intake
इंवर्ट का स्तर	500.0m
संख्या	2
प्रत्येक उद्घाटन के माध्यम से नाममात्र का निर्वहन	80.67 cumecs
गेट का आकार	3.75m (W) X 4.3m (H)
कचरा रैक ओपनिंग	5.5m (W) X 4.8m (H); 5 Panels 2 nos.
कचरा रैक की ऊँचाई	499.0m
पेनस्टॉक	
प्रकार	Surface
संख्या	2
व्यास	4.3m
प्रत्येक पेनस्टॉक की लंबाई	60.50m
स्टील का ग्रेड	ASTM-537 Class II
प्रत्येक पेनस्टॉक के माध्यम से अधिकतम निर्वहन	80.67 cumecs
अधिकतम वेग	5.56 m/s
लाइनर की मोटाई	14mm
पावर हाउस	
कार	Dam Toe Surface on the Left Bank
पावर हाउस का आकार	55.80 m (L) X 23.16 m(W) X 47.72m(H)
C.L. टर्बाइन की	469.50 m
टरबाइन का प्रकार	Vertical Francis
अधिकतम टेल रेस स्तर	492.0m
सामान्य टेल रेस स्तर	473.30m
न्यूनतम टेल रेस स्तर	472.30m

धौलासिध जल विद्युत् परियोजना (66 मेगावाट) के लिए की जा रही प्रस्तावित भूमि अर्जन का सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन ।

रेटेड प्रमुख	45.33m
यूनिट की संख्या	2
रेटेड छूट्टी	80.67 cumecs
स्थापित क्षमता	66 MW
विशिष्ट गति (मीट्रिक एमके डब्ल्यू)	326.42
स्विच यार्ड का प्रकार	Open (Size 67.60mX49.80m)
टेल रेस टनल	
प्रकार	Open Trapezoidal Channel
निर्वहन	161.34 cumecs
सुरंग की लंबाई	69m
आधार चौड़ाई	15m
पावर लाभ	
चरम क्षमता	66 MW 10% ओवर लोडिंग के साथ
50% भरोसेमंद वर्ष में वार्षिक ऊर्जा	338.76 354.26 (10% ओवर लोडिंग के साथ)
50% भरोसेमंद वर्ष के लिए ऑपरेशन (वार्षिक / झुक अवधि) के लिए लोड कारक	58.59%/34.62%
50% वार्षिक ऊर्जा 95% मशीन की उपलब्धता पर निर्भर वर्ष में	330.65 346.07 (10% ओवर लोडिंग के साथ)
90% भरोसेमंद वर्ष में वार्षिक ऊर्जा	253.18 264.59 (10% ओवर लोडिंग के साथ)
90% भरोसेमंद वर्ष के लिए ऑपरेशन (वार्षिक / लीन अवधि) के लिए लोड कारक	43.79%/16.84%
90% वार्षिक ऊर्जा 95% मशीन की उपलब्धता पर निर्भर वर्ष में	247.25 258.31 (10% ओवर लोडिंग के साथ)

*स्रोत: DPR, DSHEP.

1.3.4 परियोजना लागत और जोखिम

परियोजना की पूंजी संरचना में 70% ऋण घटक और 30% इक्विटी घटक होना प्रस्तावित है। 11.5% प्रति वर्ष की ब्याज दर पर विचार किया गया है। वित्तीय लागत, 0.5% ऋण पर ली गई है। परियोजना की लागत INR 497.67 करोड़ अनुमानित है। नवंबर, 2010 के मूल्य स्तर पर आईडीसी और वित्तपोषण शुल्क शामिल हैं। लागत अनुमानों का विवरण नीचे दिया गया है:

तालिका 4: धौला-सिध परियोजना लागत

लागत अनुमान और वित्तीय पहलू	
एचएम वर्क्स सहित सिविल वर्क्स	244.99 Cr.
इलेक्ट्रो मैकेनिकल वर्क्स (पूलिंग स्टेशन के लिए ट्रांसमिशन लाइन को छोड़कर)	88.39 Cr.
कुल मूल लागत जिसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष शुल्क शामिल हैं	438.72 Cr.
निर्माण के दौरान ब्याज	57.21 Cr.
फाइनेंसिंग चार्ज	1.74 Cr.
आईडीसी और फाइनेंसिंग चार्ज सहित कुल लागत	497.67 Cr.
95% मशीन की उपलब्धता के लिए 90% भरोसेमंद वर्ष पर स्तरित टैरिफ	
12% मुफ्त बिजली और स्थानीय क्षेत्र के विकास के लिए 1% (स्तरीय) पर विचार करने के बाद	Rs. 4.47/kWhr
35 वर्षों के लिए वापसी की परियोजना आंतरिक दर	11.28%
95% मशीन की उपलब्धता के लिए 50% भरोसेमंद वर्ष पर स्तरित टैरिफ	
12% मुफ्त बिजली और स्थानीय क्षेत्र के विकास के लिए 1% (समतल) पर विचार करने के बाद	Rs 3.34/kWhr
मूल लागत प्रति मेगावाट स्थापित	6.65 Cr.

*स्रोत: डीपीआर, डीएसएचईपी

एक भू-तकनीकी वातावरण में संचालन की अनिश्चितता, परिचर अनिश्चितताओं के साथ भूमिगत संरचनाएं, निर्माण बाढ़, जटिल निर्माण रसद और तरीके, और महंगी मशीनरी का शामिल होना , सभी एक उच्च जोखिम वाले वातावरण में योगदान करते हैं। देरी और लागत

अधिकता, खासकर सुरंग और बांध की नींव के निर्माण में, एक नियमित रूप से नियमित आवृत्ति पर होती है, ।

परियोजना के निर्माण और कार्यान्वयन के दौरान जोखिम की व्यापक रेंज निम्नलिखित हैं:

1. ठेकेदारों द्वारा भौतिक प्रदर्शन में कमी
2. विलंबित पूर्णता
3. कार्यात्मक गारंटी को पूरा करने के लिए उपकरणों की विफलता
4. पर्यावरण के मुद्दे
5. राजनीतिक प्रक्रिया और सांस्कृतिक विरासत के जोखिम

सभी जोखिमों को जल्दी पहचाना जाना चाहिए ताकि उपयुक्त शमन रणनीतियों को जिम्मेदारियों और कार्यों के साथ पहचाना जा सके और यह सुनिश्चित करने के लिए ऑडिट किया जाए कि जोखिमों को स्पष्ट रूप से समझा गया है और परियोजना के सभी चरणों के दौरान डिजाइन, खरीद, निर्माण सहित उपयुक्त शमन विधियों को अपनाया जा सकता है। , महाभियोग, कमीशन और दीर्घकालिक संचालन और रखरखाव।

1.4 विकल्पों की परीक्षा ¹

प्रस्तावित साइट को जल विज्ञान, भूवैज्ञानिक और स्थलाकृतिक स्थितियों की आवश्यक जांच के बाद चुना गया है। धौलासिध परियोजना स्थल खंड में नदी के बहुत सहज प्रोफाइल के साथ नदी के बहते लूप के मद्देनजर बांध स्थान के अनुकूलन के लिए बहुत सीमित विकल्प देता है। प्रारंभिक स्थलाकृतिक अध्ययनों से, बांध के लिए संकरी खाई में एन-एन अक्ष के रूप में नामित, की गई है । इस अक्ष को विस्तृत स्थलाकृतिक और भूवैज्ञानिक जांच के लिए लिया गया था। आवश्यक स्थलाकृतिक, भूवैज्ञानिक और भू-तकनीकी डेटा एकत्र करने के लिए जांच तकनीकों की एक विस्तृत श्रृंखला की गई है जैसे कि स्थलाकृतिक सर्वेक्षण, सतह भूवैज्ञानिक मानचित्रण, खोजपूर्ण ड्रिलिंग, प्रयोगशाला परीक्षण और परियोजना के विभिन्न घटक के लिए इन-सीटू रॉक यांत्रिकी परीक्षण। फाउंडेशन की स्थिति काफी हद तक भूगर्भीय चरित्र और स्ट्रेट की मोटाई पर निर्भर करती है जो बांध के भार को वहन करने के लिए होती हैं।

¹ (SMEC, 2011)

इस संकरे संरेखण पर बड़े पैमाने पर की गई भूगर्भीय जाँच और अध्ययन से पता चला है कि NN अक्ष पर इस संकरे संरेखण के साथ एक उच्च ठोस गुरुत्व बांध के लिए नींव की स्थिति उथले स्थान पर नरम / कमजोर रॉक स्ट्रेटा (क्लेस्टोन / सिल्टस्टोन) की उपस्थिति के कारण अनुपयुक्त पाई गई। गहराई नींव जो संतृप्ति स्थिति पर नरम होने और बांध नींव में एक अंतर निपटान की उम्मीद है। चट्टान की सामान्य प्रवृत्ति एक NW-SE दिशा है जो 250-300 के बहाव के साथ बांध की धुरी से थोड़ा तिरछा है और नदी के प्रवाह के लगभग सामान्य है।

बाद में N1-N1 के रूप में नामित अक्ष के 20 मीटर डाउनस्ट्रीम के बारे में एक और वैकल्पिक संरेखण का अध्ययन किया गया था। नींव और आवश्यक नींव उपचार की विश्वसनीयता के संदर्भ में दोनों सिरों के सापेक्ष गुणों की तुलना करने के बाद, केंद्रीय स्लुइस स्पिलवे के साथ एक ठोस गुरुत्वाकर्षण बांध के निर्माण के लिए एन 1-एन 1 अक्ष के पक्ष में अंतिम विकल्प बनाया गया था।

एन-एन अक्ष - एन-एन संरेखण खाई में सबसे संकीर्ण अनुभाग पर स्थित है। इस स्थान पर बांध की लंबाई शीर्ष पर 198 मीटर होगी। नदी के तल के स्तर के नीचे नींव की प्रकृति का अध्ययन करने के लिए नदी के केंद्र में 86.80 मीटर (बांध संरचना की ऊंचाई से ऊपर) की अधिकतम गहराई तक खोजपूर्ण ड्रिलिंग की गई। भूवैज्ञानिक जांच से पता चला है कि नींव में गहराई पर बलुआ पत्थरों की परतें नीचे की ओर 250-350 की दिशा में चट्टान की गहराई की ओर समानांतर हैं। ये माइलस्टोन बैंड एन-एन संरेखण के नीचे से गुजरते हैं जो कि गहरी नींव स्तर से 10 से 15 मीटर तक भिन्न होते हैं। कमजोर क्षेत्र पर आवरण में ताजा, मध्यम कठोर से कठोर और कॉम्पैक्ट बलुआ पत्थर होते हैं। नींव की चट्टानों के भौतिक और इंजीनियरिंग गुणों को निर्धारित करने के लिए क्षेत्र में और प्रयोगशाला दोनों में कई परीक्षण किए गए थे। ताजा सूखे बलुआ पत्थर की औसत संपीड़ित ताकत सामान्य रूप से 194 से 337kg / cm² थी। मिट्टी के पत्थर के मामले में, शुष्क संपीड़ित शक्ति 100 से 250 किलोग्राम / सेमी 2 तक भिन्न होती है। बाँध नींव में मोटी मिट्टी के पत्थर के बैंड का अस्तित्व बांध स्थान के अनुकूलन में मार्गदर्शक कारक रहा है।

क्ले बैंड में सामग्री के प्रतिस्थापन के लिए बहुत बड़े पैमाने पर फाउंडेशन उपचार अत्यंत कठिन और महंगा होने के कारण इसके कोमल झुकाव के कारण बहुत कम गहराई पर बांध के नीचे से

गुजरता हुआ पाया जाता है और इसमें बलुआ पत्थर चट्टानी बिस्तर के मोटे आवरण की बहुत कमी शामिल है । इस वजह से, एन-एन अक्ष को गुरुत्वाकर्षण बांध के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता है क्योंकि इसमें नींव के महंगा उपचार और मजबूत उपचार शामिल होंगे।

एन 1-एन 1 अक्ष - अक्ष के निष्कर्षों के आधार पर, एन-एन अक्ष के लगभग 20 मीटर डी/एस पर एक और साइट का अध्ययन किया गया था। इस अक्ष पर बांध की लंबाई लगभग N-N अक्ष के समान है। इस अक्ष पर बांध की नींव सिर्फ मिट्टी के बैंड के प्रभाव से स्पष्ट होती है। हालांकि, बांध संरचना में कुछ मामूली उपचार और संरचनात्मक संशोधनों की आवश्यकता होगी। एन 1-एन 1 पर बांध की कुल लागत नींव उपचार समस्याओं के कारण एन-एन साइट पर बांध से कम होगी।

विभिन्न विरूपण मोड्यूलस और संरचनात्मक अनुपालन पर बांध की स्थापना से बचने के लिए, बांध अक्ष N1-N1 स्थान के लिए प्रस्तावित किया गया है। इस व्यवस्था के साथ, कठोर ठोस गुरुत्व बांध अधिक समरूप नींव पर होगा, जिसके परिणामस्वरूप कठोर कंक्रीट गुरुत्वाकर्षण बांध के लिए आवश्यक भार का वितरण भी होगा।

हालांकि, परियोजना के लेआउट के लिए HPSEB, हिमाचल प्रदेश सरकार ने 90 के दशक के उत्तरार्ध में कुछ टोही सर्वेक्षण के साथ शीर्षस्थ अध्ययन किया था और न्यूनतम विस्थापन के साथ दो वैकल्पिक रूप से तैयार किया और इंजीनियरिंग मापदंडों को भी ध्यान में रखा गया था ।

इन विकल्पों पर नीचे विस्तार से चर्चा की गई है:

वैकल्पिक- I: विकल्प -1 स्लासी खड्ड और ब्यास नदी के संगम के 4 किलोमीटर नीचे और 6000 हेक्टेयर के छोटे भंडारण वाले 55 मीटर ऊंचे कंक्रीट ग्रेविटी डैम की परिकल्पना की गयी, । 524.00 मीटर की एफआरएल और बाएं बैंक पर इंटेक के साथ 500.00 मीटर की एमडीडीएल में, यह 50 मेगावाट की स्थापित क्षमता के साथ प्रत्येक 25 मेगावाट के दो फ्रांसिस टर्बाइन सतह पर पावरहाउस में प्रस्तावित था । पावर हाउस का अनुमानित वार्षिक ऊर्जा उत्पादन 210 Gwh था।

वैकल्पिक II: इस विकल्प की परिकल्पना उसी स्थान पर ± 80 मीटर ऊंचे कंक्रीट ग्रेविटी डैम के रूप में की गई है, जो कि वैकल्पिक I रूप से पहचाना गया था - स्लासी खड्ड और ब्यास नदी के संगम के 4 किलोमीटर नीचे, 550.56 मीटर की FRL और बाएं किनारे पर इंटैक के साथ 520.56 मीटर की MDDL, यह 80 मेगावाट की स्थापित क्षमता के साथ प्रत्येक 40 मेगावाट के दो फ्रांसिस टर्बाइन सतह पर पावरहाउस में प्रस्तावित था बिजलीघर की प्रत्याशित वार्षिक ऊर्जा उत्पादन का आकलन 378 Gwh किया गया।

यह निष्कर्ष निकाला गया कि, वैकल्पिक I में FRL के साथ 524.0 मीटर पर, जलमग्नता कम होगी जहाँ वैकल्पिक - II में 80 मीटर ऊंचे बांध के साथ, सुजानपुर टीरा पुल के साथ सुजानपुर टीरा और आलमपुर बस्ती के हिस्से के जलमग्न होने की संभावना है ।

वैकल्पिक लेआउट का अध्ययन: यह एक ही स्थान पर और एक ही ऊंचाई पर सीधे ग्रेविटी बांध के निर्माण की परिकल्पना करता है। हालांकि, बांध के तल पर एक पावर हाउस प्रदान करने के बजाय, एक जलाशय, 7.5 मीटर व्यास गोलाकार एचआरटी 97.15 मीटर लंबाई और 6.10 मीटर व्यास के एक छोटे से पानी के कंडक्टर सिस्टम प्रदान करके पानी को मोड़ने का प्रस्ताव है। दाब शाफ्ट प्रत्येक 4.30 मीटर व्यास की दो शाखा में विभाजित होती है और बाएं किनारे पर एक भूमिगत पावर हाउस और एक टेल रेस सुरंग के माध्यम से पानी को वापस नदी के किनारे तक ले जाती है। बिजली घर के स्थान पर सामान्य टेल रेस का जल स्तर ईएल 469.50 मीटर है। परियोजना को 70 मेगावाट (2x35MW) की स्थापित क्षमता के साथ योजनाबद्ध किया गया है और एफआरएल में 50 एमसीएम और 100 एमसीएम के तालाब के सकल हेड का उपयोग करता है। प्रस्तावित पावर हाउस साइट पर अनुमानित ऊंचाई 468 मीटर है।

दोनों लेआउट के लिए एक तकनीकी- आर्थिक अध्ययन किया गया है। इस अध्ययन से पता चलता है कि हालांकि वैकल्पिक लेआउट उच्च स्थापित क्षमता होने से उच्च ऊर्जा लाभ प्राप्त करता है, यह एक उच्च कीमत यानी उच्च टैरिफ पर आता है। इसका अर्थ है कि वैकल्पिक लेआउट के लिए ऊर्जा लाभ में वृद्धि परियोजना लागतों में वृद्धि के साथ कम नहीं है, जिसके परिणामस्वरूप अंतिम लेआउट की तुलना में रिटर्न की उच्च लागत होती है। इसलिए, तकनीकी-आर्थिक कारणों पर, वैकल्पिक लेआउट की तुलना में अंतिम लेआउट अधिक किफायती पाया जाता है और इसे विस्तृत अध्ययन के लिए लिया गया है।

1.5 परियोजना निर्माण के चरण

धौलासिध बिजली परियोजना को 43 महीने में पूरा करने का प्रस्ताव है, जिसमें पूर्व-निर्माण गतिविधियों के 11 महीने शामिल नहीं हैं। इसमें शामिल प्रमुख परियोजना कार्य निम्नलिखित हैं:

- (i) डायवर्सन टनल
- (ii) अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम कॉफ़र बांध
- (iii) छह खण्ड वाले गेटवे के साथ कंक्रीट ग्रेविटी बांध
- (iv) इंटेक स्ट्रक्चर और पेनस्टॉक्स
- (v) पावर हाउस
- (vi) टेल रेस चैनल
- (vii) स्विचयार्ड
- (viii) हाइड्रो-मैकेनिकल वर्क्स
- (ix) इलेक्ट्रो-मैकेनिकल वर्क्स

धौलासिध हाइड्रो-इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के मुख्य निर्माण और कमीशनिंग को 3.0 साल और 7 महीने की अवधि में पूर्व-निर्माण गतिविधियों को छोड़कर पूरा करने की योजना है, । पूर्व-निर्माण गतिविधियों (बुनियादी ढांचा कार्य) को 11 महीने की अवधि में पूरा करने का प्रस्ताव है। धौलासिध एच ई प्रोजेक्ट, मोबिलाइजेशन, एक्सेस रोड्स एंड ब्रिज, कंस्ट्रक्शन कैंप, कॉलोनियों, एग्रीगेट प्रोसेसिंग प्लांट की स्थापना और बैचिंग प्लांट्स का टेंडर प्री-कंस्ट्रक्शन स्टेज के दौरान पूरा किया जाएगा।

परियोजना के पूरा होने के लिए बांध निर्माण का समापन महत्वपूर्ण घटक है। कम से कम समय में डैम और पावर हाउस को पूरा करने के उद्देश्य से निर्माण उपकरण का चयन किया गया है। निर्माण की विधि और परियोजना के विभिन्न घटकों के लिए नियोजित उपकरण यह सुनिश्चित करेंगे कि निर्माण से पहले की सभी गतिविधियाँ जैसे लामबंदी, पहुँच सड़कों का निर्माण और निर्माण शिविर की स्थापना, 54 महीने की अवधि के भीतर पूरी की जा सकती हैं। जलाशय भरने, परीक्षण और सभी इकाइयों पर पूर्व-कमीशन परीक्षणों को पूरा करने के लिए 1.0

महीने का समय। हालांकि, निर्माण की योजना को आखिरकार ठेकेदार द्वारा साइट की शर्तों के अनुसार मुकदमा चलाने के बाद किया जाएगा।

1.5.1 कार्य अवधि

क्षेत्र में बारिश की गिरावट के पैटर्न को देखते हुए, मानसून अवधि जून से सितंबर तक माना जाता है। इस प्रकार, खुले कार्यों विशेष रूप से बांध, इंटेक , और बिजली घर के निष्पादन के लिए एक कैलेंडर वर्ष में एक स्पष्ट 8 महीने की निर्माण अवधि होगी। मानसून के दौरान कुछ स्पष्ट दिन होंगे जब खुले कार्यों को कुछ हद तक पूरा किया जा सकता है। काम के मौसम के दौरान 8-घंटे की तीन शिफ्टों में चौबीसों घंटे काम किया जाएगा।

1.5.2 काम के घंटे

संचालन का चक्र समय मशीनरी / कार्य बल के प्रति घंटा / दैनिक आउटपुट के लिए मानदंड है। हालांकि काम की वास्तविक प्रगति कई अन्य कारकों पर निर्भर है जैसे कि बिजली की रुकावट, मामूली ब्रेक डाउन, भोजन के लिए समय और कार्य बल की अन्य ज़रूरतें, अचानक बारिश, आदि। इसलिए प्रति घंटे वास्तविक कार्य समय के रूप में 50 मिनट पर विचार करना सामान्य अभ्यास है । आगे जहां काम एक से अधिक शिफ्ट में किया जाता है, वहां शिफ्ट में बदलाव के लिए आवश्यक समय और प्लांट और मशीनरी की दैनिक रखरखाव आवश्यकताओं के लिए दैनिक उत्पादन घंटों में और कमी होती है। उपकरण नियोजन उपलब्ध कार्य दिवसों की संख्या पर किया गया है। 200 कार्य दिवसों को एक वर्ष में, 25 मासिक कार्य दिवसों के आधार पर और सतह के कार्यों के लिए 8 कार्य दिवसों में उपलब्ध माना गया है।

उपकरण योजना पहलुओं के लिए, सीईए / सीडब्ल्यूसी ने सभी ओवर-ग्राउंड निर्माण गतिविधियों के लिए 200 कार्य दिवसों के साथ एक वर्ष में निर्धारित कार्य घंटों का पालन करने की सिफारिश की है।

- सिंगल शिफ्ट कार्य / दिन = $200 \times 6 = 1200$ घंटे ।
- दो शिफ्ट काम / दिन = $200 \times 11 = 2200$ घंटे ।
- तीन शिफ्ट काम / दिन = $200 \times 15 = 3000$ घंटे ।

चूंकि मानसून के महीनों के दौरान विशेष रूप से आपूर्ति / सेवाओं और मलबे के निपटान आदि से उत्पादन क्षमता प्रभावित होगी, इसलिए प्रगति में उपयुक्त कमी को ध्यान में रखा गया है।

1.6 कोर डिजाइन सुविधाएँ और आकार और सुविधाओं के प्रकार

बांध की स्थिति और इसकी मूल डिजाइन विशेषताओं को इष्टतम बिजली उत्पादन, स्थलाकृतिक और भू-तकनीकी विशेषताओं, अपस्ट्रीम, मौजूदा अर्थव्यवस्था और अन्य प्रासंगिक कारकों पर मौजूदा परियोजनाओं को देखते हुए अंतिम रूप दिया गया है। कंक्रीट बांध के निर्माण के लिए साइट आदर्श रूप से अनुकूल है।

1.6.1 बांध

धौलासिध एच.ई. परियोजना जो 9580 वर्ग किमी के कुल जलग्रहण क्षेत्र को स्वीकार करती है। एक ठोस गुरुत्वाकर्षण प्रकार का बांध होगा, जो सबसे गहरी नींव से 70.75 मीटर ऊंचा है, और शीर्ष पर 195.14 मीटर लंबा है। बांध के मुख्य स्पिलवे सेक्शन की कुल लंबाई 90 मीटर है, जिसमें छह नंबर स्लूइस स्पिलवे बे हैं, जिनमें से प्रत्येक में 10 मीटर चौड़ाई है, जिसमें एल की ऊंचाई 485.0 मी अधिकतम है। मुख्य स्पिलवे के दाईं ओर लंबाई में एक सहायक स्पिलवे की लंबाई 10 मीटर है। बांध के नॉन ओवर फ्लो सेक्शन की कुल लंबाई 86.14 मीटर होगी, जो कि स्पैनवे छोर से दाएं और बाएं बैंक की ओर फैली होगी। स्लूइस का संचालन 17,100 क्यूमेक्स के निर्वहन तक किया जाएगा। बांध परियोजना के तहत परिकल्पित विद्युत उत्पादन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 88.07 Mm³ का सकल तालाब और 6.91 Mm³ से MDDL 519 मीटर के बीच और FRL 520 मीटर का जीवंत तालाब प्रदान करेगा।

- बांध की ऊंचाई इस तरह तय की जाती है कि जलाशय बाँध के ऊपर से नदी के सीधे प्रवाह के लिए बनाया जाता है ताकि बिजली उत्पादन के लिए पानी का अधिकतम उपयोग किया जा सके।
- जलाशय की क्षमता यानी, लाइव स्टोरेज पॉन्डेज पानी की कुल मात्रा के बराबर है जो बिजली उत्पादन के लिए आवश्यक है ताकि पूर्ण भिन्नता को पूरा किया जा सके।
- बांध को पीएमएफ इनफ्लो की तुलना में लगभग 17,000 क्यूसेक की एक रूटेड डिस्चार्ज करने के लिए डिज़ाइन किया गया है जो 17,674 क्यूमेक है।
- संरचना को पलटने और फिसलने से बचाने के लिए डिज़ाइन किया गया है और तनाव अनुमेय सीमा के भीतर हैं।
- बांध अक्ष पर जलाशय से रिसने को कम से कम किया जाता है और बांध पर उत्थान का दबाव कम किया जाता है।

1.6.2 स्पिलवे

स्पिलवे नदी के मध्य भाग में स्थित है। बांध स्थल पर भौतिक बाधाओं के कारण और बांध की ऊंचाई को कम करने के लिए, सामने की दीवार के साथ एक रेडियल गेटेड स्पिलवे का चयन किया गया है जो कि तलछट के बेहतर प्रबंधन के लिए हिमालय के कई बांधों की एक सामान्य डिजाइन विशेषता है। बाढ़, दीवार / रेडियल गेट के नीचे स्लुइस स्पिलवे के माध्यम से छोड़ी जाती है और क्रेस्ट पर बहती है और एक ठोस रोलर बकेट में प्रवेश करती है जो ग्राउंड रोलर और सतह रोलर के समन्वय से ऊर्जा को भंग करती है।

स्पिलवे की कुल लंबाई 6 नग के साथ 90 मीटर है। प्रत्येक 10 मीटर की स्लूस बे और 6 मीटर चौड़ाई के पीयर हैं। स्लुइस स्पिलवे की शिखा को एल 485.00 मीटर पर रखा गया है। स्लुइस स्पिलवे को लगभग 17,000 m³ / s के एक शिखर मार्ग बाढ़ के लिए डिज़ाइन किया गया है जो 17,674 क्यूमेक के PMF प्रवाह से मेल खाती है। न्यूनतम ड्रा डाउन स्तर (MDDL) को EL.53.00 मीटर पर रखा गया है।

यदि जलाशय का स्तर शिखा के स्तर तक सिल्ट से भर जाता है, तो शिलाखंड के ग्लेशियस पर 20 मीटर / एस के उच्च वेग के साथ लुढ़कने वाले बोल्टर के युग्मित होने की संभावना है। रोलिंग बोल्टर के कारण स्पिलवे की सतह को किसी भी नुकसान से बचने के लिए, 0.4 मील मोटी, उच्च शक्ति सिलिका फ़्यूम M50 ग्रेड ऑफ स्पिलवे क्रेस्ट और डाउनस्ट्रीम ग्लेशियस को प्रदान करने के माध्यम से उपयुक्त सुरक्षात्मक व्यवस्था का प्रस्ताव किया गया है।

नीचे की तरफ जलाशय में अस्थायी सामग्री को पारित करने के लिए एक ब्लॉक (ब्लॉक नंबर 10) में एक सहायक स्पिलवे प्रदान किया जाता है। स्पिलवे का आकार 4 मीटर x 3 मीटर है और इसे 37 क्यूमेक्स के निर्वहन के लिए डिज़ाइन किया गया है। उसी स्पिलवे पर एक वर्टिकल फिक्स्ड व्हील गेट दिया गया है। स्पिलवे का शिखा स्तर EL 517.0m रखा गया है।

1.6.3 जलमार्ग

जलमार्ग की गणना पीएमएफ की तुलना में 17,674 मीटर³/ सेकंड के शिखर की बाढ़ के लिए की गई है। जलमार्ग अभिकलन में, अधिकतम जल का 80% (यानी शिखा की ऊंचाई और

MWL के बीच का भाग) डिजाइन प्रमुख के रूप में लिया गया है और मानक अभ्यास के अनुसार अन्य उपयुक्त धारणाएँ बनाई गई हैं। गणना के आधार पर और इष्टतम पीकिंग बिजली उत्पादन के लिए शिखा स्तर से ऊपर भंडारण की आवश्यकता पर विचार करते हुए, 14 मीटर के गेट की ऊँचाई के साथ 10 मीटर चौड़ाई में से प्रत्येक में 6 खण्ड प्रस्तावित किए गए हैं। फाटकों के आकार को ध्यान में रखते हुए, घाट के केंद्र में एक संकुचन संयुक्त के साथ घाट की चौड़ाई 6 मीटर होने का प्रस्ताव दिया गया है। कुल जलमार्ग 90 मी होगा ।

1.6.4 इंटेक कार्य

एनओएफ बांध ब्लॉक 3 और 4 पर दो स्ट्रेट इंटेक प्रस्तावित हैं जो जलाशय से बाएं तरफ़ के पावर हाउस में पानी को बदलने के लिए हैं। पानी के स्वतः प्रवेश के लिए एक अप्रोच चैनल को अपस्ट्रीम संरचना के ऊपर से खोदा जाएगा। बिजली इंटेक ब्लॉक में बांध की शीर्ष चौड़ाई 12.0 मीटर है। पावर डैम की कुल लंबाई 33.0 मीटर है। प्रत्येक इंटेक स्ट्रक्चर में बांध में एम्बेडेड 4.3 मीटर पेनस्टॉक के माध्यम से रेटेड हेड पर पावर ड्राफ्ट के लिए 80.67 क्यूसेक के डिस्चार्ज को व्यक्त करने के लिए बांध में एक उद्घाटन शामिल होगा। इंटेक्स के सामने तलछट के जमाव से बचने के लिए, स्पिलवेज के प्रभाव (क्षेत्र) के भीतर इंटेक संरचना स्थित है। इंटेक में शिखा का स्तर स्लुइस सिल स्तर से ईएल 500 मीटर है यानी 15 मी है ।

75 mm से बड़े आकार के फ्लोटिंग मलबे के प्रवेश को रोकने के लिए, इंटेक के सामने लोहे का ट्रैश रैक प्रदान करने का प्रस्ताव है। डैम अक्ष से 10.03 m की योजना में कचरा रैक संरचना सीधे होगी। प्रत्येक इंटेक नाली का प्रवाह क्षेत्र 1.0m चौड़ा RCC पाइप प्रदान करके प्रत्येक को 5.50 m (स्पष्ट) के दो स्पैन में विभाजित किया गया है। ट्रैश रैक संरचना का शीर्ष EL. 523.00 m रखा गया है, जबकि इसका बैठने का स्थान EL. 499.0 मीटर है, जिसके परिणामस्वरूप कचरा रैक की कुल ऊंचाई 24.0 m है। कचरा उठाने की कुल ऊंचाई को उसके उठाने और रखरखाव की सुविधा के लिए पाँच बराबर भागों में विभाजित किया गया है। मैकेनिकल डिवाइस के माध्यम से रैक की सफाई की सुविधा के लिए, कचरा रैक संरचना बांध के शीर्ष तक 10 डिग्री तक झुकी हुई है। EL.523.0 m पर प्रदान किए गए एक शीर्ष स्लैब का उपयोग कचरा रैक के रखरखाव और सफाई के लिए एक ऑपरेटिंग प्लेटफॉर्म के रूप में किया जाएगा। कचरा रैक सफाई मशीन को ऑपरेटिंग प्लेटफॉर्म पर रखा जाएगा।

इनटेक कंडेनट में से प्रत्येक का प्रवेश शीर्ष नुकसान को कम करने और प्रतिकूल हाइड्रोलिक स्थितियों को रोकने के लिए एक चिकनी बेलमाउथ प्रदान किया जाएगा।

प्रत्येक इंटेक नाली के लिए एक आपातकालीन गेट और एक सर्विस गेट प्रदान करना प्रस्तावित है। ये गेट मरम्मत / रखरखाव के दौरान पेनस्टॉक में प्रवाह को रोकने के लिए, ऊर्ध्वाधर स्थापित पहिया प्रकार के फाटकों के होंगे। सर्विस गेट को उपयुक्त क्षमता वाली विद्युत चालित रस्सी ड्रम होइस्ट की सहायता से संचालित किया जाएगा, जो कि एक मंच पर स्थित है, जो कि ट्रेनों द्वारा समर्थित है। आपातकालीन द्वार का एक सेट प्रत्येक सेवन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा और बीम और क्रेन की मदद से संचालित किया जाएगा, जो EL. 523.00 पर एक रेल ट्रैक पर चल रहा है। इन इंटेक गेटों का आकार 3750 mm चौड़ा और 4300 mm ऊँचा आकार के खुलने के लिए होगा, और या तो पूरी तरह से खुले या पूरी तरह से बंद पदों में संचालित होगा। ये द्वार पूर्ण जलाशय स्तर (EI 520.00 m) के लिए डिज़ाइन किए जाएंगे और यह पूरे सिर के लिए बहती स्थिति में नीचे जाने में सक्षम होंगे और नीचे की तरफ पानी के साथ नहीं उठाए जाएंगे।

कचरा रैक क्षेत्र का अधिकतम 30% अवरुद्ध होने की आशंका है। डिजाइन में ट्रेश रैक के माध्यम से पानी का वेग, 80.67m³/sec का डिस्चार्ज 0.37 m/sec, अधिकतम 1.5m / sec के स्वीकार्य अनुमेय वेग के खिलाफ है।

1.6.5 पेनसटोक

संचालन और रखरखाव के लचीलेपन के लिए जो 4.30 m व्यास के दो पेनस्टॉक्स हैं, प्रत्येक सेवन से एक को 502.15 m पर केंद्र की रेखा के साथ प्रदान किया गया है। इंटेक नाली प्रवेश द्वार पर घंटी के मुंह की तरह एक छिद्र के साथ प्रदान की जाती है, और बांध अक्ष से 8.5 m की दूरी पर आकार 3.75 m (W) x 4.3 m (H) का एक निष्पादन गेट है। गेट से 4.50 m की लंबाई के बाद 3.75 m (W) x 4.30 m (H) आयताकार से 4.30 m वृत्त तक परिवर्तन प्रदान किया जाता है। परिवर्तन के बाद, स्टील लाइन वाला पेनस्टॉक बांध से निकलता है और 51.34 डिग्री के लंबवत मोड़ लेता है। ऊर्ध्वाधर मोड़ के कारण आने वाले बलों का विरोध करने के लिए बांध शरीर पर इस स्थान पर लंगर ब्लॉक प्रदान किया जाता है। ऊर्ध्वाधर मोड़ के बाद, पेनस्टॉक को बांध के मुहाने / खाई पर कंक्रीट में ले जाया जाता है, जो कि निचले ऊर्ध्वाधर

मोड़ पर EL.469.50 पर होता है, निचले ऊर्ध्वाधर मोड़ से 469.50 पर, दबाव शाफ्ट क्षैतिज रूप से 33 मेगावाट की टरबाइन की प्रत्येक इकाई को खिलाने के लिए MIV तक जारी रहता है। विवरण के लिए ड्राइंग संख्या: 1254-C31 और 1254-C32 संदर्भित किया जा सकता है। दबाव शाफ्ट के आर्थिक व्यास को 4.30 m के रूप में काम किया गया है।

1.6.6 पावर हाउस परिसर

धौलासिध जलविद्युत परियोजना का बिजलीघर नदी के बाएं किनारे पर स्थित एक गहरा आसीन बांध पावर स्टेशन होगा। भूतल पावर हाउस भौगोलिक रूप से अच्छी तरह से स्थित है। पावर हाउस क्षेत्र का साइड ढलान स्थिर है, और भूगर्भीय अध्ययन के दौरान ढलान पर कोई अस्थिरता नहीं देखी गई है। पावरहाउस तक पहुंच एक अप्रोच रोड के माध्यम से होगी, जिसका निर्माण बांध के ऊपर आने वाली सड़क से पावर हाउस क्षेत्र तक किया जाएगा।

कठोर चट्टान को पावर हाउस के स्थान पर उजागर किया गया है। ढलान के स्थिरीकरण के उपाय जैसे कि रॉक बोल्ट और प्रबलित शॉटक्रेट, उचित जल निकासी व्यवस्था के साथ पावर स्टेशन के किनारों पर उत्खनन करने वालों के लिए लागू किया जाना आवश्यक है।

पावरहाउस में एक वॉटरटाइट सबस्ट्रक्चर शामिल होगा, जो कि बेड रॉक और फ्री-स्टैंडिंग सुपरस्ट्रक्चर पर स्थापित होगा। निर्माण में बड़े पैमाने पर कंक्रीट का निर्माण किया जाएगा जिसमें ड्राफ्ट ट्यूबों को एम्बेड किया जाएगा। अधिरचना का निर्माण SPF स्थितियों के लिए प्रबलित कंक्रीट की दीवारों के साथ किया जाएगा, और PMF स्थितियों के लिए जाँच की जाएगी। ऊपर, बिजलीघर या तो स्टील शीट क्लैडिंग के साथ एक पोर्टल फ्रेम स्टील संरचना, या ईट की दीवारों या स्टील क्लैडिंग और स्टील ट्रस छत के साथ एक प्रबलित कंक्रीट फ्रेम संरचना होगा।

बिजलीघर लेआउट बनानेवाले उपकरणों की आवश्यकताओं से संचालित होता है, जिसमें दो पारंपरिक ऊर्ध्वाधर अक्ष फ्रांसिस टर्बाइन, दो जनरेटर और संबंधित उपकरणों के विभिन्न आइटम शामिल हैं।

इसलिए बिजलीघर का आकार बनानेवाले उपकरण के आयाम और आवश्यक स्थान और रखरखाव पर विचार करके निर्धारित किया गया है। प्रत्येक मंजिल सीढ़ियों और एक कार्मिक लिफ्ट द्वारा सुलभ होगी।

बिजलीघर में लगभग 150/25/5 टन भार क्षमता वाली एक इलेक्ट्रिक, ओवरहेड यात्रा क्रेन प्रदान की जाएगी। क्रेन लोडिंग / सर्विस बे और मशीन हॉल की पूरी लंबाई को पार करेगा। भवन की पूरी लंबाई के साथ यात्रा क्रेन के लिए एक प्रवेश मार्ग प्रदान किया जाएगा। इस वॉकवे की पहुँच भवन के एक छोर पर सीढ़ी के माध्यम से होगी।

दो एकल चरण मुख्य ट्रांसफार्मर D & E लाइनों के बीच नियंत्रण कक्ष की छत पर स्थित हैं।

1.6.7 सर्विस बे

पावरहाउस का प्रवेश EL.492.0 मीटर पर निष्पादन खाड़ी में होगा। विभिन्न घटकों के एक साथ संयोजन की अनुमति देने के लिए निष्पादन खाड़ी की लंबाई 18.00 मीटर रखी गई है, मुख्य रूप से इकाइयों के निर्माण के समय को कम करने के लिए।

निष्पादन खाड़ी में स्टेटर, रोटर, मुख्य इनलेट वाल्व, ट्रांसफार्मर इत्यादि सहित विभिन्न उपकरणों के असेंबली / डिससेसम के लिए सुविधाएं होंगी, जिसके लिए ईओटी क्रेन 150 T / 25 T / 5 T (EL. 502.70 m पर क्रेन रेल के शीर्ष) दे दी गयी।

विभिन्न मंजिलों तक पहुँच के लिए, पावरहाउस के प्रवेश द्वार के किनारे से निष्पादन खाड़ी के समीप, 'D' लाइन और 'E' लाइन के बीच एक लिफ्ट सहित एक सीढ़ी (EL.492.0m से 465.42 मीटर तक) प्रदान की गई है। निष्पादन बे से मशीन हॉल तक पहुँचने के लिए 'C' लाइन और 'D' लाइन के बीच एक और सीढ़ी (EL.492.0m से EL. 474.67m) प्रदान की गई है। आपातकालीन निकास और वेंटिलेशन के लिए उपयुक्त प्रावधान विस्तृत इंजीनियरिंग और डिजाइन के दौरान किया जाएगा।

1.6.8 टेल रेस चैनल

टर्बाइन से निकलने वाले पानी को ड्राफ्ट ट्यूब के माध्यम से टेलबाय में डिस्चार्ज किया जाएगा, जो पावरहाउस की उप-संरचना से एक ऊपर की ओर ढलान वाले कंक्रीट लाइन चैनल के रूप में पावरहाउस के लगभग 34 m डाउनस्ट्रीम तक फैलता है, एक खुले ट्रेपोज़ाइटल चैनल में व्यास नदी में रिलीज़ होने से पहले टेलबाय के निचले छोर पर उलटा स्तर ईएल 462.50 m पर निर्धारित टरबाइन धावकों के पर्याप्त जलमग्न प्रदान करने के लिए EL. 472 पर होगा।

एक ऊपर की ओर झुकी हुई ड्राफ्ट ट्यूब और टेलवॉटर बे प्रदान करके, यह सुनिश्चित किया जाता है कि टरबाइन हमेशा जलमग्न होते हैं, चाहे बहाव के पानी की स्थिति कैसी भी हो।

टेलबाय को प्रबलित कंक्रीट के साथ पंक्तिबद्ध किया जाएगा। टेलबाय से छोड़े गए टेल वॉटर को 15 mm नीचे की चौड़ाई के साथ एक ट्रेपोजाँडल चैनल का नेतृत्व किया जाता है, जो एक तरफ डैम की विस्तारित वाम प्रशिक्षण दीवार द्वारा बनाई गई है और दूसरी तरफ रॉक कट चेहरा है। टेल रेस चैनल लगभग 69 mm लंबा है। आकार और आकार को मुक्त प्रवाह विचारों से तय किया गया है।

1.6.9 जलाशय/बांध

धौलासिद्ध जलाशय बांध के शरीर में स्थित एक अंतर्ग्रहण के माध्यम से डायवर्सन के लिए पानी का भंडारण करता है, जिसके बाद 60.50 mm लंबा पेनस्टॉक बाएं तट पर बांध के 66 MW बिजली स्टेशन से जुड़ा होता है। जलाशय का निर्माण 70.75 mm ऊंचे कंक्रीट ग्रेविटी डैम के साथ एक गेटेड स्पिलवे से होता है, R&R पहलुओं को कम करने और अपस्ट्रीम पर सुजानपुर तिहरा पुल के डूबने से बचने के लिए इसे EL. 520 m पर FRL प्रतिबंधित करने के लिए आकार दिया गया है। ब्यास नदी के पास लगभग 1:300 की एक बहुत ही हल्की ढलान है, और यहां तक कि कम ऊंचाई की संरचना के निर्माण के परिणामस्वरूप नदी के ऊपर के हिस्से का एक महत्वपूर्ण हिस्सा डूब जाएगा।

EL 520.0m पर जलमग्नता 713.21 Ha है, जो कि EL 540.0m पर 2563 Ha तक बढ़ जाती है। EL. 520.0 m पर जलमग्नता को सीमित करने से बहुत कम आर एंड आर पहलू शामिल होंगे, क्योंकि कुछ कृषि भूमि के अलावा इस क्षेत्र में बहुत मामूली निवास स्थान है। हालांकि, EL. 540.0 में जलमग्न होने से सुजानपुर तिहाड़ और आलमपुर के निचले इलाकों, लूनीगी, मल्हान, भद्राना, चौंकी आदि 20 गाँवों में बस्ती प्रभावित होगी। EL.524.0 पर अपने डेक एलिवेशन के साथ सुजानपुर तिहरा पुल भी डूब जाएगा। ईएल 520.0 m से ऊपर के इस महत्वपूर्ण जलमग्नता को देखते हुए संभावित स्थानीय जनसंख्या प्रतिरोध / कृषि भूमि के लिए भारी भरकम मुआवजा और पुनर्वास मुद्दे जो अतिरिक्त ऊर्जा लाभ की भरपाई करेंगे, EL. 520.0 m पर FRL को ठीक करने का निर्णय लिया गया है।

FRL और MDDL के बीच लाइव स्टोरेज क्षमता को निर्धारित किया गया है, जिससे पावर स्टेशन को सीमित ड्यूरिनल स्टोरेज क्षमता के साथ रन-ऑफ-रिवर के रूप में संचालित किया

जा सके। 3 घंटे के संचालन के लिए आवश्यक FRL और MDDL के बीच सक्रिय भंडारण की मात्रा, अधिकतम, लाइव क्षमता $6.91 \times 10^6 \text{ m}^3$ है। मानसून के मौसम में, जब जलाशय में प्राकृतिक प्रवाह पेनस्टॉक के डिजाइन डिस्चार्ज से अधिक होता है, तो जलाशय FRL पर रहेगा, जिससे पावर स्टेशन को विस्तारित अवधि के लिए लगातार काम करने की अनुमति मिलती है, जब तक कि पर्याप्त प्रवाह एकल या दोनों टर्बाइनों में बिजली उत्पन्न करने के लिए उपलब्ध नहीं होता।

गैर-मानसून सीज़न में जलाशय का स्तर योजनाबद्ध क्षमता के साथ पूर्ण जलाशय स्तर (FRL) और न्यूनतम ड्रा डाउन स्तर (MDDL) के बीच में उतार-चढ़ाव होगा, और पानी की उपलब्धता के अनुसार, पावर स्टेशन दोनों मशीनों के लिए 3.00 घंटे तक काम कर सकता है या एक मशीन के साथ 6.00 घंटे, जब तक जलाशय में जल स्तर MDDL स्तर तक कम हो जाता है और दिन के शेष समय के दौरान पावर स्टेशन तब तक बंद रहेगा जब तक कि जलाशय FRL तक रिफिल नहीं हो जाता। यह हर दिन दोहराई जाने वाली एक सतत प्रक्रिया होगी। चूंकि जलाशय की क्षमता काफी है और क्षमता प्रवाह अनुपात अधिक है, इसलिए जलाशय का आकार मध्यम रूप से प्रभावित होगा और जलाशय क्षीणन होगा।

FRL में जलाशय की क्षमता लगभग 95.87 million m^3 है, और बांध शिखा स्तर (EL. 523m) की क्षमता लगभग 120 million m^3 है। इसका मतलब है कि बाढ़ का भंडारण लगभग 24.13 million m^3 है।

एक घंटे में PMF inflow वॉल्यूम माइनस एक घंटे के लिए FRL पर स्पिलवे डिस्चार्ज वॉल्यूम केवल बाढ़ के भंडारण की मात्रा के बारे में 0.2 गुना है। PMF इवेंट के लिए डिजाइन इनफ्लो हाइड्रोग्राफ 7 घंटे की अवधि के साथ उच्चतम है, जिसमें 17,000 cumecs से अधिक का प्रवाह है। इससे पता चलता है कि लगभग, PMF घटना के 7 घंटे के दौरान जलाशय से केवल 1.4 गुना जल संग्रहण की मात्रा ही गुजरेगी। इसका निहितार्थ यह है कि जलाशय बाढ़ भंडारण का बाढ़ की क्षमता पर मामूली प्रभाव पड़ेगा और पर्याप्त जलाशय क्षीण होगा।

बाढ़ की शुरुआत के दौरान FRL में सभी गेट्स ऑपरेटिव और जलाशय को देखते हुए, संशोधित पल्स विधि का उपयोग करके बाढ़ की रूटिंग अध्ययन को अधिकतम शिखर घटना के लिए किया गया है। परिणामों से पता चलता है कि 17,674 cumecs के शिखर को लगभग 4.0%

द्वारा संचालित किया जाता है और लगभग 16,959 cumecs के रूट आउटफ्लो को स्पिलवे से EL 522.50 m पर छुट्टी दी जाती है।

जलाशय में प्रवाह वेग बहुत कम होगा, यहां तक कि बाढ़ के दौरान, गाद कणों को बसाने के लिए महत्वपूर्ण बसने वाले वेगों के नीचे। यह नदी के जलाशय में प्रवेश बिंदु पर शुरू होता है और समय के साथ नीचे की ओर बढ़ता है।

बांध के पास के जलाशय में औसत पार-अनुभागीय क्षेत्र एफआरएल में लगभग 6000 sq.m है, जो 161.27m³ / sec के डिजाइन निर्वहन के लिए 0.0267 m/sec का प्रवाह-प्रवाह देता है, जो एक पारंपरिक डिसिल्टिंग के लिए चेंबर को 0.3 मिमी और उससे अधिक आकार के गाद कणों को बसाने और बाहर निकालने के लिए 0.3 m/sec से काफी नीचे है। 26-वर्ष की श्रृंखला में अधिकतम 10 दैनिक औसत निर्वहन 2018 cumecs है, जिसके लिए 0.3 mm की गाद कणों के निपटान के लिए प्रवाह वेग 0.30 m/sec महत्वपूर्ण वेग से कम होगा। इसके अलावा, जलाशय की लंबाई 19.23 km है जो कि जलाशय में बसने के लिए पर्याप्त से अधिक है। तात्पर्य यह है कि जलाशय एक अच्छी डिसिल्टिंग व्यवस्था का कार्य करेगा और इसलिए जल संवाहक प्रणाली में अलग से डिसिल्टिंग व्यवस्था का प्रस्ताव नहीं किया गया है।

1.6.10 रिवर डायवर्जन की व्यवस्था

कंक्रीट बांध के निर्माण के लिए नदी के प्रबंधन के उद्देश्य से, कंक्रीट के गुरुत्वाकर्षण बांध के बाएं किनारे पर एक डायवर्जन सुरंग का प्रस्ताव है। स्थलाकृतिक और भूगर्भीय आंकड़ों के आधार पर डायवर्जन सुरंग का स्थान और संरेखण रखा गया है। डायवर्जन टनल के पास 1000 cumecs को पार करने के लिए 10.20m का एक समाप्त व्यास होगा, जो 25 वर्षों में 1 की बाढ़ के मौसम के अनुरूप होगा। बांध की धुरी के 500m नीचे जाने के बाद एक बड़ी नदी का लूप है, और इस नदी के पाश के दूसरी तरफ डायवर्जन सुरंग का आउटलेट प्रस्तावित किया गया है। नदी के पाश को जोड़ने वाली सुरंग की लंबाई 227.71m है। वर्तमान में गैर-मानसून प्रवाह के लिए डायवर्जन की व्यवस्था केवल 8 महीने के कुल कामकाजी मौसम को देखते हुए की गई है। इनलेट और निकास पोर्ट क्रमशः EL. 472.50m और 468.50m पर स्थित हैं।

1.6.11 डायवर्सन टनल और कॉफ़र बांध का हाइड्रोलिक डिज़ाइन

डायवर्सन सुरंग का हाइड्रोलिक डिज़ाइन 1000 m³/sec के डिज़ाइन डायवर्सन डिस्चार्ज के लिए लगभग पूरी तरह से चलने वाली सुरंग को देखते हुए किया गया है। घर्षण हानि, प्रवेश हानि, मोड़ हानि, गेट स्लॉट हानि और निकास हानि आदि सहित कुल नुकसान की गणना की गई है और डायवर्सन आवश्यकता को पूरा करने के लिए अपस्ट्रीम कॉफ़र बांध में आवश्यक अधिकतम जल स्तर आ गया है। अपस्ट्रीम कॉफ़र्ड के पीछे का अधिकतम जल स्तर El. 489.15 m है। 0.85 m का एक निशुल्क बोर्ड रखते हुए, ऊपर की ओर कोफ़र्डम EL. 490.00 m पर है।

अपस्ट्रीम कॉफ़र्डम एक अर्ध स्थायी प्रकृति का होगा जो प्लम कंक्रीट / कोलक्रेट के साथ निर्मित होता है और अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम दोनों ढलानों पर कंक्रीट / चिनाई के साथ उपयुक्त रूप से सामना किया जाता है। यह एक अर्ध-स्थायी संरचना है जो कोफ़र बांध के ओवरटॉपिंग के कारण होने वाले कुछ मामूली पुनर्स्थापनों के साथ एक से अधिक मौसम तक रह सकती है।

प्लम कंक्रीट में M-15 ग्रेड के 60% और 150 mm से 300 mm तक आकार में 40% बोल्टर का गठन होगा। कोलक्रेट में इस्तेमाल किए गए बोल्टर / रॉक का अधिकतम आकार 300 mm होगा, और इंजेक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला मोर्टार 1: 3 मिक्स सीमेंट मोर्टार होगा, मानक गुणवत्ता के प्लास्टाइज़र का उपयोग करने की आवश्यकता होगी। कोफ़र्डम के सामने और शीर्ष दोनों पर चिनाई का काम 1: 5 के मोर्टार मिश्रण के साथ होगा। इसे बाढ़ के दौरान ऊर्जा अपव्यय के लिए चरणबद्ध स्पिलवे के साथ प्रदान किया जाता है। कोफ़र्डम के D/S को 10.0 m की लंबाई के लिए बड़े बोल्टर या कंक्रीट ब्लॉक से निर्मित एप्रन के साथ संरक्षित किया जाएगा। नींव से टपका नियंत्रण माप में जेट ग्राउटिंग शामिल होगा।

चूंकि, पानी को दूसरी तरफ लूप में छोड़ा गया है ; जहां तक पानी के सतही प्रवाह का संबंध है, बांध स्थल पर कोई भी पानी का प्रभाव नहीं होगा। हालांकि, यह अनुमान लगाया जाता है कि यदि एक सकारात्मक कट-ऑफ प्रदान नहीं किया जाता है, तो खुदाई वाले गड्ढे में उप-सतही जल का काफी रिसाव होगा। इसलिए, एक बहुत ही कम D/s कॉफ़र्डम (रॉक फिल) अधिकतम ऊंचाई 2.0 m की भीतरी कोर के साथ होती है, साथ ही साथ खुदाई के गड्ढे में जाने से रोकने के लिए रॉक तक जेट ग्राउटिंग की एकल पंक्ति के साथ सुझाव दिया गया है।

1.6.12 विद्युत निकासी प्रणाली

धौलासिध हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट में उत्पन्न बिजली को धौलासिध HEP-हमीरपुर से नजदीकी केलिंग स्टेशन तक 220 kV d/c लाइन के माध्यम से निकाला जाएगा, जो बदले में राष्ट्रीय ग्रिड को प्रेषित किया जाएगा।

अन्य डेवलपर्स द्वारा हिमाचल प्रदेश में विकसित किए जाने वाले अन्य स्टेशनों को देखते हुए पूलिंग पॉइंट को राज्य ट्रांसमिशन उपयोगिता (STU) यानी हिमाचल प्रदेश ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा अंतिम रूप दिया जाएगा

1.7 सहायक अवसंरचनात्मक सुविधाओं की आवश्यकता

परियोजना के समय पर कार्यान्वयन के लिए पर्याप्त बुनियादी ढांचे का विकास एक पूर्व-आवश्यकता है। आस-पास के क्षेत्र में मौजूदा सुविधाओं और विभिन्न गतिविधियों के लिए विभिन्न कार्यक्षेत्रों की आवश्यकता पर विचार करके उचित बुनियादी ढांचे की स्थापना, परियोजना के पूरा होने में देरी को कम करने वाले कार्यों के त्वरित निष्पादन में एक लंबा रास्ता तय करती है। परियोजना के निर्माण के लिए निम्नलिखित बुनियादी सुविधाओं की आवश्यकता होगी:

- परियोजना क्षेत्र में विभिन्न कार्य स्थलों, शिविरों, कार्यालयों, मलबों के निपटान क्षेत्र, नौकरी की सुविधा स्थलों आदि के लिए प्रवेश मार्ग।
- पुल और क्रॉस-ड्रेनेज कार्य।
- परियोजना के कर्मचारियों और कार्यालयों के लिए आवासीय भवन जिसमें उनकी बिजली और पानी की आपूर्ति, स्वच्छता और जल निकासी कार्यों का प्रावधान शामिल है।
- गैर-आवासीय भवन
- दूरसंचार नेटवर्क
- निर्माण शक्ति

धौलासिध परियोजना स्थल, पीडब्लूडी द्वारा गाँव जिहान तक अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। हालांकि, कार्य स्थलों तक पहुंच सड़कों की आवश्यकता होगी। मौजूदा सड़क से कार्य स्थलों तक पहुंच मार्ग की आवश्यकता निम्नानुसार होगी:

i) **मौजूदा सड़क से नई परियोजना सड़क:** बाईं ओर और निकटवर्ती गाँव में परियोजना स्थल के पास की मौजूदा सड़क जिहान है। यह मौजूदा सड़क से नई परियोजना सड़क बनाने का प्रस्ताव है (लगभग Salasikhadपुल के पास द्विभाजन) जिसकी लंबाई लगभग 4.0 km है

ii) **अस्थायी पुल के माध्यम से राइट बैंक के लिए सड़क मार्ग:** EL.492.0 m पर अस्थायी पुल के माध्यम से बाएं किनारे से दाएं बैंक तक पहुंच मार्ग, पावर रोड से पावरहाउस के लिए 1.5 km की दूरी की लंबाई की आवश्यकता होगी।

iii) **पावर हाउस:** बांध परियोजना के लिए लगभग 1 किमी सड़क की आवश्यकता होती है, न्यू प्रोजेक्ट रोड से स्विचयार्ड के लिए, बाएं तट के पास डैम टॉप के लिए, अप्रोच रोड से डायवर्जन टनल आउटलेट तक लगभग 0.5 किमी और सड़क की लंबाई लगभग 0.5 किमी है।

iv) अन्य अस्वस्थता वाली सड़कें:

- 1) क्वारी साइटों / उधार क्षेत्रों के लिए सड़कें
- 2) इनलेट पोर्टल डायवर्सन टनल के लिए एप्रोच रोड
- 3) मलबा नियोजन के लिए डंपिंग क्षेत्रों के लिए सड़कें
- 4) विस्फोटक पत्रिका, क्रेशर, बी एंड एम प्लांट, स्टोर्स, वर्कशॉप पेनस्टॉक फैब्रिकेशन यार्ड, शिमला आदि के लिए सड़कें।
- 5) सही बैंक तक पहुंच के लिए अस्थायी पुल

सड़कों का निर्माण और सुधार (हमीरपुर से सलासी खड्ड पुल तक मौजूदा सड़क पर घुमाव / मोड़ का चौड़ीकरण), पुल (यदि आवश्यक हो) और क्रॉस - ड्रेनेज कार्य प्राथमिकता होगी और पूर्व-निर्माण चरण के दौरान पूरा होने की योजना है। सभी में, लगभग 12.35 km लंबाई की एप्रोच रोड का निर्माण किया जाना आवश्यक है।

तालिका 5: परियोजना निर्माण के लिए नयी सड़कों की ज़रूरत

अनु क्रमांक	विवरण	लंबाई (m)
1.	बांध स्थल तक परियोजना सड़क	4000

धौलासिध जल विद्युत् परियोजना (66 मेगावाट) के लिए की जा रही प्रस्तावित भूमि अर्जन का सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन ।

अनु क्रमांक	विवरण	लंबाई (m)
2.	डैम टॉप टू आउटलेट डायवर्जन टनल	2750
3.	रोड इनलेट डायवर्सन टनल	1200
4.	लेफ्ट और राइट बैंक के लिए एक्सेस रोड	1500
5.	रोड टू पावर हाउस	900
6.	स्विचयार्ड के लिए सड़क	500
7.	अन्य विविध सड़कें	1500
टोटल		12350

* स्रोत: DPR, DSHEP

1.7.1 दूरसंचार सुविधाएँ

परियोजना कार्यालयों, दुकानों, प्रयोगशालाओं, कार्यशालाओं और निवासों आदि के विभिन्न कार्य स्थल एक दूरसंचार नेटवर्क द्वारा जुड़े होंगे। दूरसंचार सुविधाएं परियोजना और बाहर के बीच भी प्रदान की जाएंगी। परियोजना के भीतर और बाहर संचार के लिए 50 लाइनों की क्षमता वाला एक आंतरिक स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंज (EPABX) प्रदान किया जाएगा। वरिष्ठ अधिकारियों के कार्यों, कार्यालयों और आवासों के सभी महत्वपूर्ण स्थान टेलीफोन द्वारा जुड़े होंगे।

ग्रिड में अन्य बिजलीघरों और उप-स्टेशनों के साथ संपर्क बनाए रखने के लिए, एक तारांकित वायरलेस लिंक के साथ स्थायी उपनिवेश भी प्रदान किए जाएंगे। हिमाचल प्रदेश का अधिकांश भाग वर्तमान में उपग्रह संचार नेटवर्क के माध्यम से दुनिया के विभिन्न हिस्सों से जुड़ा हुआ है, जिसके लिए इलेक्ट्रॉनिक विनिमय के साथ एक पृथ्वी उपग्रह स्टेशन मौजूद है। बाहरी एजेंसियों के साथ दूरसंचार के लिए परियोजना क्षेत्र में एक ही नेटवर्क बढ़ाया जाएगा। उपयुक्त मोबाइल फोन / वॉकी-टॉकी भी प्रदान किए जाएंगे।

1.7.2 मलबा निपटान क्षेत्र

परियोजना के निर्माण में विभिन्न कार्य स्थलों से लंबे का उत्सर्जन शामिल है जिसके लिए स्थलाकृतिक स्थितियों के अनुरूप उपयुक्त स्थानों पर निपटान की आवश्यकता होगी

विभिन्न कार्य स्थलों से उत्पन्न होने वाली मलबे की मात्रा का अनुमान निम्न प्रकार से लगाया जाता है:

तालिका 6: मलबा निपटान की मात्रा

क्रमांक	ढांचा	लगभग मलबा मात्रा सहित (लाख)
1	बांध कार्य, रिवर डायवर्जन, इंटेक और पेनस्टॉकपावर हाउस, टेल रेस चैनल आदि।	5.30
2	बांध कार्य, रिवर डायवर्जन, इंटेक और पेनस्टॉकपावर हाउस, टेल रेस चैनल आदि।	1.00

* स्रोत: DPR, DSHEP

मलबे के निपटान क्षेत्रों की पहचान संबंधित कार्य स्थलों के पास की जाएगी। इन्हें स्थिर ढलान और पर्याप्त बरम प्रदान करके विकसित किया जाएगा, ताकि नदी में मलबे के प्रवाह से बचा जा सके।

1.7.3 विभिन्न (Miscellaneous)

परियोजना के निर्माण के दौरान, सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक आवश्यक नौकरी की आवश्यकता है, जिसके लिए परियोजना क्षेत्र में प्रकाश, सुरक्षा आदि की पर्याप्त व्यवस्था की जाएगी। विभिन्न BIS कोड में निर्धारित दुर्घटनाओं के खिलाफ पर्याप्त निवारक उपाय किए जाएंगे। परियोजना कार्य स्थलों में प्रवेश प्रतिबंधित होगा और आगंतुकों को केवल परियोजना प्राधिकरण द्वारा जारी परमिट पर अनुमति दी जाएगी। सभी कार्य बल और अन्य परियोजना कर्मियों को परियोजना प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए पहचान पत्र और पास प्रदान किए जाएंगे, जिन्हें उपयुक्त स्थानों पर स्थित प्रवेश चौकियों पर चेक किया जाएगा।

1.8 कर्मचारियों की आवश्यकता

परियोजना के लिए आवश्यक स्थायी संचालन और रखरखाव कर्मचारियों की कुल संख्या लगभग 40 है। हालांकि, निर्माण चरण के दौरान, कर्मचारियों की आवश्यकता अधिक होगी और तदनुसार प्रदान की जाएगी और रंगास के पास उपलब्ध फ्लैट क्षेत्र के पास स्थित है

सिविल, हाइड्रो-मैकेनिकल और इलेक्ट्रो-मैकेनिकल कार्यों के निर्माण के लिए मैनपावर ठेकेदार द्वारा प्रदान किए जाने की आवश्यकता होगी। ठेकेदार द्वारा तैनात किए जाने वाले विभिन्न विषयों के इंजीनियरों, अधिकारियों और श्रमिकों की कुल संख्या निर्माण कार्यक्रम के अनुरूप होगी। ठेकेदार कर्मचारियों के लिए क्षेत्र परियोजना स्थल के पास प्रदान किया जाएगा। निर्माण चरण के दौरान तैनात किए जाने वाले श्रम को कार्य स्थलों के पास भी समायोजित किया जाएगा।

1.9 पर्यावरण समाघात आकलन व् तकनीकी व्यवहारिता रिपोर्ट का विवरण

पर्यावरण के विभिन्न पहलुओं पर प्रतिकूल प्रभावों का आकलन करने के लिए, परियोजना के लिए एक व्यापक EIA अध्ययन आयोजित किया जा रहा था। नीचे दिए गए अध्ययन के निष्कर्ष हैं:

तालिका 7: EIA का विवरण

अनु क्रमांक	पैरामीटर	परियोजना चरण	गतिविधि	प्रभाव
1.	भूमि और पर्यावरण	निर्माण चरण	आप्रवासन	श्रम शक्ति की मण्डली में सीवेज निपटान, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और ईंधन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पेड़ों की कटाई आदि की समस्या पैदा होने की संभावना है, ताकि प्रवासियों को समायोजित किया जा सके।
2.			खदान संचालन	समय बीतने के साथ, हवा और अन्य क्षरण बलों की कार्रवाई के तहत खदान से उजागर चट्टान धीरे-धीरे खराब हो जाती

धौलासिध जल विद्युत् परियोजना (66 मेगावाट) के लिए की जा रही प्रस्तावित भूमि अर्जन का सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन ।

अनु क्रमांक	पैरामीटर	परियोजना चरण	गतिविधि	प्रभाव
				है और कुछ समय बाद, वे भूस्खलन का एक संभावित स्रोत बन जाती हैं। इस प्रकार, खदान स्थलों पर मिट्टी के कटाव और भूस्खलन की संभावना को रोकने के लिए उपयुक्त ढलान स्थिरीकरण उपायों को लागू करना आवश्यक है।
3.			निर्माण उपकरण का संचालन	विभिन्न निर्माण उपकरण और सामग्री के लिए भंडारण स्थल इतना स्थित होना चाहिए, कि यह क्षेत्र में वनस्पतियों, जीवों और मानव आबादी को न्यूनतम गड़बड़ी की ओर ले जाए।
4.			भू-क्षरण	निर्माण स्थलों से अपवाह ब्यास नदी या उसकी सहायक नदियों की ओर बहेगी। कुछ दूरी के लिए, प्रमुख निर्माण स्थलों के बहाव में हल्की पैठ में कमी के कारण तलछट के स्तर में वृद्धि होने की संभावना है, जो प्राप्त जल निकाय के प्रभावित खिंचाव की प्राथमिक जैविक उत्पादकता पर प्रभाव डाल सकता है। कुछ प्रतिकूल प्रभाव धाराओं और नालों पर प्रत्याशित होते हैं, जो दुबले मौसम के दौरान कम प्रवाह होते हैं।
5.			मलबे का निपटान	धौलासिंह जलविद्युत् परियोजना के निर्माण के लिए मौजूदा प्रस्ताव के अनुसार 0.63 mm ³ एमक्यू उत्पन्न किया जाना है। सूजन कारक को 40% के रूप में देखते हुए, उत्सर्जन के लिए कुल

धौलासिध जल विद्युत् परियोजना (66 मेगावाट) के लिए की जा रही प्रस्तावित भूमि अर्जन का सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन ।

अनु क्रमांक	पैरामीटर	परियोजना चरण	गतिविधि	प्रभाव
				मात्रा 0.882 mm ³ है। यह प्रस्तावित है कि विभिन्न परियोजना कार्यों के लिए 0.118 mm ³ का उपयोग किया जाएगा। इसलिए मलबे के निपटान की उपयुक्त मात्रा (0.764 mm ³) के लिए उपयुक्त स्थलों को नामित किया जाएगा।
6.			सड़कों का निर्माण	परियोजना के निर्माण से महत्वपूर्ण वाहनों का आवागमन होगा। ऐसे क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण मिट्टी के समुच्चय के शुद्ध डाउनहिल आंदोलन के कारण कटाव के खतरों को जन्म दे सकता है। यह ढलान पर पेड़ों को हटाने और सड़क के आसपास के क्षेत्र में ढलानों को फिर से काम करने के लिए प्रेरित कर सकता है, जिससे भूस्खलन, मिट्टी का क्षरण, गलन, आदि हो सकते हैं।
7.	पानी की गुणवत्ता	निर्माण चरण	आप्रवासन	उत्पन्न सीवेज की कुल मात्रा 0.134 mld के क्रम के होने की उम्मीद है। घरेलू स्रोतों द्वारा योगदान किया गया BOD लोड लगभग 108 किग्रा / दिन होगा। आम तौर पर, परियोजना निर्माण चरण के दौरान, श्रमिक आबादी 2 स्थानों पर केंद्रित होती है। इस प्रकार, सीवेज / BOD लोडिंग 2 से 3 स्थानों पर ब्यास नदी में बह जाएगी। प्राप्त जल निकाय की जल

धौलासिध जल विद्युत् परियोजना (66 मेगावाट) के लिए की जा रही प्रस्तावित भूमि अर्जन का सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन ।

अनु क्रमांक	पैरामीटर	परियोजना चरण	गतिविधि	प्रभाव
				गुणवत्ता के बिगड़ने से बचाने के लिए निपटान से पहले सीवेज का उपचार प्रस्तावित है।
8.			क्रशर से अवशिष्ट	ब्यास नदी में कमजोर पड़ने के लिए कम मात्रा में अपशिष्ट और बड़ी मात्रा में पानी उपलब्ध होने के कारण कोई बड़ा प्रतिकूल प्रभाव नहीं है। प्रभाव को कम करने के लिए, इस खाते पर जमा होने की संभावना के सीमांत प्रभावों को भी समाप्त करने के लिए निपटान से पहले प्रभावी इलाज करना प्रस्तावित है।
9.		ऑपरेशन का चरण	परियोजना कॉलोनी से प्रयास	क्षेत्र में लगभग 50 परिवार (250 की कुल जनसंख्या) निवास करेंगे। लगभग 0.04 mldका सीवेज उत्पन्न किया जाएगा। कुल बीओडी लोडिंग 12 किलोग्राम / दिन के क्रम का होगा। यह उत्पन्न होने वाले सीवेज के लिए माध्यमिक उपचार सहित जैविक उपचार सुविधाएं प्रदान करने का प्रस्ताव है।
10.	स्थलीय वनस्पति	निर्माण चरण	मानवीय हस्तक्षेप बढ़ा	क्षेत्र में रहने वाले श्रमिक और अन्य जनसंख्या समूह ईंधन लकड़ी (यदि कोई वैकल्पिक ईंधन प्रदान नहीं किया गया है) का उपयोग कर सकते हैं जिनके लिए जलाऊ लकड़ी / कोयला डिपो प्रदान किया जा सकता है।

धौलासिध जल विद्युत् परियोजना (66 मेगावाट) के लिए की जा रही प्रस्तावित भूमि अर्जन का सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन ।

अनु क्रमांक	पैरामीटर	परियोजना चरण	गतिविधि	प्रभाव
11.	स्थलीय जीव	निर्माण / संचालन चरण	वन भूमि का अर्जन	हमीरपुर जिले के धौलासिद्ध एचईपी के कुछ वन पैच विभिन्न जंगली जीव प्रजातियों के लिए एक अच्छे आवास के रूप में काम करने की सूचना है। इन जंगली जानवरों (स्तनपायी, पक्षी, सरीसृप और उभयचर) में से, कुछ प्रजातियां लुप्तप्राय और असुरक्षित श्रेणी की हैं और कानूनी रूप से विभिन्न कार्यक्रमों में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम (1972) के तहत संरक्षित हैं। इसलिए, धौलासिंह HEP के निर्माण और संचालन के दौरान इन जंगली जानवरों की रक्षा करना बहुत आवश्यक है।
12.		निर्माण / संचालन चरण	मछली पालन	मछली की 05 परिवारों की कुल 20 प्रजातियां पाई गईं, ब्यास नदी के फैलाव से लेकर दौला सिद्ध एचईपी के क्षेत्र के तहत महासीर (<i>Tor tor; Tor putitora</i>) हिमालयी नदियों की महत्वपूर्ण मीठे पानी की खेल मछलियों में से एक है; लुप्तप्राय और प्रवासी है; इसलिए, इसका संरक्षण बहुत महत्वपूर्ण है।
13.	जलीय पारिस्थितिकी	ऑपरेशन का चरण	नदी का नुकसान	बाँध तेजी से बहने वाली नदी को बदलकर एक विस्तृत वातावरण में बदल देगा। तालाब के निर्माण से प्रस्तावित बांध स्थल के अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम दोनों दिशाओं में भौतिक, अजैविक और बायोटिक मापदंडों में कई बदलाव आएंगे।

धौलासिध जल विद्युत् परियोजना (66 मेगावाट) के लिए की जा रही प्रस्तावित भूमि अर्जन का सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन ।

अनु क्रमांक	पैरामीटर	परियोजना चरण	गतिविधि	प्रभाव
				प्रस्तावित परियोजना के परिणामस्वरूप माइक्रो और मैक्रो बैटिक बायोटा सबसे गंभीर रूप से प्रभावित होने की संभावना है।
14.			प्रवासी मछली की प्रजातियां	बांध द्वारा बनाई गई रुकावट विशेष रूप से महसीरों (नीचे की ओर ऊपरी पहुंच से) और <i>Schizothorax</i> sp. (ऊपरी से निचले तक पहुंच से) प्रजातियों के प्रवास में बाधा होगी। ये मछलियाँ भोजन और प्रजनन के लिए वार्षिक प्रवास करती हैं।
15.	शोर का स्तर	निर्माण चरण		वाहनों की आवाजाही और निर्माण गतिविधियों के कारण शोर का स्तर बढ़ा।
16.	हवा की गुणवत्ता	निर्माण चरण		विभिन्न निर्माण उपकरणों के संचालन के दौरान ईंधन की खपत और विभिन्न क्रशर से उत्सर्जन के कारण वायु प्रदूषण में वृद्धि।

2 दल संरचना, दृष्टिकोण, प्रणाली एवं सामाजिक समाघात निर्धारण की अनुसूची

2.1 दल विवरण

SIA टीम की संरचना निम्न तालिका में दी गई है, जो सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन को करने के लिए जिम्मेदार है। टीम का प्रत्येक सदस्य अपने क्षेत्र का एक विशेषज्ञ है और पहले भी इस तरह के कई अध्ययन कर चुका है।

तालिका 8: टीम विवरण

क्र.सं.	नाम	योग्यता	लिंग	विशेषज्ञता
1	डा. रणवीर सिंह	अर्थशास्त्र में पीएचडी एम। फिल कृषि आर्थिक	पुरुष	कृषि-अर्थशास्त्र अनुसंधान केंद्र, HPU शिमला से विभागाध्यक्ष सेवानिवृत्त, SIA विशेषज्ञ, संपूर्ण सतलुज बेसिन के लिए आधारभूत सर्वेक्षण इनके निर्देशन में पूरा किया गया है ।
2	रमन शर्मा	एम ए समाजशास्त्र	पुरुष	सर्वेक्षण और डेटा विश्लेषण, प्रभाव आकलन और सामुदायिक जुटाव में विशेषज्ञ
3	जितेंद्र शर्मा	एम बी ए	पुरुष	एक्सपर्ट सोशल मोबिलाइजेशन
4	विराल मिस्त्रा	शहरी और क्षेत्रीय योजना में विशेषज्ञता के साथ बी.टेक सिविल इंजीनियरिंग, परास्नातक	पुरुष	शहरी और क्षेत्रीय योजना, ईआईए, SIA और R&R में विशेषज्ञ
5	गौरी सरिवास्तव	बी आर्क, शहरी नियोजन और आवास में विशेषज्ञता के साथ योजना में परास्नातक	महिला	हाउसिंग एंड R&R परियोजना समन्वयक में विशेषज्ञ

धौलासिध जल विद्युत् परियोजना (66 मेगावाट) के लिए की जा रही प्रस्तावित भूमि अर्जन का सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन ।

क्र.सं.	नाम	योग्यता	लिंग	विशेषज्ञता
6	एम आर शर्मा	सामाजिक कार्य में स्नातक	पुरुष	सर्वेक्षण और सांख्यिकीय शोधकर्ता
7	प्रतिभा	एम ए	महिला	सर्वेक्षण और सांख्यिकीय शोधकर्ता, और लिंग विशेषज्ञ
8	सचिन चौहान	एम काम	पुरुष	आई. टी विशेषज्ञ
9	मीनाक्षी भारद्वाज	एम.ए. समाजशास्त्र	महिला	अन्वेषक और लिंग विशेषज्ञ

प्राथमिक सर्वेक्षण में भाग लेने वाले क्षेत्र सर्वेक्षणकर्ताओं की सूची निम्नलिखित है:

तालिका 9: सर्वेक्षकों की सूची

क्रं सं	नाम	योग्यता	लिंग	उपाधि
1	लाभ सिंह	एम एस डवल्यू	पुरुष	सर्वेक्षक
2	प्रवीण	एम एस डवल्यू	पुरुष	सर्वेक्षक
3	राकेश कुमार	वाणिज्य स्नातक	पुरुष	सर्वेक्षक
4	विशाल ठाकुर	स्नातक	पुरुष	सर्वेक्षक
5	मुकेश कुमार	डिप्लोमा (ITI)	पुरुष	सर्वेक्षक
6	पंकज	विज्ञान स्नातक	पुरुष	सर्वेक्षक
7	विजय कुमार	डिप्लोमा (Mechanical)	पुरुष	सर्वेक्षक
8	मोहम्मद	समाजशास्त्र	पुरुष	सर्वेक्षक
9	राहुल	एम एस डवल्यू	पुरुष	सर्वेक्षक
10	राहुल	समाजशास्त्र	पुरुष	सर्वेक्षक
11	राजेंद्र ठाकुर	एम बी ए	पुरुष	सर्वेक्षक

2.2 प्रयुक्त पद्धति और उपकरण का विवरण व औचित्य

2.2.1 लक्ष्य

अध्ययन का उद्देश्य हिमाचल प्रदेश के अधिकार और भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्वास (सामाजिक समाघात निर्धारण और सहमति) नियमों, 2015 में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता के अनुसार एक सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन करना है।


2.2.2 उद्देश्य

1. क्या प्रस्तावित अर्जन आरटीएफसीटीएलआरआर अधिनियम, 2013 की धारा 2 के तहत सूचीबद्ध मानदंडों के अनुसार लोक प्रयोजनका कार्य करता है या नहीं, इसका आकलन करना।
2. प्रभावित परिवारों का अनुमान और उनके बीच विस्थापित होने की संभावना वाले परिवारों की संख्या का आकलन ।
3. प्रस्तावित अर्जन से भूमि, सार्वजनिक और निजी, घरों, बस्तियों और अन्य सामान्य संपत्तियों की प्रचुरता प्रभावित होने की संभावना का आकलन ।
4. क्या अर्जन के लिए प्रस्तावित भूमि की सीमा परियोजना के लिए आवश्यक न्यूनतम पूर्ण सीमा है।
5. क्या वैकल्पिक जगह पर भूमि अर्जन पर विचार किया गया है और संभव नहीं है।
6. परियोजना के सामाजिक प्रभावों का अध्ययन, और प्रकृति और उन्हें संबोधित करने की लागत और परियोजना के समग्र लागत पर इन लागतों के प्रभाव ने परियोजना के लाभों को देखा।
7. HP RTFCTLARR नियमों, 2015 के FORM-II के अनुसार प्रभावित क्षेत्र और पुनर्वास स्थल की सामाजिक-आर्थिक और सांस्कृतिक प्रोफाइल तैयार करना (यदि कोई हो)।
8. HP RTFCTLARR नियमों, 2015 के प्रपत्र III के अनुसार एक सामाजिक समाघात प्रबंध योजना तैयार करना।

2.2.3 दृष्टिकोण और पद्धति

सामाजिक समाघात निर्धारण करने और SIMP तैयार करने के लिए जो पद्धति अपनाई गयी , वह नीचे वर्णित है। SIA RTFCTLARR अधिनियम 2013 और HP RTFCTLARR नियम, 2015 के अनुसार तैयार किया गया । नीचे चित्र प्रवाह चार्ट के रूप में SIA अध्ययन के दृष्टिकोण और कार्यप्रणाली को प्रस्तुत करता है।

चित्र 3: अध्ययन प्रधिती



*स्रोत: SIA टीम

नीचे दी गई विस्तृत कार्यप्रणाली है जिसे अध्ययन करने के लिए अपनाया गया है ।

1. परियोजना संदर्भ का विश्लेषण

- समीक्षा साहित्य समीक्षा
- माध्यमिक डेटा

2. हितधारकों की पहचान और विश्लेषण

- माध्यमिक डेटा
- प्राथमिक डेटा
- साइट विश्लेषण
- विभिन्न प्राथमिक सर्वेक्षण (संकेतक विश्लेषण के माध्यम से विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय मापदंडों का गुणात्मक और मात्रात्मक विश्लेषण)

3. सामाजिक कारकों और चर की पहचान

- प्राथमिक सर्वेक्षण (गुणात्मक और मात्रात्मक विश्लेषण)
- *FGD* (हितधारक प्रतिनिधि, संबंधित अधिकारी / अधिकारी)
- हितधारक परामर्श

4. डेटा विश्लेषण और प्राथमिकता मूल्यांकन

- प्राथमिक और माध्यमिक डेटा एकत्र का विश्लेषण
- *FGD* से तैयार किए गए संदर्भ
- स्टैकहोल्डर परामर्श से तैयार किए गए निष्कर्ष
- साइट सर्वेक्षण से अवलोकन

5. हितधारकों से परामर्श और शमन योजनाओं का विकास

- *FGD* और जन सुनवाई आयोजित करना
- *FGD* और जन सुनवाई से निष्कर्षों और निष्कर्षों की खोज में शमन योजनाओं का विकास

6. शमन योजना और जन भागीदारी को लागू करना

- कार्यान्वयन एजेंसी, संबंधित अधिकारियों / अधिकारियों और सार्वजनिक भागीदारी के साथ समन्वय से

7. सक्रिय हितधारक भागीदारी के साथ निगरानी सुनिश्चित करना और इसे संशोधित करना

2.2.4 पद्धति का औचित्य

सामाजिक समाघात अध्ययन एक समयबद्ध अध्ययन है और आगामी परियोजना के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि पर आर्थिक, आर्थिक, सामाजिक रूप से निर्भर लोगों के हित की चिंता करता है। उपरोक्त कार्यप्रणाली को सामाजिक समाघात अध्ययन करने और सुनिश्चित करने के लिए अपनाया जाता है, संविधान के तहत स्थापित स्थानीय स्वशासन और ग्राम सभाओं के परामर्श से, आगामी धौलासिध हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए भूमि अर्जन के लिए एक मानवीय, भागीदारीपूर्ण, सूचित और पारदर्शी प्रक्रिया और प्रदान करना प्रभावित परिवारों के लिए उचित और उचित प्रतिकर जिनकी भूमि का अर्जन किया जाना प्रस्तावित किया गया है या इस अर्जन से प्रभावित हैं और ऐसे प्रभावित व्यक्तियों के लिए उनके पुनर्वास और पुनर्वास के लिए पर्याप्त प्रावधान करते हैं और यह सुनिश्चित करने के लिए कि अर्जन का संचयी परिणाम होना चाहिए कि प्रभावित व्यक्ति विकास में भागीदार बने अर्जन के बाद के अपने सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए अग्रणी हों ।

2.2.4.1 सामाजिक प्रभाव अध्ययन के लिए परामर्श हेतु हितधारकों की पहचान

सभी प्रमुख हितधारकों की एक सूची तैयार की गई जो परियोजना से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होगी। तब सूची को अंततः तीन व्यापक श्रेणियों में विभाजित किया गया :

1. **प्राथमिक हितधारक:** इनमें अर्जित की जाने वाली भूमि के मालिक, उनके परिवार, जिनके नाम जमाबंदी पर दर्ज हैं और जो संपत्ति में अपनी भागीदारी का दावा करते हैं, जिनके पास अर्जित भूमि पर किसी भी प्रकार की आजीविका / निर्भरता है। ।
2. **द्वितीयक हितधारक:** इनमें व्यावसायिक संस्थाएँ, नागरिक समाज / राजनीतिक / धार्मिक / गैर सरकारी संगठन, युवक और महिला मंडल और क्षेत्र के स्थानीय निवासी शामिल हैं। ये हितधारक सीधे अर्जन से प्रभावित नहीं होंगे, लेकिन परियोजना के कारण उन पर अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ सकता है।
3. **संस्थागत हितधारक:** उनमें सरकार शामिल है; अर्ध-सरकारी संस्थान जैसे कि पंचायत, डीसी ऑफिस, पुलिस आदि जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस परियोजना से जुड़े या प्रभावित हो सकते हैं।

हितधारकों की पहचान के बाद डेस्क समीक्षा की जाती है। राजस्व मानचित्र, जिला जनगणना हैंड बुक, जिला गजेटियर, जिला सांख्यिकी, मौजूदा आजीविका परियोजनाओं, सरकारी रोजगार

योजनाओं, RTFCTLARR अधिनियम, 2013, HP RTFCTLARR नियम, 2015, R&R पालिसी और सेवा क्षेत्रों के बारे में दस्तावेज जिसमें संबंधित जिलों / ब्लॉकों में बड़े पैमाने पर लोग शामिल हैं, सरकारी और गैर सरकारी स्रोत से एकत्र किए गए थे। सरकारी सूत्रों और समीक्षा की। ऐसे प्रासंगिक डेटा का संग्रह और समीक्षा मुख्य रूप से संबंधित क्षेत्र की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों और बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता और सेवा वितरण प्रणाली के बारे में समझ विकसित करने हेतु की जाती है।

2.3 सामाजिक समाघात निर्धारण के लिए सूचना संग्रहण करने के लिए संसाधन

अध्ययन को अंजाम देने हेतु जानकारी प्राथमिक और माध्यमिक दोनों स्रोतों से एकत्र की गई थी। इन स्रोतों पर निम्नलिखित अनुभाग में विस्तार से चर्चा की गई है:

- **माध्यमिक स्रोतों से डेटा**

जनगणना के आंकड़ों, सांख्यिकीय हाथ की पुस्तकों, संबंधित विभागों और अन्य साहित्य जैसे कई तिमाहियों से माध्यमिक स्रोतों की जानकारी एकत्र की गई थी। इस प्रकार, माध्यमिक स्रोतों की जानकारी ने प्राथमिक डेटा को पूरक किया जो प्रभावित लोगों और अन्य हितधारकों से क्षेत्र सर्वेक्षण के माध्यम से प्राप्त किया गया था। विस्तृत क्षेत्र जांच करने से पहले परियोजना क्षेत्र के भौतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक सेट-अप के बारे में एक समझ बनाई गई थी।

- **प्राथमिक स्रोत**

हाउस होल्ड सर्वे, फील्ड विजिट और FGD के माध्यम से प्राथमिक डेटा एकत्र किया गया था। घरेलू सर्वेक्षण और FGD के लिए प्रश्नावली और कार्यक्रम SIA टीम द्वारा तैयार किए गए थे और किसी भी संभावित अंतर की जांच के लिए अंतिम रूप देने से पहले परीक्षण किया गया था। प्रश्नावली को पेशेवर सर्वेक्षकों / प्रगणकों द्वारा प्रशासित किया गया था जिन्हें SIA के टीम लीडर द्वारा प्रशिक्षण दिया गया था। परियोजना क्षेत्र को जानने के लिए उन्हें एक दिन के लिए परियोजना स्थल पर ले जाया गया। डेटा की गुणवत्ता पर जोर दिया गया था ताकि निष्कर्ष प्रामाणिक और विश्वसनीय हो। सर्वेक्षण से एकत्र किए गए डेटा को

आउटपुट तालिका के प्रसंस्करण और उत्पादन के लिए उचित जांच और तार्किक जांच के बाद एमएस एक्सेल पर डिजिटल किया गया था।

- **अध्ययन के उपकरणों की तैयारी**

प्राथमिक हितधारकों के बारे में प्रामाणिक जानकारी एकत्र करने और उन पर प्रभाव की तीव्रता को इकट्ठा करने के लिए एक संरचित प्रश्नावली तैयार की गई थी। प्रश्नावली में गुणात्मक और मात्रात्मक जानकारी की विस्तृत श्रृंखला शामिल है। सुझावों और संशोधन के लिए एक मसौदा प्रश्नावली विकसित कर HP SIAU को प्रस्तुत किया गया था। क्षेत्र में पूर्व परीक्षण के बाद प्रश्नावली को अंतिम रूप दिया गया था। गांवों में विभिन्न हितधारकों द्वारा कथित सकारात्मक और नकारात्मक परियोजना प्रभावों सहित निर्णय लेने आदि, सकारात्मक प्रभावों को बढ़ाने और नकारात्मक प्रभावों को कम करने के लिए उनके सुझाव सहित उपलब्ध सामाजिक और भौतिक बुनियादी ढांचे की स्थिति, अर्जन, शिक्षा की स्थिति, स्वास्थ्य की स्थिति, रोजगार की स्थिति, महिलाओं की भूमिका के कारण किसी भी सामान्य संपत्ति के नुकसान के बारे में जानकारी एकत्र करने के लिए पंचायत स्तर पर विभिन्न हितधारकों के साथ समूहबद्ध चर्चा आयोजित करने के लिए अनुसूचियां तैयार की गईं।

- **प्राथमिक सर्वेक्षण**

एक पूर्व संरचित प्रश्नावली की मदद से प्राथमिक हितधारकों का एक सर्वेक्षण किया गया था। प्रश्नावली में PAF की पहचान, PAF के परियोजना और पुनर्वास और पुनर्स्थापन बारे विचार सहित, उनके सामाजिक प्रोफाइल, पारिवारिक विवरण, व्यवसाय, आय के स्रोत, परिवार के खर्च, घरेलू संपत्ति, प्रभावित संरचना की जानकारी, वाणिज्यिक / स्व-रोजगार गतिविधियों, रोजगार पैटर्न, राय जैसे पहलू शामिल थे । प्रश्नावली के अधिकांश भाग को PAF की राय और विचारों को प्रति बिंबित करने वाले लोगों को छोड़कर पूर्व-कोडित किया गया है, जिन्हें खुले अंत में छोड़ दिया गया है।

धौलासिध जल विद्युत् परियोजना (66 मेगावाट) के लिए की जा रही प्रस्तावित भूमि अर्जन का सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन ।

चित्र 4: प्राथमिक सर्वेक्षण के दौरान ली गई तसवीरें



धौलासिध जल विद्युत् परियोजना (66 मेगावाट) के लिए की जा रही प्रस्तावित भूमि अर्जन का सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन ।

• FGD

अध्ययन के पहलुओं में, एक हितधारकों, जन प्रतिनिधियों और सामुदायिक नेताओं के साथ परामर्श था। परामर्श ने हितधारकों और SIA टीम के बीच संचार की रेखा को खोल दिया। इससे समुदाय द्वारा प्रभावित प्रभावों की पहचान करने में मदद मिली।

चित्र 5: केन्द्रित समूह चर्चा के दौरान ली गई तसवीरें



धौलासिध जल विद्युत् परियोजना (66 मेगावाट) के लिए की जा रही प्रस्तावित भूमि अर्जन का सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन ।

- **डेटा संग्रह और ग्राउंड सत्यापन का पर्यवेक्षण**

कोर टीम के सदस्यों द्वारा डेटा संग्रह का पर्यवेक्षण किया गया था और साथ ही सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण के तहत आने वाले पांच प्रतिशत परिवारों के लिए जमीनी सत्यापन किया गया था।

2.4 नमूना प्रणाली का उपयोग

अध्ययन के लिए, टीम ने राजस्व विभाग से प्राप्त सूची के अनुसार सभी PAF को कवर करने का लक्ष्य रखा। प्राथमिक डेटा मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों तकनीकों का उपयोग करके उत्पन्न किया गया था:

- मात्रात्मक तकनीक: प्राथमिक हितधारकों के बीच एचएच सर्वेक्षण के लिए पूर्व-परीक्षणित, संरचित प्रश्नावली ।
- गुणात्मक तकनीक: गुणात्मक तकनीकों में सहभागी ग्रामीण मूल्यांकन (PRA), आजीविका विश्लेषण, वरीयता रैंकिंग, FGD और सार्वजनिक परामर्श शामिल थे।

2.5 सूचना अथवा डेटा स्रोतों के प्रयोग का पर्यवलोकन

SIA और SIMP को, भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्स्थापन (सामाजिक समाघात निर्धारण और सहमति) नियम, 2015 में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता के अधिकार के फार्म-II के अनुसार फील्ड विजिट और स्टैकहोल्डर परामर्श के माध्यम से एकत्रित जानकारी, डेटा और आँकड़ों के आधार पर तैयार किया गया था, । नीचे आवश्यक डेटा एकत्र करने के लिए उपयोग किए जाने वाले डेटा स्रोतों का विवरण दिया गया है:

तालिका 10: : सूचना और डेटा स्रोतों का अवलोक

क्र स	सूचना	प्राथमिक स्रोत	गौण स्रोत
A	सामाजिक-आर्थिक और सांस्कृतिक पैरामीटर		
1.	परियोजना क्षेत्र में जनसंख्या का जनसांख्यिकीय विवरण		प्राथमिक जनगणना सार
	आयु, लिंग, जाति, धर्म	परिवार सर्वेक्षण	जनगणना, 2011

धौलासिध जल विद्युत् परियोजना (66 मेगावाट) के लिए की जा रही प्रस्तावित भूमि अर्जन का सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन ।

क्र स	सूचना	प्राथमिक स्रोत	गौण स्रोत
	साक्षरता, स्वास्थ्य और पोषण की स्थिति	परिवार सर्वेक्षण	जनगणना, 2011
2.	गरीबी का स्तर	परिवार सर्वेक्षण फोकस/ मुद्दा समूह चर्चा	
3.	कमजोर वर्ग	परिवार सर्वेक्षण	
4.	रिश्तेदारी पैटर्न और परिवार में महिलाओं की भूमिका	परिवार सर्वेक्षण	
5.	सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन।	फोकस/ मुद्दा समूह चर्चा	
6.	प्रशासनिक संगठन	फोकस/ मुद्दा	सरकारी विभाग
7.	राजनीतिक संगठन।	समूह चर्चा	सरकारी विभाग
8.	नागरिक समाज संगठन और सामाजिक आंदोलन	फोकस/ मुद्दा	सरकारी विभाग
9.	भूमि का उपयोग और आजीविका	परिवार सर्वेक्षण, क्षेत्र सर्वेक्षण	भू अभिलेख , राजस्व ततिमे, जमाबंदी के दस्तावेज
	कृषि और गैर-कृषि उपयोग	परिवार सर्वेक्षण, क्षेत्र सर्वेक्षण	भू अभिलेख , राजस्व ततीमा , जमाबंदी के दस्तावेज
	भूमि की गुणवत्ता - मिट्टी, पानी, पेड़ आदि।		
	पशु	परिवार सर्वेक्षण	
	औपचारिक और अनौपचारिक काम और रोजगार।	परिवार सर्वेक्षण, फोकस/ मुद्दा समूह चर्चा	सामाजिक आर्थिक वर्ग सर्वेक्षण डाटा
	घरेलू श्रम और महिलाओं के काम का विभाजन	परिवार सर्वेक्षण	

धौलासिध जल विद्युत् परियोजना (66 मेगावाट) के लिए की जा रही प्रस्तावित भूमि अर्जन का सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन ।

क्र स	सूचना	प्राथमिक स्रोत	गौण स्रोत
	प्रवास	परिवार सर्वेक्षण, फोकस/ मुद्दा समूह चर्चा	
	घरेलू आय का स्तर	परिवार सर्वेक्षण	
	आजीविका की प्राथमिकताएँ	परिवार सर्वेक्षण ,हितधारक परामर्श	
	खाद्य सुरक्षा	परिवार सर्वेक्षण ,हितधारक परामर्श , फोकस/ मुद्दा समूह चर्चा	
	स्थानीय आर्थिक गतिविधियाँ	परिवार सर्वेक्षण ,हितधारक परामर्श , फोकस/ मुद्दा समूह चर्चा	
	औपचारिक और अनौपचारिक, स्थानीय उद्योग	परिवार सर्वेक्षण ,हितधारक परामर्श , फोकस/ मुद्दा समूह चर्चा	
10.	क्रेडिट तक पहुंच	परिवार सर्वेक्षण ,हितधारक परामर्श , फोकस/ मुद्दा समूह चर्चा	
	मज़दूरी दर	परिवार सर्वेक्षण ,हितधारक परामर्श , फोकस/ मुद्दा समूह चर्चा	
	महिलाओं की विशिष्ट आजीविका गतिविधियाँ	परिवार सर्वेक्षण ,हितधारक परामर्श , फोकस/ मुद्दा समूह चर्चा	
11.	ऐसे कारक जो स्थानीय आजीविका में योगदान करते हैं	परिवार सर्वेक्षण ,हितधारक परामर्श , फोकस/ मुद्दा समूह चर्चा	
	प्राकृतिक संसाधनों तक पहुंच	परिवार सर्वेक्षण ,हितधारक परामर्श , फोकस/ मुद्दा	

धौलासिध जल विद्युत् परियोजना (66 मेगावाट) के लिए की जा रही प्रस्तावित भूमि अर्जन का सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन ।

क्र स	सूचना	प्राथमिक स्रोत	गौण स्रोत
		समूह चर्चा	
	सामान्य संपत्ति संसाधन निजी संपत्ति	परिवार सर्वेक्षण ,हितधारक परामर्श , फ़ोकस/ मुद्दा समूह चर्चा	
	सड़कें, परिवहन	हितधारक परामर्श , फ़ोकस/ मुद्दा समूह चर्चा, क्षेत्र सर्वेक्षण	
	सिंचाई की सुविधा	हितधारक परामर्श , फ़ोकस/ मुद्दा समूह चर्चा, क्षेत्र सर्वेक्षण	
	बाजारों तक पहुंच	हितधारक परामर्श , फ़ोकस/ मुद्दा समूह चर्चा, क्षेत्र सर्वेक्षण	
	पर्यटक के लिए स्थल	हितधारक परामर्श , फ़ोकस/ मुद्दा समूह चर्चा, क्षेत्र सर्वेक्षण	
	आजीविका संवर्धन कार्यक्रम	हितधारक परामर्श , फ़ोकस/ मुद्दा समूह चर्चा, क्षेत्र सर्वेक्षण	
	सहकारिता और अन्य आजीविका से संबंधित संघ	हितधारक परामर्श , फ़ोकस/ मुद्दा समूह चर्चा, क्षेत्र सर्वेक्षण	
12.	परिवेश/वातावरण की गुणवत्ता	हितधारक परामर्श , फ़ोकस/ मुद्दा समूह चर्चा, क्षेत्र सर्वेक्षण	
	धारणाएँ, सौंदर्य गुण, आसक्ति और आकांक्षाएँ	हितधारक परामर्श , फ़ोकस/ मुद्दा समूह चर्चा, क्षेत्र सर्वेक्षण	

धौलासिध जल विद्युत् परियोजना (66 मेगावाट) के लिए की जा रही प्रस्तावित भूमि अर्जन का सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन ।

क्र स	सूचना	प्राथमिक स्रोत	गौण स्रोत
	सेटलमेंट का तरीका	परिवार सर्वेक्षण , फोकस/ मुद्दा समूह चर्चा	भू अभिलेख , राजस्व ततिमे , जमाबंदी के दस्तावेज
	सामुदायिक और नागरिक स्थान	फोकस/ मुद्दा समूह चर्चा, हितधारक परामर्श	
	धार्मिक और सांस्कृतिक अर्थ के स्थल	फोकस/ मुद्दा समूह चर्चा, क्षेत्र सर्वेक्षण	
	भौतिक अवसंरचना (जल आपूर्ति सीवरेज प्रणाली आदि सहित)	हितधारक परामर्श , फोकस/ मुद्दा समूह चर्चा, क्षेत्र सर्वेक्षण	
	सार्वजनिक सेवा संरचना (स्कूल, स्वास्थ्य सुविधाएं, आंगनवाड़ी केंद्र, सार्वजनिक वितरण प्रणाली)	हितधारक परामर्श , फोकस/ मुद्दा समूह चर्चा, क्षेत्र सर्वेक्षण	
	सुरक्षा, अपराध, हिंसा	हितधारक परामर्श , फोकस/ मुद्दा समूह चर्चा, क्षेत्र सर्वेक्षण	
	महिलाओं के लिए सामाजिक एकत्रीकरण बिंदु।	हितधारक परामर्श , फोकस/ मुद्दा समूह चर्चा, क्षेत्र सर्वेक्षण	
B	प्रमुख प्रभाव क्षेत्र		
1	भूमि, आजीविका और आय पर प्रभाव	परिवार सर्वेक्षण , फोकस/ मुद्दा समूह चर्चा	
	रोजगार का स्तर और प्रकार	परिवार सर्वेक्षण , फोकस/ मुद्दा समूह चर्चा	
	इंट्रा-घरेलू रोजगार पैटर्न	परिवार सर्वेक्षण , फोकस/ मुद्दा समूह चर्चा	
	आय का स्तर	परिवार सर्वेक्षण , फोकस/ मुद्दा समूह चर्चा	

क्र स	सूचना	प्राथमिक स्रोत	गौण स्रोत
	खाद्य सुरक्षा	परिवार सर्वेक्षण , फोकस/ मुद्दा समूह चर्चा	
	जीवन स्तर	परिवार सर्वेक्षण , फोकस/ मुद्दा समूह चर्चा	
	उत्पादक संसाधनों पर पहुंच और नियंत्रण	परिवार सर्वेक्षण , फोकस/ मुद्दा समूह चर्चा	
	आर्थिक निर्भरता, या भेद्यता	परिवार सर्वेक्षण , फोकस/ मुद्दा समूह चर्चा	
	स्थानीय अर्थव्यवस्था का विघटन	परिवार सर्वेक्षण , फोकस/ मुद्दा समूह चर्चा	
	प्रभाव का जोखिम	परिवार सर्वेक्षण , फोकस/ मुद्दा समूह चर्चा	
	महिलाओं की आजीविका के विकल्प तक पहुँच	परिवार सर्वेक्षण , फोकस/ मुद्दा समूह चर्चा	
2	भौतिक संसाधनों पर प्रभाव	हितधारक परामर्श , फोकस/ मुद्दा समूह चर्चा, क्षेत्र सर्वेक्षण	
	प्राकृतिक संसाधनों, मिट्टी, हवा, पानी, जंगलों पर प्रभाव	हितधारक परामर्श , फोकस/ मुद्दा समूह चर्चा, क्षेत्र सर्वेक्षण	
	आजीविका के लिए भूमि और सामान्य संपत्ति प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव	हितधारक परामर्श , फोकस/ मुद्दा समूह चर्चा, क्षेत्र सर्वेक्षण	
3	निजी संपत्ति, सार्वजनिक सेवाओं और उपयोगिताओं पर प्रभाव	हितधारक परामर्श , फोकस/ मुद्दा समूह चर्चा, क्षेत्र सर्वेक्षण	
	मौजूदा स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाओं की क्षमता	हितधारक परामर्श , फोकस/ मुद्दा समूह चर्चा,	

धौलासिध जल विद्युत् परियोजना (66 मेगावाट) के लिए की जा रही प्रस्तावित भूमि अर्जन का सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन ।

क्र स	सूचना	प्राथमिक स्रोत	गौण स्रोत
		क्षेत्र सर्वेक्षण	
	आवास सुविधाओं की क्षमता	हितधारक परामर्श , फोकस/ मुद्दा समूह चर्चा, क्षेत्र सर्वेक्षण	
	स्थानीय सेवाओं की आपूर्ति पर दबाव।	हितधारक परामर्श , फोकस/ मुद्दा समूह चर्चा, क्षेत्र सर्वेक्षण	
	बिजली और पानी की आपूर्ति, सड़कों, स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली की पर्याप्तता	परिवार सर्वेक्षण , फोकस/ मुद्दा समूह चर्चा, क्षेत्र सर्वेक्षण	
	निजी परिसंपत्तियों जैसे बोरवेल, अस्थायी शेड आदि पर प्रभाव।	परिवार सर्वेक्षण , फोकस/ मुद्दा समूह चर्चा	
4	स्वास्थ्य पर असर	परिवार सर्वेक्षण , फोकस/ मुद्दा समूह चर्चा, हितधारक परामर्श	
	प्रवास के कारण स्वास्थ्य पर असर पड़ता है	परिवार सर्वेक्षण , फोकस/ मुद्दा समूह चर्चा, हितधारक परामर्श	
	परियोजना गतिविधियों के कारण स्वास्थ्य पर विशेष प्रभाव पड़ता है: (i) महिलाओं के स्वास्थ्य पर प्रभाव	परिवार सर्वेक्षण , फोकस/ मुद्दा समूह चर्चा, हितधारक परामर्श	
5	संस्कृति और सामाजिक सामंजस्य पर प्रभाव	परिवार सर्वेक्षण , फोकस/ मुद्दा समूह चर्चा, हितधारक परामर्श	
	structures स्थानीय राजनीतिक संरचनाओं का परिवर्तन	परिवार सर्वेक्षण , फोकस/ मुद्दा समूह चर्चा, हितधारक परामर्श	
	जनसांख्यिकीय परिवर्तन	परिवार सर्वेक्षण , फोकस/	

धौलासिध जल विद्युत् परियोजना (66 मेगावाट) के लिए की जा रही प्रस्तावित भूमि अर्जन का सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन ।

क्र स	सूचना	प्राथमिक स्रोत	गौण स्रोत
		मुद्दा समूह चर्चा, हितधारक परामर्श	
	अर्थव्यवस्था-पारिस्थितिकी संतुलन में बदलाव	परिवार सर्वेक्षण , फोकस/ मुद्दा समूह चर्चा, हितधारक परामर्श	
	मानदंडों, विश्वासों, मूल्यों और सांस्कृतिक जीवन पर प्रभाव	परिवार सर्वेक्षण , फोकस/ मुद्दा समूह चर्चा, हितधारक परामर्श	
	अपराध और अवैध गतिविधियाँ	परिवार सर्वेक्षण , फोकस/ मुद्दा समूह चर्चा, हितधारक परामर्श	
	अव्यवस्था का तनाव	परिवार सर्वेक्षण , फोकस/ मुद्दा समूह चर्चा, हितधारक परामर्श	
	पारिवारिक सामंजस्य के अलगाव का प्रभाव	परिवार सर्वेक्षण , फोकस/ मुद्दा समूह चर्चा, हितधारक परामर्श	
	महिला के विरुद्ध क्रूरता	परिवार सर्वेक्षण , फोकस/ मुद्दा समूह चर्चा, हितधारक परामर्श	
6	परियोजना चक्र के विभिन्न चरणों में प्रभाव। सामाजिक प्रभावों का प्रकार, समय, अवधि और तीव्रता परियोजना चक्र के चरणों के साथ निकटता से संबंधित होगी।	परिवार सर्वेक्षण , फोकस/ मुद्दा समूह चर्चा, हितधारक परामर्श	

धौलासिध जल विद्युत् परियोजना (66 मेगावाट) के लिए की जा रही प्रस्तावित भूमि अर्जन का सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन ।

क्र स	सूचना	प्राथमिक स्रोत	गौण स्रोत
	<p>पूर्व-निर्माण चरण</p> <ul style="list-style-type: none"> • सेवाओं के वितरण में रुकावट • उत्पादक निवेश में गिरावट • जमीन की अटकलें • अनिश्चितता का तनाव • 	परिवार सर्वेक्षण , फ़ोकस/मुद्दा समूह चर्चा, हितधारक परामर्श	
	<p>निर्माण चरण</p> <ul style="list-style-type: none"> • विस्थापन और पुनर्वास • प्रवासी निर्माण कार्यबल की सूजन • स्वास्थ्य उन लोगों पर प्रभाव डालता है जो निर्माण स्थल के करीब रहते हैं • 	परिवार सर्वेक्षण , फ़ोकस/मुद्दा समूह चर्चा, हितधारक परामर्श	
	<p>ऑपरेशन का चरण</p> <ul style="list-style-type: none"> • निर्माण चरण की तुलना में रोजगार के अवसरों में कमी • परियोजना के आर्थिक लाभ • नए बुनियादी ढांचे पर लाभ • सामाजिक संगठन के नए पैटर्न 	परिवार सर्वेक्षण , फ़ोकस/मुद्दा समूह चर्चा, हितधारक परामर्श	
	<p>डी-कमीशन चरण</p> <ul style="list-style-type: none"> • आर्थिक अवसरों का नुकसान • पर्यावरणीय गिरावट और आजीविका पर इसका प्रभाव 	परिवार सर्वेक्षण , फ़ोकस/मुद्दा समूह चर्चा, हितधारक परामर्श	
	प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव	परिवार सर्वेक्षण , फ़ोकस/मुद्दा समूह चर्चा, हितधारक परामर्श	

धौलासिध जल विद्युत् परियोजना (66 मेगावाट) के लिए की जा रही प्रस्तावित भूमि अर्जन का सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन ।

क्र स	सूचना	प्राथमिक स्रोत	गौण स्रोत
	<p>विभेदक प्रभाव</p> <ul style="list-style-type: none"> महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों और अलग-अलग लोगों पर प्रभाव जेंडर इम्पैक्ट असेसमेंट चेकलिस्ट और वल्नेरेबिलिटी और रेजिलिएशन मैपिंग जैसे उपकरणों के माध्यम से पहचाने जाने वाले प्रभाव 	परिवार सर्वेक्षण , फोकस/मुद्दा समूह चर्चा, हितधारक परामर्श	
	<p>संचयी प्रभाव</p> <ul style="list-style-type: none"> प्रश्न में परियोजना के लिए पहचाने गए प्रभावों के साथ क्षेत्र में अन्य परियोजनाओं के मापने योग्य और संभावित प्रभाव परियोजना क्षेत्र में सीधे तौर पर नहीं बल्कि स्थानीय या क्षेत्रीय रूप से आधारित लोगों पर प्रभाव। 	परिवार सर्वेक्षण , फोकस/मुद्दा समूह चर्चा, हितधारक परामर्श	

*स्रोत: SIA दल

2.6 प्रमुख हित धारियों के साथ परामर्श और की गई लोक सुनवाई के संक्षिप्त विचरण की अनुसूची

मसौदा रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद सार्वजनिक सुनवाई आयोजित की जाएगी और फलस्वरूप प्रमुख हितधारकों और विवरण के साथ परामर्श के कार्यक्रम अंतिम रिपोर्ट में शामिल किए जाएंगे।

3 भू-आकलन

यह अध्याय धौलासिद्ध पन बिजली परियोजना के लिए अधिग्रहित की जाने वाली कुल भूमि के विवरण पर केंद्रीत है जिसमें विभिन्न पंचायतों के तहत खरीदी जाने वाली जमीन के इस्तेमाल की मंशा और परियोजना के तहत विभिन्न गतिविधियों के लिए कुल जमीन की जरूरत वह कहां कहां पर है ,यह विवरण शामिल है। उपलब्ध नक्शे और प्राथमिक सत्रोत जिनमें प्राथमिक सर्वे शामिल है,को भूमि के वर्गीकरण,उसकी प्रकृति और मौजूदा इस्तेमाल को जांचने के लिए इस्तेमाल किया गया है। मालिकाना पैटर्न,हस्तांतरण और पिछले तीन सालों में जमीन के इस्तेमाल का आकलन भी किया गया जिसका संक्षिप्त विवरण दिया गया है।

3.1 प्राथमिक स्रोतों व भूमि की फर्द से जानकारी

डीएसएचडीपी के लिए हमीरपुर व कांगड़ा जिलों की विभिन्न पंचायतों में कुल भूमि की जरूरत का विवरण नीचे की तालिका में दिया गया है:

तालिका 11: भूमि की सूची (हैक्ट)

जिला	तहसील	पंचायत	क्रम संख्या	गांव	कुल मालिक	अर्जन के तहत निजी जमीन	परियोजना के लिए सरकारी जमीन की जरूरत	परियोजना के लिए वनभूमि की जरूरत	परियोजना के कुल भूमि की जरूरत	विस्थापित होने वाले लोगों की संख्या
							हैक्टेयर में			
हमीरपुर	सुजानपुर	सुजानपुर	1	सुजानपुर	453	5.28	0.5914	0	5.87	1
			2	बाल्ला गिरथान	504	3.31	0	0	3.31	शून्य

धौलासिध जल विद्युत् परियोजना (66 मेगावाट) के लिए की जा रही प्रस्तावित भूमि अर्जन का सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन ।

जिला	तहसील	पंचायत	क्रम संख्या	गांव	कुल मालिक	अर्जन के तहत निजी जमीन		परियोजना के लिए सरकारी जमीन की जरूरत		परियोजना के लिए वनभूमि की जरूरत		परियोजना के कुल भूमि की जरूरत	विस्थापित होने वाले लोगों की संख्या
						हैक्टेयर	में	हैक्टेयर	में	हैक्टेयर	में		
		करोट	3	लौंगानी	159	7.12	5.8867	0	13.00	शून्य			
			4	मत्थान	43	2.39	4.7539	0	7.14	शून्य			
			5	बलेहु	26	4.14	1.1405	2.3539	7.63	शून्य			
			6	धनेर	—	0.00	0.4819	0	0.48	शून्य			
			7	बारी	—	0.00	0.0806	0.2458	0.33	शून्य			
		बनाल	8	सरोहल	68	2.54	0	0	2.54	शून्य			
		चमियाना	9	भारमेड	2	4.01	0	0	4.01	शून्य			
			10	गरुडुबुल्ला	9	0.02	0.0826	0	0.11	शून्य			
		दाइला	11	गागला	77	2.52	0.8486	0	3.37	शून्य			
			12	चौकी	40	1.09	0	0	1.09	शून्य			
			13	रोपा	22	0.39	0.4992	0	0.89	शून्य			
			14	मिहादपुरा	24	0.35	1.296	0	1.64	शून्य			
			15	भद्रीयाणा	148	2.80	1.2864	0	4.08	शून्य			
			16	मियाणा	57	1.66	0.1382	0	1.80	शून्य			
			17	हार	27	0.10	1.6915	0	1.80	शून्य			
			18	दाइला	127	4.10	0.071	0	4.17	शून्य			
			19	गाहलियान	64	1.74	0.0749	0	1.81	शून्य			
			20	मटियाल	—		0.839	0	0.84	शून्य			
		टीहरा	21	खरसाल	—	0	0.6854	0	0.69	शून्य			
			22	टीहरा	25	0.67	1.8528	0	2.52	शून्य			

धौलासिध जल विद्युत् परियोजना (66 मेगावाट) के लिए की जा रही प्रस्तावित भूमि अर्जन का सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन ।

जिला	तहसील	पंचायत	क्रम संख्या	गांव	कुल मालिक	अर्जन के तहत निजी जमीन		परियोजना के लिए सरकारी जमीन की जरूरत	परियोजना के लिए वनभूमि की जरूरत	परियोजना के कुल भूमि की जरूरत	विस्थापित होने वाले लोगों की संख्या		
						हैक्टेयर में							
			भगैड़ा	23	बघेड़ा बुल्	52	30.05	0	0	30.05	शून्य		
			धबरियाणा	24	रियाह	91	15.14	0	0	15.14	शून्य		
			जोल	25	काच	2	0.02	0	0	0.02	शून्य		
				26	बीड़ खास	11	1.24	0	0	1.24	शून्य		
				27	समौना	111	5.34	0.5434	0	5.89	शून्य		
				28	पलाही	162	37.95	0.3341	0	38.29	शून्य		
				29	परगाना	149	3.34	0.2304	0	3.57	7		
				नादौन	चोरु	30	जांगला मेहदूदा मेहफूजा जीहान	20	12.28	0	8	14.380	26.66
			कांगड़ा	आलमपुर	आलमपुर	31	आलमपुर	19	0.30	0.3889	1.687	2.37	शून्य
						32	बाग	201	46.91	0.0188	0	46.93	शून्य
जे रूप नगर	33	जे रूप नगर				0	2.5	0	2.50	शून्य			
जांगल	34	साइ			63	0.08	0.0664	0.4096	0.56	शून्य			
	35	बीड़			16	0.15	0	0	0.15	शून्य			
लाहरू	36	भलौंदर			202	3.13	0.0252	3.6226	6.78	शून्य			
कुहान	37	डाली			61	2.13	0.037	0	2.17	शून्य			
सैकोह	38	लैयुंडा			28	0.12	0	0	0.12	शून्य			

धौलासिध जल विद्युत् परियोजना (66 मेगावाट) के लिए की जा रही प्रस्तावित भूमि अर्जन का सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन ।

जिला	तहसील	पंचायत	क्रम संख्या	गांव	कुल मालिक	अर्जन के तहत निजी जमीन	परियोजना के लिए सरकारी जमीन की जरूरत	परियोजना के लिए वनभूमि की जरूरत	परियोजना के कुल भूमि की जरूरत	विस्थापित होने वाले लोगों की संख्या
						हैक्टेयर में				
जिला	तहसील	बालकरूपी	39	डाडु	63	2.32	0	1.4062	3.73	शून्य
			40	निचली भेड़ी	212	10.45	0.4171	1.3051	12.17	शून्य
			41	पपरोला	58	0.25	0	0.6382	0.89	शून्य
	तहसील	टिपरी	42	चावकी	130	17.97	0.291	2.0775	20.34	5
			43	कियोड़	66	0.20	0	0	0.20	शून्य
			44	टिपरी	28	1.74	0	0	1.74	शून्य
			45	बुली	64	10.85	1.1663	3.1461	15.17	शून्य
			46	भदडौर	—	0.00	0	25.692	25.69	शून्य
	तहसील	कुहान	47	कुहान खास	—	0.00	0	0.7717	0.77	शून्य
			कुल		3684	246.8062	28.32	57.74	332.87	13

*स्रोत: लैंड रिकार्ड और राजस्व विभाग

परियोजना प्रभावित के तहत आने वाले कुल 47 गांवों में से 40 गांवों की निजी जमीन अधिग्रहित की जा रही है।

परियोजना की जरूरत के लिए कुल 332.87 हैक्टेयर भूमि में से 246.8062 हैक्टेयर(74 फीसद) निजी जमीन है, 28.32 हैक्टेयर (9 फीसद) सरकारी भूमि और 57.74 (17फीसद) वनभूमि है। अर्जन के तहत अपनी जमीन गंवाने वाले कुल 3684 जमीनमालिकों में 2473 जिला हमीरपुर से हैं और 1211 जिला कांगड़ा से हैं। सुजानपुर से एक और परगाना से सात, चावकी से 5 लोग अर्जन की वजह से विस्थापित हो रहे हैं।

3.2 परियोजना के तहत प्रभावित होने वाला तमाम क्षेत्र

डीएसएचडपी के लिए कुल 332.87 हैक्टेयर की जरूरत हैं। सारी निजी जमीन डूब रही है। कुल वन भूमि में से 10.11 फीसद की बांध परिसर के निर्माण और दूसरी सुविधाओं के लिए जरूरत है जबकि 7.07 फीसद नई सड़कों के निर्माण के लिए इस्तेमाल की जाएगी। परियोजना के लिए जरूरी कुल जमीन में से 91.26 फीसद डूब क्षेत्र में आ जाएगी, 8.47 फीसद डंपिंग साइट के तौर पर इस्तेमाल होंगी और शेष परियोजना स्थल तक बेहतर संपर्क के लिए नई सड़कें बनाने के लिए इस्तेमाल की जाएगी। निम्न तालिका में प्रभावित क्षेत्र के तहत आने वाली कुल सरकारी व निजी जमीन व उसके संभावित इस्तेमाल को दर्शाया गया है:


तालिका 12: विभिन्न परियोजना घटकों के तहत जमीन की जरूरत (हैक्टे)

क्रमसंख्या	घटक	वनभूमि	सरकारी भूमि	निजीभूमि	कुल
1	डाइवर्शन टनल	0.20	-	-	0.20
2	बांध परिसर और आसपास की सुविधाएं	5.84	-	-	5.84
3	पावरहाउस	0.30	-	-	0.30
4	पैन स्टैक	0.75	-	-	0.75
5	टेल रेस	0.50	-	-	0.50
6	पॉट हैड यार्ड	0.40	-	-	0.40
7	डंपिंग साइट	1.08	2.40	-	3.48
8	सड़क पुल	4.08	0.07	-	4.15
9	डूब क्षेत्र	44.60	25.85	246.8062	316.64
	कुल	57.74	28.32	246.8062	332.87

*स्रोत: डीपीआर, डीएसएचडपी

धौलासिध जल विद्युत् परियोजना (66 मेगावाट) के लिए की जा रही प्रस्तावित भूमि अर्जन का सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन ।

मानचित्र 4: प्रभावित क्षेत्र के तहत तमाम क्षेत्र



धौलासिध जल विद्युत् परियोजना (66 मेगावाट) के लिए की जा रही प्रस्तावित भूमि अर्जन का सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन ।

*स्त्रोत: डीएसएचडपी (66मेगावाट) के लिए पर्यावरण प्रबंधन योजना

चित्र 6: प्रभाव के तहत क्षेत्र



*स्त्रोत:फील्ड सर्वे

3.3 परियोजना के लिए कुल जमीन की जरूरत

कुल मिलाकर चयनित जमीन 332.87 हैक्टेयर नापी गई हैं। इसके तहत कांगड़ा व हमीरपुर जिलों के कुल 46 गांवों आते हैं। नीचे दोनों जिलों में कितनी-कितनी जमीन की जरूरत है उसका विवरण दिया गया है:

तालिका 13: परियोजना के लिए कुल जमीन की जरूरत (हैक्टेयर)

जिला	तहसील	पंचायत	क्रम सं	ग्राम	निजी भूमि	सरकारी भूमि	वन भूमि	कुल भूमि
------	-------	--------	---------	-------	-----------	-------------	---------	----------

धौलासिध जल विद्युत् परियोजना (66 मेगावाट) के लिए की जा रही प्रस्तावित भूमि अर्जन का सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन ।

जिला	तहसील	पंचायत	क्रम सं	ग्राम	निजी भूमि	सरकारी भूमि	वन भूमि	कुल भूमि
हमीरपुर	सुजानपुर	सुजानपुर	1	सुजानपुर	5.28	0.5914	0	5.87
			2	बल्ला गिर्थन	3.31	0	0	3.31
		करोट	3	लौंगनी	7.12	5.8867	0	13.00
			4	मथान	2.39	4.7539	0	7.14
			5	बलेहू	4.14	1.1405	2.3539	7.63
			6	धनेर	0.00	0.4819	0	0.48
			7	बारी	0.00	0.0806	0.2458	0.33
		बनल	8	सरोहल	2.54	0	0	2.54
		चमियाना	9	भर्मद	4.01	0	0	4.01
			10	गरोदु बुल्ला	0.02	0.0826	0	0.11
		दारला	11	गागला	2.52	0.8486	0	3.37
			12	चौकी	1.09	0	0	1.09
			13	रोपा	0.39	0.4992	0	0.89
			14	मिहदपुरा	0.35	1.296	0	1.64
			15	भद्रियाना	2.80	1.2864	0	4.08
			16	मियाना	1.66	0.1382	0	1.80
			17	हार	0.10	1.6915	0	1.80
			18	दर्ला	4.10	0.071	0	4.17
			19	गाहिलयन	1.74	0.0749	0	1.81
			20	मतियल		0.839	0	0.84
			21	खार्सल	0	0.6854	0	0.69
		टीहरा	22	टीहरा	0.67	1.8528	0	2.52
		भागेदा	23	बगेहरा बुल्ला	30.05	0	0	30.05
		धब्रिअना	24	रिहा	15.14	0	0	15.14
		जोल	25	काच	0.02	0	0	0.02

धौलासिध जल विद्युत् परियोजना (66 मेगावाट) के लिए की जा रही प्रस्तावित भूमि अर्जन का सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन ।

जिला	तहसील	पंचायत	क्रम सं	ग्राम	निजी भूमि	सरकारी भूमि	वन भूमि	कुल भूमि		
			26	बिरह खस	1.24	0	0	1.24		
			27	समौना	5.34	0.5434	0	5.89		
			28	पलाही	37.95	0.3341	0	38.29		
			29	पर्गानाह	3.34	0.2304	0	3.57		
		नादौन	छोरु	30	जन्गल मेहदूदा मेहफुदा जीहाँ	12.28	0	14.3808	26.66	
			आलमपुर	31	आलमपुर	0.30	0.3889	1.687	2.37	
				32	बाग	46.91	0.0188	0	46.93	
			ज रूप नगर	33	जे रूप नगर	0	2.5	0	2.50	
			जन्गल	34	साई	0.08	0.0664	0.4096	0.56	
				35	बीर	0.15	0	0	0.15	
लहरू			36	भालुंदर	3.13	0.0252	3.6226	6.78		
कुहन			37	डाली	2.13	0.037	0	2.17		
सकोह			38	लायुन्दा	0.12	0	0	0.12		
बालक रूपी			39	दादू	2.32	0	1.4062	3.73		
			40	निचली भेरी	10.45	0.4171	1.3051	12.17		
			41	पपरोला	0.25	0	0.6382	0.89		
कुन्दियान			टिपरी	कुहन	42	चौकी	17.97	0.291	2.0775	20.34
					43	कियोद	0.20	0	0	0.20
	44	टिप्परी			1.74	0	0	1.74		
	45	बुल्ली			10.85	1.1663	3.1461	15.17		
	46	बन्दौर			0.00	0	25.692	25.69		
	47	कुहन खस			0.00	0	0.7717	0.77		

धौलासिध जल विद्युत् परियोजना (66 मेगावाट) के लिए की जा रही प्रस्तावित भूमि अर्जन का सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन ।

जिला	तहसील	पंचायत	क्रम सं.	ग्राम	निजी भूमि	सरकारी भूमि	वन भूमि	कुल भूमि
कुल					246.8062	28.32	57.74	332.87

*स्रोत: सतलु जल विद्युत् निगम (SJVN)

3.4 पहले से खरीदी, बेची, अधिग्रहित/लीज पर ली जमीन और परियोजना के लिए जरूरी जमीन के हरेक प्लॉट का संभावित इस्तेमाल

आवश्यक संस्था ने परियोजना गतिविधियों के लिए किसी भी भूमि का पट्टा नहीं खरीदा है और न ही लिया है। 246.8062 Ha के कुल क्षेत्रफल वाले कुल 1165 खसरों को DSHEP के लिए अधिग्रहित किया जा रहा है। अर्जन के सभी निजी अधीन जलमग्न हो जाएंगे और जिला हमीरपुर के ग्राम जांगल मेहदूदा महफूजा जीहान में केवल 4 खसरा, 9.95 हेक्टेयर का कुल क्षेत्रफल बांध और पावर हाउस साइट का हिस्सा हैं। नीचे इन खसरों का विवरण दिया गया है:

तालिका 14: अधिग्रहित भूमि का उपयोग

जिला	पंचायत	ग्राम	खसरा नं.	धारक	क्षेत्र (हेक्टेयर)	जमीन का प्रकार	
हमीरपुर	छोरु	जन्गल मेहदूदा मेहफूजा जीहान	1/1	रिपु दमन सिंह	s/o	0-22-20	गैर मुमकिन दरिया
			31/1	रजा राजिंदर सिंह	s/o	9-25-04	गैर मुमकिन दरिया
			57/1	रजा मोहिंदर सिंह	r/o	0-35-85	गैर मुमकिन दरिया
			57/1/1	बेला मौजा जलारी		0-11-39	गैर मुमकिन दरिया
			कुल-4			9-94-48	खड बंजर कदीम

*स्रोत: सतलु जल विद्युत् निगम (SJVN)

जिस निकाय को जमीन अधिग्रहित की जा रही है, ने परियोजना गतिविधियों के लिए न कोई जमीन खरीदी है और न ही लीज पर कोई जमीन ली है।

तब भी अर्जन के लिए प्रस्तावित जमीन के संभावित इस्तेमाल का विवरण निम्न तालिका में दिया गया है:

3.5 परियोजना के लिए प्रस्तावित जमीन की लोकेशन और क्षेत्र

धौलासिध एचडपी के लिए कांगड़ा व हमीरपुर जिला के 40 गावों में कुल 1165 खसरा नंबरों के तहत 246.8062 हैक्टेयर निजी जमीन के अर्जन की जरूरत हैं। नीचे अर्जन के लिए प्रस्तावित जमीन के क्षेत्र और लोकेशन का विवरण दिया गया है:

तालिका 15: अर्जन के तहत जमीन का क्षेत्र

जिला	तहसील	पंचायत	क्रमसंख्या	गांव	खसरों की संख्या	अर्जन के तहत कुल निजी जमीन
हमीरपुर	सुजानपुर	सुजानपुर	1	सुजानपुर	46	5.28
			2	बाला गिरथान	25	3.31
		करोट	3	लौंगानी	65	7.12
			4	मथान	29	2.39
			5	बलेहू	16	4.14
		बनाल	6	सरहोल	14	2.54
		चमियाना	7	भारमेड	6	4.01
			8	गरडु बुलला	4	0.02
		दाइला	9	गागला	64	2.52
			10	चौकी	4	1.09
			11	रोपा	15	0.39
			12	मिहादपुरा	7	0.35
			13	भद्ररियाना	28	2.80
			14	मियाना	18	1.66
			15	हार	4	0.10
			16	दाइला	31	4.10
			17	गाहलियान	16	1.74
		टीहरा	18	टीहरा	4	0.67


धौलासिध जल विद्युत् परियोजना (66 मेगावाट) के लिए की जा रही प्रस्तावित भूमि अर्जन का सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन ।

जिला	तहसील	पंचायत	क्रमसंख्या	गांव	खसरो की संख्या	अर्जन के तहत कुल निजी जमीन	
		भगेड़ा	19	भगेड़ा बुल्ला	15	30.05	
		धबरीयाना	20	रियाह	39	15.14	
		जोल	21	काच	1	0.02	
			22	बीड़ खास	5	1.24	
			23	समौना	38	5.34	
			24	पलाही	80	37.95	
			25	परगाना	48	3.34	
	नादौन	चोरू	26	जंगलमहदूदा महफूजा जीहान	22	12.28	
	कांगड़ा	आलमपुर	आलमपुर	27	आलमपुर	4	0.30
				28	बाग	79	46.91
			जांगल	29	साइ	5	0.08
30				बीड़	2	0.15	
लाहरू			31	भलौंदर	45	3.13	
कुहान			32	डाली	30	2.13	
सकोह			33	लायुंडा	4	0.12	
बालकरूपी			34	डाडु	17	2.32	
			35	निचली भेड़ी	79	10.45	
			36	पपरोला	6	0.25	
टिपरी			37	चौकी	160	17.97	
			38	कियोड	11	0.20	
			39	टिपरी	9	1.74	
		40	बुल्ली	70	10.85		
कुल				1165	246.8062		

*स्रोत: सतलुज जल विद्युत निगम (एसजेवीएन)

धौलासिध जल विद्युत् परियोजना (66 मेगावाट) के लिए की जा रही प्रस्तावित भूमि अर्जन का सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन ।

मानचित्र 5: प्रस्तावित अर्जन के लिए जमीन की लोकेशन



3.6 प्रकृति, मौजूदा इस्तेमाल और जमीन का वर्गीकरण

परियोजना के तहत दोनों जिलों में अधिग्रहित की जा रही कुल निजीभूमि में से 91 फीसद जमीन गैरकाश्त योग्य है केवल 9 फीसद पर ही खेती योग्य है। जिला हमीरपुर में अधिग्रहित की जा रही भूमि में से 91 फीसद गैरकाश्त योग्य और 9 फीसद काश्त योग्य है। इसी तरह जिला कांगड़ा में भी अधिग्रहित की जा रही भूमि में से 91 फीसद गैरकाश्त योग्य और 9 फीसद काश्त योग्य है। निम्न तालिका में दोनों जिलों में फसलों के पैटर्न फसलों की किस्मों का विवरण दिया गया है:

तालिका 16: अर्जन के तहत जमीन का मौजूदा इस्तेमाल

श्रेणी	जमीन की किस्म	हमीरपुर	कांगड़ा	कुल
		क्षेत्र (हैक्ट)		
काश्त योग्य	बारनी एकफसली	2.83	1.89	4.71
	बारनी दो फसली/ अक्वल	5.54	5.07	10.61
	नहरी अक्वल/ कूहली	0.08	0.00	0.08
	नहरी दोम/ कूहली दोयम	5.19	1.92	7.11
	बगीचे	0.00	0.28	0.28
	कुल काश्त योग्य	13.63	9.15	22.78
गैर काश्त योग्य	बेहड़ बंजर, बंजर जदीद	4.20		4.20
	बंजर कंदीम	6.52	4.14	10.67
	घासनी	23.39	17.34	40.73
	गैर मुमकीन भेथ, खडड, घराट/कूहल, खेतकल	10.38	27.19	37.57
	गैर मुमकीन नाला	2.03	0.00	2.03
	गैर मुमकीन दरिया शापड़, पत्थर	89.63	38.58	128.21
	कुल गैर काश्त योग्य	136.15	87.26	223.41
कुल		149.78	96.41	246.8062

*स्रोत: सतलुज जल विद्युत निगम (एसजेवीएन)

3.6.1 सिंचाई पैटर्न

सर्वेक्षण के दौरान परियोजना क्षेत्र में सिंचाई की कोई उचित सुविधा नहीं पाई गई। किसान मुख्य रूप से वर्षा पर निर्भर हैं और कुछ मामलों में, पंप हाउसों के माध्यम से सिंचाई न्यूनतम स्तर पर की जाती है। इनमें से 25 वाटर टैंक / आईपीएच योजना / पंप-गोदाम अर्जन के कारण प्रभावित हो रहे हैं।

3.7 जोतों के आकार, मालिकाना पैटर्न

जिला कांगड़ा व हमीरपुर में 3684 जमीन मालिकों में जिनकी जमीन/संपत्ति परियोजना के लिए अधिग्रहित की जा रही है । निम्न तालिका में गांव वार खसरा वितरण जिनमें एकल व संयुक्त मालिकों का विवरण है, दर्शाया गया है:

तालिका 17: जोत आकार और पैटर्न

जिला	तहसील	पंचायत	क्रम संख्या	गांव	खसरा नंबर	अर्जन के तहत निजी जमीन(है)	एकल मलिक की संख्या	कई मलिक की संख्या
हमीरपुर	सुजानपुर	सुजानपुर	1.	सुजानपुर	46	5.28	5	448
			2.	बाला गिरथान	25	3.31	0	504
		करोट	3.	लौंगानी	65	7.12	6	153
			4.	मथान	29	2.39	1	42
			5.	बलेहु	16	4.14	3	23
		बनाल	6.	सरहोल	14	2.54	1	67
		चमियाणा	7.	भारमेड	6	4.01	2	0

धौलासिध जल विद्युत् परियोजना (66 मेगावाट) के लिए की जा रही प्रस्तावित भूमि अर्जन का सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन ।

जिला	तहसील	पंचायत	क्रम संख्या	गांव	खसरा नंबर	अर्जन के तहत निजी जमीन(है)	एकल मलिक की संख्या	कई मलिक की संख्या
			8.	गरडु बुल्ला	4	0.02	0	9
		दाइला	9.	गागला	64	2.52	1	76
			10	चौकी	4	1.09	0	40
			11	रोपा	15	0.39	2	20
			12	मिहादपुरा	7	0.35	3	21
			13	भद्ररियाना	28	2.80	1	147
			14	मियाना	18	1.66	3	54
			15	हार	4	0.10	0	27
			16	दाइला	31	4.10	3	124
			17	गाहलियान	16	1.74	0	64
			टीहरा	18	टीहरा	4	0.67	0
		भगेड़ा	19	भगेड़ा बुल्ला	15	30.05	1	51
		धबरीयाना	20	रियाह	39	15.14	13	78
		जोल	21	काच	1	0.02	0	2

धौलासिध जल विद्युत् परियोजना (66 मेगावाट) के लिए की जा रही प्रस्तावित भूमि अर्जन का सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन ।

जिला	तहसील	पंचायत	क्रम संख्या	गांव	खसरा नंबर	अर्जन के तहत निजी जमीन(है)	एकल मलिक की संख्या	कई मलिक की संख्या	
			22	बीड़ खास	5	1.24	0	11	
			23	समौना	38	5.34	5	106	
			24	पलाही	80	37.95	9	153	
			25	परगाना	48	3.34	8	141	
	नादौन	चोरु	26	जंगलमहदूदा महफूजा जीहान	22	12.28	1	19	
			आलमपुर	27	आलमपुर	4	0.30	3	16
				28	बाग	79	46.91	8	193
जांगल			29	साइ	5	0.08	0	63	
			30	बीड़	2	0.15	0	16	
लाहरु			31	भलौंदर	45	3.13	12	190	
कुहान			32	डाली	30	2.13	2	59	
सकोह			33	लायुंडा	4	0.12	1	27	
बालकरूपी			34	डाडु	17	2.32	6	57	
	35	निचली भेड़ी	79	10.45	16	196			

धौलासिध जल विद्युत् परियोजना (66 मेगावाट) के लिए की जा रही प्रस्तावित भूमि अर्जन का सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन ।

जिला	तहसील	पंचायत	क्रम संख्या	गांव	खसरा नंबर	अर्जन के तहत निजी जमीन(है)	एकल मलिक की संख्या	कई मलिक की संख्या
			36	पपरोला	6	0.25	0	58
		टिपरी	37	चौकी	160	17.97	12	118
			38	कियोड	11	0.20	0	66
			39	टिपरी	9	1.74	2	26
			40	बुल्ली	70	10.85	0	64
कुल					1165	246.8062	130	3554

*स्त्रोत: लैंड रिकार्ड्स, राजस्व विभाग

जैसा कि ऊपर दी गई तालिका में दिखाया गया है, अर्जन के तहत 40 गांवों में कुल 3684 शीर्षकधारियों में से केवल 130 के पास एकल स्वामित्व है और 3554 के पास संयुक्त स्वामित्व है।

तालिका 18: स्वामित्व पैटर्न

क्रम सं	जिला	कुल मालिक	संयुक्त स्वामित्व	एकल स्वामित्व
1	हमीरपुर	2473	2405	68
2	काँगड़ा	1211	1149	62
कुल		3684	3554	130

*स्त्रोत: लैंड रिकार्ड्स, रेवेन्यू डिपार्टमेंट

पूरे परियोजना क्षेत्र में सीमांत भूमि जोत का पूर्वानुभव है। कुल 3684 शीर्षकधारियों में से, 96% के पास 0.25 Ha से कम भूमि है, 2.74% के पास 0.25 Ha से 0.5 Ha तक का क्षेत्र है, 0.6% के पास 0.5Ha से 1.0 Ha के बीच के क्षेत्र वाली भूमि है, जिसे परियोजना के लिए अधिग्रहित किया जा रहा है।

धौलासिध जल विद्युत् परियोजना (66 मेगावाट) के लिए की जा रही प्रस्तावित भूमि अर्जन का सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन ।

तालिका 19:होलिडिंग्स का आकार

श्रेणी	होलिडिंग्स की संख्या	प्रतिशत
सीमांत का योग (0.25 Ha से नीचे)	3540	96.09%
सीमांत का योग (0.25 Ha से 0.5 Ha)	101	2.74%
सीमांत का योग (0.5 Ha से 1.0Ha तक)	23	0.62%
स्मॉल ऑफ स्मॉल (1.0Ha से 2.0 Ha)	16	0.43%
सेमी मेडिम का योग (2.0 Ha से 4.0 Ha)	2	0.05%
माध्यम का योग (4.0 Ha से 10.0 Ha)	2	0.05%
बड़े की गिनती (10.0 Ha से ऊपर)	0	0.00%
कुल	3684	100.00%

*स्त्रोत: डिपार्टमेंट ऑफ लैंड एंड रेवेन्यू

3.8 जमीन वितरण और आवासीय मकानों की संख्या

हमीरपुर व कांगड़ा जिला में क्रमशःकुल 2473 और 1211 जमीन मालिक है।डीएसएचडपी के लिए अधिग्रहित की जा रही जमीन में से जिला हमीरपुर के 644 खसरा नंबरों के तहत कुल 149.59 हैक्टेयर क्षेत्र और जिला कांगड़ा में 521 खसरा नंबरों के तहत कुल 96.6 हैक्टेयर क्षेत्र आता है। अर्जन के तहत कुल 13 आवासीय मकान 17 मालिकाना के तहत जिला हमीरपुर से 5 और जिला कांगड़ा से 6 आते है।

निम्न तालिका में दोनों जिलों की जमीन के वितरण का ब्योरा (गांववार)दिया गया है:

धौलासिध जल विद्युत् परियोजना (66 मेगावाट) के लिए की जा रही प्रस्तावित भूमि अर्जन का सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन ।

तालिका 20: भूमि वितरण और आवासीय मकानों की संख्या

जिला	तहसील	पंचायत	क्रम संख्या	गांव	जमीन मालिकों की कुल संख्या	जमीन मालिकों की कुल संख्या	कुल निजी जमीन (हैक्टे)	आवासीय मकानों की संख्या	उन मालिकों की संख्या जिनके मकान अधिग्रहित किए जा रहे हैं।
हमीरपुर	सुजानपुर	सुजानपुर	1	सुजानपुर	453	46	5.28	1	1
			2	बल्ला गिर्थान	504	25	3.31	शून्य	शून्य
		करोत	3	लौंगनी	159	65	7.12	शून्य	शून्य
			4	मथान	43	29	2.39	शून्य	शून्य
			5	बलेहू	26	16	4.14	शून्य	शून्य
		बनाल	6	सरोहल	68	14	2.54	शून्य	शून्य
		चमियाना	7	भरमाड़	2	6	4.01	शून्य	शून्य
			8	घरोड़ बुल्ला	9	4	0.02	शून्य	शून्य
		दारला	9	गागला	77	64	2.52	शून्य	शून्य
			10	चौकी	40	4	1.09	शून्य	शून्य
			11	रोपा	22	15	0.39	शून्य	शून्य
			12	मिहादपुरा	24	7	0.35	शून्य	शून्य
			13	भद्रिआना	148	28	2.80	शून्य	शून्य
			14	मियाना	57	18	1.66	शून्य	शून्य
			15	हार	27	4	0.10	शून्य	शून्य
			16	दारला	127	31	4.10	शून्य	शून्य
			17	गाहलियाँ	64	16	1.74	शून्य	शून्य
		टिरा\	18	टीहरा	25	4	0.67	शून्य	शून्य
		भगेडा	19	बगेहरा बुल्ला	52	15	30.05	शून्य	शून्य

धौलासिध जल विद्युत् परियोजना (66 मेगावाट) के लिए की जा रही प्रस्तावित भूमि अर्जन का सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन ।

जिला	तहसील	पंचायत	क्रम संख्या	गांव	जमीन मालिकों की कुल संख्या	जमीन मालिकों की कुल संख्या	कुल निजी जमीन (हैक्टे)	आवासीय मकानों की संख्या	उन मालिकों की संख्या जिनके मकान अधिग्रहित किए जा रहे हैं।	
		धब्रिआना	20	रियाह	91	39	15.14	शून्य	शून्य	
		जोल	21	काछ	2	1	0.02	शून्य	शून्य	
			22	बीड खास	11	5	1.24	शून्य	शून्य	
			23	समौना	111	38	5.34	शून्य	शून्य	
			24	पलाही	162	80	37.95	शून्य	शून्य	
			25	परगना	149	48	3.34	4	7	
	नादौन	छोरु	26	जंगल महफूज मेहदूदा जीहाँ	20	22	12.28	शून्य	शून्य	
	काँगड़ा	आलमपुर	आलमपुर	27	आलमपुर	19	4	0.30	शून्य	शून्य
				28	बाग	201	79	46.91	शून्य	शून्य
			जांगल	29	साई	63	5	0.08	शून्य	शून्य
30				बीड	16	2	0.15	शून्य	शून्य	
लाहडू			31	भलुंदर	202	45	3.13	शून्य	शून्य	
कुहाँ			32	डली	61	30	2.13	शून्य	शून्य	
सकोह			33	लायुंडा	28	4	0.12	शून्य	शून्य	
बालकूपी			34	डाडू	63	17	2.32	शून्य	शून्य	
			35	निचली भेडी	212	79	10.45	शून्य	शून्य	
			36	पपरोला	58	6	0.25	शून्य	शून्य	
खुदड्यां		टिपरी	37	चौकी	130	160	17.97	5	5	
			38	कियोड़	66	11	0.20	शून्य	शून्य	
			39	टिपरी	28	9	1.74	शून्य	शून्य	

धौलासिध जल विद्युत् परियोजना (66 मेगावाट) के लिए की जा रही प्रस्तावित भूमि अर्जन का सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन ।

जिला	तहसील	पंचायत	क्रम संख्या	गांव	जमीन मालिकों की कुल संख्या	जमीन मालिकों की कुल संख्या	कुल निजी जमीन (हैक्टे)	आवासीय मकानों की संख्या	उन मालिकों की संख्या जिनके मकान अधिग्रहित किए जा रहे हैं।
			40	बुल्ली	64	70	10.85	शून्य	शून्य
कुल					3684	1165	246.8062	10	13

*स्रोत: सतलुज जल विद्युत् निगम (एसजेवीएन)

3.9 भूमि कीमतें और हाल ही में मालिकाना हक में बदलाव और हस्तांतरण

नीचे दिखाई गई श्रेणियों के लिए पिछले तीन सालों (2016-17, 2017-18 और 2018-19) के सर्कल रेट को राजस्व विभाग से हासिल किया गया:

1.श्रेणी-I (0-25 मीटर): वह संपत्ति/जमीन जिसके संबंधित खसरा नंबर का कोई बिंदु या जमीन का हिस्सा सड़क से 25 मीटर की दूरी पर हो।

2.श्रेणी -II(20% < आधार रेट)(25-50 मीटर): वह संपत्ति/जमीन जिसके संबंधित खसरानंबर का कोई बिंदु या हिस्सा सड़क से 25 से 50 मीटर की दूरी पर हो

3.श्रेणी-III(40% < आधार रेट)(50-100 मीटर): वह संपत्ति/जमीन जिसके संबंधित खसरानंबर का कोई बिंदु या हिस्सा सड़क से 50 से 100 मीटर की दूरी पर हो।

4.श्रेणी-IV(50% < आधार रेट)(100-1000 मीटर): वह संपत्ति/जमीन जिसके संबंधित खसरानंबर का कोई बिंदु या हिस्सा सड़क से 100 से 1000 मीटर की दूरी पर हो।

5.श्रेणी-V(60% < सर्कल रेट)(>1000 मीटर): वह संपत्ति/जमीन जिसके संबंधित खसरानंबर का कोई बिंदु या हिस्सा सड़क से हजार मीटर या उससे ज्यादा की दूरी पर हो।

धौलासिध जल विद्युत् परियोजना (66 मेगावाट) के लिए की जा रही प्रस्तावित भूमि अर्जन का सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन ।

राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग और अन्य सड़कों से विभिन्न दूरी पर स्थित काश्त योग्य और गैर काश्त योग्य जमीनों की हरेक उप श्रेणी की विभिन्न दरें उपलब्धि हैं। संबंधित पटवार सर्कलों में विभिन्न गांवों की काश्त योग्य व गैर काश्त योग्य जमीन की कीमतें निम्नर तालिका में दर्शाई गई है। दर्शाई गई सर्कल दरें बीते तीन सालों की प्रचलित दरों में सबसे ज्यादा है।

धौलासिध जल विद्युत् परियोजना (66 मेगावाट) के लिए की जा रही प्रस्तावित भूमि अर्जन का सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन ।

तालिका 21: 2017-2020 के नीचे के सबसे अधिक सर्कल रेट (जिला काँगड़ा)

जिला काँगड़ा			वर्ग मीटर में क्षेत्र									
क्रं सं	गाँव	सड़क का प्रकार	श्रेणी-I (0-25)		श्रेणी-II (25-50)		श्रेणी-III(50-100)		श्रेणी-IV(100-1000)		श्रेणी-V(>1000)	
			का	गैरका	का	गैरका	का	गैरका	का	गैरका	का	गैरका
			(20%< आधार रेट)		(40%< आधार रेट)		(50%< आधार रेट)		(60%< आधार रेट)			
			शतयो ग्य	शतयो ग्य	शतयो ग्य	शतयो ग्य	काशत योग्य	गैरका शतयो ग्य	का शतयो ग्य	गैरका शतयो ग्य	काशत योग्य	गैरका शतयो ग्य .
1.	टिपरी	अन्य सड़कें	1500	1250	1200	1000	900	750	750	625	600	500
2.	बुल्ली	अन्य सड़कें	1500	1250	1200	1000	900	750	750	625	600	500
3.	कियोड	अन्य सड़कें	1500	1250	1200	1000	900	750	750	625	600	500
4.	चौकी	अन्य सड़कें	1500	1250	1200	1000	900	750	900	750	600	500
5.	बीड	अन्य सड़कें	1172	977	938	782	703	586	586	488	469	391
6.	निचली भेडी	अन्य सड़कें	185	154	148	123	111	92	92	77	74	62
7.	साई	अन्य सड़कें	1172	977	938	782	703	586	586	488	469	340
8.	पपरोला	अन्य सड़कें	1019	849	815	679	611	509	509	424	408	340
9.	आलमपुर	अन्य सड़कें	980	817	784	654	588	490	490	408	392	327
10.	बाग	अन्य सड़कें	980	817	784	654	588	490	490	408	392	327
11.	डल्ली	अन्य सड़कें	302	252	242	202	181	151	151	126	121	101
12.	भुलंदर	अन्य सड़कें	185	154	148	123	111	92	92	77	74	62
13.	लायुंडा	अन्य सड़कें	852	710	682	568	511	426	426	355	341	284
14.	दादू	अन्य सड़कें	185	154	148	123	111	92	92	77	74	62

*स्रोत: राजस्व विभाग और लैंड रिकार्डर्स

धौलासिध जल विद्युत् परियोजना (66 मेगावाट) के लिए की जा रही प्रस्तावित भूमि अर्जन का सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन ।

तालिका 22: 2017-2020 के नीच के सबसे अधिक सर्कल रेट (जिला हमीरपुर)।

हमीरपुर जिला			वर्ग मीटर में क्षेत्र									
Sr.No	गाँव	सड़क का प्रकार	श्रेणी-1 (0-25)		श्रेणी-II (25-50)		श्रेणी-III(50-100)		श्रेणी-IV(100-1000)		श्रेणी-V(>1000)	
			(20%< आधार रेट)		(40%< आधार रेट)		(50%< आधार रेट)		(60%< आधार रेट)			
			काश्तयो ग्य	गैरकाश्तयो ग्य	काश्तयो ग्य	गैरकाश्तयो ग्य	काश्तयो ग्य	गैरकाश्तयो ग्य	काश्तयो ग्य	गैरकाश्तयो ग्य	काश्तयो ग्य	गैरकाश्तयो ग्य
1	जंगल जीहाँ	राज्य मार्ग	1650	1375	1320	1100	990	825	825	688	660	550
		अन्य सड़कें	600	500	480	400	360	300	300	250	240	200
2	सुजानपुर	Class -II	8250	7100	6816	5680	5112	4260	4260	3550	3408	2840
3	बल्लागिर्था न	Class -II	7320	6100	5856	4880	4392	3660	3660	3050	2928	2440
4	रियाह	अन्य सड़कें	600	500	480	400	360	300	300	250	240	200
5	टीहरा	अन्य सड़कें	858	715	686	572	515	429	429	358	343	286
6	बगेहरा बुल्ला	अन्य सड़कें	900	750	720	600	540	450	450	375	360	300
7	समौना	अन्य सड़कें	480	400	384	320	288	240	240	200	192	160
8	पलाही	अन्य सड़कें	660	550	528	440	396	330	330	275	264	220

धौलासिध जल विद्युत् परियोजना (66 मेगावाट) के लिए की जा रही प्रस्तावित भूमि अर्जन का सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन ।

हमीरपुर जिला			वर्ग मीटर में क्षेत्र									
Sr.No	गाँव	सड़क का प्रकार	श्रेणी-I (0-25)		श्रेणी-II (25-50)		श्रेणी-III(50-100)		श्रेणी-IV(100-1000)		श्रेणी-V(>1000)	
			(20%< आधार रेट)		(40%< आधार रेट)		(50%< आधार रेट)		(60%< आधार रेट)			
			काश्तयो ग्य	गैरकाश्तयो ग्य	काश्तयो ग्य	गैरकाश्तयो ग्य	काश्तयो ग्य	गैरकाश्तयो ग्य	काश्तयो ग्य	गैरकाश्तयो ग्य	काश्तयो ग्य	गैरकाश्तयो ग्य
9	परगना	अन्य सड़कें	600	500	480	400	360	300	300	250	240	200
10	काछ	अन्य सड़कें	624	520	499	416	374	312	312	260	250	208
11	बीड खास	अन्य सड़कें	660	550	528	440	396	330	330	275	264	220
12	दारला	राज्य मार्ग	1584	1320	1267	1056	950	792	792	660	634	528
		अन्य सड़कें	930	575	744	620	558	465	465	388	372	310
13	मिहारपुरा	राज्य मार्ग	1320	1100	1056	880	792	660	660	550	528	440
		अन्य सड़कें	840	700	672	560	504	420	420	350	336	280
14	मियाना	अन्य सड़कें	540	450	432	360	324	270	270	225	216	180
15	गागला	अन्य सड़कें	540	450	432	360	324	270	270	225	216	180

धौलासिध जल विद्युत् परियोजना (66 मेगावाट) के लिए की जा रही प्रस्तावित भूमि अर्जन का सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन ।

हमीरपुर जिला			वर्ग मीटर में क्षेत्र									
Sr.No	गाँव	सड़क का प्रकार	श्रेणी-I (0-25)		श्रेणी-II (25-50)		श्रेणी-III(50-100)		श्रेणी-IV(100-1000)		श्रेणी-V(>1000)	
			(20%< आधार रेट)		(40%< आधार रेट)		(50%< आधार रेट)		(60%< आधार रेट)			
			काश्तयो ग्य	गैरकाश्तयो ग्य	काश्तयो ग्य	गैरकाश्तयो ग्य	काश्तयो ग्य	गैरकाश्तयो ग्य	काश्तयो ग्य	गैरकाश्तयो ग्य	काश्तयो ग्य	गैरकाश्तयो ग्य
16	हार	अन्य सड़कें	540	450	432	360	324	270	270	225	216	180
17	चौकी	अन्य सड़कें	540	450	432	360	324	270	270	225	216	180
18	लौंगनी	अन्य सड़कें	600	500	480	400	360	300	300	250	240	200
19	मथान	अन्य सड़कें	600	500	480	400	360	300	300	250	240	200
20	बलेहू	अन्य सड़कें	600	500	480	400	360	300	300	250	240	200
21	घालिया	राज्य मार्ग	960	800	768	640	576	480	480	400	384	320
		अन्य सड़कें	720	600	576	480	432	360	360	300	228	240
22	रोपा	अन्य सड़कें	720	600	576	480	432	360	360	300	228	240
23	सरोहल	राज्य मार्ग	960	800	768	640	576	480	480	400	384	320

धौलासिध जल विद्युत् परियोजना (66 मेगावाट) के लिए की जा रही प्रस्तावित भूमि अर्जन का सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन ।

हमीरपुर जिला			वर्ग मीटर में क्षेत्र									
Sr.No	गाँव	सड़क का प्रकार	श्रेणी-1 (0-25)		श्रेणी-II (25-50)		श्रेणी-III(50-100)		श्रेणी-IV(100-1000)		श्रेणी-V(>1000)	
			(20%< आधार रेट)		(40%< आधार रेट)		(50%< आधार रेट)		(60%< आधार रेट)			
			काश्तयो ग्य	गैरकाश्तयो ग्य	काश्तयो ग्य	गैरकाश्तयो ग्य	काश्तयो ग्य	गैरकाश्तयो ग्य	काश्तयो ग्य	गैरकाश्तयो ग्य	काश्तयो ग्य	गैरकाश्तयो ग्य
		अन्य सड़कें	720	600	576	480	432	360	360	300	228	240
24	भद्रिअना	अन्य सड़कें	720	600	576	480	432	360	360	300	228	240
25	भरमार	अन्य सड़कें	600	500	480	400	360	300	300	250	240	200
26	गरोरू बुल्लाह	अन्य सड़कें	480	400	383	320	288	240	240	200	192	160

*स्रोत: राजस्व विभाग और लैंड रिकार्ड्स

पिछले तीन सालों की अवधि में मालिकाना हक में हस्तांतरण को कोई भी मामला एसआइए टीम की नजर में नहीं आया। एचपी एसआइएयू की ओर से मुहैया कराई की सूची से तुलना करने पर केवल एक मामले में जहां पर जमीन मालिक की मौत हो गई थी व जमीनका मालिकाना हक स्वतः उसके बच्चों/पत्नी के नाम हो चुका था। मालिकाना हक में यह बदलाव राजस्व विभाग के दस्तावेजों में मौजूदा तिथि तक नहीं हुआ था।

बहुत से जमीन मालिकों ने साझा किया कि उनकी बहनों की शादी के बाद व्यावहारिक तौर पर भाई ही जमीन के मालिक है। वही जमीन की रक्षा कर रहे हैं और इस पर खेती कर रहे हैं। बहुत से जवाबकर्ताओं ने बताया कि जमीन ही उनकी आजीविका का एकमात्र संसाधन है ऐसे में जमीन का आगे बंटवारा करना उन्हें आर्थिक तौर पर कमजोर कर देगा। उन्होंने यह भी कहा कि उनकी बहनें जहां पर उनका ब्याह हुआ है उनकी जमीन पर खेती का काम कर रही है। हालांकि बहुत से मामलों में बहनों ने मौखिक तौर पर जमीन का मालिकाना हक भाइयों के नाम हस्तांतरित कर दिया लेकिन राजस्व विभाग में इस तरह का कोई भी हस्तांतरण रजिस्टर नहीं हुआ था।

4 प्रभावित परिवारों और आस्तियों का अनुमान और गणना

4.1 प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित व्यक्ति

246.8062 हेक्टेयर निजी भूमि का प्रस्तावित अर्जन हमीरपुर और कांगड़ा जिलों के 40 गांवों के 3684 लोगों को सीधे प्रभावित कर रहा है। नीचे दिए गए प्रत्येक गांव में अर्जन से सीधे प्रभावित होने वाले लोगों की संख्या की सूची दी गई है:

तालिका 23: सीधे प्रभावित पीएपी

ज़िला	तहसील	पंचायत	क्र० स०	गाँव	कुल मालिक	कुल खसरा न०	क्षेत्र (हेक्ट)
हमीरपुर	सुजानपुर	सुजानपुर	1	सुजानपुर	453	46	5.28
			2	बल्ला गीरथन	504	25	3.31
		करटोत	3	लौंगानी	159	65	7.12
			4	मथान	43	29	2.39
			5	बलेहू	26	16	4.14
		बानल	6	सरोहल	68	14	2.54
		चमियाना	7	भरमाड़	2	6	4.01
			8	गरोरू बुल्ला	9	4	0.02
		दारला	9	गागला	77	64	2.52
			10	चौकी	40	4	1.09
			11	रोपा	22	15	0.39
			12	मिहादपुरा	24	7	0.35
			13	भद्रिअना	148	28	2.80
			14	मियाना	57	18	1.66
			15	हार	27	4	0.10

धौलासिध जल विद्युत् परियोजना (66 मेगावाट) के लिए की जा रही प्रस्तावित भूमि अर्जन का सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन ।

ज़िला	तहसील	पंचायत	क्र० स०	गाँव	कुल मालिक	कुल खसरा न०	क्षेत्र (हेक्ट)	
			16	दारला	127	31	4.10	
			17	गाहलियाँ	64	16	1.74	
		टीहरा	18	टीहरा	25	4	0.67	
		भगेहडा	19	बगेहरा बुल्ला	52	15	30.05	
		धाबरियाना	20	रियाह	91	39	15.14	
		जोल	21	काछ	2	1	0.02	
			22	बीड खास	11	5	1.24	
			23	समोना	111	38	5.34	
			24	पलाही	162	80	37.95	
			25	परगना	149	48	3.34	
	नादौन	चोरु	26	जंगल नेहदूदा महफूज जीहंन	20	22	12.28	
	Kangara	आलमपुर	आलमपुर	27	आलमपुर	19	4	0.30
				28	बाग	201	79	46.91
जंगल			29	साईं	63	5	0.08	
			30	बीर	16	2	0.15	
लाहरु			31	भुलाहंदर	202	45	3.13	
कुहन			32	दली	61	30	2.13	
सकोह			33	लायुंडा	28	4	0.12	
बालकरूपी			34	डाडू	63	17	2.32	
			35	निचली बहरी	212	79	10.45	
			36	पपरोला	58	6	0.25	

धौलासिध जल विद्युत् परियोजना (66 मेगावाट) के लिए की जा रही प्रस्तावित भूमि अर्जन का सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन ।

ज़िला	तहसील	पंचायत	क्र० स०	गाँव	कुल मालिक	कुल खसरा न०	क्षेत्र (हेक्ट)
	कडियना	टीपरी	37	चौकी	130	160	17.97
			38	कियोड़	66	11	0.20
			39	टिप्परी	28	9	1.74
			40	बुल्ली	64	70	10.85
कुल					3684	1165	246.8062

* स्रोत: सतलुज जल विद्युत निगम (SJVN)

कुल 3684 शीर्षकधारकों में से, 18 (0.5%) अर्जन में अपने घर खो रहे हैं और उन्होंने अपनी संरचना के खिलाफ नकद मुआवजे की मांग की।

* नोट: यहाँ यह उल्लेख किया जाना चाहिए कि, भूमि को खोने वाले लोगों उनकी 100% भूमि हानि/आंशिक भूमि हानि/आश्रय की हानि का अंतिम आकलन राज्य सरकार के सक्षम अधिकारियों द्वारा किया जाना चाहिए

4.1.1 किराएदार / व्यवसायी

सर्वेक्षण के दौरान अर्जन के लिए प्रस्तावित भूमि पर कोई भी किरायेदार नहीं पाया गया सभी प्रभावित परिवार अपने परिवारों के साथ रहने के लिए घरों का उपयोग करते हैं और स्वयं द्वारा खेती की करते हैं।

4.1.2 जनजाति और पारंपरिक वन निवासी

एसटी श्रेणी में आने वाले कोई भी प्रभावित परिवार या पारंपरिक वनवासी नहीं हैं, जिन्होंने अपना कोई वन अधिकार खो दिया है।

4.1.3 सामान्य संपत्ति संसाधनों पर निर्भरता

साक्षात्कार और एफजीडी के दौरान यह पाया गया कि अधिकांश ग्रामीणों के पास चारागाह और आग की लकड़ी के संग्रह के लिए अधिग्रहित की जा रही वन भूमि पर निर्भरता थी। साथ ही,

इस भूमि का उपयोग ग्रामीणों द्वारा चराई के लिए किया जाता है। कई ग्रामीणों ने अर्जन की जा रही वन भूमि के लिए विकल्प प्रदान करने की मांग की। इसके अलावा, 19 परियोजना गांवों में से 29 श्मशान घाट अर्जन के तहत खो जाएंगे, जिसके लिए ग्रामीणों ने उन्हें वैकल्पिक श्मशान घाट उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है।

पीएपी के अलावा, ग्रामीणों सहित अधिकांश पंचायतों, जिनकी भूमि का अर्जन नहीं किया जा रहा है, के लिए चारा और आग-लकड़ी के उद्देश्य से अर्जन की जा रही जंगल पर भी उच्च निर्भरता थी। पंचायतों के साथ FGDs के दौरान यह मुद्दा प्रस्तावित अर्जन से ग्रामीणों की प्रमुख चिंताओं में से एक था। इसी तरह, वे उन श्मशान घाटों के बारे में चिंतित थे जो परियोजना द्वारा जलमग्न हो जाएंगे। उन्होंने अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समान वैकल्पिक वन संसाधन और वैकल्पिक श्मशान घाट उपलब्ध कराने की मांग की है।

इसके अलावा, 18 परियोजना गांवों में 25 पानी की टंकी / आईपीएच योजना / पंप-घरों का अर्जन पीएपी के साथ-साथ अन्य ग्रामीणों की एक बड़ी चिंता है।

हमीरपुर जिले के ग्राम सुजानपुर में सीवरेज सिस्टम भी अर्जन के कारण प्रभावित हो रहा है। हमीरपुर जिले के लौंगानी गांव में 1 सरकारी प्राथमिक विद्यालय और 1 आंगनवाड़ी भी अर्जन के तहत आ रही है।

2 मंदिर, एक लुंगानी गांव (हमीरपुर जिला) और एक आलमपुर गाँव (कांगड़ा जिला) से अर्जन के कारण प्रभावित हो रहा है।

हमीरपुर जिले के परगना गांव में 15 बिजली के पोल अर्जन के दायरे में आ रहे हैं।

इसके अलावा, कांगड़ा जिले के बूली और कियोढ़ गाँवों में 2 बावली, बूली गाँव में 1 कुआँ और 1 बलारत और बलंदर गाँव के गाँव फुटपाथ भी अर्जन के दायरे में हैं।

भूमि पर निजी और सार्वजनिक संपत्ति की एक विस्तृत गांववार सूची तालिका 26 में दी गई है।

4.1.4 राज्य सरकार द्वारा दी गई भूमि

ऐसे लोग नहीं हैं जिन्हें राज्य सरकार ने अपनी किसी भी योजना के तहत जमीन सौंपी हो और ऐसी जमीन अर्जन के तहत हो

4.1.5 आजीविका के लिए भूमि पर निर्भरता

पीएपी द्वारा अर्जन के तहत भूमि पर कृषि / बागवानी गतिविधियों को निष्पादित किया जा रहा है , हालांकि गतिविधि बहुत तीव्र नहीं पाई गई क्योंकि अधिकांश भूमि नदी के तल पर या उसके आस-पास है । अर्जन के तहत कुल 246.8062 हेक्टेयर भूमि में से केवल 22.78 हेक्टेयर (9%) भूमि खेती योग्य है और 223.41 हेक्टेयर (91%) भूमि अप्रयुक्त है। हालांकि प्राथमिक कृषि ने PAPs की एक प्रमुख आर्थिक गतिविधि नहीं बनाई, लेकिन पशुधन पालन बागवानी गतिविधियों, चराई, ईंधन लकड़ी और चारे के संग्रह के साथ संयोजन उनके लिए पर्याप्त आर्थिक सहायता उत्पन्न करता है। भूमि के साथ संरचनाओं को खोने वाले पीएपी के लिए, उनमें से अधिकांश में आवासीय संरचना के साथ-साथ दुकानें भी थीं जो उनकी आजीविका का प्रमुख स्रोत हैं।

4.2 उत्पादक आस्तियों और महत्वपूर्ण भूमि की सूची

प्राथमिक सर्वेक्षण के दौरान PAPs के साथ उपलब्ध परिसंपत्तियों की एक विस्तृत सूची SIA टीम द्वारा तैयार की गई थी जैसे वाहन, हाउस होल्ड उपकरण, उनकी भूमि पर उपयोगिताओं, पशुधन, पेड़, आदि। उपलब्ध संपत्ति की स्थिति न केवल क्षेत्र में रहने के मानक को इंगित करती है, बल्कि PAPs की सामर्थ्य का सूचक भी है। यह देखते हुए कि 3210 उत्तरदाताओं के साथ विभिन्न उपलब्ध संपत्तियों की विस्तृत सूची है, जो परियोजना से प्रभावित हो रहे हैं:

तालिका 24: उत्पादक आस्तियों की सूची

क्र स	वर्ग	विवरण	पीएपी की संख्या	पीएपी का%
1.	वाहन	ट्रक	35	1.09%
2.		तिपहिया	9	0.28%
3.		साइकल	16	0.50%
4.		ट्रॉलियों	6	0.19%
5.		बाइक / स्कूटर	400	12.46%
6.		गाड़ी	351	10.93%
7.		ट्रैक्टर	11	0.34%
8.		टेंपो ट्रैवलर	4	0.12%

धौलासिध जल विद्युत् परियोजना (66 मेगावाट) के लिए की जा रही प्रस्तावित भूमि अर्जन का सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन ।

क्र स	वर्ग	विवरण	पीएपी की संख्या	पीएपी का%
9.	घरेलू उपकरण	रेडियो	75	2.34%
10.		गीज़र	332	10.34%
11.		माइक्रोवेव ओवन	17	0.53%
12.		मोबाइल फोन	3127	97.41%
13.		कंप्यूटर	18	0.56%
14.		फ्रिज	3093	96.36%
15.		टीवी	3117	97.10%
16.		टेबल फैन	600	18.69%
17.		रूम हीटर	320	9.97%
18.		एयर कंडीशनर	46	1.43%
19.		वॉशिंग मशीन	1630	50.78%
20.		पंखा	2849	88.75%

* स्रोत: प्राथमिक सर्वेक्षण

नीचे दी गई तालिका परियोजना क्षेत्र में PAPs के स्वामित्व वाले सभी पशुधन को सूचीबद्ध करती है।

तालिका 25: पशुधन की सूची

पशुधन	संख्या
गाय	367
भैंस	1249
भेड़	61
सूअर	2
बकरा	38
पोल्ट्री पक्षी	1
कुत्ते	14
बैल	6

* स्रोत: प्राथमिक सर्वेक्षण

धौलासिध जल विद्युत् परियोजना (66 मेगावाट) के लिए की जा रही प्रस्तावित भूमि अर्जन का सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन ।

प्रस्तावित अर्जन से लगभग 77724 फल देने वाले पेड़ प्रभावित हो रहे हैं और लगभग 17280 गैर-फल दार पेड़ अर्जन के प्रभाव में हैं। लगभग 11 रसोई, 2 शौचालय, 2 गौशाला वर्तमान में कार्यात्मक अर्जन के तहत जाएंगे। अर्जन के तहत भूमि पर सार्वजनिक और निजी संपत्तियों की एक विस्तृत गांववार सूची नीचे दी गई है:

तालिका 26: भूमि पर सम्पत्ति की सूची

ज़िला	तहसील	पंचायत	क्र स	गाँव	संरचनाएँ	गौशालाएँ	स्वतंत्र शौचालय	स्वतंत्र रसोई	फलदार पेड़	गैर फलदार पेड़	टिप्पणी	पानी की टंकी / आईपीएच योजना / पंप-गोदाम	शमशान घाट	अन्य	
															निजी संपत्ति
हमीरपुर	सुजानपुर	सुजानपुर	1	सुजानपुर	1	-	-	-	300	45	मकान	2	2	1 निकास प्रणाली	
			2	बल्ला गिर्थान	-	-	-	-	995	2194	-	-	-	-	
		दारला	3	भाद्रियाणा बलेठ	-	-	-	-	-	202	685	-	2	1	-
			4	गाहलियाँ	-	-	-	-	-	159	-	-	-	-	-
			5	रोपा	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			6	मियाना	-	-	-	-	-	5	825	-	1	1	-
			7	मिहादपुरा	-	-	-	-	-	-	180	-	1	-	-
			8	चौकी	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			9	दारला	-	-	-	-	-	230	572	-	1	-	-
			10	हार	-	-	-	-	-	-	140	-	-	-	-
			11	गागला	-	-	-	-	-	205	250	-	-	-	-
		Karot	12	बलेहू	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
			13	मथान	-	-	-	-	-	-	72	-	-	-	-
			14	लौंगानी	-	-	-	-	-	169	1466	-	2	-	1 महिला मंडल कार्यालय, 1 सरकारी स्कूल, 1 अन्नगंवादी और एक मंदिर
		Ch	15	भरमाड	-	-	-	-	-	551	-	-	-	7	-

धौलासिध जल विद्युत् परियोजना (66 मेगावाट) के लिए की जा रही प्रस्तावित भूमि अर्जन का सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन ।

ज़िला	तहसील	पंचायत	क्र स	गाँव	संरचनाएँ	गौशालाएँ	स्वतंत्र शौचालय	स्वतंत्र रसोई	फलदार पेड़	गैर फलदार पेड़	टिप्पणी	पानी की टंकी / आईपीएच योजना / पंप-गोदाम	शमशान घाट	अन्य								
															निजी संपत्ति						जन संपत्ति	
			16	घरौड़ बुल्ला	-	-	-	-	15	50	-	-	3	-								
			17	काछ	1	-	-	-	-	-	मकान जिसमे एक दूकान है, पक्का	-	-	-								
		Joi	18	परगना	4	1	10	1	133	297	1 एक्स सर्विस ट्रक यूनियन का कार्यालय, 11मकान, 21 दुकानें, 1 रसोई और स्टोर, 10 शौच, 1 गौशाला	2	1	15 बिजली क खम्बे								
			19	पलाही	-	-	-	-	225	908	-	2	1	-								
			20	बीड खास	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-								
			21	समौना	-	-	-	-	80	1161	-	-	-	-								
		Dhabriana	22	रियाह	1	-	-	-	69	1091	मकान	2	1	-								
		Banal	23	सरोहल	-	-	-	-	2	165	-	-	-	-								

धौलासिध जल विद्युत् परियोजना (66 मेगावाट) के लिए की जा रही प्रस्तावित भूमि अर्जन का सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन ।

ज़िला	तहसील	पंचायत	क्र स	गाँव	संरचनाएँ	गौशालाएँ	स्वतंत्र शौचालय	स्वतंत्र रसोई	फलदार पेड़	गैर फलदार पेड़	टिप्पणी	पानी की टंकी / आईपीएच योजना / पंप-गोदाम	शमशान घाट	अन्य				
					निजी संपत्ति										जन संपत्ति			
	नादौन	Tihra	24	टीहरा	-	-	-	-	20	100	-	-	-	-				
		Bhageda	25	बगेहरा बुल्ला	-	-	-	-	-	32	-	1	-	-				
		Choru	26	जंगल महफूज मेहदूदा जीहाँ	-	-	-	-	40	220	-	-	-	-				
	काँगड़ा	खुन्डीया	Tipri	27	बुल्ली	-	-	-	-	-	749	-	-	1	1 बावड़ी, 1 कुआँ, 1 घराट			
28				टिपरी	-	-	-	-	-	305	-	-	-	-				
29				कियोड़	-	-	-	-	270	950	-	-	-	-	1 बावड़ी			
30				चौकी	7	1	1	1	65	556	1	1	1	-	आरामिल, 6 मकान			
Alampur		Kuhan	31	डल्ली	-	-	-	-	1035	571	-	1	-	-				
			Lahru	32	बलुंदर	-	-	-	-	30	2210	-	-	1	पकडंडी			
		Balakroopi	33	डाडू	-	-	-	-	114	225	-	1	1	-				
			34	निचली भेरी	-	-	-	-	245	687	-	-	1	1	-			
			35	पपरोला	-	-	-	-	100	-	-	1	1	-				
		Jan	36	बीड	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-				

धौलासिध जल विद्युत् परियोजना (66 मेगावाट) के लिए की जा रही प्रस्तावित भूमि अर्जन का सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन ।

ज़िला	तहसील	पंचायत	क्र स	गाँव	संरचनाएँ	गौशालाएँ	स्वतंत्र शौचालय	स्वतंत्र रसोई	फलदार पेड़	गैर फलदार पेड़	टिप्पणी	पानी की टंकी / आईपीएच योजना / पंप-गोदाम	शमशान घाट	अन्य
			37	साई	-	-	-	-	2465	296	-	1	1	-
		Alampur	38	आलमपुर	-	-	-	-	-	270	-	-	1	1 सीधी विनायक मंदिर
			39	Baag	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
		Sakoh	40	ल्युन्दा	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
कुल					14	2	11	2	7724	17280	-	25	29	-

*स्रोत: Field Survey

क्षेत्र सर्वेक्षण के दौरान, गाँव जोल (जांगल पंचायत, जिला काँगड़ा) के लोगों ने टीम SIA से संपर्क किया और आगामी DSHEP परियोजना से प्रभावित हो रही अपनी ज़मीनों और संरचनाओं के बारे में अपनी चिंता साझा की।

उनके अनुसार, डीएसएचईपी के एसआईए के लिए 2010 में कृषि अर्थशास्त्र विभाग, सीएसके एचपी कृषि विश्व विद्यालय, पालमपुर द्वारा किए गए सर्वेक्षण के दौरान, उन्हें बताया गया था कि उनके घर आगामी योजना के लिए अर्जन के दायरे में आ सकते हैं और उन्हें किसी अन्य स्थान पर जाना चाहिए।

धौलासिध जल विद्युत् परियोजना (66 मेगावाट) के लिए की जा रही प्रस्तावित भूमि अर्जन का सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन ।

चूंकि मानसून के दौरान, नदी का पानी उनकी आवासीय संरचनाओं तक पहुंचता है इसलिए ग्रामीणों को चिंता होती है कि डैम के निर्माण के बाद पानी निश्चित रूप से उनकी भूमि और संरचना तक पहुंच जाएगा, जिससे जलमग्न होने का खतरा बढ़ जाता है।

इस प्रकार, हमने गाँव में फील्ड सर्वेक्षण और एफजीडी आयोजित किया और पाया कि 10 डीएसएचपी परियोजना के कारण आवासीय संरचनाएं, 4 शौचालय, 8 गौशालाएँ और 4 घर प्रभावित हो सकते हैं।

यह सुझाव दिया जाता है कि जलाशय के निर्माण के कारण ग्राम जोल पर प्रभाव के पैमाने को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक निकाय को एक गहन अध्ययन करना चाहिए।

5 सामाजिक-आर्थिक और सांस्कृतिक प्रोफाइल

5.1 परियोजना गांवों में जनसंख्या का जनसांख्यिकीय विवरण

भारत की जनगणना 2011 के अनुसार, परियोजना के तहत आने वाले DSHEP के लिए जिन 40 गाँवों में भूमि का अर्जन किया जा रहा है, वहाँ की कुल जनसंख्या 49269 है और कुल घरों की संख्या 11573 है। इन गाँवों में कुल जनसंख्या 22665 (46%) है। पुरुष और 26604 (54%) महिलाएँ हैं। घरों और आबादी का विस्तृत वितरण नीचे दी गई तालिका में दिया गया है:

तालिका 27: परियोजना क्षेत्र का जनसांख्यिकीय विवरण

ज़िला	नाम	हाउस होल्ड्स/परिवार संख्या	कुल जनसंख्या	कुल पुरुष	कुल महिलाएँ
हमीरपुर	सुजानपुर	8924	38064	17362	20702
हमीरपुर	बगेहड़ा बुहला	199	772	340	432
हमीरपुर	बीर खास	78	331	157	174
हमीरपुर	समोना	60	258	116	142
हमीरपुर	पलाही	30	146	68	78
हमीरपुर	कच्छ	44	193	100	93
हमीरपुर	परगना	59	238	115	123
हमीरपुर	रियाह	24	99	47	52
हमीरपुर	दारला	134	587	278	309
हमीरपुर	मेहरपुरा	96	415	204	211
हमीरपुर	मियाना	21	98	47	51
हमीरपुर	हार	0	0	0	0
हमीरपुर	गहलियाँ	14	64	29	35

धौलासिध जल विद्युत् परियोजना (66 मेगावाट) के लिए की जा रही प्रस्तावित भूमि अर्जन का सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन ।

ज़िला	नाम	हाउस होल्ड्स/परिवार संख्या	कुल जनसंख्या	कुल पुरुष	कुल महिलाएँ
हमीरपुर	रोपा	15	74	41	33
हमीरपुर	भदरयना	47	228	111	117
हमीरपुर	सरोहल	62	322	157	165
हमीरपुर	मथान	12	63	33	30
हमीरपुर	लौंगनी	60	278	141	137
हमीरपुर	बलेहु	38	183	84	99
हमीरपुर	भरमाड़	45	206	86	120
हमीरपुर	गरौडू बुहला	18	77	40	37
हमीरपुर	गगल	57	251	120	131
हमीरपुर	झीण	57	245	121	124
हमीरपुर	चौकी	64	234	111	123
हमीरपुर	बल्ला गीरथन	16	83	40	43
हमीरपुर	टीहरा	63	265	116	149
काँगड़ा	बाग	6	22	10	12
काँगड़ा	चौकी	52	223	104	119
काँगड़ा	टीपरी	28	118	53	65
काँगड़ा	बूली	33	114	56	58
काँगड़ा	कियोड़	39	186	93	93
काँगड़ा	डली	20	68	32	36
काँगड़ा	भूलंदर	138	527	237	290
काँगड़ा	डाडु	18	66	28	38
काँगड़ा	बहेड नीचली	65	223	94	129
काँगड़ा	बीर	190	815	383	432
काँगड़ा	साई	198	841	398	443
काँगड़ा	पपरोल	55	257	119	138
काँगड़ा	आलमपुर	406	1682	827	855

धौलासिध जल विद्युत् परियोजना (66 मेगावाट) के लिए की जा रही प्रस्तावित भूमि अर्जन का सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन ।

ज़िला	नाम	हाउस होल्ड्स/परिवार संख्या	कुल जनसंख्या	कुल पुरुष	कुल महिलाएँ
काँगड़ा	लियूँडा	88	353	167	186
कुल		11573	49269	22665	26604

*स्रोत: जनगणना, 2011

5.1.1 परियोजना प्रभावित लोगों का जनसांख्यिकीय विवरण

प्राथमिक सर्वेक्षण के अनुसार, कुल 40 गांवों के 2546 परियोजना प्रभावित घरों में जहां आगामी डीएसएचईपी के लिए भूमि का अर्जन किया जा रहा है, वह 10946 जनसंख्या है। कुल 10946 लोगों में से 5545 (51%) पुरुष और 5401 (49%) महिलाएं हैं। परियोजना प्रभावित परिवारों में लिंगानुपात 974 है।

घरों और आबादी का विस्तृत वितरण नीचे दी गई तालिका में दिया गया है:

तालिका 28: परियोजना प्रभावित लोगों का जनसांख्यिकीय विवरण

ज़िला	गाँव	कुल महिलाएँ	कुल पुरुष	कुल जन संख्या	कुल परिवार
हमीरपुर	बगेहड़ा बुलह	34	50	84	20
हमीरपुर	बलेयु	35	37	72	17
हमीरपुर	बुल्ला गीरथन	542	543	1085	252
हमीरपुर	बरमौड	95	133	228	53
हमीरपुर	भदरयना	213	227	440	102
हमीरपुर	बिरह खास	2	5	7	2
हमीरपुर	चौकी	71	67	138	32
हमीरपुर	दारला	175	216	391	91
हमीरपुर	गगला	141	153	294	68
हमीरपुर	गरौडू बुहला	18	12	30	7
हमीरपुर	गहलीययाँ	39	51	90	21

धौलासिध जल विद्युत् परियोजना (66 मेगावाट) के लिए की जा रही प्रस्तावित भूमि अर्जन का सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन ।

ज़िला	गाँव	कुल महिलाएँ	कुल पुरुष	कुल जन संख्या	कुल परिवार
हमीरपुर	हार	40	39	79	18
हमीरपुर	झीण	36	32	68	16
हमीरपुर	खास	3	4	7	2
हमीरपुर	लौंगनी	223	263	486	113
हमीरपुर	महल पलाई	264	270	534	124
हमीरपुर	मथान	114	132	246	57
हमीरपुर	मिहड़पुर	52	59	111	26
हमीरपुर	मियाना	85	96	181	42
हमीरपुर	मौज सुजानपुर	441	417	858	200
हमीरपुर	परगना	266	285	551	128
हमीरपुर	रियाद	158	145	303	70
हमीरपुर	रोपा	19	24	43	10
हमीरपुर	समोना	238	223	461	107
हमीरपुर	सरोहाल	93	111	204	47
हमीरपुर	टीहरा	19	26	45	10
काँगड़ा	आलमपुर	38	26	64	15
काँगड़ा	भलौंडार	193	211	404	94
काँगड़ा	बीड	47	66	113	26
काँगड़ा	बुल्ली	117	138	255	59
काँगड़ा	चौकी	163	141	304	71
काँगड़ा	डाडु	117	133	250	58
काँगड़ा	डली	269	282	551	128
काँगड़ा	कियोध	176	154	330	77
काँगड़ा	लियूँडा	28	24	52	12
काँगड़ा	महल बाग	290	236	526	122
काँगड़ा	नीचली बहड़ी	388	356	744	173

धौलासिध जल विद्युत् परियोजना (66 मेगावाट) के लिए की जा रही प्रस्तावित भूमि अर्जन का सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन ।

ज़िला	गाँव	कुल महिलाएँ	कुल पुरुष	कुल जन संख्या	कुल परिवार
काँगड़ा	पपरोल	54	53	107	25
काँगड़ा	साई	52	70	122	28
काँगड़ा	टीपरी	53	35	88	20
कुल		5401	5545	10946	2546

* स्रोत: प्राथमिक सर्वेक्षण

5.2 लिंग अनुपात

जनगणना 2011 के अनुसार, इन 40 गांवों में लिंगानुपात 1173 महिलाओं पर प्रति हजार पुरुषों पर है, जो दोनों की, राज्यके औसत 972 और राज्य का ग्रामीण लिंगानुपात 986 तुलना में अधिक है। परियोजना गांवों का बाल लिंगानुपात 880 है जो दोनों की तुलना में कम है, राज्य 909 का बाल लिंगानुपात और राज्य का ग्रामीण औसत 986 है। कुल जनसंख्या का 0 से 6 वर्ष की आयुवर्ग में, 53% पुरुष हैं और 47% महिलाएँ हैं . नीचे दिए गए बच्चे की आबादी का एक गांववार विस्तृत वितरण है:

तालिका 29: परियोजना क्षेत्र में बाल जनसंख्या

क्र०	जिला	गाँव	बाल जनसंख्या (आयु वर्ग में जनसंख्या 0-6)		
			कुल	बालक	बालिका
1	हमीरपुर	सुजानपुर	4391	2322	2069
2	हमीरपुर	बगेहराहबुला	81	44	37
3	हमीरपुर	बीर खास	37	24	13
4	हमीरपुर	समोना	30	11	19
5	हमीरपुर	पलाही	25	15	10
6	हमीरपुर	काच	26	17	9
7	हमीरपुर	परगना	26	12	14
8	हमीरपुर	रिआह	16	9	7
9	हमीरपुर	दारला	55	26	29

धौलासिध जल विद्युत् परियोजना (66 मेगावाट) के लिए की जा रही प्रस्तावित भूमि अर्जन का सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन ।

क्र०	जिला	गाँव	बाल जनसंख्या (आयु वर्ग में जनसंख्या 0-6)		
			कुल	बालक	बालिका
10	हमीरपुर	मेहरपुरा	41	23	18
11	हमीरपुर	मियाना	3	0	3
12	हमीरपुर	हार	0	0	0
13	हमीरपुर	गहलियाँ	7	3	4
14	हमीरपुर	रोपा	7	6	1
15	हमीरपुर	भाद्राना	30	12	18
16	हमीरपुर	सरोहल	37	15	22
17	हमीरपुर	मथान	6	3	3
18	हमीरपुर	लौन्गनी	20	11	9
19	हमीरपुर	भलेउ	25	14	11
20	हमीरपुर	भरमार	27	17	10
21	हमीरपुर	गरोरुभूला	7	4	3
22	हमीरपुर	गागल	30	14	16
23	हमीरपुर	झीहन	21	8	13
24	हमीरपुर	चौकी	21	10	11
25	हमीरपुर	बल्ला घिरठान	6	5	1
26	हमीरपुर	टीहरा	32	13	19
27	काँगड़ा	बाग	1	1	0
28	काँगड़ा	चौकी	32	19	13
29	काँगड़ा	टिपरी	10	5	5
30	काँगड़ा	बुली	12	8	4
31	काँगड़ा	कियोड़	23	16	7
32	काँगड़ा	डली	8	3	5
33	काँगड़ा	भुलाहंदर	57	31	26
34	काँगड़ा	डारु	8	4	4

धौलासिध जल विद्युत् परियोजना (66 मेगावाट) के लिए की जा रही प्रस्तावित भूमि अर्जन का सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन ।

क्र०	जिला	गाँव	बाल जनसंख्या (आयु वर्ग में जनसंख्या 0-6)		
			कुल	बालक	बालिका
35	काँगड़ा	भेरीनिचली	24	12	12
36	काँगड़ा	बीर	92	52	40
37	काँगड़ा	साईं	95	57	38
38	काँगड़ा	पपरोला	26	11	15
39	काँगड़ा	आलमपुर	181	107	74
40	काँगड़ा	लिउंडा	35	20	15
कुल			5611	2984	2627

*स्त्रोत: जनगणना, 2011.

5.3 सामाजिक समूह

जनगणना 2011 के अनुसार, कुल 13205 अनुसूचित जाति के व्यक्ति हैं, जिनमें से 6473 पुरुष हैं और 6732 परियोजना क्षेत्र में महिलाएं हैं। इसके अलावा, 40 परियोजना गांवों में 48 कोई अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति हैं, जिनमें से 28 पुरुष हैं और 20 महिलाएं हैं।

तालिका 30: परियोजना गांवों में सामाजिक समूह

ज़िला	नाम	अनु० जाति			अनु० जन जाति		
		कुल	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला
हमीरपुर	सुजानपुर	10055	4920	5135	44	25	19
हमीरपुर	बगेहड़ा बुहला	292	133	159	0	0	0
हमीरपुर	बीर खास	160	76	84	0	0	0
हमीरपुर	समोना	19	11	8	0	0	0
हमीरपुर	पलाही	0	0	0	0	0	0
हमीरपुर	कच्छ	8	5	3	0	0	0
हमीरपुर	परगना	128	65	63	0	0	0
हमीरपुर	रियाह	79	33	46	0	0	0
हमीरपुर	दारला	159	79	80	0	0	0
हमीरपुर	महरपुरा	183	92	91	0	0	0

धौलासिध जल विद्युत् परियोजना (66 मेगावाट) के लिए की जा रही प्रस्तावित भूमि अर्जन का सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन ।

ज़िला	नाम	अनु० जाति			अनु० जन जाति		
		कुल	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला
हमीरपुर	मायना	0	0	0	0	0	0
हमीरपुर	हार	0	0	0	0	0	0
हमीरपुर	गहलियाँ	0	0	0	0	0	0
हमीरपुर	रोपा	15	10	5	0	0	0
हमीरपुर	भद्रयाना	32	17	15	0	0	0
हमीरपुर	सरोहल	122	61	61	0	0	0
हमीरपुर	मथान	10	8	2	0	0	0
हमीरपुर	लौंगनी	70	40	30	0	0	0
हमीरपुर	बलेहु	15	9	6	0	0	0
हमीरपुर	भरमाड़	0	0	0	0	0	0
हमीरपुर	गरेडु बुहला	36	21	15	0	0	0
हमीरपुर	गगल	12	6	6	0	0	0
हमीरपुर	झीण	54	31	23	3	2	1
हमीरपुर	चौकी	20	9	11	0	0	0
हमीरपुर	बल्ला गीरथन	0	0	0	0	0	0
हमीरपुर	टीहरा	78	31	47	0	0	0
काँगड़ा	बाग	0	0	0	0	0	0
काँगड़ा	चौकी	3	1	2	0	0	0
काँगड़ा	टीपरी	73	37	36	0	0	0
काँगड़ा	बूली	48	25	23	0	0	0
काँगड़ा	कियोध	167	81	86	0	0	0
काँगड़ा	डली	0	0	0	0	0	0
काँगड़ा	भलौंदर	141	66	75	1	1	0
काँगड़ा	डाडु	0	0	0	0	0	0
काँगड़ा	बहड़ी नीचली	0	0	0	0	0	0
काँगड़ा	बीर	177	86	91	0	0	0

धौलासिध जल विद्युत् परियोजना (66 मेगावाट) के लिए की जा रही प्रस्तावित भूमि अर्जन का सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन ।

ज़िला	नाम	अनु० जाति			अनु० जन जाति		
		कुल	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला
काँगड़ा	साई	155	75	80	0	0	0
काँगड़ा	पप्रोला	44	19	25	0	0	0
काँगड़ा	आलमपुर	665	335	330	0	0	0
काँगड़ा	लियूँडा	185	91	94	0	0	0
कुल		13205	6473	6732	48	28	20

* स्रोत: जनगणना, 2011

5.3.1 परियोजना प्रभावित लोगों में सामाजिक समूह

प्राथमिक सर्वेक्षण के अनुसार, कुल 10946 पीएपी में से 8015 (83%) सामान्य श्रेणी में आते हैं, उनमें से 2538 (23%) अन्य पिछड़े वर्ग के हैं और 393 (4%) अनुसूचित जाति हैं। PAPS में कोई शेड्यूल ट्राइब्स नहीं हैं। नीचे दी गई तालिका में 40 गांवों में विभिन्न सामाजिक समूहों में पीएपी का एक विस्तृत गांववार वितरण है, जहां प्रस्तावित धौलासिध HEP के लिए भूमिका अर्जन किया जा रहा है:

तालिका 31: पीएपी में सामाजिक समूह

ज़िला	गाँव	सामान्य	अ०पि०व०	अ० जा०	कुल
हमीरपुर	बगेहड़ा बुहल	62	22		84
हमीरपुर	बलेहु	72			72
हमीरपुर	बल्ला गीरथन	364	721		1085
हमीरपुर	बरमौड	160	68		228
हमीरपुर	भदरयना	440			440
हमीरपुर	भीड़ खास	7			7
हमीरपुर	चौकी	116		22	138
हमीरपुर	दारला	380	11		391
हमीरपुर	गगला	289	5		294
हमीरपुर	गरौंड बुलह	30			30

धौलासिध जल विद्युत् परियोजना (66 मेगावाट) के लिए की जा रही प्रस्तावित भूमि अर्जन का सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन ।

ज़िला	गाँव	सामान्य	अ०पि०व०	अ० जा०	कुल
हमीरपुर	घलियाँ	90			90
हमीरपुर	हार	79			79
हमीरपुर	झीण	68			68
हमीरपुर	खास	7			7
हमीरपुर	लौंगनी	484	2		486
हमीरपुर	महल पलाई	517	16		533
हमीरपुर	मथान	242	4		246
हमीरपुर	महड़पुरा	111			111
हमीरपुर	मियाना	111	70		181
हमीरपुर	मौजा सुजानपुर	209	650		859
हमीरपुर	परगना	355		196	551
हमीरपुर	रियाह	213	90		303
हमीरपुर	रोपा	43			43
हमीरपुर	समोना	278	183		461
हमीरपुर	सरोहल	127	77		204
हमीरपुर	टिहरा	45			45
काँगड़ा	आलमपुर	64			64
काँगड़ा	भौलौंदर	325		79	404
काँगड़ा	भीड़	71	42		113
काँगड़ा	बुल्ली	255			255
काँगड़ा	चौकी	272		32	304
काँगड़ा	डाडु	250			250
काँगड़ा	डली	340	211		551
काँगड़ा	कायोध	274	19	37	330
काँगड़ा	लियूँडा	41	11		52
काँगड़ा	महल बाग	239	287		526
काँगड़ा	नीचली बहड़ी	687	30	27	744

धौलासिध जल विद्युत् परियोजना (66 मेगावाट) के लिए की जा रही प्रस्तावित भूमि अर्जन का सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन ।

ज़िला	गाँव	सामान्य	अ०पि०व०	अ० जा०	कुल
काँगड़ा	पपरोला	100	7		107
काँगड़ा	साई	110	12		122
काँगड़ा	टीपरी	88			88
कुल		8015	2538	393	10946

*स्रोत: प्राथमिक सर्वेक्षण

5.4 साक्षरता

भारत की जनगणना 2011 के अनुसार, हिमाचल प्रदेश की साक्षरता दर 83% है और हिमाचल प्रदेश ग्रामीण की साक्षरता दर 82% है। परियोजना क्षेत्र 37434 (76%) की कुल आबादी में से 4926 आबादी साक्षर है जो राज्य के औसत और राज्य के ग्रामीण औसत से कम है। इसमें से 2367 साक्षर जनसंख्या 19035 (51%) महिला और 18399 (49%) पुरुष हैं। 11835 (24%) की शेष निरक्षर आबादी में, 7569 (64%) महिला और 4266 (36%) पुरुष हैं। नीचे दी गई तालिका में साक्षरता की स्थिति का एक विस्तृत गांववार वितरण है:

तालिका 32: परियोजना क्षेत्र में साक्षरता की स्थिति

क्र स	ज़िला	गाँव	साक्षर			निरक्षर		
			कुल	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला
1	हमीरपुर	सुजानपुर	28593	14004	14589	9471	3358	6113
2	हमीरपुर	बगहड बुल्ला	609	285	324	163	55	108
3	हमीरपुर	बीर खास	261	130	131	70	27	43
4	हमीरपुर	समोना	203	100	103	55	16	39
5	हमीरपुर	पलाही	108	50	58	38	18	20
6	हमीरपुर	कछ	141	73	68	52	27	25
7	हमीरपुर	परगना	179	95	84	59	20	39
8	हमीरपुर	रियाह	68	33	35	31	14	17
9	हमीरपुर	दारला	477	243	234	110	35	75
10	हमीरपुर	महरपूरा	336	171	165	79	33	46
11	हमीरपुर	मायना	81	46	35	17	1	16

धौलासिध जल विद्युत् परियोजना (66 मेगावाट) के लिए की जा रही प्रस्तावित भूमि अर्जन का सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन ।

क्र स	ज़िला	गाँव	साक्षर			निरक्षर		
			कुल	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला
12	हमीरपुर	हार	0	0	0	0	0	0
13	हमीरपुर	गहलियाँ	50	25	25	14	4	10
14	हमीरपुर	रोपा	58	32	26	16	9	7
15	हमीरपुर	भदरना	180	95	85	48	16	32
16	हमीरपुर	सरोहल	249	129	120	73	28	45
17	हमीरपुर	मथान	50	28	22	13	5	8
18	हमीरपुर	लौंगनी	219	117	102	59	24	35
19	हमीरपुर	बलेहु	135	64	71	48	20	28
20	हमीरपुर	भरमाइ	145	61	84	61	25	36
21	हमीरपुर	गरोरू बुल्ला	61	34	27	16	6	10
22	हमीरपुर	गगल	192	96	96	59	24	35
23	हमीरपुर	झीण	194	110	84	51	11	40
24	हमीरपुर	चौकी	201	100	101	33	11	22
25	हमीरपुर	बल्ला गीरथन	66	30	36	17	10	7
26	हमीरपुर	टिहरा	211	99	112	54	17	37
27	काँगड़ा	बाग	19	9	10	3	1	2
28	काँगड़ा	चौकी	166	82	84	57	22	35
29	काँगड़ा	टीपरी	89	42	47	29	11	18
30	काँगड़ा	बूली	83	43	40	31	13	18
31	काँगड़ा	कियोध	130	65	65	56	28	28
32	काँगड़ा	डली	49	26	23	19	6	13
33	काँगड़ा	भलौंदर	405	202	203	122	35	87
34	काँगड़ा	डाडु	51	22	29	15	6	9
35	काँगड़ा	बेहरी नीचली	178	80	98	45	14	31
36	काँगड़ा	बीर	665	319	346	150	64	86
37	काँगड़ा	साई	683	331	352	158	67	91

धौलासिध जल विद्युत् परियोजना (66 मेगावाट) के लिए की जा रही प्रस्तावित भूमि अर्जन का सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन ।

क्र स	ज़िला	गाँव	साक्षर			निरक्षर		
			कुल	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला
38	काँगड़ा	पपरोला	214	104	110	43	15	28
39	काँगड़ा	आलमपुर	1364	690	674	318	137	181
40	काँगड़ा	लियूँड़ा	271	134	137	82	33	49
कुल			37434	18399	19035	11835	4266	7569


स्रोत: जनगणना 2011

5.4.1 पीएपी की साक्षरता स्थिति

प्राथमिक सर्वेक्षण के अनुसार, कुल 10946 पीएपी में से 2804 (26%) हाईस्कूल पास हैं, 2430 (22%) इंटरमीडिएट पास हैं, 1718 (16%) ने 5 वीं से 8 वीं कक्षा के बीच, 990 (9%) ने 5वीं कक्षा तक स्कूली शिक्षा प्राप्त की है। 1024 (9%) स्नातक हैं, 698 (6%) पोस्ट ग्रेजुएट हैं, 138 (1%) साक्षर हैं और 1144 (11%) निरक्षर हैं। तालिका में नीचे दिए गए PAPS के बीच साक्षरता की स्थिति है:

तालिका 33: पीएपी की साक्षरता स्थिति

पंक्ति सूचक	महिलाएँ	पुरुष	कुल
1: साक्षर	58	80	138
2: निरक्षर	850	294	1144
3: 5वीं तक	625	365	990
4: 5 वीं से 8 वीं तक	952	766	1718
5: 10 वीं	1240	1564	2804
6: 12 वीं	932	1498	2430
7: स्नातक	451	573	1024
8: परा स्नातक	293	405	698



धौलासिध जल विद्युत् परियोजना (66 मेगावाट) के लिए की जा रही प्रस्तावित भूमि अर्जन का सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन ।

कुल	5401	5545	10946
-----	------	------	-------

* स्रोत: प्राथमिक सर्वेक्षण

5.5 आर्थिक प्रोफाइल

2011 की जनगणना के अनुसार, परियोजना गांवों में कुल 10946 लोगों में से, 28042 (57%) कुल कार्यबल (मुख्य + सीमांत) है। 28042 के इस कार्यबल में से 15225 (54%) महिलाएं हैं और 12817 (46%) पुरुष हैं।

तालिका 34: परियोजना क्षेत्र में कार्यबल

क्र स	ज़िला	गाँव	कुल जन संख्या	कार्य बल (मुख्य + सीमांत)		
				कुल	पुरुष	महिलाएँ
1	हमीरपुर	सुजानपुर	38064	21878	9874	12004
2	हमीरपुर	बगहड बुल्ला	772	342	150	192
3	हमीरपुर	बीर खास	331	150	67	83
4	हमीरपुर	समोना	258	122	50	72
5	हमीरपुर	पलाही	146	69	30	39
6	हमीरपुर	कछ	193	98	53	45
7	हमीरपुर	परगना	238	118	67	51
8	हमीरपुर	रियाह	99	25	21	4
9	हमीरपुर	दारला	587	411	197	214
10	हमीरपुर	महरपूरा	415	157	124	33
11	हमीरपुर	मायना	98	39	28	11
12	हमीरपुर	हार	0	0	0	0
13	हमीरपुर	गहलियाँ	64	51	21	30
14	हमीरपुर	रोपा	74	62	30	32
15	हमीरपुर	भदरना	228	158	79	79
16	हमीरपुर	सरोहल	322	267	133	134
17	हमीरपुर	मथान	63	48	26	22
18	हमीरपुर	लौंगनी	278	218	104	114

धौलासिध जल विद्युत् परियोजना (66 मेगावाट) के लिए की जा रही प्रस्तावित भूमि अर्जन का सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन ।

क्र स	ज़िला	गाँव	कुल जन संख्या	कार्य बल (मुख्य + सीमांत)		
				कुल	पुरुष	महिलाएँ
19	हमीरपुर	बलेहु	183	142	59	83
20	हमीरपुर	भरमाड़	206	142	53	89
21	हमीरपुर	गरोरू बुल्ला	77	68	36	32
22	हमीरपुर	गगल	251	126	62	64
23	हमीरपुर	झीण	245	186	94	92
24	हमीरपुर	चौकी	234	81	58	23
25	हमीरपुर	बल्ला गीरथन	83	57	25	32
26	हमीरपुर	टिहरा	265	15	11	4
27	काँगड़ा	बाग	22	12	7	5
28	काँगड़ा	चौकी	223	125	53	72
29	काँगड़ा	टीपरी	118	65	25	40
30	काँगड़ा	बूली	114	68	30	38
31	काँगड़ा	कियोध	186	100	42	58
32	काँगड़ा	डली	68	32	10	22
33	काँगड़ा	बुल्हन्दर	527	323	120	203
34	काँगड़ा	डाडु	66	23	9	14
35	काँगड़ा	बेहरी नीचली	223	86	30	56
36	काँगड़ा	बीर	815	431	197	234
37	काँगड़ा	साई	841	393	169	224
38	काँगड़ा	पपरोला	257	127	53	74
39	काँगड़ा	आलमपुर	1682	1069	551	518
40	काँगड़ा	लियूँडा	353	158	69	89
कुल			49269	28042	12817	15225

*स्रोत: जनगणना, 2011.

5.5.1 मुख्य कार्यशील जनसंख्या

2011 की जनगणना के अनुसार, परियोजना गांवों में कुल 28042 कार्य बल में से 11528 (41%) मुख्य कार्यशील आबादी की श्रेणी में आते हैं, जो ऐसे लोग हैं जो एक वर्ष में 180 से अधिक दिनों के लिए कार्यरत हैं। इसमें से 11528, 7041 (61%) पुरुष हैं और 4487 (39%) महिलाएं हैं। नीचे दी गई तालिका में कृषक, खेतिहर मजदूर, हाउस होल्ड इंडस्ट्री की आबादी और अन्य जैसे विभिन्न श्रेणियों में मुख्य कामकाजी आबादी का एक गांववार वर्गीकरण है।

तालिका 35: परियोजना क्षेत्र में मुख्य कार्यशील जनसंख्या

क्र.स.	ज़िला	गाँव	कुल कार्य बल (मुख्य + सीमांत)	मुख्य किसान			मुख्य कृषि मजदूर			मुख्य उद्योग घरेलू			मुख्य श्रमिक अन्य			कुल मुख्य कार्य जनसंख्या		
				कुल	पुरुष	महिलाएँ	कुल	पुरुष	महिलाएँ	कुल	पुरुष	महिलाएँ	कुल	पुरुष	महिलाएँ	कुल	पुरुष	महिलाएँ
1.	हमीरपुर	सुजानपुर	21878	8986	5339	3647	3407	936	2471	207	97	110	134	102	32	5238	4204	1034
2.		बगहड बुल्ला	342	288	139	149	91	23	68	77	12	65	4	4	0	116	100	16
3.		बीरखास	150	60	41	19	6	2	4	0	0	0	14	11	3	40	28	12
4.		समोना	122	42	39	3	2	1	1	0	0	0	1	1	0	39	37	2
5.		पलाही	69	20	18	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	18	2
6.		कछ	98	25	22	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	22	3
7.		परगना	118	17	16	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	16	15	1
8.		रियाह	25	22	18	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	18	4

धौलासिध जल विद्युत् परियोजना (66 मेगावाट) के लिए की जा रही प्रस्तावित भूमि अर्जन का सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन ।

क्र.स.	ज़िला	गाँव	कुल कार्य बल (मुख्य + सीमांत)	मुख्य किसान			मुख्य कृषि मजदूर			मुख्य उद्योग घरेलू			मुख्य श्रमिक अन्य			कुल मुख्य कार्य		
				कुल	पुरुष	महिलाएँ	कुल	पुरुष	महिलाएँ	कुल	पुरुष	महिलाएँ	कुल	पुरुष	महिलाएँ	कुल	पुरुष	महिलाएँ
9.		दारला	411	252	110	142	156	32	124	0	0	0	0	0	0	96	78	18
10.		महरपूरा	157	153	124	29	32	18	14	5	5	0	2	1	1	114	100	14
11.		मायना	39	38	27	11	12	2	10	0	0	0	0	0	0	26	25	1
12.		हार	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.		गहलियाँ	51	10	9	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	9	1
14.		रोपा	62	11	9	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	9	2
15.		भदरना	158	85	43	42	56	16	40	0	0	0	0	0	0	29	27	2
16.		सरोहल	267	32	26	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32	26	6
17.		मथान	48	13	10	3	9	6	3	1	1	0	0	0	0	3	3	0
18.		लौंगनी	218	64	58	6	35	32	3	13	11	2	0	0	0	16	15	1
19.		बलेहु	142	40	34	6	21	18	3	7	6	1	0	0	0	12	10	2
20.		भरमाड़	142	141	53	88	109	21	88	0	0	0	0	0	0	32	32	0
21.		गरोरू बुल्ला	68	67	36	31	55	24	31	0	0	0	1	1	0	11	11	0

धौलासिध जल विद्युत् परियोजना (66 मेगावाट) के लिए की जा रही प्रस्तावित भूमि अर्जन का सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन ।

क्र स	ज़ि ला	गाँव	कुल कार्य बल (मु ख्य + सीमां त)	मुख्य किसान			मुख्य कृषि मजदूर			मुख्य उद्योग घरेलू			मुख्य श्रमिक अन्य			कुल मुख्य कार्य जनसंख्या		
				कुल	पुरुष	महिलाएँ	कुल	पुरुष	महिलाएँ	कुल	पुरुष	महिलाएँ	कुल	पुरुष	महिलाएँ	कुल	पुरुष	महिलाएँ
22.		गगल	126	62	47	15	12	6	6	1	1	0	0	0	0	49	40	9
23.		झीण	186	105	51	54	69	19	50	0	0	0	0	0	0	36	32	4
24.		चौकी	81	49	38	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49	38	11
25.		बल्ला गीरथन	57	6	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	5	1
26.		टिहरा	15	15	11	4	0	0	0	3	2	1	0	0	0	12	9	3
27.		बाग	12	7	5	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	5	2
28.	कागाड़ा	चौकी	125	44	40	4	9	8	1	0	0	0	1	1	0	34	31	3
29.		टीपरी	65	15	12	3	2	0	2	0	0	0	0	0	0	13	12	1
30.		बूली	68	6	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	4	2
31.		कियोध	100	45	37	8	3	0	3	0	0	0	0	0	0	42	37	5
32.		डली	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.		बुल्हन्द र	323	67	52	15	1	1	0	0	0	0	0	0	0	66	51	15
34.		डाडु	23	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	0

धौलासिध जल विद्युत् परियोजना (66 मेगावाट) के लिए की जा रही प्रस्तावित भूमि अर्जन का सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन ।

क्र स	ज़ि ला	गाँव	कुल कार्य बल (मु ख्य + सीमां त)	मुख्य किसान			मुख्य कृषि मजदूर			मुख्य घरेलू उद्योग			मुख्य श्रमिक अन्य			कुल मुख्य कार्य		
				कुल जनसंख्या	पुरुष	महिलाएँ	कुल जनसंख्या	पुरुष	महिलाएँ	कुल जनसंख्या	पुरुष	महिलाएँ	कुल जनसंख्या	पुरुष	महिलाएँ	कुल जनसंख्या	पुरुष	महिलाएँ
35.		बेहरी नीचली	86	24	20	4	0	0	0	2	2	0	0	0	0	22	18	4
36.		बीर	431	167	126	41	38	17	21	4	1	3	2	2	0	123	106	17
37.		साई	393	111	89	22	13	10	3	0	0	0	0	0	0	98	79	19
38.		पपरो ला	127	26	22	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	22	4
39.		आलम पुर	1069	301	252	49	24	13	11	2	2	0	5	5	0	270	232	38
40.		लियूँडा	158	106	53	53	7	1	6	0	0	0	0	0	0	99	52	47
कुल			2804 2	1152 8	704 1	448 7	4169	120 6	296 3	32 2	14 0	18 2	16 5	129	36	6872	556 6	130 6

*स्रोत: जनगणना 2011

कुल मुख्य कार्यशील जनसंख्या में से 4169 (36%) कृषक हैं, 322 (3%) खेतिहर मजदूर हैं, 165 (1%) घरेलू उद्योगों में शामिल हैं और 6872 (60%) अन्य श्रमिकों के रूप में वर्गीकृत किए गए हैं।

तालिका 36: परियोजना क्षेत्र में मुख्य कार्यशील जनसंख्या का वर्गीकरण

क्र स	श्रेणी	कुल	पुरुष	महिलाएँ
1	मुख्य किसान जनसंख्या	4169	1206	2963
2	मुख्य कृषि मजदूर जनसंख्या	322	140	182

धौलासिध जल विद्युत् परियोजना (66 मेगावाट) के लिए की जा रही प्रस्तावित भूमि अर्जन का सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन ।

3	मुख्य घरेलू उद्योग जनसंख्या	165	129	36
4	मुख्य अन्य श्रमिक जनसंख्या	6872	5566	1306
5	कुल मुख्य कार्यशील जनसंख्या	11528	7041	4487

5.5.2 सीमांत श्रमिक

2011 की जनगणना के अनुसार, परियोजना के गांवों में कुल 28042 कार्यबल में से 16514 (59%) व्यक्तियों को मामूली रूप से नियोजित किया गया है जो हर साल 180 दिनों से भी कम समय के लिए कार्यरत हैं। इसमें से 16514, 5776 (35%) पुरुष हैं और 10738 (65%) महिलाएं हैं। नीचे दी गई तालिका में किसानों, खेतिहर मजदूरों, हाउस होल्ड स्टूडेंट्स और अन्य जैसे विभिन्न श्रेणियों में सीमांत कामकाजी आबादी का एक गांववार वर्गीकरण है

तालिका 37: परियोजना क्षेत्र में सीमांत श्रमिक

क्र.सं.	ज़िला	गाँव	कुल कार्यबल (मुख्य + सीमांत)	खेती करने वाली आबादी			कृषि मजदूर जनसंख्या			घरेलू उद्योग जनसंख्या			अन्य श्रमिक जनसंख्या			कुल सीमांत कार्य जनसंख्या		
				कुल	पुरुष	महिलाएँ	कुल	पुरुष	महिलाएँ	कुल	पुरुष	महिलाएँ	कुल	पुरुष	महिलाएँ	कुल	पुरुष	महिलाएँ
1.	हमीरपुर	सुजानपुर	21878	12892	4535	8357	10194	3347	6847	313	123	190	98	57	41	2287	1008	1279
2.		बगहड बुल्ला	342	54	11	43	15	5	10	11	2	9	1	0	1	27	4	23
3.		बीर खास	150	90	26	64	62	11	51	3	0	3	1	0	1	24	15	9
4.		समोना	122	80	11	69	69	3	66	0	0	0	0	0	0	11	8	3
5.		पलाही	69	49	12	37	23	9	14	0	0	0	0	0	0	26	3	23
6.		कछ	98	73	31	42	18	9	9	1	1	0	2	2	0	52	19	33

धौलासिध जल विद्युत् परियोजना (66 मेगावाट) के लिए की जा रही प्रस्तावित भूमि अर्जन का सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन ।

क्र.स.	ज़िला	गाँव	कुल कार्य बल (मुख्य + सीमांत)	खेती करने वाली आबादी			कृषि मजदूर जनसंख्या			घरेलू उद्योग जनसंख्या			अन्य श्रमिक जनसंख्या			कुल सीमांत कार्य जनसंख्या		
				कुल	पुरुष	महिलायें	कुल	पुरुष	महिलायें	कुल	पुरुष	महिलायें	कुल	पुरुष	महिलायें	कुल	पुरुष	महिलायें
7.		परगना	118	101	51	50	28	12	16	1	1	0	0	0	0	72	38	34
8.		रियाह	25	3	3	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0
9.		दारला	411	159	87	72	131	75	56	0	0	0	0	0	0	28	12	16
10.		महरपूरा	157	4	0	4	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
11.		मायना	39	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.		हार	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.		गहलियाँ	51	41	12	29	33	5	28	0	0	0	0	0	0	8	7	1
14.		रोपा	62	51	21	30	44	14	30	0	0	0	0	0	0	7	7	0
15.		भदरना	158	73	36	37	71	34	37	0	0	0	0	0	0	2	2	0
16.		सरोहल	267	235	107	128	177	53	124	1	0	1	0	0	0	57	54	3
17.		मथान	48	35	16	19	23	8	15	12	8	4	0	0	0	0	0	0
18.		लौंगनी	218	154	46	108	139	44	95	15	2	13	0	0	0	0	0	0
19.		बलेहु	142	102	25	77	86	19	67	16	6	10	0	0	0	0	0	0

धौलासिध जल विद्युत् परियोजना (66 मेगावाट) के लिए की जा रही प्रस्तावित भूमि अर्जन का सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन ।

क्र.स.	ज़िला	गाँव	कुल कार्य बल (मुख्य + सीमांत)	खेती करने वाली आबादी			कृषि मजदूर जनसंख्या			घरेलू उद्योग जनसंख्या			अन्य श्रमिक जनसंख्या			कुल सीमांत कार्य जनसंख्या		
				कुल	पुरुष	महिलायें	कुल	पुरुष	महिलायें	कुल	पुरुष	महिलायें	कुल	पुरुष	महिलायें	कुल	पुरुष	महिलायें
20.		भरमाड़	142	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.		गरोरु बुल्ला	68	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.		गगल	126	64	15	49	55	11	44	0	0	0	0	0	0	9	4	5
23.		झीण	186	81	43	38	69	34	35	0	0	0	4	1	3	8	8	0
24.		चौकी	81	32	20	12	14	7	7	0	0	0	0	0	0	18	13	5
25.		बल्ला गीरथन	57	51	20	31	48	20	28	3	0	3	0	0	0	0	0	0
26.		टिहरा	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	काँगड़ा	बाग	12	5	2	3	4	1	3	0	0	0	0	0	0	1	1	0
28.		चौकी	125	81	13	68	80	13	67	0	0	0	1	0	1	0	0	0
29.		टीपरी	65	50	13	37	50	13	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.		बूली	68	62	26	36	62	26	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.		कियोध	100	55	5	50	50	2	48	0	0	0	0	0	0	5	3	2
32.		डली	32	32	10	22	32	10	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0

धौलासिध जल विद्युत् परियोजना (66 मेगावाट) के लिए की जा रही प्रस्तावित भूमि अर्जन का सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन ।

क्र.स.	ज़िला	गाँव	कुल कार्य बल (मुख्य + सीमांत)	खेती करने वाली आबादी			कृषि मजदूर जनसंख्या			घरेलू उद्योग जनसंख्या			अन्य श्रमिक जनसंख्या			कुल सीमांत कार्य जनसंख्या		
				कुल	पुरुष	महिलायें	कुल	पुरुष	महिलायें	कुल	पुरुष	महिलायें	कुल	पुरुष	महिलायें	कुल	पुरुष	महिलायें
33.		बुल्हन्दर	323	256	68	188	254	68	186	2	0	2	0	0	0	0	0	0
34.		डाडु	23	17	3	14	11	0	11	6	3	3	0	0	0	0	0	0
35.		बेहरी नीचली	86	62	10	52	51	0	51	0	0	0	0	0	0	11	10	1
36.		बीर	431	264	71	193	245	61	184	7	2	5	3	0	3	9	8	1
37.		साई	393	282	80	202	249	53	196	1	1	0	4	4	0	28	22	6
38.		पपरोला	127	101	31	70	95	25	70	0	0	0	0	0	0	6	6	0
39.		आलमपुर	1069	768	299	469	569	176	393	53	28	25	16	6	10	130	89	41
40.		लियूँडा	158	52	16	36	0	0	0	0	0	0	1	1	0	51	15	36
कुल			2804	1651	577	1073	13057	417	888	44	17	26	13	71	60	2881	135	152
			2	4	6	8	0	7	5	7	8	1				8	3	

* स्रोत: जनगणना, 2011

16514 की कुल सीमांत कामकाजी आबादी में से 13057 (79%) कृषक हैं, 445 (3%) खेतिहर मजदूर हैं, 131 (1%) घरेलू उद्योगों में शामिल हैं और 2881 (17%) कुछ अन्य काम कर रहे हैं।

तालिका 38: परियोजना क्षेत्र में सीमांत श्रमिकों का वर्गीकरण

क्रमांक	श्रेणी	कुल	पुरुष	महिलायें
1	मुख्य किसान जनसंख्या	13057	4170	8887

धौलासिध जल विद्युत् परियोजना (66 मेगावाट) के लिए की जा रही प्रस्तावित भूमि अर्जन का सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन ।

2	मुख्य कृषि मजदूर जनसंख्या	445	177	268
3	मुख्य घरेलू उद्योग जनसंख्या	131	71	60
4	मुख्य अन्य श्रमिक जनसंख्या	2881	1358	1523
5	कुल मुख्य कार्य जनसंख्या	16514	5776	10738
* स्रोत: जनगणना, 2011				

5.5.3 गैर कार्यशील जनसंख्या

जनगणना 2011 के अनुसार, परियोजना गांवों में कुल 49269 लोगों में से 21227 (43%) गैर-कार्यशील आबादी की श्रेणी में आते हैं। इस 21227 गैर-कामकाजी आबादी में, 46% (9848) पुरुष हैं और 54% (11379) महिलाएं हैं।

नीचे दी गई तालिका में परियोजना क्षेत्र में गैर-कामकाजी आबादी का एक गांववार वितरण दिखाया गया है:

तालिका 39: परियोजना क्षेत्र में गैर कार्यशील जनसंख्या

क्र स	ज़िला	नाम	हाउस होल्ड स0	कुल जनसंख्या	गैर-कार्यशील जनसंख्या		
					कुल	पुरुष	महिलायें
1	हमीरपुर	सुजानपुर	8924	38064	16186	7488	8698
2	हमीरपुर	बगहड बुल्ला	199	772	430	190	240
3	हमीरपुर	बीर खास	78	331	181	90	91
4	हमीरपुर	समोना	60	258	136	66	70
5	हमीरपुर	पलाही	30	146	77	38	39
6	हमीरपुर	कछ	44	193	95	47	48
7	हमीरपुर	परगना	59	238	120	48	72
8	हमीरपुर	रियाह	24	99	74	26	48
9	हमीरपुर	दारला	134	587	176	81	95
10	हमीरपुर	महरपूरा	96	415	258	80	178
11	हमीरपुर	मायना	21	98	59	19	40

धौलासिध जल विद्युत् परियोजना (66 मेगावाट) के लिए की जा रही प्रस्तावित भूमि अर्जन का सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन ।

क्र स	ज़िला	नाम	हाउस होल्ड	कुल जनसंख्या	गैर-कार्यशील जनसंख्या		
12	हमीरपुर	हार	0	0	0	0	0
13	हमीरपुर	गहलियाँ	14	64	13	8	5
14	हमीरपुर	रोपा	15	74	12	11	1
15	हमीरपुर	भदरना	47	228	70	32	38
16	हमीरपुर	सरोहल	62	322	55	24	31
17	हमीरपुर	मथान	12	63	15	7	8
18	हमीरपुर	लौंगनी	60	278	60	37	23
19	हमीरपुर	बलेहु	38	183	41	25	16
20	हमीरपुर	भरमाड़	45	206	64	33	31
21	हमीरपुर	गरोरू बुल्ला	18	77	9	4	5
22	हमीरपुर	गगल	57	251	125	58	67
23	हमीरपुर	झीण	57	245	59	27	32
24	हमीरपुर	चौकी	64	234	153	53	100
25	हमीरपुर	बल्ला गीरथन	16	83	26	15	11
26	हमीरपुर	टिहरा	63	265	250	105	145
27	काँगड़ा	बाग	6	22	10	3	7
28	काँगड़ा	चौकी	52	223	98	51	47
29	काँगड़ा	टीपरी	28	118	53	28	25
30	काँगड़ा	बूली	33	114	46	26	20
31	काँगड़ा	कियोध	39	186	86	51	35
32	काँगड़ा	डली	20	68	36	22	14
33	काँगड़ा	बुल्हन्दर	138	527	204	117	87
34	काँगड़ा	डाडु	18	66	43	19	24
35	काँगड़ा	बेहरी नीचली	65	223	137	64	73
36	काँगड़ा	बीर	190	815	384	186	198
37	काँगड़ा	साई	198	841	448	229	219

धौलासिध जल विद्युत् परियोजना (66 मेगावाट) के लिए की जा रही प्रस्तावित भूमि अर्जन का सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन ।

क्र स	ज़िला	नाम	हाउस होल्ड	कुल जनसंख्या	गैर-कार्यशील जनसंख्या		
					130	66	64
38	काँगड़ा	पपरोला	55	257	130	66	64
39	काँगड़ा	आलमपुर	406	1682	613	276	337
40	काँगड़ा	लियूँड़ा	88	353	195	98	97
कुल			11573	49269	21227	9848	11379

*स्रोत: जनगणना, 2011.

5.6 आय और गरीबी स्तर

घरेलू सर्वेक्षण के अनुसार, कुल 2546 परियोजना प्रभावित हौसेहोल्ड के लगभग 1547 (61%) वार्षिक घर की आय 2.5 लाख रुपये से कम है। लगभग 630 (21%) की सालाना आय 2.5 लाख से 5 लाख रुपये के बीच है। उनमें से 210 (8%) के पास अपने घर की आमदनी 5 लाख से 7.5 लाख के बीच सालाना है, लगभग 79 (3%) के पास 10 लाख से 12.5 लाख है और शेष 3% के पास उनके वार्षिक आय 12.5 लाख रुपये से अधिक है। परियोजना क्षेत्र में लगभग 96 (4%) व्यक्ति BPL की श्रेणी में आते हैं।

तालिका 40: परियोजना से प्रभावित लोगों की वार्षिक घरेलू आय

वार्षिक घरेलू आय	हाउस होल्ड की संख्या
2.5 लाख से कम	1547
2.5 लाख से 5 लाख	630
5 लाख से 7.5 लाख रु	210
7.5 लाख से 10 लाख	79
10 लाख से 12.5 लाख	33
12.5 लाख से 15 लाख रु	20
15 लाख से 17.5 लाख	8
17.5 लाख से 20 लाख रु	6
20 लाख से ऊपर	13

कुल	2546
-----	------

*स्रोत: फील्ड सर्वेक्षण

ऋणात्मकता: प्राथमिक हितधारकों के सर्वेक्षण के आंकड़ों के विश्लेषण के अनुसार यह पाया गया कि पीएपी के बीच ऋणग्रस्तता कम है। केवल 24 लोगों ने ऋण लेने के बारे में साझा किया। इन 24 में से 7 ने हाउस लोन लिया और 7 ने व्यावसायिक उद्देश्य के लिए लोन लिया, 3 ने कृषि और शादी के उद्देश्य के लिए लोन लिया और 2 ने शिक्षा और वाहन के लिए लोन लिया।

तालिका 41: पीएएफ के बीच ऋणात्मकता

ऋण का उद्देश्य	पीएएफ संख्या
होम लोन	7
कृषि	3
विवाह प्रयोजन	3
व्यापार	7
शिक्षा	2
वाहन	2
कुल	24

* स्रोत: फील्ड सर्वेक्षण

5.7 दुर्बल समूह

दुर्बल समूह वे समूह हैं जो किसी भी परिस्थिति में कमजोर होंगे (जैसे कि जहां विकलांगता, बीमारी, उम्र, लिंग या किसी अन्य विशेषता के कारणों से वयस्क घर के लिए एक पर्याप्त आजीविका प्रदान करने में असमर्थ हैं), और ऐसे समूह किसी भी उपलब्ध स्रोत से पर्याप्त आय प्रदान करने के लिए जिनके पास संसाधन बंदोबस्त अपर्याप्त हैं ।

भेदभाव का सामना करने वाले संवेदनशील समूहों में शामिल हैं- महिलाएं, वृद्धावस्था, शारीरिक और मानसिक विकलांगता, किसी बड़ी बीमारी से पीड़ित लोग आदि। कभी-कभी प्रत्येक समूह अपनी कई कमजोरियों के कारण कई बाधाओं का सामना करता है। उदाहरण के लिए, एक पितृसत्तात्मक समाज में, विकलांग महिलाओं को एक महिला होने और विकलांग होने के दोहरे भेदभाव का सामना करना पड़ता है।

नीचे दी गई सारणी परियोजना क्षेत्र में कमजोर घरों / व्यक्तियों की स्थिति को सारांशित करती है:

तालिका 42: परियोजना दुर्बल समूह

क्रम सं	दुर्बल समूह	गिनती
1.	महिला प्रधान घराने	857
2.	शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति द्वारा संचालित घर	22
3.	बीपीएल जनसंख्या	432
4.	विधवा महिला	763
5.	तलाकशुदा महिला	8
6.	पीडब्ल्यूडी महिला	27
7.	पीडब्ल्यूडी पुरुष	44
8.	पोलियो से पीड़ित लोग	3
9.	पक्षाघात से पीड़ित लोग	2
10.	मानसिक रूप से विकलांग	6
11.	एससी वर्ग	393
12.	बुजुर्ग व्यक्ति	1744

*स्रोत: प्राथमिक सर्वेक्षण

कुल 2546 घरों में से, 857 (34%) महिलाओं की अध्यक्षता में हैं। 22 (1%) परिवार परियोजना क्षेत्र में शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति के नेतृत्व में हैं।

इसके अलावा, PAPs में, 432 (4%) BPL श्रेणी के हैं। राज्य की बीपीएल आबादी का औसत प्रतिशत 8.06% है और राज्य का ग्रामीण औसत 8.48% है।

763 महिलाएं विधवा हैं, 8 महिलाएं तलाकशुदा हैं, 27 महिलाएं और 44 पुरुष शारीरिक रूप से अक्षम हैं और 11 व्यक्ति बड़ी बीमारी से पीड़ित हैं, जिनमें पोलियो, पक्षाघात और मानसिक असहायता शामिल हैं 93 लोग एससी श्रेणी के हैं 744 व्यक्ति 60 वर्ष से अधिक आयु के हैं।

5.8 भूमि उपयोग और आजीविका

अर्जन के तहत 246.8062 हेक्टेयर की कुल भूमि में से, 22.7 हेक्टेयर (9%) भूमि पर खेती की जाती है और 223.41 हेक्टेयर (91%) भूमि का उपयोग नहीं किया जाता है। नीचे दी गई तालिका में अर्जन के तहत खेती की गई या गैर-ज़मीन का जिलावार वितरण है :

तालिका 43:परियोजना क्षेत्र में भूमि का उपयोग

प्रकार	हमीरपुर	काँगड़ा	कुल
खेती	13.6282	9.1512	22.7794
बीहड़	136.15	87.26	223.41
कुल	149.7783	96.4118	246.806201

* स्रोत: प्राथमिक सर्वेक्षण

एक अर्थव्यवस्था का फसल पैटर्न किसानों के द्वारा विभिन्न फसलों को दिए गए समय के सापेक्ष महत्व को इंगित करता है। एक क्षेत्र में फसल का पैटर्न सीमित भूमि संसाधनों के साथ-साथ आर्थिक, संस्थागत, ढांचागत और तकनीकी कारकों में परिवर्तन के अनुसार बदलता है। परियोजना क्षेत्र में कुल पीएफ में से, केवल 522(21%) हाउसहोल्ड खेती के लिए अपनी - भूमि का उपयोग कर रहे हैं जो उनकी आजीविका के स्रोतों में से एक है। इन 21% में से, लगभग 98.5% सीजन के अनुसार मल्टीक्रॉपिंग में शामिल हैं। विभिन्न मौसमों में खेती में - शामि PAP द्वारा उगाई गई विभिन्न फसलों का विवरण नीचे दिया गया है:

तालिका 44: परियोजना क्षेत्र में प्रमुख फसलें

मौसम	फसल श्रेणी	फ़सल1	फ़सल2	फ़सल3	फ़सल4	फ़सल5	फ़सल6	कुल
काश्तयोग्य								
रबी	मक्का	0.14%	0.26%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.40%
रबी	सब्जियां	0.00%	0.02%	0.02%	0.07%	0.00%	0.00%	0.12%
रबी	जौ और गेहूं	47.44%	1.59%	0.02%	0.00%	0.09%	0.00%	49.15%
अयोग्य								
खरीफ़	मक्का	0.09%	46.71%	1.82%	0.09%	0.00%	0.09%	48.82%
खरीफ़	दलहन	0.00%	0.00%	0.00%	0.02%	0.00%	0.00%	0.02%
खरीफ़	सब्जियां	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.02%	0.14%	0.17%

धौलासिध जल विद्युत् परियोजना (66 मेगावाट) के लिए की जा रही प्रस्तावित भूमि अर्जन का सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन ।

खरीफ	जौ और गेहूं	0.00%	0.09%	0.07%	0.00%	0.00%	0.00%	0.17%												
बागवानी																				
बागवानी	केला	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.02%	0.02%												
बागवानी	आम	0.00%	0.00%	0.59%	0.17%	0.05%	0.12%	0.92%												
बागवानी	नारंगी	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.02%	0.02%												
बागवानी	नाशपाती	0.00%	0.00%	0.00%	0.05%	0.00%	0.00%	0.05%												
बागवानी	करौंदा	0.00%	0.00%	0.00%	0.02%	0.00%	0.00%	0.02%												
बागवानी	कथा	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.07%	0.00%	0.07%												
बागवानी	काले बेर	0.00%	0.00%	0.05%	0.00%	0.00%	0.00%	0.05%												
<table border="1"> <caption>% of PAP Involved by Type of Crops</caption> <thead> <tr> <th>Type of Crops</th> <th>% of PAP Involved</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Horticulture</td> <td>1.16%</td> </tr> <tr> <td>Maize</td> <td>49.22%</td> </tr> <tr> <td>Pulses</td> <td>0.02%</td> </tr> <tr> <td>Vegetables</td> <td>0.28%</td> </tr> <tr> <td>Wheat/Barley</td> <td>49.31%</td> </tr> </tbody> </table>									Type of Crops	% of PAP Involved	Horticulture	1.16%	Maize	49.22%	Pulses	0.02%	Vegetables	0.28%	Wheat/Barley	49.31%
Type of Crops	% of PAP Involved																			
Horticulture	1.16%																			
Maize	49.22%																			
Pulses	0.02%																			
Vegetables	0.28%																			
Wheat/Barley	49.31%																			

* स्रोत: फील्ड सर्वेक्षण

रबी मौसम (अक्टूबर से फरवरी) की प्रमुख फसलें गेहूं, मक्का और सब्जियाँ हैं। खरीफ के मौसम (जुलाई से सितंबर) में मक्का, दाल, सब्जियाँ उगाई जाती हैं।

2% से कम PAP के मुख्य उत्पादों के रूप में केला, आम, संतरा, नाशपाती, आंवले और केचू के साथ बागवानी में शामिल हैं।


5.9 स्थानीय आर्थिक गतिविधियाँ

कुल 10946 पीएपी में से 5732 (52%) काम कर रहे हैं। इस 52%, में से 1458 (25.44%) प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं, 1138 (19.8%) किसान हैं, 839 (14.64%) सरकारी कर्मचारी हैं, 567 (9.89%) दिहाड़ी मजदूर हैं, 492 (8.58%) MGNREGA में काम कर रहे हैं, घरेलू

सहायकों, व्यवसाय, निजी दुकान और चालक सहित कुछ अन्य कार्यों को पूरा करने वाले 3% से कम हैं। शेष काम करने वाली आबादी कारखाने के श्रमिकों, विक्रेताओं, रग्मैन, कारखाने के श्रमिकों या कुछ और करने के रूप में काम कर रही है। नीचे दिए गए परियोजना क्षेत्र में मुख्य आर्थिक गतिविधियों की एक सूची है।

तालिका 45: परियोजना क्षेत्र में स्थानीय आर्थिक गतिविधियाँ

क्र स	आर्थिक गतिविधियाँ	महिलायें	पुरुष	कुल	कुल कामकाजी आबादी का%
1	घरेलू कार्य	112	38	150	2.62%
2	मनरेगा मजदूर	442	50	492	8.58%
3	विक्रेता	5	1	6	0.10%
4	कबाड़ी वाला	1		1	0.02%
5	अन्य	334	288	622	10.85%
6	सरकारी नौकरी	150	689	839	14.64%
7	निजी नौकरी	128	1330	1458	25.44%
8	व्यापार	21	138	159	2.77%
9	दुकान	11	113	124	2.16%
10	किसान	504	634	1138	19.85%



11	दिन का मजदूर	30	537	567	9.89%
12	चालक	10	155	165	2.88%
13	फैक्टरी मजदूर	6	5	11	0.19%
कुल		1754	3978	5732	100.00%

* स्रोत: प्राथमिक सर्वेक्षण

5.10 स्थानीय आजीविका में योगदान करने वाले कारक

कई सामाजिक और प्राकृतिक कारक शिक्षा, लिंगानुपात, महिलाओं की सामाजिक स्थिति, बुनियादी ढांचे की उपलब्धता, कृषिजलवायु परिस्थितियों-, एक क्षेत्र की संस्थागत स्थितियों, प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता, पड़ोसी क्षेत्रों से संपर्क, स्थान और स्थलाकृति सहित आजीविका के विकल्प और विकल्पों की उपलब्धता में योगदान करते हैं।

ग्रामीण हिमाचल प्रदेश में, भूमि स्वामित्व वितरण एक विशिष्ट चरित्र प्रस्तुत करता है, जिसमें किसानों का एक बड़ा हिस्सा सीमांत है और बहुत कम लोगों को किसी भी मानक द्वारा बड़ा माना जा सकता है। वितरण एक तिरछा पैटर्न का अनुसरण करता है। हिमाचल प्रदेश की कृषि संरचना की एक महत्वपूर्ण विशेषता छोटे स्तर के किसान की निरंतरता है, जो संख्या और क्षेत्र दोनों में है। इसके अलावा, पहाड़ी स्थलाकृति के कारण प्रति हेक्टेयर भूमि की औसत उत्पादकता मैदानी इलाकों की तुलना में बहुत कम है। नतीजतन, किसान आमतौर पर अपनी आजीविका के लिए पूरी तरह से कृषि पर निर्भर नहीं होते हैं। इसी तरह, अध्ययन में पाया गया कि सभी पीएफ में परिवार का एक सदस्य कृषि के अलावा अन्य सेक्टर में काम करने वाले थे। अर्जन के तहत 246.8062 हेक्टेयर भूमि में से केवल 9% खेती की जाती है ।

चूंकि पीएपी के 20% किसान हैं, इसलिए जलवायु परिस्थितियों और कृषि को प्रभावित करने वाले कारक स्थानीय आजीविका को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक हैं। जलवायु परिस्थितियां कृषि पैटर्न के वितरण को नियंत्रित करने वाले प्राथमिक प्रभाव हैं। मानव गतिविधि पर जलवायु

के प्रभाव इतने महत्वपूर्ण और विविध हैं कि किसानों ने जानबूझकर इसे अपने अस्तित्व के लिए जानने और समझने की कोशिश की है।

परियोजना क्षेत्र में साक्षरता दर लगभग 90% है, जिसमें से 15% स्नातक और स्नातकोत्तर हैं। आर्थिक परिदृश्य को देखते हुए, 40% से अधिक PAPs सरकारी और निजी दोनों नौकरियों में कार्यरत हैं, 5% अपना खुद का व्यवसाय चला रहे हैं, और शेष 35% के पास विभिन्न अन्य माध्यमिक और तृतीयक क्षेत्रों में लाभ उठाने के अवसर हैं। इसके अलावा, परियोजना क्षेत्र हमीरपुर, कांगड़ा, बिलासपुर, मंडी और शिमला जैसे प्रमुख शहरों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। विशेष रूप से, परियोजना क्षेत्र में कृषि के अलावा कई अवसर हैं जो स्थानीय आबादी द्वारा लाभ उठाया जा रहा है। इसके अलावा, परियोजना के निर्माण और पोस्ट निर्माण चरणों के दौरान 500 श्रमिकों और 100 तकनीकी कर्मचारियों के अनुमानित रोजगार उत्पन्न किए जाएंगे जहां पीएपी को प्राथमिकता दी जाएगी।

5.11 रिश्तेदारी पद्धति

हिमाचल प्रदेश में, भूमि अधिकार केवल एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के लिए पारित किए जाते हैं। राज्य के नियमों के अनुसार, कोई भी प्रवासी "देवभूमि" में जमीन नहीं खरीद सकता है। इसलिए, यहां की भूमि पैतृक संपत्ति है और यह केवल बच्चों / पत्नी को समान रूप से वितरित की जाती है जब तक कि उनकी इच्छा अन्यथा नहीं कहती है।

कई मामलों में, यह देखा गया है कि मूल भूस्वामी के निधन के बाद भी वर्तमान भूमि मालिकों के नाम राजस्व विभाग के साथ अद्यतन नहीं किए गए हैं। किसी भी भूस्वामी की मृत्यु के मामले में, भूमि का स्वामित्व अपने बच्चों / पत्नी को स्वतः हस्तांतरित हो जाता है।

प्राथमिक सर्वेक्षण के दौरान, परियोजना क्षेत्र के कई वर्तमान भूस्वामियों ने साझा किया कि अपनी बहन की शादी के बाद, भाई जमीन के व्यावहारिक मालिक हैं क्योंकि वे भूमि की रक्षा कर रहे हैं और कृषि उत्पादों का उत्पादन भी कर रहे हैं। कई उत्तरदाताओं के अनुसार, यह उनकी आजीविका के प्रमुख स्रोतों में से एक है और भूमि को विभाजित करने से वे आर्थिक रूप से कमजोर हो जाएंगे। उन्होंने यह भी साझा किया कि बहनें अपने वैवाहिक परिवार की जमीन की

खेती में लगी हुई हैं। हालांकि कई मामलों में, बहनों ने मौखिक रूप से स्वामित्व को अपने भाइयों को हस्तांतरित कर दिया है, कोई भी हस्तांतरण राजस्व विभाग के साथ पंजीकृत नहीं है।

5.12 प्रशासनिक, राजनीतिक और नागरिक समाज संगठन

निम्नलिखित संगठनों के परियोजना क्षेत्र में पदचिह्न पाए गए

1. पंचायत
2. पटवार कार्यालय
3. सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य
4. बिजली विभाग
5. कृषि विभाग
6. लोक निर्माण विभाग (PWD)
7. SJVN

➤ राजनीतिक संगठन

1. भाजपा
2. कांग्रेस
3. सीपीएम

➤ समुदाय आधारित और नागरिक समाज संगठन

धाबरियाना पंचायत

- | | |
|------------------------|----------------|
| 1. महिला मंडल चमरकड | (वार्ड नं०. 2) |
| 2. महिला मंडल थाना | (वार्ड नं०. 3) |
| 3. महिला मंडल धमदियाना | (वार्ड नं०. 4) |
| 4. महिला मंडल मेहल्दु | (वार्ड नं०. 1) |
| 5. युवक मंडल थाना | |

दारला पंचायत

1. महिला मंडल मिहालपुर

धौलासिध जल विद्युत् परियोजना (66 मेगावाट) के लिए की जा रही प्रस्तावित भूमि अर्जन का सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन ।

2. महिला मंडल मियाना
3. महिला मंडल चौकी (1)
4. महिला मंडल चौकी (2)
5. महिला मंडल दारला डोगरा
6. महिला मंडल दारला अप्पर
7. महिला मंडल खरशाल
8. महिला मंडल दरिया
9. महिला मंडल लोआर दारला
10. महिला मंडल भदरियाना
11. महिला मंडल जसवाल बस्ती भदरियाना
12. महिला मंडल काजोती
13. महिला मंडल रोपा
14. महोल युवक मंडल बहलोट
15. भलेठ सहकार समिति
16. चामुण्डा - सहकार समिति

आलमपुर पंचायत

1. लक्ष्मी महिला मंडल (वार्ड नं०. 3)
2. खुशर्याल महिला मंडल (वार्ड नं०. 4)
3. राजशत महिला मंडल (वार्ड नं०. 4)
4. शिव महिला मंडल (वार्ड नं०. 7)
5. नारी जागृति महिला मंडल (वार्ड नं०. 5)
6. आनंद महिला मंडल (वार्ड नं०. 2)
7. लक्ष्मी नारायण महिला मंडल (वार्ड नं०. 1)
8. नारी शक्ती महिला मंडल (वार्ड नं०. 6)

चौरु पंचायत

1. महिला मंडल गाँव ठारु (वार्ड नं०. 1)
2. महिला मंडल गाँव जमनोरी (वार्ड नं०. 1)
3. Shiv महिला मंडल गाँव सनाथी (वार्ड नं०. 1)

धौलासिध जल विद्युत् परियोजना (66 मेगावाट) के लिए की जा रही प्रस्तावित भूमि अर्जन का सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन ।

4. महिला मंडल गाँव भदयेटर (वार्ड नं०. 2)
5. महिला मंडल गाँव भूमलु (वार्ड नं०. 3)
6. महिला मंडल गाँव झीण (वार्ड नं०. 3)
7. महिला मंडल गाँव वसूल (वार्ड नं०. 4)
8. महिला मंडल गाँव अमलहडु (वार्ड नं०. 4)
9. महिला मंडल गाँव टिक्करु भरोटा (वार्ड नं०. 5)
10. महिला मंडल गाँव गदियना (वार्ड नं०. 5)
11. महिला मंडल गाँव छोहा चुकरना (वार्ड नं०. 6)
12. युवक मंडल भदेटर गाँव झीण
13. शिव शक्ति स्व सहायता समूह गाँव झीण
14. हरी ओम् स्व सहायता समूह गाँव झीण

जांगल पंचायत

1. शिव शक्ति महिला मंडल (बीड)
2. महिला मंडल भलोट (साई)
3. महिला मंडल उप्पर जांगल
4. विश्वाकर्मा महिला मंडल (साई)
5. नारी जागृति महिला मंडल (साई)
6. जय माता महिला मंडल (मलौम)
7. ओम् भीम राम अम्बेडकर महिला मंडल (बीड)
8. सुदामा सभा महिला मंडल (बीड)
9. लक्ष्मी महिला मंडल बसेहेड (बीड)
10. कबीर पंथी महिला मंडल (साई)
11. मेहरा महिला मंडल बीड (जोगल)
12. नारी उत्थान महिला मंडल (साई)
13. युवक प्रगति शील क्लब जोगल
14. सत्य लक्ष्मी नारायण क्लब जोगल (साई) स्व सहायता समूह
15. जय महावीर युवा क्लब (साई) स्व सहायता समूह
16. धार चतोतरियाँ सहकार कृषि स्व सहायता समूह

सक्रोह पंचायत

1. महिला मंडल झीण (वार्ड नं०. 1)
2. आरती महिला मंडल झीण (वार्ड नं०. 1)
3. महिला मंडल अंद्रना (वार्ड नं०. 2)
4. साई महिला मंडल जोल (वार्ड नं०. 2)
5. प्रगति महिला मंडल लियूँडा (वार्ड नं०. 3)
6. कैलाश महिला मंडल लियूँडा (वार्ड नं०. 3)
7. शांति महिला मंडल सकाह (वार्ड नं०. 4)
8. महिला मंडल करन्थी मोश्वर (वार्ड नं०. 4)
9. जागृति महिला मंडल करन्थी (वार्ड नं०. 5)
10. मुस्कान महिला मंडल करन्थी (वार्ड नं०. 5)
11. संतोषी स्व सहायता समूह (वार्ड नं०. 1)
12. स्व सहायता समूह (वार्ड नं०. 5)
13. दुर्गा स्व सहायता समूह (वार्ड नं०. 2)

कुहन पंचायत

1. नारी जागृति मंडल (उपराली कुहन)
2. नारी जागृति मंडल (औच खड)
3. नारी जागृति मंडल (औच खाना)
4. नारी जागृति मंडल (खास कुहन)
5. युवक मंडल औच (औच)
6. भारतीय युवा मोर्चा जनता पार्टी (कुहन)
7. चंगर सुधार समिति कमेटी (कुहन)

लाहडू पंचायत

1. जागृति महिला मंडल (डोल)
2. सदा महिला मंडल (सदा)
3. अनुसूचित महिला मंडल (भालोंदर)
4. सामान्य महिला मंडल (भलदर)
5. लक्ष्मी महिला मंडल (लहदु)

6. अनुसूचित महिला मंडल (लहड़)
7. कबीर पंथी महिला मंडल (लहड़)
8. चंगर सुधार समिति (लहड़)

जोल पंचायत

1. महिला मंडल काछ पलाही
2. महिला मंडल पलाही समोना
3. महिला मंडल अमन थाती
4. महिला मंडल शिव शक्ति परगना
5. महिला मंडल क्रांति जोल
6. महिला मंडल प्रभाबी जोल
7. महिला मंडल भद्रु समोना
8. महिला मंडल आशा जोल
9. महिला मंडल समोना

5.13 क्षेत्रीय गतिशीलता और ऐतिहासिक परिवर्तन प्रक्रियाएं

ब्यास नदी के बाएं किनारे पर स्थित सुजानपुर टीहरा परियोजना क्षेत्र में पड़ने वाली सबसे बड़ी बस्ती है और राज्य की राजधानी शिमला से लगभग 180 किलोमीटर दूर है। यह डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हमीरपुर से लगभग 25 किलोमीटर और जिला मुख्यालय कांगड़ा से 60 किलोमीटर दूर है। यह SH 39 से हमीरपुर से जुड़ा हुआ है जहाँ बाद में यह NH88 शिमला से जुड़ा हुआ है। इसी प्रकार यह SH 39 से काँगड़ा में सलोह तक जुड़ा हुआ है, जहाँ यह फिर NH 20 में विलीन हो कर कांगड़ा तक जाता है। ब्यास नदी जिले की सीमा कांगड़ा और हमीरपुर जिले बनाती है।

सुजानपुर टीहरा हिमाचल के सभी प्रमुख शहरों और देश के सभी मार्गों से सड़क नेटवर्क के माध्यम से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। यह पालमपुर से 35 किमी, जोगिंदर नगर (79 किमी) और धर्मशाला से लगभग 120 किमी दूर है। आज 200 से अधिक बसें, नियमित टैक्सियों के अलावा विभिन्न शहरों, गांवों और कस्बों को जोड़ने के लिए इस शहर को पार करती हैं। निकटतम रेलवे स्टेशन मारंडा (पालमपुर के पास) है जहां एक तरफ नैरो गेज पठानकोट तक

जाती है और दूसरी तरफ जोगिंद्रनगर। एक तरफ यह सड़क मार्ग से ऊना-नंगल से जुड़ा है, दूसरी तरफ यह कांगड़ा, पठानकोट से जुड़ा हुआ है; मंडी-मनाली और लद्दाख तक और एक तरफ शिमला। इसके भौगोलिक स्थान इस शहर को तारकोल नेटवर्क के वेब के माध्यम से लगभग हर दिशा से जोड़ते हैं।

लगभग तीन दशक पहले, सुजानपुर टीहरा में सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया था जो शहर के बीच में हरे मैदान में स्थित है। इससे कस्बे का महत्व बढ़ गया है।

इतिहास

तिरसुजानपुर को सुजानपुर तीरा या सुजानपुर टीहरा भी कहा जाता है, महाराजा संसार चंद कटोच द्वारा बसा एक सुंदर शहर है जो कांगड़ा का राजा था और बाद में मुस्लिम राजाओं के साथ युद्ध, जो कांगड़ा किले पर कब्जा करना चाहते थे के बाद कांगड़ा से सुजानपुर में स्थानांतरित हो गया। महाराजा संसार चंद ने सुजानपुर के प्रसिद्ध चौगान को घेरते हुए टीरा नामक पहाड़ी के शिखर पर अपने महल, मंदिर और दरबार (बारादरी कहा जाता है) का निर्माण कराया, इसलिए इस शहर का नाम सुजानपुर टीरा है। इस खूबसूरत शहर के बीच में एक वर्ग किलोमीटर का हरा मैदान लोकप्रिय रूप से पहाड़ी भाषा 'चौगान' (जो पूरे साल हरा भरा रहता है) कहा जाता है। अब मैदान का कुछ हिस्सा सैनिक स्कूल के कब्जे में है। मैदान शहर के अधिकांश लोगों, महिलाओं, पुरुषों, बच्चों के लिए शाम की सैर और सभी प्रकार के खेल खेलने के लिए एक बैठक स्थल है। इस मैदान पर सबसे प्रसिद्ध होली मेला भी लगता है जो मार्च के महीने में लगभग २-३ सप्ताह तक चलता है।

जाति व्यवस्था के आधार पर 'चौगान' के प्रत्येक हिस्से पर ब्राह्मणों, व्यापारियों (वैश्यों), काश्तकारों और शूद्रों का कब्जा है। अवधारणा अब बंद हो रही है। इस शहर में राजा द्वारा निर्मित दो प्रसिद्ध मंदिर हैं जो एक तरफ बंसीवाला (भगवान कृष्ण के लिए) हैं, और दूसरी तरफ बड़वा नदी की ओर नरवदेश्वर हैं। टीरा में प्रसिद्ध मंदिर में से एक को 1905 के कांगड़ा भूकंप के दौरान नष्ट हो गया था, साथ ही साथ महल की अधिकांश इमारतें भी। पुरातत्व विभाग ने कुछ स्मारकों को पुनर्स्थापित करने का प्रयास किया है, लेकिन वांछित सीमा तक नहीं हो पाया । यह पुरातत्व विभाग द्वारा किए गए सफेदी की तरह है। पूर्व में कमिश्नर

ई.एन.मंगत्रयी द्वारा अमूल्य कांगड़ा चित्रों में से कई एकत्र किए गए थे और कुछ को चंडीगढ़ के संग्रहालय में लौटा दिया गया था।

सुजानपुर टीहरा (अच्छे, ईमानदार और धार्मिक विचारों वाले होने के कारण पहले शायद सज्जनपुर कहलाता था) के लोग बहुत मेहमाननवाज और मददगार होते हैं। लोग शिक्षित हैं और उनमें से ज्यादातर जानते हैं कि कैसे पढ़ना और लिखना है। इस शहर ने कई वैज्ञानिकों, प्रशासकों, प्रोफेसरों, डॉक्टरों को तैयार किया है। एक समय में यह कांगड़ा और हिमाचल में सबसे अधिक शिक्षित शहर था। खंडहर आज भी हमें पुराने चित्रों की याद दिलाते हैं जो मंदिरों और महलों पर मौजूद हैं हालांकि समय बीतने और वायुमंडलीय हमलों ने उन्हें बहुत कुछ जीर्ण शीर्ण कर दिया है। जो कुछ बचा था उसे स्थानीय लोगों ने अपनी मासूमियत के कारण सफेदी कर नष्ट कर दिया।

जबकि सुजानपुर ने कई पेशेवरों और लेखकों को तैयार किया, उनमें से कुछ ने वास्तव में नाम कमाया। डॉ ईश्वर दास 1953 बैच के पहले IAS थे, जो मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव के रूप में सेवानिवृत्त हुए; डॉ संत के भटनागर एक खड़गपुर आईआईटीयन ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रबड़ प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में श्रेष्ठता हासिल की और कई वैज्ञानिक पत्र और धर्म पुस्तकों के लेखक रहे; प्रोफेसर उत्तम चंद महाजन जिन्होंने ज्योतिष में प्रख्यातता हासिल की और प्रिंसिपल, गवर्नमेंट कॉलेज, हमीरपुर के सक्रिय सेवा से सेवानिवृत्त होने के बाद चार पुस्तकें लिखीं। प्रोफेसर यू.सी. मिर्जा ग़ालिब की आलोचनात्मक टिप्पणी को कवर करने वाली महाजन की नवीनतम पुस्तक अप्रैल, 2014 में उनके निधन से ठीक पहले प्रकाशित हुई थी। ब्रह्मपुरी मोहल्ला के श्री एस आर भारद्वाज IAS अधिकारी बनकर 1987 में श्रम आयुक्त हिमाचल प्रदेश के रूप में सेवानिवृत्त हुए। मिट्टी के एक और प्रतिष्ठित पुत्र श्री थे। राम रतन दीवान जिन्होंने कृषि महाविद्यालय लैलापुर से कृषि में Bsc किया जो अब पाकिस्तान में है । अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद वह एक कृषि विशेषज्ञ के रूप में सरकारी नौकरी में शामिल हो गए और अपनी मेहनत के दम पर वह कृषि उप निदेशक (हिमाचल प्रदेश) के पद तक पहुंचे और इस तरह सेवानिवृत्त हुए। एक और सितारा जिसने कम समय में प्रतिभा हासिल की, वह है तरुण भटनागर, जिन्होंने यूएसए के शीर्ष विद्यालय से बी.ई. कंप्यूटर इंजीनियरिंग पूरी की; मिशिगन विश्वविद्यालय और बूथ स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, शिकागो विश्वविद्यालय से एमबीए की । तरुण भटनागर सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका में मुख्यालय में Google में निदेशक के रूप में काम करते हैं

धौलासिध जल विद्युत् परियोजना (66 मेगावाट) के लिए की जा रही प्रस्तावित भूमि अर्जन का सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन ।

नीचे दी गई तालिका परियोजना प्रभावित गांवों के ऐतिहासिक महत्व और भौगोलिक विशेषताओं का सारांश प्रस्तुत करती है

तालिका 46: हमीरपुर जिले में परियोजना प्रभावित गांवों का ऐतिहासिक महत्व और भौगोलिक विशेषताएं

क्र स	गाँव	पंचायत	ऊँचाई (एमएसएल से ऊपर एमटी)	अक्षांश (N)	देशान्तर (E)	स्थलाकृति	ऐतिहासिक महत्व
1.	जंगल झीहन	चौरु	670.2	31°46'45.1"	076°26'27.9"	पहाड़ी	डेयरी उत्पादों के लिए प्रसिद्ध
2.	बलेहू	करोट	542.1	31°47'47.2"	076°27'36.8"	मैदान	पूर्वज कुटलेहर से आए थे
3.	बारी	करोट	608.2	31°48'01.3"	076°28'07.7"	मैदान	-
4.	मथान	करोट	515.4	31°48'28.2"	076°27'55.4"	मैदान	-
5.	लौन्गनी	करोट	518	31°48'19.9"	076°27'53.3"	मैदान	जलापूर्ति योजना
6.	भद्रयाना	दारला	528.3	31°48'22.5"	076°28'36.7"	मैदान	पुराने प्राकृतिक झरने (छर्रह)
7.	घालियाँ	दारला	534	31°46'24.6"	076°28'25.9"	पहाड़ी	किले के अवशेष
8.	रोपा	दारला	536.4	31°48'24.6"	076°28'43.8"	पहाड़ी	-
9.	सरोहल	बनाल	638	31°48'03.9"	076°29'04.4"	पहाड़ी	राजा संसार चंद नागरी
10.	गुरोरहू	चमियाना	518	31°48'35.2"	076°29'34.8"	पहाड़ी	-
11.	टिककर	देहरा	561	31°48'25.4"	076°29'08.2"	पहाड़ी	-
12.	मिअना	दारला	516	31°48'53.4"	076°28'43.8"	मैदान	पुराने किले के अवशेष और एक जाति के नाम पर कटोच (मियाँ)
13.	मिहारपुर	दारला	522	31°48'15.1"	076°28'44.8"	पहाड़ी	पुराना हनुमान मंदिर
14.	चौकी	दारला	521.4	31°49'01.0"	076°28'37"	मैदान	-
15.	दारला	दारला	534	31°49'16.2"	076°28'36.3"	मैदान	-
16.	गागला	दारला	538.8	31°49'30.8"	076°28'26.8"	मैदान	-
17.	हार	दारला	-	-	-	-	-
18.	मियाना	दारला	555	31°49'25.7"	076°28'34.4"	मैदान	-
19.	बल्लागिरथान*	सुजानपुर	573.5	31°48'21.9"	076°29'30.4"	पहाड़ी	-

धौलासिध जल विद्युत् परियोजना (66 मेगावाट) के लिए की जा रही प्रस्तावित भूमि अर्जन का सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन ।

क्र.स.	गाँव	पंचायत	ऊँचाई (एमएसएल से ऊपर एमटी)	अक्षांश (N)	देशान्तर (E)	स्थलाकृति	ऐतिहासिक महत्व
20.	सुजानपुर	सुजानपुर	550.5	31°50'01.4"	076°30'15.4"	मैदान	अंतर्राष्ट्रीय होली मेला और बड़ा मैदान
21.	टीहरा	टीहरा	700.2	31°49'43.9"	076°30'46.9"	पहाड़ी	संसार चंद की राजधानी
22.	पलाही	जोल	550.2	31°51'10.4"	076°32'05.5"	मैदान	
23.	समोना	जोल	550.2	31°51'10.4"	076°32'05.5"	मैदान	पुराना शिव मंदिर
24.	बीर भगेरा	बीर भगेरा	562.0	31°51'27.4"	076°32'07.7"	मैदान	-

तालिका 47: कांगड़ा जिले में परियोजना प्रभावित गांवों का ऐतिहासिक महत्व और भौगोलिक विशेषताएं

क्र.स.	गाँव	पंचायत	ऊँचाई (एमएसएल से ऊपर एमटी)	अक्षांश (N)	देशान्तर (E)	स्थलाकृति	ऐतिहासिक महत्व
1	बुल्ली	चौरु	528.2	31°48'22.3"	076°27'28.8"	मैदान	फेरी लगाने का स्थल
2	टिपरी	करोट	537.6	31°49'20.5"	076°27'23.1"	पहाड़ी	राजा की कचहरी
3	कयुड	करोट	534	31°49'10.2"	076°27'34.4"	पहाड़ी	-
4	चौकी	करोट	518.4	31°48'55.1"	076°27'55.9"	मैदान	-
5	डल्ली	करोट	532.3	31°49'44.8"	076°28'33.4"	मैदान	पुराने समय की सब्जियां उगाने के लिए प्रसिद्ध है
6	भुलंदर	दारला	555.3	31°50'01.0"	076°28'43.7"	मैदान	गुगा मंदिर, फेरी स्थल
7	दाडू	दारला	NA	NA	NA	पहाड़ी	-
8	निचली भेरही	दारला	728.5	31°50'39.0"	076°29'25.3"	पहाड़ी	-
9	पपरोला	बनाल	565.7	31°51'03.8"	076°29'57.5"	पहाड़ी	कमजोर बच्चों के इलाज के लिए पत्थर
10	आलमपुर	चमियाना	549.3	31°50'32.6"	076°30'26.9"	मैदान	जिसका नाम राजा आलम चंद और पुराने नौका विहार स्थल के नाम पर रखा गया है। ढाबों और तली हुई मछलियों में मछली पकवान

धौलासिध जल विद्युत् परियोजना (66 मेगावाट) के लिए की जा रही प्रस्तावित भूमि अर्जन का सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन ।

क्रस	गाँव	पंचायत	ऊंचाई (एमएसएल से ऊपर एमटी)	अक्षांश (N)	देशान्तर (E)	स्थलाकृति	ऐतिहासिक महत्व
							परोसने के लिए प्रसिद्ध है
11	बाग	देहरा	531.6	31°50'33.9"	076°30'44.8"	मैदान	राजा राजिंदर चंद का बाग
12	लियुंडा	दारला	596.4	31°52'10.1"	076°31'10.4"	मैदान	राजा जयसिंह के वज़ीर का ठिकाना
13	साई	दारला	570.9	31°51'27.0"	076°30'10.1"	मैदान	आलम चंद के नाम पर आलमपुर का एक हिस्सा हुआ करता था

*स्रोत:फील्ड सर्वे

5.14 जीवंत पर्यावरण की गुणवत्ता

परियोजना क्षेत्र निचले हिमालयी बेल्ट की पहाड़ी स्थलाकृति पर स्थित है। इस क्षेत्र में समृद्ध हरे वातावरण के साथ पर्णपाती देवदार के जंगल और ग्रामीण पृष्ठभूमि है। परियोजना क्षेत्र की मुख्य अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान है। निचले हिमालयी बेल्ट में होने के कारण, इस क्षेत्र में ग्रीष्मकाल में न तो अत्यधिक तापमान का सामना करना पड़ता है और न ही सर्दियों का। औसत वार्षिक तापमान 22-26 डिग्री सेल्सियस से लेकर चरम गर्मियों के तापमान तक लगभग 35-40 डिग्री सेल्सियस और सर्दियों के दौरान चरम न्यूनतम तापमान 2-5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इस क्षेत्र में वन्यजीवों की अच्छी मात्रा है। सर्वेक्षणों के दौरान यह देखा गया कि क्षेत्र में अक्सर जंगली जानवरों जैसे जंगली सूअर, मृग, जंगली मुर्गा, लोमड़ी, खरगोश आदि दिखाई देते हैं। राज्य को ब्यास, स्वच्छ वायु और घने वन आवरण से पानी के पर्याप्त संसाधन के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है।

6 सामाजिक प्रभाव

6.1 प्रभावों की पहचान करने के लिए रूपरेखा और दृष्टिकोण

सामाजिक समाघात आकलन, दरअसल विकास, जैसे कि बांधों, खानों, उद्योगों, राजमार्गों, बंदरगाहों, हवाई अड्डों, शहरी विकास और बिजली परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए प्रस्तावित परियोजनाओं के नतीजों की संभावना का अग्रिम में, मूल्यांकन करना है। यह एक ऐसा उपकरण है जो निर्णयकर्ताओं को उनके कार्यों के संभावित नकारात्मक प्रभावों को दूर करने में मदद कर सकता है ताकि समय पर उन्हें रोकने या कम से कम किए जाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा सकें। निर्णय लेने की प्रक्रिया में सहायता के रूप में, SIA सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों के बारे में जानकारी प्रदान करता है जिन्हें किसी भी निर्णय में ध्यान में रखने की आवश्यकता होती है जो परियोजना क्षेत्र में लोगों के जीवन को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है।

सामाजिक समाघात निर्धारण के लिए सिद्धांतों और दिशानिर्देशों पर अंतर-संगठनात्मक समिति (IOCPGSIA 2003) के अनुसार, सामाजिक प्रभावों की अवधारणा करने का एक पारंपरिक तरीका निम्नलिखित में से एक या अधिक परिवर्तनों के रूप में है:

- लोगों के जीवन का तरीका - वह यह है कि वे कैसे रहते हैं, काम करते हैं, खेलते हैं और एक दूसरे के साथ दिन-प्रतिदिन बातचीत करते हैं;

उनकी संस्कृति - अर्थात्, उनकी साझा मान्यताएं, रीति-रिवाज, मूल्य और भाषा या बोली;

- उनका समुदाय - इसका सामंजस्य, स्थिरता, चरित्र, सेवाएं और सुविधाएं;

- उनकी राजनीतिक प्रणाली - लोगों को अपने जीवन को प्रभावित करने वाले निर्णयों में भाग लेने में सक्षम होने की हद तक, लोकतांत्रिकरण का स्तर और इस उद्देश्य के लिए प्रदान किए गए संसाधन;

- उनका पर्यावरण - हवा और पानी की गुणवत्ता का लोग उपयोग करते हैं; भोजन की उपलब्धता और गुणवत्ता वे खाते हैं; खतरे या जोखिम, धूल और शोर का स्तर जो वे सामने

आते हैं; स्वच्छता की पर्याप्तता, उनकी भौतिक सुरक्षा और संसाधनों तक उनकी पहुँच और नियंत्रण;

- उनका स्वास्थ्य और भलाई - स्वास्थ्य पूर्ण शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक भलाई की स्थिति है और न केवल बीमारियों या दुर्बलताओं की अनुपस्थिति;
- उनके व्यक्तिगत और संपत्ति के अधिकार - विशेष रूप से चाहे लोग आर्थिक रूप से प्रभावित हों, या व्यक्तिगत नुकसान का अनुभव करते हैं जिसमें उनके नागरिक स्वतंत्रता का उल्लंघन शामिल हो सकता है;
- उनके भय और आकांक्षाएँ - उनकी सुरक्षा के बारे में उनकी धारणाएँ, उनके समुदाय के भविष्य के बारे में उनकी आशांकाएँ, और उनके भविष्य और उनके बच्चों के भविष्य के लिए उनकी आकांक्षाएँ;

SIA के संचालन की प्रक्रिया को इस तरह से डिजाइन किया गया था जिसमें प्रस्तावित अर्जन के प्रभाव का आकलन करने के लिए सभी हितधारकों को व्यवस्थित दृष्टिकोण में शामिल किया गया था। प्रभावों की पहचान करने की रूपरेखा और दृष्टिकोण निम्नलिखित चरणों में दिखाया गया है।

चरण 1: पृष्ठभूमि अध्ययन और केस अध्ययन

चरण 2: विभिन्न PAPs की पहचान

चरण 3: प्राथमिक सर्वेक्षण प्रश्नावली की तैयारी

चरण 4: विभिन्न हितधारकों के साथ प्राथमिक सर्वेक्षण और *FGD* का संचालन

चरण 5: एकत्रित आंकड़ों का विश्लेषण

6.2 परियोजना के विभिन्न चरणों में प्रभावों का विवरण

जलविद्युत परियोजना के लिए प्रस्तावित भूमि के अर्जन से आजीविका-, रोजगार, आय, उत्पादन, स्वास्थ्य और कल्याण और समुदाय के जीवन की गुणवत्ता, सामाजिकसांस्कृतिक - प्रणालियों और पर्यावरण पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष असर पड़ेगा। यह संपत्ति के अधिकार और आकांक्षाओं के बारे में संदेह और आशंका पैदा कर सकता है। विकास परियोजनाएं अलग-अलग समूहों को अलग तरह से प्रभावित करती हैं। कई लोगों को फायदा होता है जब कुछ खोते हैं। अक्सर, प्रभाव दुर्बल समूहों के लिए जैसे कि महिलाओं के नेतृत्व वाले घर, विधवा,

शारीरिक या मानसिक विकलांगता वाले व्यक्ति, BPL परिवार, आरक्षित श्रेणियों के लोग और बुजुर्ग व्यक्ति के लिए ,विशेष रूप से गंभीर होते हैं।

क्षेत्र में लगने वाले , धौलासिध HEP परियोजना के लिए एक सामान्य आशा है। अध्ययन में पाया गया कि 91% प्राथमिक हितधारक अर्जन के लिए अपनी भूमि के आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार थे, बशर्ते कि उचित प्रतिकर का भुगतान किया जाए और केवल 9% ने अर्जन प्रक्रिया का विरोध किया।

पंचायतों के साथ केन्द्रित समूह चर्चा के दौरान, ग्रामीणों और माध्यमिक हितधारकों में परियोजना के प्रति बहुत सकारात्मक राय मिली, क्योंकि यह बुनियादी ढांचे के विकास (सामाजिक और भौतिक दोनों) और रोजगार में वृद्धि, व्यवसाय के अवसर के मामले में पूरे क्षेत्र में समग्र विकास लाएगा। साथ ही, उन्होंने उस क्षेत्र की भूमि की कीमतों में वृद्धि का अनुमान लगाया जो उनके लिए एक लाभदायक कारक होगा।

हालांकि, वे नकारात्मक प्रभावों के बारे में भी आशंकित थे जो उचित रूप से कम नहीं होने पर परियोजना से बढ़ सकते हैं। क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए हितधारकों के बीच विवादों में वृद्धि सहित दुर्बल समूहों को छोड़ दिया जा सकता है या धोखा दिया जा सकता है इस आशंका के बारे में चिंताएं थीं । इसके अलावा, प्रतिकर राशि प्राप्त करने के बाद से, PAF की वित्तीय स्थिति में बदलाव होगा जो बदले में उनकी खरीद क्षमता को बदल देगा और फंड मिसमैनेजमेंट - के जोखिम को भी बढ़ाएगा क्योंकि कई जमींदार ठीक से विशेष रूप से वित्तीय प्रबंधन के बारे में शिक्षित नहीं है। क्षतिपूर्ति राशि वितरित होने के बाद परियोजना क्षेत्र में धोखाधड़ी और धोखाधड़ी के मामलों में भी वृद्धि हो सकती है। खर्च के पैटर्न में बदलाव के कारण सांस्कृतिक प्रथाओं और परंपराओं में बदलाव की भी संभावना है।

अर्जन की वजह से सार्वजनिक सुविधाओं के ढांचे जैसे शमशान घाट, सड़कों, मौजूदा पानी व सिंचाईकी सुविधाओं जिनमें आइपीएच का ढांचा भी शामिल है, का भी नुकसान होगा।इसके अलावा शामलात संपत्ति पर संसाधन जैसेपीने के पानी के साधन बांवेडियां और ट्यूबवेल,जंगल,चरागाहें,मंदिर आदि का भी नुकसान होगा।डीएसएचइपी के लिए 90 ढांचों का अर्जन किया जा रहा है। इनमें 29 निजी ढांचे है, एक सरकारी प्राथमिक स्कूल हैं, एक महिला

मंडल, 2 मंदिर, एक सीवरेज लाइन, 29 शमशान घाट, आइपीएच की योजनाओं समेत 25 जलापूर्ति की बुनियादी ढांचे, पंपहाउस और ट्यूबवेल और एक घराट शामिल हैं।

परियोजना के निर्माण चरण के दौरान, हितधारकों का परियोजना के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण था क्योंकि यह उनके लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार और व्यापार के अवसर पैदा करेगा। प्रवासन के कारण वे वस्तुओं की खपत में वृद्धि करेंगे, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को लाभ होगा।

प्रवास

किसी भी परियोजना का निर्माण चरण एक तरह से अनिश्चितताओं व हलचल की वजह से अव्यवस्थित चरण होता है। आधारभूत समस्या निर्माण क्षेत्र को नौकरी की तलाश में आनी वाली प्रवासी आबादी के प्रबंधन से संबंधित होती है। परियोजना में निर्माण चरण के दौरान कुल 600 लोगों को रोजगार मिलने का अनुमान है, इनमें पांच सौ कामगार और सौ के करीब तकनीकी स्टाफ शामिल होगा। औसतन चार लोगों के परिवार को लें तो निर्माण चरण के दौरान अनुमानतः 2400 लोग यहां बसेंगे, जो तीन से चार साल तक यहां रहेंगे।

वह जो यहां के लिए प्रवास करेंगे वह देश के विभिन्न हिस्सों से आएंगे जिनकी अपनी अलग सांस्कृतिक, क, नस्लीय और सामाजिक पृष्ठभूमि हैं। इस तरह की मिश्रित आबादी की अपने लाभ व हानि है। लाभ में विभिन्न समूहों के लोगों के बीच विचारों व संस्कृतियों का आदान प्रदान शामिल है जो अन्यथा संभव नहीं है। इस आबादी के एक ही स्थान पर लंबे समय तक ठहरने की वजह से विशिष्ट सामाजिक-आर्थिक समानताके साथ एक नई संस्कृति विकसित होंगी जिसका अपना एक अस्तित्व होगा।

हमेशा ही लाभ होगा इसकी कोई निश्चितता होती औ कई कारकों पर निर्भर होती है। अक्सर यह सीधे तौर पर निर्माण चरण को संभालने वाले अधिकारियों के तरीकों व उनकी इस चरण के दौरान विभिन्न सामाजिक-आर्थिक मुश्किलों के प्रति संवेदनशीलता से संबंधित होती है।

श्रमिकों का जमावड़ा : अधिकांश लेबर ठेकेदार की ओर से मुहैया कराए जाने वाली डोरमेंटरी में रहेगी। अनुचित तरीके से योजनाबद्ध लेबर कैंपस सामान्यतः तौर पर बस्तियां बन जाते हैं जहां

पर पीने के पानी के आपूर्ति ,सीवरेज ट्रीटमेंट और निपटान की अपर्याप्त सुविधाएं होती हैं। यह जल जनित बीमारियों के महामारी के रूप में फैलने का रास्ता खोल सकती है। इन शिविरों में उचित स्वच्छता सुविधाएं मुहैया कराए जाने की जरूरत हैं। परियोजना क्षेत्र में आने वाली लेबर आबादी के लिए उचित निगरानी और टीकाकरण कार्यक्रम विकसित करने की भी जरूरत होगी।

स्थानीय लोगों व पीएपी ने इस परियोजना के लिए श्रम के प्रवास के बारे में भी चिंता व्यक्त की क्योंकि यह मौजूदा बुनियादी ढांचे जैसे स्वास्थ्य सुविधाओं, शैक्षिक सुविधाओं, सड़कों आदि पर दबाव बढ़ाएगा। स्थानीय लोगों और प्रवासियों के बीच टकराव बढ़ने की संभावना हो सकती है और हितधारकों ने यह भी कहा कि प्रवासन के कारण क्षेत्र में अपराध दर और असामाजिक गतिविधियों में वृद्धि की संभावना है। यह क्षेत्र सांस्कृतिक मिश्रण का भी गवाह बन सकता है।

जल संबंधित बीमारियों की घटनाओं में बढ़ोतरी: प्रस्तावित रिजरवायर का निर्माण विभिन्न बीमारियों के विषाणु के लिए संभावित ब्रीडिंग स्थलों को बढ़ाएगा। संभावनाएं हैं कि प्रस्तावित परियोजना के संचालन व निर्माण के परिणामस्वरूप मलेरिया की घटनाओं में बढ़ोतरी हो जाए। रिजरवायर के निर्माण के अतिरिक्त श्रमिकों के जमवाड़े,खुदाई, लेबर शिविरों में अपर्याप्त सुविधाओं, मलबा निपटान स्थल जैसे कारक भी परियोजना स्थल व उसके आसपास के इलाकों में मलेरिया फैलने के कारण हो सकते हैं अगर इनका उचित शमन नहीं किया गया।

मलबा निपटान: सामान्यतः मलबा निपटान उबड़-खाबड़ व गहरे क्षेत्र में मलबे के ढेर लगा कर इसे भरकर कर दिया जाता है । इससे कई बार क्षेत्र की पानी की निकासी पद्धति प्रभावित हो जाती है जिसकी वजह से पानी इकट्ठा हो जाता है या आंशिक तौर पर क्षेत्र में बाढ़ आजाती है, जो मच्छरों के ब्रीडिंग स्थलों के निर्माण में सहायक होता है।इसके अलावा मलबा निपटान स्थल धूल/वायु प्रदूषण के लिए संवेदनशील होते हैं और आसपास से लोग यहां पर कचरा फेंककर इसे खुली डंपिंग साइट बना सकते हैं, इससे स्थानीय पर्यावरण को अघात लगेगा।

भूक्षरण / बढ़ती गाद :भारी गाद एक सीमा तक प्रकाश संश्लेषण की गतिविधि को कम कर सकती है। इसका प्रभावित ब्यास नदी और इसकी सहायक नदियों के हिस्सों पर होने वाली पैदावार पर नकारात्मक पड़ेगा। हालांकि ब्यास नदी का बहाव काफी है ऐसे में कोई बहुत ज्यादा

प्रभाव पड़ने की उम्मीद नहीं है। फिर भी कम बारिश के दौरान कम बहाव वाले नालों व खड्डों के इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।

धुंध का प्रभाव: यहां पर गर्मियों के दौरान बहुत उमस के स्तर में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी होगी और सर्दियों के दौरान अक्सर धुंध रहेगी व यह लंबे समय तक रहेगी। नतीजतन, यह क्षेत्र में मिट्टी के ऊपजाउपन और फसलों की पैदावार में बदलाव कर देगी। इसका कुछ गांवों जैसे बुल्ली, लोंगनी, बलेहू, मथान, डाली, गागल और भलोंदर में बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। धुंध स्थानीय लोगों के स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर सकती है नतीजतन धुंध के बढ़ने और बीमारियों के संक्रमण और कीटनाशकों की वजह से लोगों व पशुओं के स्वास्थ्य पर खर्च बढ़ जाएगा। हालांकि गर्मियों में ठंडेजलवायु की वजह से लोग गर्मियों से राहत पा सकते हैं।

पुलों, सड़कों और पुलिया पर प्रभाव: परियोजना लगाने वाली इकाई के मुताबिक प्रस्तावित बांध रिजरवायर से कोई भी पुल प्रभावित नहीं होने वाला है क्योंकि रिजरवायर में पानी की स्तर सुरक्षा सीमा से कहीं अधिक नीचे रहेगा अध्ययन के मुताबिक रिजरवायर के आसपास वहां पर छह पुल, एक पुलिया और एक सड़क है जिन पर प्रभाव पड़ने की संभावना है।

इसके अलावा, भारी परिवहन वाहनों, सामग्री परिवहन और निर्माण के कारण यातायात, वायु और ध्वनि प्रदूषण की समस्या भी होगी। निर्माण गतिविधियों और उत्खनन के कारण क्षेत्र में स्वास्थ्य समस्याओं में भी वृद्धि हो सकती है।

निर्माण के बाद के चरण के दौरान, हितधारकों ने कहा कि यह क्षेत्र में प्रदूषण कम और बेहतर जीवन का माहौल बना सकता है। LADA जैसे फंडों के कारण यह क्षेत्र आगे विकास का भी गवाह बनेगा। इस अवस्था के दौरान एक सांस्कृतिक स्थिरता भी देखी जा सकती है। हालांकि, उन्होंने कुछ नकारात्मक प्रभावों पर भी प्रकाश डाला, जो इस चरण के दौरान उत्पन्न हो सकते हैं, जैसे कि निर्माण गतिविधियों में गिरावट के कारण स्थानीय लोगों के लिए रोजगार और व्यापार के अवसर कम होंगे और इससे परियोजना में शामिल अस्थायी कार्य बल को बेरोजगारी भी हो सकती है।

क्षेत्र स्थानीय अर्थव्यवस्था में अचानक गिरावट और निर्माण चरण में शामिल अस्थायी श्रमिकों के प्रवास के कारण माल और सेवाओं की कम खपत का गवाह बन सकता है। नतीजतन, निर्माण चरण के दौरान आय के स्तर में हुई वृद्धि के कारण लोगों को बदले हुए जीवन स्तर बनाए रखने में कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है।

परियोजना चक्र के विभिन्न चरणों में अध्ययन द्वारा पाई गई विभिन्न संभावित सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक प्रभावों का सार नीचे दिया गया है:

तालिका 48: परियोजना के विभिन्न चरणों में प्रभाव

अवस्था	सामाजिक समाघात	आर्थिक समाघात	सांस्कृतिक समाघात
पूर्व-निर्माण चरण	<ul style="list-style-type: none"> • क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए हितधारकों के बीच विवाद उत्पन्न हो सकते हैं। • आगामी परिवर्तनों जैसे जल स्तर में वृद्धि, आर्द्रता, भूस्खलन में वृद्धि आदि का संदेह और भय • श्मशान घाट का नुकसान <ul style="list-style-type: none"> • मंदिरों का नुकसान • आम संपत्ति के नुकसान जैसे कि पीने के पानी के संसाधन, घाट, आदि का जीवन की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। 	<ul style="list-style-type: none"> • आगामी परियोजना के कारण आसपास के क्षेत्र में भूमि की कीमतें बढ़ सकती हैं। • PAF की वित्तीय स्थिति में अचानक आए प्रतिकर के कारण, उनकी क्रय क्षमता बदल सकती है और इससे फंड मिस-मैनेजमेंट का जोखिम भी बढ़ जाएगा। • बुनियादी ढांचे के नुकसान जैसे कि मौजूदा सिंचाई सुविधाएं आदि परियोजना प्रभावित और आसपास के क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव डालेंगे। • वन भूमि का अर्जन ग्रामीणों को नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा क्योंकि उन पर पास चारा और जलाऊ लकड़ी के संग्रह के लिए उच्च निर्भरता है। 	<p>आगामी परियोजना के कारण लाभान्वित होने वाले लोगों के खर्च पैटर्न में बदलाव के साथ, सांस्कृतिक प्रथाओं और परंपराओं पर प्रभाव पड़ेगा।</p>
निर्माण चरण	<p>निर्माण श्रमिकों और तकनीकी कर्मचारियों के प्रवासन से मौजूदा स्वास्थ्य देखभाल केंद्र, स्वच्छता पर बोझ बढ़ेगा ।</p> <p>प्रवासन से मौजूदा शैक्षणिक संस्थानों पर भी दबाव बढ़ा सकता है।</p>	<p>स्थानीय लोगों और PAF के लिए रोजगार और व्यापार के अवसरों में वृद्धि।</p> <p>स्थानीय लोगों के पास प्रयोज्य आय में वृद्धि।</p> <p>आर्थिक गतिविधियों और खपत पैटर्न</p>	<p>इन-माइग्रेशन के कारण लोग दूसरे राज्यों से आएंगे और अपनी संस्कृति, विश्वासों, धार्मिक प्रथाओं, कपड़ों के पैटर्न आदि को लेकर</p>

धौलासिध जल विद्युत् परियोजना (66 मेगावाट) के लिए की जा रही प्रस्तावित भूमि अर्जन का सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन ।

अवस्था	सामाजिक समाघात	आर्थिक समाघात	सांस्कृतिक समाघात
	<p>सामाजिक विभाजन उन लोगों के बीच पैदा हो सकता है जो परियोजना से लाभान्वित हो रहे हैं और जो लोग अप्रभावित रहते हैं।</p> <p>आगामी परियोजना की वजह से क्षेत्र के समग्र विकास के कारण निवासियों के जीवन स्तर में सुधार हो सकता है।</p> <p>इन-माइग्रेशन के परिणामस्वरूप स्थानीय लोगों में सुरक्षा और सुरक्षा की भावना कम हो सकती है।</p> <p>बाहरी लोगों के साथ संघर्ष बढ़ सकता है और क्षेत्र में अपराध और असामाजिक गतिविधियों में वृद्धि देखी जा सकती है।</p> <p>यह क्षेत्र निर्माण, खदान आदि के कारण स्वास्थ्य समस्याओं और बीमारियों में वृद्धि कर सकता है।</p> <p>निर्माण चरण के दौरान भारी परिवहन से आसपास के गांवों में वायु और ध्वनि प्रदूषण बढ़ सकता है।</p>	<p>में वृद्धि।</p> <p>इन-माइग्रेशन के कारण क्षेत्र में वस्तुओं और सेवाओं की खपत में वृद्धि होगी, जिससे स्थानीय व्यापार को लाभ होगा।</p>	<p>आएंगे, जो मौजूदा सांस्कृतिक प्रथाओं और स्थानीय आवासों की परंपराओं को प्रभावित कर सकते हैं।</p>
निर्माण के बाद का चरण	<p>निर्माण गतिविधियों के कारण होने वाले प्रदूषण में कमी आएगी और यह क्षेत्र बेहतर जीवन के माहौल का गवाह बन सकता है।</p> <p>निर्माण चरण के दौरान आय के स्तर में वृद्धि के कारण लोगों को जीवन स्तर बनाए रखने में कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है।</p> <p>बांध का निर्माण होने के बाद और लगातार धुंध छाए रहने की वजह से सांपों व अन्य दूसरे खतरनाक रंगनेवाले जानवरों, कीड़े</p>	<p>निर्माण गतिविधियों में गिरावट के कारण स्थानीय लोगों के लिए रोजगार और व्यवसाय के अवसर कम होंगे और इससे परियोजना में शामिल अस्थायी कार्य बल को बेरोजगारी भी हो सकती है।</p> <p>निर्माण चरण में शामिल अस्थायी श्रमिकों के बाहर प्रवास के कारण क्षेत्र स्थानीय अर्थव्यवस्था में अचानक गिरावट</p>	<p>सांस्कृतिक स्थिरता शायद इस चरण के दौरान देखी जाए</p>

अवस्था	सामाजिक समाघात	आर्थिक समाघात	सांस्कृतिक समाघात
	मकोड़ों की संख्या में बढ़ोतरी का अंदेशा है। उमस बढ़ने और लगातार धुंध रहने की वजह से लोगों व पशुओं के स्वास्थ्य के खर्च पर प्रभाव पड़ेगा। धुंध और आद्रता की वजह से क्षेत्र के सूक्ष्म जलवायु में बदलावा।	देख सकता है। फंड के कारण LADA क्षेत्र निर्माण चरण के बाद भी बुनियादी ढांचे के विकास में और सुधार देख सकता है। ल्हासे गिरने और दुर्घटनाओं का जोखिम। लगातार धुंध की वजह से मिट्टी के उपजाउपन और फसलों की पैदावर में कमी।	

*स्त्रोत: प्राथमिक सर्वेक्षण

6.3 प्रभाव क्षेत्रों की सांकेतिक सूची

प्रभाव सकारात्मक या नकारात्मक हो सकते हैं। इस परियोजना में यह सर्वेक्षण और चर्चाओं के माध्यम से पाया गया है कि लोगों को उम्मीद है कि भूमि अर्जन से उन्हें बेहतर मौद्रिक प्रतिकर मिलेगा, जो उन्हें अपनी भलाई में सुधार करने में मदद करेगा। हालांकि प्रभावित परिवारों ने महसूस किया कि भूमि और आजीविका आदि का नुकसान अपूरणीय होगा। घरेलू सर्वेक्षण का उद्देश्य परियोजना प्रभावित परिवारों पर सामाजिक प्रभावोंसंपत्ति का प्रकार और स्वामित्व ,, प्रभाव का प्रकार और इसकी परिमाण और प्रभावित संपत्ति के विवरण की एक सूची उत्पन्न करना था। प्रभावों के प्रमुख निष्कर्षों और परिमाणों की चर्चा निम्नलिखित वर्गों में की गई है।

6.3.1 भूमि मालिको पर प्रभाव

प्रस्तावित परियोजना को कैचमेंट एरिया,मलबा निपटान,सड़कों,पावर स्टेशन को स्थापित करने,प्रशासनिक भवनों के निर्माण इत्यादि के लिए जमीन की जरूरत है।मौजूदा प्रस्तावित अर्जन के तहत 3684 मालिक है जिनकी 1165 खसरा नंबरों के तहत 246.8062 हैक्टेयर पर मालिकाना हक था । इनमें से 3664(99प्रतिशत) जमीन मालिक सीमांत,16 छोटे और दो अर्ध

मध्यम और दो मध्यम जमीन मालिक हैं।केवल एक ही जवाबकर्ता ने कहा कि अर्जन के तहत आने वाली जमीन के अलावा उसके पास अपनी पंचायत व किसी दूसरी जगह पर कोई भी जमीन नहीं है।

यहां पर 12 आवासीय ढांचे हैं जो अर्जन के तहत आ रहे हैं इनमें से छह ढांचे चौकी, 3 परगाना और एक-एक सुजानपुर,रीयाह और काच में हैं। इन ढांचों में से बहुत सी दुकानें हैं जहां से इनके मालिक आय हासिल करते हैं।तालिका6-2 में अर्जन के तहत आने वाले आवासीय ढांचों का गांववार विवरण है:

कुल 246.8062 हैक्टेयर निजी जमीन जो अधिग्रहित की जा रही में से केवल 9 प्रतिशत जमीन में खेती योग्य है शेष 91 प्रतिशत गैर काशतयोग्य है।इसलिए जो जमीन अधिग्रहित की जा रही है वहां पर ज्यादा खेती नहीं होती है। असल में कुल जरूरत की जमीन में बेशक निजी जमीन का हिस्सा अधिक है लेकिन यह मुख्यतः इसलिए है क्योंकि प्रभावित परिवारों के नदी के किनारों पर और बहुत से इलाकों में नदी तट पर भी उनके भू-अधिकार हैं।

जमीन खोने के संभावित प्रभावों में प्रभावित परिवारों को उनकी कृषि आय व दुकानों से होने वाली आय से वंचित कर देगी और उनके जीने के तरीके को बदल देगी। इसके अलावा परियोजना में निर्माण का काम भी शामिल है जो साथ लगती जमीन मालिकों को प्रभावित करेंगे और अन्यो को वायु व जल प्रदूषण की वजह से प्रभावित करेंगे।

6.3.2 आजीविका और आय पर प्रभाव

अर्जन के तहत जमीन पर पीएपी खेती/बागवानी गतिविधियों में शामिल पाए गए हैं,हालांकि ये गतिविधियां ज्यादा नहीं पाई गई हैं क्योंकि अधिकांश जोतें नदी तट व इसके करीब पाई गई हैं। अर्जन के तहत कुल जमीन का केवल 22.78 हैक्टेयर खेती योग्य है।बेशक पीएपी के लिए प्राथमिक खेती मुख्य आर्थिक गतिविधि नहीं है लेकिन पशुधन पालन बागवानी गतिविधियों, चराई, ईंधन लकड़ी और चारे के संग्रह से उनको अच्छी आर्थिक मदद मिल जाती है। अध्ययन में यह भी पाया गया कि बहुत से हितधारकों के परिवार का कम से कम एक सदस्य सेवा क्षेत्र में है और आय का मुख्य साधन है। पीएपी के लिए जमीन के साथ घरों के टूटने जिनमें से अधिकांश में आवासीय ढांचों के साथ दुकानें भी हैं जो उनकी आजीविका का मुख्य साधन

धौलासिध जल विद्युत् परियोजना (66 मेगावाट) के लिए की जा रही प्रस्तावित भूमि अर्जन का सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन ।

है, खोने का डर है। पीएएफ की आय के विवरण पर पहले ही उपरोक्त अध्याय में चर्चा हो चुकी है।

सर्वे के दौरान कोई भी काश्तकार और पटटेदार नहीं पाया गया है। हितधारकों ने बताया कि जोतों का आकार छोटा होने से खेती /बागवानी का सारा काम परिवार खुद ही करता है। अध्ययन के दौरान सीजन में खेत मजदूरों को काम पर लगाने का खुलासा नहीं हुआ।

तालिका 49: प्रभावित क्षेत्र में कृषि/बागवानी का उत्पादन

श्रेणी	फसलों की किस्में	कुल पैदावार (किलो)
काश्तयोग्य	मक्की	349557
	दालें / तिलहन	40
	सब्जियां /अन्य खाद्य फसलें	1330
	जौ और गेहूं	368509
	कुल	719436
बागवानी	केला	175
	जामुन	100
	खैर (कत्था)	295
	आँवला	30
	आम	3620
	संतरा	50
	नाशपाती	100
	कुल	4370
कुल योग		723806

*स्रोत: प्राथमिक सर्वे

6.3.3 भौतिक संसाधनों पर प्रभाव

6.3.3.1 निजी संपत्ति का नुकसान

प्रस्तावित निर्माण और डूब की वजह से नदी चैनल के समीप बसे आवासीय ढांचों पर प्रभाव पड़ेगा। 12 आवासीय ढांचों को अधिग्रहित किया जा रहा है। आवासीय ढांचों के अलावा एक आरा मिल, 22 दुकानें, एक कार्यालय, दो गउशालाएं, 11 शौचालय और दो रसोईघर भी अर्जन के तहत आ रहे हैं। अर्जन के तहत जमीन के साथ जुड़े अन्य परिसंपत्तियों में 77,724 फलदार पेड़, 17280 गैर फलदार पेड़ भी प्रस्तावित अर्जन के तहत प्रभावित हो रहे हैं।

निम्न तालिका में निजी ढांचों व उसके साथ जुड़ी बाकी परिसंपत्तियों जिनका नुकसान होना है का विवरण दिया जा रहा है:

तालिका 50: संरचनाओं की हानि

ज़िला	तहसील	पंचायत	क्र स	गाँव	पी ए पी	संरचनाकी संख्या	विवरण	विस्थापित हो रहे पीएएफ	आजीविका कोने वाले पीएएफ
सुजानपुर	जौल	परगना	1.	रतो राम	1	2 दुकानें	0	1	
			2.	प्रीतम चंद	1	1 दुकान	0	1	
			3.	पुत्र/नथू राम	1	1 गौशाला			
			4.	प्रकाश चंद , जगदेव , रमेश चंद , राम चंद	1	4 घर और 4 दुकानें	4	4	
			5.		1	4 शौचालय			
			6.		1	2 शौचालय			
			7.	पूर्व सैनिक टेम्पो-ट्रक यूनियन	1	कार्यालय	0	0	
			8.	ओम् प्रकाश	1	4 दुकानें	0	1	

धौलासिध जल विद्युत् परियोजना (66 मेगावाट) के लिए की जा रही प्रस्तावित भूमि अर्जन का सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन ।

ज़िला	तहसील	पंचायत	क्र.स.	गाँव	पी ए पी	संरचनाकी संख्या	विवरण	विस्थापित हो रहे पीएएफ	आजीविका कोने वाले पीएएफ
			9.		पुत्र तोखा राम	1	1 शौचालय		
			10.		सीता राम पुत्र ज्ञान चंद	1	1 घर और 2 दुकानें	1	1
			11.		बाबा राम पुत्र लेफ़्ट० शम्भु राम	1	1 घर	1	0
			12.		माया देवी	1	मकान		
			13.		विधवा लेफ़्ट०जग्गु	1	3 दुकानें	1	1
			14.		राम	1	शौचालय		
			15.		मदन लाल पुत्र शंका , करम चंद पुत्र शंकर	1	2 दुकानें और 2 दुकानें	0	1
			16.	काछ	बाबा राम पुत्र लेफ़्ट० शम्भु	1	1 रसोई + स्टोर	0	0
			17.		राम	1	1 शौचालय		
		सुजानपुर	18.	सुजानपुर	करम चंद पुत्र हरबाज सिंह	1	1 घर	1	0
		धाबरियाना	19.	रीयाह	मनोहर लाल पुत्र खज़ाना	1	दुकान	0	0

धौलासिध जल विद्युत् परियोजना (66 मेगावाट) के लिए की जा रही प्रस्तावित भूमि अर्जन का सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन ।

ज़िला	तहसील	पंचायत	क्र स	गाँव	पी ए पी	संरचनाकी संख्या	विवरण	विस्थापित हो रहे पीएएफ	आजीविका कोने वाले पीएएफ
कांगड़ा	खुंडिया	टीपरी	20.	कैक	संजीव कुमार पुत्र पतीराम	1	आरामिल	1	1
			21.			1	मकान		
			22.			1	शौचालय		
			23.		आत्माराम पुत्र मिलखीराम	1	मकान	1	0
			24.			1	रसोई		
			25.			1	शौचालय		
			26.		रणवीर सिंह पुत्र पतीराम	1	मकान	1	0
			27.			1	दुकान		
			28.		रतो राम पुत्र गुलाबा राम	1	घर और दुकान	1	1
			29.		गोपाल पुत्र सुरेश	1	मकान	1	0
कुल						29		13	12

*स्रोत: प्राथमिक सर्वे

6.3.4 जैव विविधता और पर्यावरण पर प्रभाव

जैविक संसाधन इस तरह की विशाल परियोजनाओं से प्रभावित सबसे महत्वपूर्ण संसाधनों में से हैं। संभावित प्रभावों की भयावहता का अनुमान लगाने और प्रस्तावित परियोजना से होने वाले किसी भी नुकसान से बचने या कम करने के लिए इन संसाधनों का एक विस्तृत आधारभूत अध्ययन आवश्यक है।

परियोजना के लिए एक पर्यावरण प्रभाव आकलन अध्ययन डब्ल्यू एपीसीओएस लिमिटेड ने पहले ही 2011 में कर दिया है जिसमें जैव विविधता और पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव का विस्तार से आकलन किया है।

परियोजना के तहत कुल 57.74 हैक्टेयर वन भूमि आ रही है। अध्ययन के दौरान पाया गया है गाँवा वाले ईंधन की लकड़ी और चारे के लिए वनों पर निर्भर है, जो अब समाप्त हो जाएगा। ऐसे में अब विकल्प मुहैया कराने की जरूरत पड़ेगी।

धुंध का प्रभाव

जलाशय के निर्माण के कारण यह क्षेत्र अपने माइक्रो कलाइमेट में बदल जाएगा, जिसमें ग्रीष्म काल और सर्दियां दोनों के दौरान इसके चरम तापमान (अधिकतम और न्यूनतम दोनों) में परिवर्तन शामिल होगा। ग्रीष्म काल के दौरान आर्द्रता के स्तर में भी काफी वृद्धि होगी और सर्दियां के दौरान बढ़ी हुई आवृत्ति और कोहरे के स्थायी घंटों में वृद्धि होगी। नतीजतन, यह फसलों की उत्पादकता और क्षेत्र में मिट्टी की उर्वरता को बदल देगा। इससे कुछ गाँवों जैसे बुल्ली, लौंगनी, बलेहू, मथान, दल्ली, गागला और भालंदर में अधिक गंभीर प्रभाव पड़ेगा।

कृषि अर्थशास्त्र विभाग के एक अनुमान के अनुसार, सीएसके कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर ने 2011 में फसलों (खेत) और फलों की उत्पादकता गेहूँ और रुपये जैसी क्षेत्र की फसलों के मामले में 1500 रुपये प्रति हेक्टेयर आंकी। फलों के मामले में 7500 / हेक्टेयर इस परियोजना से 10% तक की गिरावट हो सकती है।

कोहरे का असर स्थानीय लोगों के स्वास्थ्य पर भी पड़ सकता है और इसके परिणामस्वरूप बढ़े हुए कोहरे और बीमारियों के कारण मानव और पशु स्वास्थ्य पर खर्च बढ़ेगा और कीटों सांपों और अन्य खतरनाक सरीसृपों, कीट-कीटों की आबादी में पर्याप्त वृद्धि के कारण अनुमान है लोगों में भी आशंका है कि रुक्रमशः 200 से 300 प्रति व्यक्ति खर्च बढ़ सकता है। बांध और लगातार कोहरे के निर्माण के बाद हालांकि, गर्मियों के दौरान लोगों को ठंडी जलवायु के कारण गर्मी से राहत मिल सकती है।

पानी से संबंधित बीमारियों में वृद्धि

एक जलाशय का निर्माण नदी के पारिस्थितिक तंत्र को एक स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र द्वारा बदल देता है। उथले जल क्षेत्रों में विभिन्न रोगों के वेक्टर जलाशय मार्जिन से बहुत दूर नहीं हैं। मच्छरों और अन्य वेक्टर में पानी के लिए प्रजनन स्थलों का परिमाण तटरेखा की लंबाई के सीधे अनुपात में है। जलाशय के निर्माण से नदी के किनारे ब्यास नदी की पूर्व परियोजना तटरेखा की तुलना में कई बार तटरेखा बढ़ेगी। इस प्रकार प्रस्तावित जलाशय के निर्माण से विभिन्न रोग वेक्टरों के लिए संभावित प्रजनन स्थलों में वृद्धि होगी। ऐसी संभावना है कि प्रस्तावित परियोजना के निर्माण और संचालन के परिणामस्वरूप मलेरिया की घटनाएं बढ़ सकती हैं।

जलाशय के निर्माण के अलावा, निम्न कारक भी परियोजना के क्षेत्र में और उसके आस-पास मलेरिया की बढ़ती घटनाओं का कारण बन सकते हैं यदि ठीक से कम नहीं किया गया है:

- श्रम का एकत्रीकरण
- खुदाई
- श्रम शिविर में अपर्याप्त सुविधाएं
- मलबा निपटान स्थलों पर

मलबे का निस्तारण

DSHEP के निर्माण के लिए मौजूदा प्रस्ताव के अनुसार लगभग 0.882 m³ muck का उत्पादन 40% फेलाव कारक सहित किया जाना है। इसमें से 0.118 mm³ का विभिन्न परियोजना कार्यों के लिए उपयोग किया जाना प्रस्तावित है और 0.764 Mm³ की शेष राशि का निपटान करना आवश्यक है। निस्तारण के लिए दो जंक निपटान स्थलों के लिए अर्थात् ग्राम जेहान के पास सुजानपुर बदायूं से जीहान बाड़ा और जिहान के साथ नौहल रोड पर मोहाल बसल, मौजा चोरू, तहसील बदायूं, हमीरपुर में लगभग 4.3 हेक्टेयर के कुल क्षेत्रफल और 0.801 एमएम 3 संयुक्त क्षमता के साथ पहचाना गया ।

आम तौर पर निचले इलाकों में मलबे का निपटान किया जाता है, जो मलबे के ढेर के कारण भर जाता है। यह कभी-कभी पानी के संचय के लिए अग्रणी क्षेत्र के प्राकृतिक जल निकासी पैटर्न को प्रभावित कर सकता है या कुछ क्षेत्र में आंशिक बाढ़ आ सकती है जो मच्छरों के लिए आदर्श प्रजनन निवास प्रदान कर सकती है। इसके अलावा मलबा निपटान स्थल धूल / वायु

प्रदूषण की चपेट में हैं और आसपास के क्षेत्र से कचरे के अनियंत्रित खुले डंपिंग का भी खतरा है, जिससे स्थानीय वातावरण खराब हो रहा है।

मिट्टी का कटाव / वृद्धि हुई सिल्टेशन

निर्माण स्थलों से नदी के बहने से ब्यास नदी या उसकी सहायक नदियों की ओर बढ़ने की स्वाभाविक प्रवृत्ति होगी। प्रमुख निर्माण स्थलों, जैसे बांध, बिजली घर आदि के कुछ दूरी के लिए नदी के पानी में तलछट के स्तर में वृद्धि की संभावना है, जिससे प्रकाश की पैठ में कमी हो सकती है, जिससे प्रकाश संश्लेषक गतिविधि कुछ हद तक कम हो सकती है। यह सीधे सूर्य के प्रकाश पर निर्भर करता है। इससे नदी के किनारे और उसकी सहायक नदियों के प्रभावित क्षेत्र की प्राथमिक उत्पादकता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है।

चूंकि ब्यास नदी में पर्याप्त प्रवाह है, इसलिए इस खाते पर प्रभाव महत्वपूर्ण होने की उम्मीद नहीं है। हालांकि कुछ प्रतिकूल प्रभाव उन धाराओं और नालों पर प्रत्याशित होते हैं जो दुबले मौसम के दौरान प्रवाहित होते हैं।

6.3.5 सार्वजनिक सेवाओं और उपयोगिताओं पर प्रभाव

सामुदायिक स्वामित्व वाली संपत्ति (वनभूमि), जल निकाय, चरागाह भूमि, घराट, श्मशान, मंदिर आदि तक पहुंच की हानि की (अक्सर अनदेखी की जाती है क्योंकि अक्सर उन्हें समुदाय को अप्रत्यक्ष लाभ प्रदान करने के लिए माना जाता है और उसकी मात्रा निर्धारित नहीं कर सकते । लेकिन इसका अभाव समुदाय के जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करता है।

चूंकि भूमि का अर्जन नदी के किनारे रेखिक रूप से हो रहा है, इसलिए निजी भूमि के अलावा दोनों किनारों पर निकटवर्ती वन क्षेत्र भी परियोजना के तहत आ रहा है। अध्ययन में पाया गया कि ग्रामीणों के पास पशुओं के चारे और जलाऊ लकड़ी के संग्रह के लिए जंगलों पर निर्भरता है। इसके अलावा, इन क्षेत्रों को ग्रामीणों द्वारा चराई के मैदान के रूप में भी उपयोग किया जाता है।

इसी तरह, 80 सार्वजनिक संपत्ति भी प्रस्तावित अर्जन के तहत खो रही है जिसमें शामिल है हमीरपुर जिले के ग्राम लुंगानी में प्राथमिक विद्यालय 1, आंगनवाड़ी 1, 1महिला मंडल 2 मंदिर,

1 सीवरेज सिस्टम, 29 श्मशान घाट, 25 आईपीएच योजनाएं, पंपहाउस और ट्यूबवेल, 15 बिजली के खंभे, 2 बावड़ियाँ , 1 कुआँ सहित बलंदर गाँव में गाँव की पगडंडी ।

चूँकि, कई गाँवों में पंपहाउस और बाउरी का नुकसान होगा, इसलिए यह उनकी मौजूदा सिंचाई और पेयजल सुविधाओं को प्रभावित करेगा। इसी तरह, परगना गाँव में बिजली के खंभे टूटने के कारण, यह क्षेत्र बिजली के अंधकार की चपेट में आ जाएगा, जब तक कि गाँवों में बिजली पहुँचाने से पहले उचित वैकल्पिक उपाय नहीं किए जाते।

इसके अलावा, क्रमशः आलमपुर और लुंगानी में 2 मंदिर और 29 श्मशान घाट ज्यादातर गाँवों में डूब जाएँगे क्योंकि वे ज्यादातर नदी किनारे स्थित हैं। इन उपयोगिताओं का नुकसान प्रभावित आबादी के आर्थिक और सामाजिक-सांस्कृतिक जीवन पर सीधा नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

पुलों, सड़कों और पुलियों पर असर

आवश्यक निकाय के अनुसार प्रस्तावित बांध-जलाशय से कोई भी पुल प्रभावित नहीं होगा, क्योंकि जलाशय का जल स्तर सुरक्षित सीमा से काफी नीचे रहने वाला है। अध्ययन के अनुसार 6 पुल, 1 पुलिया और 1 सड़क हैं जो जलाशय क्षेत्र के निकटवर्ती क्षेत्र में आते हैं और प्रभाव की चपेट में हैं। ये हैं :

1. हमीरपुर-सुजानपुर पुल, समीप मोचन मंदिर
2. भालेथ-सिरोर पुल
3. सुजानपुर तिराहे को आलमपुर से जोड़ने वाला मुख्य पुल
4. साढ़ोल सुजानपुर कलवट, तिराहा पुल से 1 किमी की दूरी पर
5. तिराहा पुल से 2 किमी दूर संधोल सुजानपुर मार्ग पर पुल
6. पलाही को पुआर से जोड़ने वाला पुल
7. पुरी को जांगल बेहरी और जंगल बेरी के साथ खीरी से जोड़ने वाले पुल
8. बल्ली टिपरी रोड

चूंकि जलाशय के निर्माण के बाद ब्यास और उसके फीडरों में पानी का स्तर काफी बढ़ने वाला है, इसलिए अवशोषण और केशिका क्रिया के कारण बैंकों की मिट्टी नम और पानीदार हो जाएगी। यह सुझाव दिया गया है कि अपेक्षित निकाय उपर्युक्त सड़कों, पुलियों और पुलों में से प्रत्येक का उचित संरचनात्मक स्थिरता अध्ययन करे , जैसे कि क्या वे जल स्तर में वृद्धि का सामना करने में सक्षम होंगे और परिणामस्वरूप यदि क्षेत्र में कनेक्टिविटी को बहाल करने के लिए विकल्प की योजना बनाएँ यदि जरूरत पड़ती है।

इसके अलावा, निर्माण चरण के दौरान लोगों, सामग्री, उपकरण और प्रवासन में वृद्धि होगी जो उपलब्ध बुनियादी ढांचे जैसे सड़क, मौजूदा स्वास्थ्य और शैक्षिक सुविधाओं आदि पर एक अतिरिक्त भार पैदा करेगा, इसलिए इसे पहले से मजबूत करने की आवश्यकता है।

नीचे दी गई तालिका गाँव को प्रस्तावित अर्जन के कारण सार्वजनिक सेवाओं और उपयोगिताओं के नुकसान का विवरण देती है।

तालिका 51:सार्वजनिक सेवाओं व् उपयोगिताओं का नुकसान

ज़िला	तहसील	पंचायत	क्र स	गाँव	पानी की टंकी / आईपीएच योजना / पंप-गोदाम	श्मशान घाट	अन्य
हमीरपुर	सुजानपुर	सुजानपुर	1	सुजानपुर	2	2	निकास प्रणाली
		दारला	2	भद्रयाना भलेठ	2	1	
			3	मियाना	1	1	
			4	मेहेदपुरा	1		
			5	दारला	1		
		करटोत	6	बलेहु		1	
			7	लौंगनी		2	1 महिला मंडल भवन , 1 रा० प्राथमिक विद्यालय

धौलासिध जल विद्युत् परियोजना (66 मेगावाट) के लिए की जा रही प्रस्तावित भूमि अर्जन का सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन ।

ज़िला	तहसील	पंचायत	क्र स	गाँव	पानी की टंकी / आईपीएच योजना / पंप-गोदाम	श्मशान घाट	अन्य
							, 1 आंगनवरी और 1 मंदिर
		चमियाना	8	भरमाड़		7	
			9	गरोहडु बुहला		3	
		जोल	10	परगना	2	1	15 बिजली के खम्बे
			11	पलाही	2	1	
		धाबरियाना	12	रियाह	2	1	
		बगेहड़ा	13	बगेहड़ा बुहला	1		
			14	बुल्ली		1	1 बावड़ी, 1 कुआँ, 1 घराट
	खुंडिया	टीपरी	15	कियोध			1 बावड़ी
			16	चौकी	1	1	
		कुहन	17	डल्ली	1		
		लाहरू	18	बलोंधर		1	ग्राम फुटपाथ
			19	डाडु	1	1	
		बालक रूपी	20	नीचली बेहरी		1	
			21	पपरोला	1	1	
		Jangal	22	बीर	2	2	
			23	साई	1	1	
काँगड़ा							

धौलासिध जल विद्युत् परियोजना (66 मेगावाट) के लिए की जा रही प्रस्तावित भूमि अर्जन का सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन ।

ज़िला	तहसील	पंचायत	क्र स	गाँव	पानी की टंकी / आईपीएच योजना / पंप-गोदाम	श्मशान घाट	अन्य
		Alampur	24	आलमपुर		1	1 सिद्धि विनायक मंदिर
			25	बाग़	1	1	
		Sakoh	26	लियूँड़ा	1		
कुल					25	29	

*स्रोत: प्राथमिक सर्वे

6.3.6 स्वास्थ्य, संस्कृति और सामाजिक सामंजस्य पर प्रभाव

अध्ययन में पाया गया कि परियोजना क्षेत्र में ग्रामीणों के स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि बढ़ती आर्द्रता, बढ़ती आवृत्ति व दिन के लम्बे समय तक रहने वाली धुंध, जल जनित रोगों की चपेट में आने, वायु और ध्वनि प्रदूषण में वृद्धि, मौजूदा स्वास्थ्य सुविधाओं पर दबाव बढ़ जाएगा ।

उत्तरदाताओं को स्थानीय लोगों और प्रवासियों के बीच संघर्ष में वृद्धि की संभावना के बारे में भी आशंका थी। उन्होंने कहा कि प्रवासन के कारण क्षेत्र में अपराध दर और असामाजिक गतिविधियों में वृद्धि की संभावना है। यह क्षेत्र सांस्कृतिक मिश्रण का भी गवाह बन सकता है। हालांकि, प्रवासन के कारण क्षेत्र में वस्तुओं की खपत में वृद्धि देखी जाएगी, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को लाभ होगा

6.3.7 लिंग आधारित प्रभाव

लिंग समानता: भूमि के प्रस्तावित अर्जन के संभावित प्रभावों में से एक भूमि की हानि के कारण परियोजना क्षेत्र में महिलाओं के लिए काम के अवसरों की अनुपलब्धता हो सकती है। अगर महिलाएं शिक्षित हैं, तो भी वे आजीविका कमाने के लिए गाँव से बाहर जाना पसंद नहीं करती हैं। संभावित रूप से एक और प्रभाव महिलाओं की आर्थिक स्थिति का हास है क्योंकि उनमें से कई का भूमि पर कागजों पर कोई कानूनी दावा नहीं है, इसलिए वे भूमिक्षति के -

धौलासिध जल विद्युत् परियोजना (66 मेगावाट) के लिए की जा रही प्रस्तावित भूमि अर्जन का सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन ।


प्रतिकर के लिए योग्य नहीं होंगे और वे अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित PAPs की श्रेणी में आते हैं। नीचे दी गई तालिका परियोजना क्षेत्र में PAPs का एक सेक्स वार वितरण प्रदान करती है:

तालिका 52: परियोजना क्षेत्र में PAPs के लिंग वार वितरण

वयस्क पुरुष	वयस्क महिला	पुरुष 18 वर्ष से कम	महिला 18 वर्ष से कम	कुल पुरुष	कुल महिला	कुल
4564	4602	981	799	5545	5401	10946

*स्रोत: प्राथमिक सर्वेक्षण

चित्र 8: परियोजना क्षेत्र में PAPs के लिंग वार वितरण



*स्रोत: प्राथमिक सर्वेक्षण

अध्ययन के दौरान यह देखा गया कि घर की महिलाएं भी पुरुषों के साथ क्षेत्र में कृषि गतिविधियों को करने में भाग लेती हैं। कृषि के अलावा, दिन के दौरान महिलाओं को अन्य गतिविधियों जैसे दुकान चलाना, मवेशी और मुर्गी के रखरखाव, मवेशियों के चारे और घर के लिए जलाऊ लकड़ी इत्यादि को एकत्र करने के लिए अधिक शामिल पाया गया, हालांकि ये गतिविधियाँ आर्थिक भलाई के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। किसी भी घर में, हालांकि एक ही मात्रा निर्धारित करना मुश्किल हो जाता है। कुल 10,946 PAPs में से 5401 महिलाएँ हैं। PAPs के बीच 763 विधवाएँ हैं। विशेष रूप से विधवा महिलाएँ अत्यधिक असुरक्षित होती हैं और प्रतिकर के वितरण के दौरान विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है।

6.4 PAPs द्वारा प्रभावित के रूप में प्रभाव का अनुमान

प्रभावित भूस्वामियों के साथ परामर्श अनैच्छिक पुनर्वास के विषय में मुद्दों के समाधान का प्रारंभिक बिंदु था, इस परियोजना से प्रभावित लोगों को भूमि अर्जन के कारण उनके नुकसान के बारे में आशंका है।

प्राथमिक सर्वेक्षण के दौरान, उत्तरदाताओं ने साझा किया कि धौलासिध HEP गतिविधियों के कारण कुछ सकारात्मक प्रभाव होंगे। इनमें परियोजना के भीतर और अग्रामी व अधोग्रामी संबंधों के दायरे में रोजगार और आय के अवसरों में वृद्धि शामिल है। उत्तरदाताओं के अनुसार भूमि के मूल्य में वृद्धि एक और बड़ी सकारात्मक बात है। उनमें से अधिकांश का मानना था कि यह व्यापार के अवसरों में वृद्धि की गुंजाइश पैदा करेगा। इसके अलावा, उनमें से कुछ को उम्मीद है कि एक बेहतर सड़क नेटवर्क के कारण औसत वाहनों की गति में वृद्धि होगी और परिवहन सेवाओं की आवृत्ति में वृद्धि होगी। अधिकांश PAPs समग्र विकास के बारे में भी सकारात्मक थे, विशेष रूप से अवसंरचनात्मक विकास (सामाजिक और भौतिक) जो आगामी HEP के कारण परियोजना गांवों में होंगे।

उत्तरदाताओं को कुछ नकारात्मक प्रभावों के बारे में चिंता लग रही है इनमें से मुख्य भूमि की हानि थी। यह अपने आप में उनकी आजीविका, जीवन के मार्ग और सामाजिक रिश्तों पर एक बड़ा प्रभाव डालता है। अगला प्रभाव राज्य के विभिन्न हिस्सों से या अलगअलग राज्यों से - प्रवासियों की आमद से संबंधित है- जो स्थानीय लोगों और बाहरी लोगों के बीच टकराव पैदा कर सकता है, उनकी संस्कृति और सामाजिक जीवन के लिए घुसपैठ, बुनियादी ढांचे परमौजूदा , प्राकृतिक संसाधनों पर अधिक दबाव बनाएगा।

इसके अलावा, वन भूमि के अर्जन के कारण, जिस पर ग्रामीण चारे के संग्रह ईंधन ,की लकड़ी के लिए निर्भर थे और अब खो जाएगी और इसलिए इसके समकक्ष विकल्प प्रदान किए जाने की आवश्यकता है।

जलाशय निर्माण और जल स्तर में वृद्धि के कारण आर्द्रता में वृद्धि होगी। जल जनित रोगों का खतरा, आर्द्रता से फसलों की उत्पादकता, भूमि का उपजौपन और इन्सान और पशुओं का

धौलासिध जल विद्युत् परियोजना (66 मेगावाट) के लिए की जा रही प्रस्तावित भूमि अर्जन का सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन ।

स्वस्थ पर प्रभाव, वायु और ध्वनि प्रदूषण में वृद्धि, निर्माण के कारण जल प्रदूषण में संभावित वृद्धि, यातायात में वृद्धिभारी वाहनों का आवागमन व वाहनों की गति में वृद्धि , और सड़कों पर अधिक कारों के कारण अधिक सड़क दुर्घटनाएं हो सकती हैं।

ग्रामीणों को मुर्दाघट अर्जित होने की वजह से होने वाले प्रभाव की भी गंभीर चिंता थी। एक अन्य प्रमुख चिंता का कारण गांवों में उनके पीने के पानी के संसाधनों जैसे आईपीएच के बुनियादी ढांचे, प्राकृतिक झरनों, नदियों और बावड़ियों और घाटों के नुकसान के कारण भी था।

उत्तरदाताओं में से कुछ ने यह भी कहा कि एचआईवी एड्स और तस्करी के जोखिमों की संभावना बढ़ जाएगी।

नीचे दी गई तालिका घरेलू सर्वेक्षण के दौरान प्राप्त प्रतिक्रियाओं को दिखाती है:


तालिका 53: PAPs द्वारा प्रभावित के रूप में प्रभाव का अनुमान

क्र स	प्रभाव का प्रकार	विवरण	उत्तर का %
1	सकारात्मक प्रभाव	समग्र रूप से समाज का विकास / उत्थान	97%
2		जनता के लिए मौजूदा प्राकृतिक संसाधनों का बेहतर उपयोग	95%
3		रोजगार के अवसर में वृद्धि	98%
4		आर्थिक स्थिति में सुधार	96%
5		ग्राम और ग्रामीणों का समग्र उत्थान	97%
6		बेहतर सेवाओं की उपलब्धता	97%
7		व्यापार के अवसर में वृद्धि	98%
8		भूमि की कीमत में वृद्धि	97%
9		कस्बों तक बेहतर पहुंच	97%
10		जीवन की बेहतर गुणवत्ता	93%
12	नकारात्मक प्रभाव	जमीन का नुकसान	98%
13		संरचना का नुकसान	21%
14		आजीविका का नुकसान	10%

धौलासिध जल विद्युत् परियोजना (66 मेगावाट) के लिए की जा रही प्रस्तावित भूमि अर्जन का सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन ।

क्र स	प्रभाव का प्रकार	विवरण	उत्तर का %
15		विस्थापन	9%
16		वित्तीय सुरक्षा का खतरा	30%
17		संपत्ति का नुकसान निजी और सार्वजनिक) (दोनों	50%
18		प्रदूषण में बढ़ोतरी	77%
19		बाहरी लोगों के आने से विरोध	77%
20		जीवन की गुणवत्ता में गिरावट	69%
21		परियोजना के निष्पादन के दौरान बाद में / दुर्घटनाओं का जोखिम	82%
22		मौजूदा बुनियादी ढांचे पर दबाव	18%
23		स्वास्थ्य के खतरों की आशंका एचआईवी) एड्स और तस्करी आदि / की घटनाओं में वृद्धि(77%
24		आद्रता से होने वाली स्वस्थ समस्याएं	81%
25		बढ़ती जल जनित रोगों का खतरा	79%
26		सापों, सरिसृप्त व् कीड़े मकौड़ों की बढ़ती संख्या	78%
*स्रोत: प्राथमिक सर्वेक्षण			

धौलासिध जल विद्युत् परियोजना (66 मेगावाट) के लिए की जा रही प्रस्तावित भूमि अर्जन का सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन ।



नकारात्मक प्रभावों से इतर , लोग आशावादी है कि आगामी परियोजना के साथ सकारात्मक प्रभाव आएँगे। समग्र रूप से कुल मिलाकर जीवन की बेहतर गुणवत्तासमाज के विकास / , उत्थान, जनता के लिए मौजूदा प्राकृतिक संसाधनों का बेहतर उपयोग, आर्थिक स्थिति में सुधार, व्यवसाय के अवसर और भूमि की कीमतों में वृद्धि, पड़ोसी शहरों के साथ बेहतर संपर्क के कारण उन्हें बेहतर रोजगार के अवसर मिलने की उम्मीद है।

निर्माण की अवधि के दौरान मौजूदा बुनियादी ढांचे और दुर्घटनाओं का खतराभूमि ,, संरचना और परिसंपत्तियों के नुकसान के अलावा, लोगों ने निर्माण गतिविधियों के कारण प्रदूषण के बढ़ते

स्तर, आजीविका की हानि, वित्तीय सुरक्षा पर जोखिम, निर्माण कार्यों के लिए अपने गांवों में आने वाले बाहरी लोगों के साथ संघर्ष, स्वास्थ्य खतरों के जोखिम, दबाव के लिए अपनी चिंता दिखाई।

उपरोक्त के अलावा, लोगों का मानना है कि प्रस्तावित अर्जन के कारण उन्हें सबसे बड़ी चुनौती होगी:

1. गाँव में कृषि के लिए कम भूमि उपलब्ध।
2. कृषि गतिविधि के लिए नई भूमि का चयन और तैयारी।
3. अच्छी उर्वरता के साथ प्रतिकर में खेती योग्य भूमि प्राप्त करना।
4. फल देने वाले पेड़ों का नुकसान

संभावित चुनौतियों और कठिनाइयों का सामना करने के लिए, PAPs द्वारा और पंचायतों के साथ आयोजित FGD के दौरान निम्नलिखित शमन उपाय प्रस्तावित किए गए थे:

1. सड़कों, पुलों और डिजिटल नेटवर्क के संबंध में बेहतर संपर्क, जिसमें गाँव का उन्नयन और सभी मौसम वाली सड़कों के लिए लिंक सड़कें शामिल हैं
2. परियोजना क्षेत्र की सभी पंचायतों में उचित जल निकासी की सुविधा।
3. PAPs के लिए आगामी HEP परियोजना में नौकरी के अवसर।
4. बुनियादी सुविधाओं, सेवाओं और सुविधाओं के संदर्भ में गाँव का विकास।
5. गाँव के भीतर बेहतर स्कूल और उच्च शिक्षा की सुविधा।
6. परियोजना क्षेत्र और परिवेश के लिए तकनीकी शिक्षा संस्थान।
7. बड़ी हुई सर्कल दरों के साथ अर्जित भूमि के खिलाफ प्रतिकर।
8. एम्बुलेंस सेवाओं, एम्बुलेंस सड़कों, PHC के बेहतर बुनियादी ढांचे, क्लीनिक और गाँवों में अस्पतालों की सुविधाओं सहित बेहतर स्वास्थ्य देखभाल।
9. आय बहाली के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र।
10. विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत कामगार वर्ग की आबादी को कौशल उन्नयन प्रशिक्षण प्रदान करना।
11. प्रस्तावित परियोजना के कारण प्रदूषण के स्तर पर निरंतर जाँच।
12. आगामी परियोजना में स्थानीय ग्रामीणों के लिए व्यावसायिक अवसर और अन्यथा निर्माण, आपूर्ति और परिवहन के लिए अनुबंध।

धौलासिध जल विद्युत् परियोजना (66 मेगावाट) के लिए की जा रही प्रस्तावित भूमि अर्जन का सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन ।

13. परियोजना क्षेत्र की सभी पंचायतों में स्ट्रीट लाइटिंग।
14. परियोजना से प्रभावित PAPs और पंचायतों को विशेष रियायती दरों पर बिजली।
15. सभी परियोजना प्रभावित पंचायतों में सिंचाई की उचित सुविधा।
16. अन्य चल रही विकास योजना से सहायता ऋण ।।

6.5 धौलासिध बांध जल विद्युत परियोजना के बारे में जागरूकता

प्राथमिक सर्वेक्षण के दौरान, औसतन 65% उत्तरदाताओं ने जवाब दिया कि वे आगामी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट और इसके उद्देश्य के बारे में पूरी तरह से अवगत थे, जबकि 32% ने उत्तर दिया कि वे आंशिक रूप से जागरूक थे। हालाँकि केवल 3.26% ने उत्तर दिया कि वे पूरी तरह से योग्य मुआवजे के बारे में जानते थे और लगभग 93% उत्तरदाता आंशिक रूप से जागरूक थे।

तालिका 54: विद्युत परियोजना के बारे में जागरूकता

जागरूकता	हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट के बारे में जागरूकता	परियोजना के उद्देश्य के बारे में जागरूकता	पात्र प्रतिकर के बारे में जागरूकता
पूरी तरह से	64.75%	65.03%	3.26%
आंशिक रूप से	31.42%	32.61%	92.81%
बिल्कुल नहीं	0.13 %	0.13%	0.44%
कह नहीं सकते	3.70%	2.23%	3.48%
कुल	100%	100%	100%

*स्रोत: प्राथमिक सर्वेक्षण

सर्वेक्षण के दौरान 96% उत्तरदाताओं ने परियोजना के बारे में और अधिक जानने के लिए अपनी रुचि व्यक्त की, इसका उद्देश्य, व्यक्तियों / परिवारों / गाँवों को लाभ, पूरे प्रतिकर के लिए वे पात्र हैं और व्यक्तियों / परिवारों / गाँव पर सकारात्मक / नकारात्मक प्रभावों के लिए संभव है।

तालिका 55: PAPs के लिए परियोजना के बारे में जानकारी का प्रमुख स्रोत

सूचना का स्रोत	
रेडियो	0.53%
समाचार पत्र	0.28%

धौलासिध जल विद्युत् परियोजना (66 मेगावाट) के लिए की जा रही प्रस्तावित भूमि अर्जन का सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन ।

सरकारी अधिकारी	69.30%
अन्य ग्रामीण	16.07%
अन्य	0.53%
कह नहीं सकते	13.28%
कुल	100%
*स्रोत: प्राथमिक सर्वेक्षण	

प्राथमिक सर्वेक्षण के दौरान यह भी पाया गया कि 69% PAPs को सरकारी अधिकारियों के माध्यम से परियोजना के बारे में पता चला, 16% को अन्य ग्रामीणों के माध्यम से इसके बारे में पता चला, 1% से भी कम को और रेडियो, समाचार पत्र और अन्य स्रोतों के माध्यम से प्रस्तावित अर्जन की जानकारी मिली ।

6.6 परियोजना के लिए सहमति

सर्वेक्षण के दौरान, 94 % लोगों ने कहा कि उन्हें आगामी DSHEP परियोजना या प्रस्तावित अर्जन पर कोई आपत्ति नहीं है, दूसरी ओर 6 %ने HEP परियोजना के लिए भूमि के प्रस्तावित अर्जन पर अपनी आपत्ति व्यक्त की।

तालिका 56: PAPs द्वारा अर्जन के संबंध में कोई आपत्ति

हां	6%
नहीं	94%
कुल	100%
* स्रोत: प्राथमिक सर्वे	

6.7 प्रतिकर वरीयताएँ

सर्वेक्षण के दौरान, 98% भूमि खोने वालों ने जवाब दिया कि वे उस भूमि के खिलाफ प्रतिकर के रूप में नकद चाहते हैं जो वे खो रहे हैं और शेष 2% भूमि के लिए प्रतिकर के रूप में भूमि की मांग की है।

44% संरचना खोने वालों लोगों ने नकदी की मांग की और 56% ने प्रतिकर के रूप में संरचना के खिलाफ संरचना की मांग की।

100% परिसंपत्ति खोने वालों लोगों ने अपने नुकसान के खिलाफ नकद प्रतिकर की मांग की।

धौलासिध जल विद्युत् परियोजना (66 मेगावाट) के लिए की जा रही प्रस्तावित भूमि अर्जन का सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन ।

तालिका 57: PAPs द्वारा प्रतिकर वरीयताएँ

मुआवजा प्राथमिकता	लैंडलूजर की ओर से स्वीकारना	ढांचे खोने वाले की ओर से स्वीकारना	परिसंपत्तियां खोने वाले की ओर से स्वीकारना
नगद	98%	44%	100%
जमीन के बदले जमीन	2%	0	0
ढांचा	0	56%	0
कुल	100%	100%	100%

* स्रोत: प्राथमिक सर्वे

अधिकांश सभी पीएपी ने एकमुश्त मुआवजा नगदी में लेने को प्राथमिकता दी है। केवल 17 पीएपी ने महीने या तिमाही में मुआवजा लेने में रुचि दिखाई है।

6.8 प्राप्त नकद प्रतिकर का उपयोग

प्राथमिक सर्वेक्षण के दौरान, लगभग 63% PAPs ने कहा कि वे कृषि या नए घर के लिए जमीन खरीदने के लिए प्राप्त नकद प्रतिकर का उपयोग करेंगे, लगभग 26% ने कहा कि वे इसे भविष्य में उपयोग के लिए बैंक में बचाएंगे, 0.25% ने जवाब दिया कि वे इसे किसी अन्य व्यवसाय में निवेश करने के लिए चाहेंगे, लगभग 9.66% लोगों ने कहा कि उन्होंने अभी सोचा नहीं है कि वे प्राप्त प्रतिकर का उपयोग कैसे करेंगे और 0.47% से भी कम ने प्रतिकर राशि के साथ एक नया घर खरीदने में अपनी रुचि व्यक्त की। दो लोगों ने जवाब दिया कि वह मुआवजे से मिलने वाली रकम को परिवार में शादी में इस्तेमाल करेंगे।

तालिका 58: प्राप्त नकद प्रतिकर का उपयोग

प्राप्त मुआवजे का इस्तेमाल	जवाबकर्ताओं का प्रतिशत
1. खेती व आश्रय के लिए जमीन खरीदना	63.18%
2. मकान खरीदना	0.47%
3. भविष्य के बैंक में जमा करना	26.39%
4. किसी दूसरे कारोबार में निवेश करना	0.25%
5. फैसला नहीं हुआ	9.66%

धौलासिध जल विद्युत् परियोजना (66 मेगावाट) के लिए की जा रही प्रस्तावित भूमि अर्जन का सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन ।

6. पारिवारिक शादियां	0.06%
*स्रोत: प्राथमिक सर्वे	

7 अर्जन पर लागत और लाभ और सिफारिशों का विश्लेषण

इस अध्याय में लोक प्रयोजनके मूल्यांकन, कम विस्थापन के विकल्प, न्यूनतम भूमि आवश्यकताओं, व्यवहार्यता और शमन उपायों की सीमा के साथ अंतिम निष्कर्ष प्रकृति और सामाजिक प्रभावों की तीव्रता के साथ चर्चा की गई है। अंत में, अध्याय का उद्देश्य प्रस्तावित परियोजना और प्रस्तावित अर्जन के अस्थायी समग्र लाभों पर प्रदर्शित करना है और इसकी तुलना परियोजना क्षेत्र के प्रत्यक्ष हितधारकों जैसे परियोजना प्रभावित पंचायतों और निकटवर्ती क्षेत्र में होने वाले प्रभावों से की जाती है, जिससे यह अंतिम सिफारिश के लिये रखा जायगा कि इसे अर्जन की प्रक्रिया से गुजरना चाहिए या नहीं।

7.1 लोक प्रयोजन का आकलन

हिमाचल प्रदेश में पनबिजली ऊर्जा के दोहन के लिए रणनीति का पालन न्यूनतम लागत और न्यूनतम पर्यावरणीय प्रभावों के साथ अधिक से अधिक ऊर्जा का उत्पादन करना है। जलविद्युत क्षमता का तेजी से दोहन निश्चित रूप से राज्य के आर्थिक स्वास्थ्य में सुधार करेगा क्योंकि , सभी नए प्रतिष्ठानों पर परियोजना की लागत में 12 प्रतिशत मुफ्त बिजली और 1.5% LADF (स्थानीय क्षेत्र विकास निधि), से राज्य के स्रोतों में महत्वपूर्ण वृद्धि होगी। पनबिजली परियोजनाओं की आवश्यकता भी उत्पन्न होती है, जिससे अधिकतम बिजली की मांग में निरंतर वृद्धि और उत्तरी क्षेत्र में ऊर्जा की बढ़ती कमी को पूरा किया जा सके।

हाइड्रो पावर के कुछ फायदे और सिद्धांत हैं, जैसे शुरू करने और जल्दी से रुकने की क्षमता, और तात्कालिक लोड स्वीकृति / अस्वीकृति। यह विशेष रूप से अधिकतम मांग को पूरा करने और सिस्टम की विश्वसनीयता और स्थिरता को बढ़ाने के लिए उपयुक्त बनाता है। अन्य लाभ में से कुछ हैं: जल विद्युत संयंत्रों का लंबा जीवन, ऊर्जा स्रोत का नवीकरणीय प्रकृति, बहुत कम

परिचालन और रखरखाव की लागत और जीवाश्मई धन द्वारा अनुभव किए गए मुद्रास्फीति के दबाव की अनुपस्थिति।

मांग प्रक्षेपण

राष्ट्रीय विद्युत नीति का लक्ष्य "2012 तक सभी के लिए बिजली" प्राप्त करना है और बिजली की ऊर्जा की प्रति व्यक्ति खपत 2007-08 में 704.2kWh से बढ़कर 2011-12 तक 1000 kWh से अधिक होना आवश्यक है। 17 वीं EPS के अनुसार, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी द्वारा आयोजित इलेक्ट्रिक पावर सर्वे ऑफ इंडिया की श्रृंखला में नवीनतम, 11 वीं और 12 वीं योजना के अंत में अखिल भारतीय आधार पर कुल ऊर्जा आवश्यकता 9,68,658 MU और 13,92,066 MU होगी। 10 वीं योजना के अंत में उपलब्ध वास्तविक ऊर्जा 6,90,587 MU थी। 11 वीं और 12 वीं योजना के अंत में अखिल भारतीय आधार पर अधिकतम लोड की आवश्यकता क्रमशः 1,52,746 MW और 2,18,209 MW होगी। 10 वीं योजना के अंत में मिलने वाली वास्तविक अधिकतम मांग 1,00,715 MW है।

11 वीं और 12 वीं योजना में क्रमशः 78,500 MW, 82,000 MW की उत्पादन क्षमता जोड़ने का प्रस्ताव किया गया है। इस अवधि में, जीवन शैली में बदलाव और आर्थिक विकास के परिणामस्वरूप प्रति व्यक्ति बिजली की खपत में वार्षिक वृद्धि होगी। 2011-12 तक प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत का अनुमान 1000 kWh से अधिक है। हिमाचल प्रदेश की प्रति व्यक्ति बिजली की खपत राष्ट्रीय औसत 704 kWh/year की तुलना में लगभग 765 kWh/year है।

बिजली की आपूर्ति की स्थिति

आवंटन में और अन्य सहायता के माध्यम से एक बड़ा बदलाव किया है ताकि पनबिजली परियोजनाओं को न केवल सही प्राथमिकताएं मिलें, बल्कि यह देश की भविष्य की क्षमता बढ़ाने के कार्यक्रमों में भी बढ़-चढ़कर योगदान दे सके। 11 वीं पंचवर्षीय योजना (वर्ष 2007-2012) में, पनबिजली क्षमता के लिए लक्ष्य 14,393 MW रखा गया था, जो पिछले 20 वर्षों में बनाई गई कुल स्थापित क्षमता (13,666 MW) से अधिक है। 2002-2007 की अवधि में लगभग 14,000 MW अतिरिक्त क्षमता और 2002-2017 की अवधि के दौरान 50,000 MW अतिरिक्त क्षमता की योजना बनाई गई। न केवल जोड़े जाने की क्षमता, बल्कि 25:75 के वर्तमान हाइड्रो-थर्मल असंतुलन को भी ठीक करना होगा और अधिकतम लोड आवश्यकताओं को

पूरा करने और बदलते मौसम के तहत आवृत्ति, वोल्टेज स्थिरता और सिस्टम ऑपरेटिंग लचीलापन प्रदान करने के लिए 40:60 तक लाना होगा।

भारत में, पिछले 60 वर्षों में 1,44,000 MW से अधिक क्षमता को जोड़ा गया है, बिजली की मांग और आपूर्ति के बीच एक बड़ा अंतर है। जबकि पिछले कुछ वर्षों में इसमें मामूली कमी आई है, न्यूनतम कमी 14% से 15% तक जारी है और औसत ऊर्जा की कमी लगभग 10.1% है।

उत्तरी क्षेत्र में लगभग 24.3 BU की ऊर्जा की कमी और लगभग 3.5 GW की कमी है। स्थिति पूरे वर्ष बदलती है और सबसे खराब स्थिति गर्मियों में देखी जाती है। उत्तर प्रदेश उत्तरी क्षेत्र में जम्मू और कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली के बाद सबसे बड़ा राज्य है। इस क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे राज्य हैं, जिनकी जल क्षमता बहुत अधिक है, और इस क्षेत्र की बिजली की मांग को पूरा करने के लिए इसका दोहन किया जा सकता है।

हिमाचल प्रदेश की जल विद्युत् क्षमता

हिमाचल प्रदेश में कुल क्षमता 20392.07 MW की स्थापित क्षमता के साथ 60% लोड फैक्टर पर 12235.24 MW है। हिमाचल प्रदेश में महान सिंधु बेसिन की सहायक नदियों / बेसिन में नदी के साथ एक बड़ी जल विद्युत क्षमता है। इनमें ब्यास नदी: 4597MW, रावी नदी: 2294MW, चिनाब नदी: 2748MW, यमुना: 591.52MW शामिल हैं जो उसी बेसिन का हिस्सा हैं और हिमाचल प्रदेश से होकर गुजरती हैं, सतलुज बेसिन में 9443.75 MW की जल विद्युत क्षमता है, जो इसकी स्थापित क्षमता का प्रतिनिधित्व लगभग 50% से करती है। सतलुज के अलावा, अन्य नदियाँ भी राज्य की शक्ति क्षमता में योगदान देती हैं। राज्य की विशाल जल क्षमता उत्तरी क्षेत्र में बिजली विकास कार्यक्रमों में एक प्रमुख भूमिका निभा सकती है जो हिमाचल प्रदेश के समग्र विकास के लिए एक आर्थिक आधार प्रदान करेगी। वर्तमान में, 20392 MW की कुल उपलब्ध पनबिजली क्षमता में से, 6060 MW का उपयोग विभिन्न राज्य और केंद्र सरकार की एजेंसियों द्वारा किया गया है।

धौलासिध जल विद्युत परियोजना (66 मेगावाट) ब्यास नदी की जल क्षमता का दोहन करने के लिए, नदी विकास प्रस्तावित योजना का एक भाग है। SJVN Ltd. उसी के लिए कार्यान्वयन एजेंसी है। परियोजना का उद्देश्य उत्तरी क्षेत्र में बिजली आपूर्ति में अंतर को कम करना और

स्थानीय आवासों पर न्यूनतम खतरनाक और न्यूनतम सामाजिक-पर्यावरणीय प्रभावों के साथ अधिकतम ऊर्जा संसाधनों का दोहन करके राज्य के राजस्व में वृद्धि करना है।

परियोजना को पीक पावर स्टेशन के रूप में संचालित करने की योजना बनाई गई है। आवक प्रवाह के दौरान जलाशय में पानी जमा किया जाएगा, और जलाशय भर जाने पर उसे पूर्ण लोड पर छोड़ा जाएगा। रनऑफ-द-रिवर स्कीम की तुलना में यह पीक प्लांट के रूप में संचालित होने के दौरान उच्च ऊर्जा उत्पन्न करता है। इसके अलावा, यह हिमाचल प्रदेश में उच्च शिखर बिजली की मांग को पूरा करने में भी मदद करेगा।

धौलासिध HEP की अपेक्षित बिजली उत्पादन प्रति वर्ष 258.31 GWH होगा। कुल परियोजना लागत रु 789.64 करोड़ अनुमानित है। परियोजना शुरू से अपेक्षित सालाना राजस्व 108 करोड़ 90% भरोसेमंद साल में होगा। परियोजना का अनुमान है निर्माण के चरम फेज़ में 600 लोगों का व्यवसाय पैदा होगा जिस्मी से 500 कर्मचारी होंगे व 100 तकनीकी कर्मचारी होंगे । यह रोजगार कुशल, अर्ध कुशल और अकुशल श्रमिकों के लिए उत्पन्न होगा।-HP सरकार के नियम अनुसार, रोजगार का 70% हिमाचल प्रदेश के निवासियों के लिए आरक्षित होना चाहिए। इस मामले में, परियोजना स्तर पर उत्पन्न रोजगार के लिए PAP को प्राथमिकता दी जाएगी।

RTFCTLARR अधिनियम, 2013 की धारा 2 उपधारा 1 (बीके अनुसार (, धौलासिध बांध जल विद्युत् परियोजना 66) मेगावाटसार्वजनिक प्रयोजन के लिए बुनियादी ढांचा परियो (जनाओं (ऊर्जा उत्पादन) की परिभाषा के तहत अच्छी तरह से उचित है।

7.2 कम विस्थापन विकल्प और न्यूनतम भूमि की आवश्यकता

परियोजना के विभिन्न घटकों के लिए 'अनुकल्पों की परीक्षा' के तहत अध्याय 1 में विस्तार से चर्चा की गई है। बांध और बिजली घर और इसके बुनियादी डिजाइन सुविधाओं के स्थान को इष्टतम बिजली उत्पादन, स्थलाकृतिक और भू-तकनीकी विशेषताओं, अपस्ट्रीम पर मौजूदा परियोजनाओं, अर्थव्यवस्था, जलमग्नता और विस्थापन और भूमि अर्जन जैसे अन्य प्रासंगिक कारकों को देखते हुए अंतिम रूप दिया गया है।

परियोजना के लिए कुल भूमि की आवश्यकता 332.87 Ha में से 246.8062 Ha (74%) निजी भूमि है जिसे अधिग्रहित किया जाना है जबकि शेष 86.06 Ha (26%) सरकारी और वन भूमि है। यद्यपि निजी भूमि का हिस्सा कुल भूमि की आवश्यकता के बहुमत का निर्माण करता प्रतीत होता है, इसका मुख्य कारण यह है कि PAF नदी के तट पर और नदी तल पर ही कई क्षेत्रों में भूमि के स्वामित्व में हैं। अधिग्रहित की जा रही अधिकांश निजी भूमि, प्रस्तावित जलाशय के डूब में आ रही है। इसके अलावा केवल 13 PAF प्रस्तावित अर्जन से विस्थापित हो रहे हैं जो तुलनात्मक रूप से परियोजना और अर्जन के पैमाने और परिमाण को देखते हुए बहुत कम आंकड़ा है। 246.8062 Ha की कुल निजी भूमि में केवल 9% खेती योग्य भूमि का अर्जन किया जा रहा है और शेष 91% भूमि अनुपयोगी है।

विशेष रूप से, प्रस्तावित अर्जन परियोजना के लिए सबसे कम विस्थापित विकल्प है। इसके अलावा, परियोजना के लिए आवश्यक कुल भूमि का केवल 1% (लगभग) इसका निर्माण और निर्माण के बाद के चरणों के दौरान परियोजना के लिए सभी सहायक सुविधाओं के निर्माण के लिए उपयोग किया जाएगा। शेष 99% भूमि जलमग्न हो जाएगी। इसलिए परियोजना गतिविधियों के कारण निजी भूमि के अर्जन के साथ-साथ न्यूनतम विस्थापन को कम करने के लिए सभी प्रयास किए गए हैं।

7.3 सामाजिक प्रभावों की प्रकृति और तीव्रता

यदि प्रभाव, अगर स्थायी प्रकृति का है तो उसका प्रभाव, निर्माण के बाद के चरण के दौरान भी उसे तरह का होगा जैसा के निर्माण पूर्व या निर्माण चरण के रहता है दूसरी तरफ अस्थायी प्रभाव निर्माण निर्माण चरण परियोजना चक्र के बाद के चरणों के दौरान तीव्रता में निरंतर / कमी दिखाएगा। निर्माण चरण के बाद भी किसी भी प्रभाव को दीर्घकालिक प्रभाव के रूप में माना जाता है और यदि यह केवल निर्माण चरण के चलने तक रहता है, तो इसे अल्पकालिक प्रभाव माना जाता है।

नीचे दी गई तालिका परियोजना चक्र के विभिन्न चरणों के दौरान विभिन्न पहचाने गए प्रभावों की प्रकृति और तीव्रता को दर्शाती है:

धौलासिध जल विद्युत् परियोजना (66 मेगावाट) के लिए की जा रही प्रस्तावित भूमि अर्जन का सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन ।

तालिका 59: प्रभाव की प्रकृति और तीव्रता

प्रभाव	क्रमांक	प्रभाव की पहचान	परियोजना चक्र का चरण	प्रभाव की प्रकृति	प्रभाव की तीव्रता
सामाजिक	1.	क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए हितधारकों के बीच विवाद	पूर्व निर्माण	अस्थायी	अल्पावधि
	2.	प्रोजेक्ट से लाभान्वित हो रहे लोगों और अप्रभावित रहने वाले लोगों के बीच सामाजिक विभाजन।		अस्थायी	अल्पावधि
	3.	इनमाइग्रेशन के कारण स्थानीय आवासों - की मौजूदा सांस्कृतिक प्रथाओं और परंपराओं पर प्रभाव।	निर्माण चरण	अस्थायी	दीर्घकालिक
भूमि / संरचना	4.	कृषि भूमि का नुकसान	निर्माण चरण	स्थायी	दीर्घकालिक
	5.	PAP के बीच भूमिहीनता		स्थायी	अल्पावधि
	6.	PAP के लिए आश्रय का नुकसान		स्थायी	अल्पावधि
	7.	सार्वजनिक बुनियादी ढांचे जैसे घराट, पानी की पाइपलाइन, पंपघर-, स्कूल, शमशान घाट आदि को नुकसान।		अस्थायी	अल्पावधि
	8.	आम संपत्ति का नुकसान		अस्थायी	अल्पावधि
आजीवि का / आय	9.	कृषि आय का नुकसान	निर्माण के पूर्व	स्थायी	दीर्घकालिक
	10.	अप्रत्यक्ष रूप से अर्जित भूमि पर निर्भर लोगों के लिए आजीविका विकल्प का नुकसान। उदाहरण के लिए कृषि मजदूर :, विक्रेता, आदि।		अस्थायी	अल्पावधि
	11.	प्रवासन के कारण वस्तुओं की बढ़ी हुई खपत स्थानीय अर्थव्यवस्था को लाभ	निर्माण चरण	अस्थायी	अल्पावधि

धौलासिध जल विद्युत् परियोजना (66 मेगावाट) के लिए की जा रही प्रस्तावित भूमि अर्जन का सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन ।

प्रभाव	क्रमांक	प्रभाव की पहचान	परियोजना चक्र का चरण	प्रभाव की प्रकृति	प्रभाव की तीव्रता
		पहुँचा रही है।			
	12.	निर्माण कार्य में स्थानीय ग्रामीणों और PAPs के लिए नौकरी का अवसर।	निर्माण चरण	अस्थायी	अल्पावधि
	13.	भूमि की कीमतों में वृद्धि	निर्माण और निर्माण के बाद का चरण	स्थायी	दीर्घकालिक
	14.	प्रतिकर के कारण PAF की वित्तीय स्थिति में अचानक परिवर्तन, उनकी क्रय क्षमता में बदलाव होगा और फंड मिसमैनेजमेंट - के जोखिम को भी बढ़ाएगा।	निर्माण के पूर्व	अस्थायी	अल्पावधि
भौतिक संसाधन	15.	पेड़, पानी की टंकी, शौचालय और रसोई जैसी निजी संपत्ति का नुकसान।	निर्माण चरण	अस्थायी	अल्पावधि
	16.	मौजूदा बुनियादी ढांचे जैसे PHC, शैक्षिक संस्थानों, सड़कों, आदि पर दबाव बढ़ा।	निर्माण चरण	अस्थायी	अल्पावधि
जैव विविधता / पर्यावरण	17.	प्रभावित गांवों और पड़ोसी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए चारा और जलाऊ लकड़ी संग्रह के लिए प्राथमिक स्रोत के रूप में सेवारत वन भूमि का नुकसान।	निर्माण और निर्माण के बाद का चरण	स्थायी	दीर्घकालिक
	18.	जलाशय के निर्माण के कारण आर्द्रता में वृद्धि।	निर्माण और निर्माण के बाद का चरण	स्थायी	दीर्घकालिक
	19.	निर्माण गतिविधि और उत्खनन के कारण वायु, जल और ध्वनि प्रदूषण का स्तर बढ़ा।	निर्माण चरण	अस्थायी	अल्पावधि
स्वास्थ्य	20.	प्रदूषण स्तर बढ़ने से जल जनित रोगों का खतरा।	निर्माण चरण	अस्थायी	अल्पावधि

धौलासिध जल विद्युत् परियोजना (66 मेगावाट) के लिए की जा रही प्रस्तावित भूमि अर्जन का सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन ।

प्रभाव	क्रमांक	प्रभाव की पहचान	परियोजना चक्र का चरण	प्रभाव की प्रकृति	प्रभाव की तीव्रता
	21.	परियोजना के निष्पादन के दौरान बाद / में दुर्घटनाओं का जोखिम	निर्माण चरण	अस्थायी	अल्पावधि
	22.	स्वास्थ्य के खतरों का खतरा एचआईवी /) एड्स और तस्करी आदि की घटनाओं में (वृद्धि	निर्माण चरण	अस्थायी	अल्पावधि
जीवन की गुणवत्ता	23.	ट्रैफिक में वृद्धि। भारी वाहनों का आवागमन	निर्माण चरण	अस्थायी	अल्पावधि
	24.	स्थानीय ग्रामीणों और प्रवासियों के बीच संभावित विवाद।	निर्माण चरण	अस्थायी	अल्पावधि
	25.	विभिन्न गांवों के बीच समझौता कनेक्टिविटी।	निर्माण चरण	अस्थायी	अल्पावधि
	26.	सिंचाई सुविधा का हास।	निर्माण चरण	अस्थायी	अल्पावधि
	27.	प्राकृतिक झरने और पम्फाउस के नुकसान के कारण पीने के पानी की उपलब्धता में गिरावट।	निर्माण चरण	अस्थायी	अल्पावधि
	28.	इनमाइग्रेशन के कारण सामाजिक सुरक्षा - की भावना में कमी।	निर्माण चरण	अस्थायी	अल्पावधि
	29.	गाँव का समग्र विकास।	निर्माण के उपरान्त	स्थायी	दीर्घकालिक

*स्त्रोत :SIA टीम

ऊपर तालिका से स्पष्ट होता है की ज्यादातर प्रभाव अस्थायी व् अल्पावधि है जिनको अगर ढंग से शमित किया जाए तो उनका प्रभाव न्यूनतम किया जा सकता है ।

7.4 सुझाये गये शमन उपाय की व्यवहार्यता

अध्ययन द्वारा सुझाए गए शमन उपायों को सामाजिक समाघात प्रबंध योजना (SIMP) के तहत विवरण में चर्चा की गई है। एक समग्र रूप में प्रभावित परिवारों, पंचायतों और समुदाय की राय और मांगों के आधार पर और परियोजना के विभिन्न पहलुओं और राज्य सरकार की भागीदारी को देखते हुए, दोनों सकारात्मक और साथ ही परियोजना के नकारात्मक प्रभाव भी हैं। प्रस्तावित HEP के कारण क्षेत्र के विकास की उम्मीद है, वहीं परियोजना के बारे में समुदाय में भय और आशंकाएं भी हैं।

स्वामियों द्वारा अपेक्षित नकारात्मक प्रभावों में भूमि की हानि, प्रदूषण के स्तर में वृद्धि, निजी और वन भूमि पर निर्भर गतिविधियों में अचानक गिरावट, बाहर की आबादी का प्रवाह शामिल है जिसके परिणामस्वरूप सुरक्षाबचाव चिंताओं-, सामाजिक संघर्षों आदि में वृद्धि होती है और सार्वजनिक उपयोगिताओं के नुकसान, परियोजना प्रभावित गांवों और आसपास के क्षेत्र के - निवासियों को सड़क संचार तक पहुंच में कठिनाई का सामना करना पड़ेगा, जो विभिन्न पंचायतों गांवों के लोगों और डूबने के कारण विस्थापित होने वाले परिवारों के / बीच सामाजिक संबंधों को प्रभावित करेगा। । हालाँकि, सुझाए गए बुनियादी ढाँचे के उपायों का यदि योजनाबद्ध तरीके से पालन किया जाता है, तो इन प्रभावों को लगभग नगण्य तक कम कर दिया जाएगा।

इस परियोजना के कार्यान्वयन के माध्यम से आने वाले सकारात्मक प्रभावों के बारे में एक सामान्य आशावाद है जैसे कि रोजगार के अवसरों में वृद्धि, भूमि की कीमत, और छोटे और मध्यम व्यापार उपक्रमों के लिए गुंजाइश बढ़ जाती है। बेहतर सड़क नेटवर्क जिसमें नदी के दोनों किनारों पर बेहतर कनेक्टिविटी, उच्च आवृत्ति और बेहतर गुणवत्ता वाली परिवहन सेवाएं शामिल हैं। ढांचागत सुविधाओं विशेष रूप से सिंचाई, पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली और जल निकासी में सुधार होगा और यह क्षेत्र हिमाचल प्रदेश के HEP मानचित्र में एक मील का पत्थर बन जाएगा।

इसके अलावा, इस परियोजना के कार्यान्वयन से राज्य को अपेक्षित राजस्व लगभग 108 करोड़ प्रति वर्ष है जिससे राज्य का समग्र आर्थिक स्वास्थ्य बढ़ रहा है। इसके अलावा, LADA और

CSR जैसे धन की उपलब्धता के कारण, परियोजना क्षेत्र निर्माण और परियोजना के निर्माण के बाद के चरणों के दौरान त्वरित विकास होगा।

संभावित विकल्पों के बीच सर्वोत्तम उपलब्ध वैकल्पिक साइट और परियोजना के डिजाइन के चयन के कारण भूमि अर्जन और अनैच्छिक पुनर्वास को कम से कम किया गया है। वर्तमान प्रस्तावित अर्जन का परियोजना क्षेत्र में PAF और समुदायों पर कम से कम प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

जहां घराने समुदायों सहित संपत्ति खो रहे हैं, आजीविका या संसाधनों को पूरी तरह से प्रतिकर और सहायता दी जाएगी ताकि वे अपनी पूर्व आर्थिक और सामाजिक स्थितियों में सुधार कर सकें, या कम से कम बहाल कर सकें।

PAF यानी किसी भी व्यक्ति या घर या व्यवसाय को प्रतिकर, पुनर्वास और पुनर्व्यविस्थापन सहायता प्रदान की जाएगी, जो प्रस्तावित परियोजना कार्यान्वयन के कारण प्रभावित होगी :

- a) जीवन स्तर के बुरी तरह प्रभावित होने पर ;
- b) किसी भी घर में अधिकार, पदवी या ब्याज, उपयोग करने का अधिकार, या उपयोग करने का अधिकार, परिसर, कृषि और चरागाह भूमि, वाणिज्यिक संपत्ति, किरायेदारी, या वार्षिक या बारहमासी फसलों और पेड़ों या किसी अन्य निश्चित या चल योग्य सहित कोई भी भूमि अस्थायी या स्थायी रूप से अर्जित की गई या संपत्ति;
- c) आय के अवसर, व्यवसाय, व्यवसाय, कार्य या निवास स्थान या निवास स्थान पर प्रतिकूल रूप से अस्थायी या स्थायी रूप से प्रभावित; या,
- d) पुनर्वास योजना की प्रक्रिया के दौरान पहचानी जा सकने वाली सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों और रिश्तों को या किसी अन्य नुकसान को प्रभावित किया जा सकता है।

खोए हुए परिसंपत्तियों की सूची सहित प्रस्तावित परियोजना प्रभावित क्षेत्रों के भीतर सभी PAF के रहने वाले, काम करने वाले, व्यवसाय करने और या खेती करने वाले /, अपनी खोई हुई संपत्ति (भूमि और गैर-भूमि संपत्ति) और आय और व्यवसायों की बहाली के लिए आनुपातिक रूप से प्रतिकर के हकदार हैं; और उनके पूर्वपरियोजना जीवन स्तर-, आयअर्जन क्षमता और -

उत्पादन स्तर को सुधारने या कम से कम बनाए रखने के लिए उनकी सहायता के लिए पुनर्वास उपायों के साथ पर्याप्त सहायता प्रदान की जाएगी।

वर्तमान R&R योजना के अनुसार पुनर्वास के लिए आवश्यक निकाय भूमि द्वारा प्रस्तावित एक ही ग्राम पंचायत के भीतर 4 PAF विस्थापित होने के लिए पहले से ही पहचान की गई है। इसके अलावा, 25 सुविधाएं पुनर्वास कॉलोनी में विकसित करने का प्रस्ताव है। इस पंक्ति में, 4 विस्थापित PAF के लिए पुनर्वास क्षेत्र पर कुछ बुनियादी सुविधाओं को विकसित करने का प्रस्ताव है, जिसमें सड़क, जल निकासी सुविधा, पेयजल, बिजली की सुविधा, खेल का मैदान सामुदायिक केंद्र आदि और रुपये का प्रावधान शामिल हो सकता है। इन कार्यों के लिए 28,57,000 प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त 13 IPH योजनाओं को भी परियोजना क्षेत्र में 65 लाख रुपये के कुल बजट प्रावधान के साथ विकसित करने का प्रस्ताव है। भूमि क्षतिपूर्ति को छोड़कर आरएंडआर गतिविधियों को पूरा करने के लिए कुल बजट 3.12 करोड़ रुपये प्रस्तावित किया गया है, जिसमें आवश्यक निकाय द्वारा प्रस्तावित आरएंडआर योजना के तहत कार्यान्वयन के लिए 1 करोड़ रुपये का विविध व्यय शामिल है।

पुनर्वास योजना RTFCTLARR अधिनियम, और 2013HP RTFCTLARR नियम और 2015 नवीनतम R&R नीति के अनुसार डिजाइन की जाएगी।

सहमत कार्यान्वयन अवधि के भीतर भूमि अर्जन (क्षतिपूर्ति और आय बहाली उपायों सहित) की लागत को कवर करने के लिए परियोजना अधिकारियों द्वारा पर्याप्त बजटीय समर्थन पूरी तरह से प्रतिबद्ध और उपलब्ध कराया जाएगा।

प्रतिकर के प्रावधान और स्थानांतरण के लिए आवश्यक अन्य स्वीकार्य सहायता के पहले विस्थापन नहीं होगा। संपत्ति का अर्जन, प्रतिकर का भुगतान, और परियोजना निर्माण गतिविधियों से पहले PAF की आजीविका पुनर्वास गतिविधियों को फिर से शुरू करना और पूरा करना होगा। आजीविका और आय की बहाली के उपाय भी होने चाहिए, लेकिन इनमें समय लग सकता है, जरूरी नहीं कि निर्माण गतिविधियों से पहले ही पूरा कर लिया जाए।

कहा गया है कि यदि निकाय और राज्य सरकार को PAPs और समुदाय के विभिन्न नुकसानों को कम करने के लिए उचित उपाय करना चाहिए और राज्य के सकारात्मक विकास और हितों को देखते हुए, परियोजना लाभ मोटे तौर पर परियोजना की प्रतिकूल सामाजिक लागत को कम कर देगा ।

7.4.1 अंतिम सिफारिश

उपरोक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि परियोजना का लाभ केवल प्रभावित क्षेत्र के लोगों को ही नहीं बल्कि पूरे जिले और राज्य तक बढ़ाया जाएगा। इस पूरे प्रोजेक्ट से पूरे उत्तरी क्षेत्र को लाभ होगा। धौलासिध HEP परियोजना के कार्यान्वयन से परियोजना पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव पड़ेगा। हालांकि, यदि प्रस्तावित शमन योजना का पालन किया जाता है, तो यह नकारात्मक प्रभावों को कम करके सामाजिक प्रभावों को कम करने और सकारात्मक प्रभावों को बढ़ाने के लिए सामाजिक प्रभावों को कम करने में मदद करेगा, जिससे प्रतिकूल सामाजिक लागतों की निगरानी होगी।

ये भी सिफारिश की जाती है कि परियोजना प्राधिकारी जोल गाँव जो काँगड़ा जिले के जांगड़ पंचायत में पड़ता है, के केस की दोबारा जाँच करें कि यदि जलाशय का प्रभाव इस गाँव पे आएगा या नहीं।

इसलिए इस परियोजना की वृहद तस्वीर को ध्यान में रखते हुए जो राज्य के विकास के लिए लाभ और योगदान देगा और परिणामस्वरूप पूरे देश में, अध्ययन की सिफारिश है कि धौलासिध बांध जल विद्युत परियोजना (66 मेगावाटके) लिए प्रस्तावित भूमि अर्जन किया जा सकता है , बशर्ते कि सुझाए गए सभी उपाय न्यायिक रूप से पहचाने गए विभिन्न प्रभावों को कम कर दें।

8 सामाजिक समाघात प्रबंधन योजना

8.1 कमी करने पर दृष्टीकोण

यह सामाजिक समाघात प्रबंधन योजना (SIMP) RFCTLARR Act, 2013 और HP RTRFCTLARR नियम, 2015 के अनुसार धौलासिध बाँधा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट (66 MW) के नकारात्मक सामाजिक प्रभावों को कम करने व सकारात्मक प्रभावों को बढ़ाने के लिए तैयार की गई है। यह शमन, निगरानी और संस्थागत उपायों का एक सेट होता है जोकि प्रतिकूल सामाजिक प्रभावों को खत्म करने या उन्हें स्वीकार्यस्तर तक कम करने के लिए परियोजना के डिजाइन, निर्माण और परिचालन चरण के दौरान किए जाने चाहिए। SIMP को परियोजना के विभिन्न चरणों के दौरान कार्यान्वित किया जा सकता है जैसे की प्री-कंस्ट्रक्शनस्टेज, कंस्ट्रक्शन स्टेज और ऑपरेशनल स्टेज। परियोजना के विभिन्न चरणों के दौरान सुझाए गए विभिन्न प्रबंधन उपायों का विवरण निम्नलिखित अनुभाग में प्रदान किया गया है।

8.2 समाघात से बचने, कम करने और प्रतिपूर्ति करने के उपाय

8.2.1 सामाजिक उपाय

1. यदि हितधारकों के बीच कोई विवाद है, तो इस विवाद को पहले हल किया जाना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कानूनी मालिक को प्रतिकर दिया जाए।
2. आलमपुर और लोंगानी में अर्जन के तहत खोए जा रहे 2 मंदिरों के निर्माण के लिए धनराशि प्रदान करें
3. गांवों में स्थानीय देवताओं के मंदिरों के निर्माण / उन्नयन के लिए धन उपलब्ध कराया जाए।
4. परियोजना क्षेत्र के सभी गांवों और पंचायतों में सामुदायिक हॉल का निर्माण किया जाए।
5. महिला मंडल, युवकमंडल और ग्राम पंचायत कार्यालयों के रूप में उपयोग किए जाने वाले भवन संरचनाओं का निर्माण /, मरम्मत और उन्नयन किया जाए।

6. महिलाओं और पिछड़े वर्ग श्रेणियों जैसे सीमांत वर्गों के पारंपरिक कौशल को बढ़ावा देकर व नए कौशल में विकसित करके उनके उत्थान के लिए प्रयास किए जाने चाहिए।
7. परियोजना प्रभावित व्यक्तियों और परिवारों ने बाजार मूल्य से प्रतिकर की गणना से पहले दरों के अद्यतन के लिए अनुरोध किया है। इसके इलावा अपने परिवार के सदस्यों के लिए नौकरी की मांग भी की है ।
8. परियोजना के चालू होने के बाद PAFs को विशेष सब्सिडी टैरिफ दरों के साथ प्रदान किया जा सकता है या प्रति माह में कुछ मुफ्त इकाइयां प्रदान की जा सकती हैं, या दोनों प्रदान की जा सकती हैं ।
9. **स्ट्रीट लाइटिंग-** लगभग सभी पंचायतों और गांवों को स्ट्रीटलाइट्स प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।
10. **खेल को बढ़ावा-** शारीरिक फिटनेस और खेल को बढ़ावा देने के लिए, खेल में लगे युवाओं को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। आवश्यक निकाय प्रभावित पंचायतों में खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा सकता है और स्थानीय खेल युवा क्लबों को खेल / किट प्रदान कर सकते हैं। होनहार एथलीटों को आगे चलकर परियोजना में रोजगार के अवसर प्रदान भी किए जा सकते हैं।
11. जिला प्रशासन और सम्बंधित विभागों के साथ जुड़कर खेल परिसर को भी विकसित किया जा सकता है, जो उज्ज्वल एथलीटों को बढ़ावा देगा और स्थानीय लोगों के लिए भी रोजगार पैदा कर सकता है।

8.2.2 आधारभूत संरचनाओं के उपाय

1. **सर्व मौसम सड़कें** - SIA टीम के अवलोकन व ग्रामीणों की मांग के अनुसार सारे प्रोजेक्ट एरिया की सारी ग्राम पंचायतों की सभी ग्रामीण सड़कों और लिंक सड़कों को सर्व मौसम पक्की सड़कों में उन्नत किया जा सकता है जिससे क्षेत्र में बेहतर कनेक्टिविटी सुनिश्चित की जा सके अतः जिसका सीधा प्रभाव क्षेत्र के विकास पर होगा। इनमें से कुछ विशेष सुझाव निम्न दिए गए हैं।
2. **नदी पर पुल:** यह सुझाव दिया गया है कि अपेक्षित निकाय निम्नलिखित उल्लिखित सड़कों, पुलियों और पुलों का समुचित संरचनात्मक स्थिरता का अध्ययन करे हैं, जैसे

कि वे जल स्तर में वृद्धि का सामना करने में सक्षम होंगे और इसके परिणामस्वरूप यदि आवश्यकता होती है तो क्षेत्र में कनेक्टिविटी को बहाल करने के लिए विकल्पों की योजना बनाएं। :

- हमीरपुर-सुजानपुर पुल, समीप मोचन मंदिर
- भालेथ-सिरोर पुल
- सुजानपुर तिराहे को आलमपुर से जोड़ने वाला मुख्य पुल
- संधोल सुजानपुर टीहरा कलवट, पुल से 1 किमी की दूरी पर है
- टीहरा पुल से 2 किमी दूर संधोल सुजानपुर मार्ग पर पुल
- पलाही को पुअर से जोड़ने वाला पुल
- पुरी को जांगल बेहरी और जंगल बेरी के साथ खेरी से जोड़ने वाला पुल
- बल्ली टिपरी रोड

अतः प्रभावित पंचायतों/गावों में इन सामाजिक संबंधों व् अभिगम्यताओं को बहाल करने हेतु सारे वैकल्प व् उपयुक्त व्यवस्थाएं की जानी चाहिए ।

1. परियोजना क्षेत्र की सभी पंचायतों में जल निकासी की उचित सुविधा का निर्माण किया जाना चाहिए।
2. परियोजना क्षेत्र की सभी पंचायतों में लिफ्ट सिंचाई सुविधा प्रदान की जानी चाहिए।
3. **ड्रेनेज सिस्टम-** प्रभावित गाँवों में उचित ड्रेनेज सिस्टम विकसित करने की आवश्यकता है। दिए गए इलाकों की स्थितियों में सड़कों के साथ जल निकासी पाइप की व्यवहार्यता का पता लगाया जाना चाहिए।
3. **पेयजल आपूर्ति** - ग्रामीणों के साथ चर्चा से और *FGD* के दौरान अवलोकन से, यह पाया गया कि ग्रामीण लोग बावडियों और प्राकृतिक झरनों / एक्विफर पानी को पीने के पानी के रूप में उपयोग कर रहे हैं या नदी या आसपास के नाले से पानी पंप करने के लिए कुछ व्यवस्था की है।

इन प्राकृतिक जल संसाधनों में से कई प्रस्तावित परियोजना के अनुसार जलमग्न / समाप्त हो जाएंगे इसलिए, परियोजना की गति विधियों को शुरू करने से पहले, ग्रामीणों को पेयजल आपूर्ति के लिए वैकल्पिक स्रोत / प्रणाली प्रदान की जानी चाहिए।

इसी तरह, नदी तट के करीब 25 सरकारी जल पंपिंग स्टेशन / आईपीएच जल योजनाएं हैं, जिसमें डूब भी जाएंगे। इसलिए यह जरूरी हो जाता है कि सभी प्रभावित गांवों में सुरक्षित पेयजल की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए परियोजना के निर्माण चरण से पहले सभी आवश्यक प्रबंध किए जाएं।

परियोजना क्षेत्र के सभी पंचायतों ने सर्वसम्मति से परियोजना क्षेत्र के सभी गांवों में स्वच्छ पेयजल सुविधा प्रदान करने की मांग की है।

4. **चिकित्सा सुविधाएँ** - प्रभावित क्षेत्र के ग्रामीणों के साथ चर्चा के अनुसार, विभिन्न स्तरों पर कुछ सरकारी स्वास्थ्य सुविधाएं / केंद्रस्थापित हैं, लेकिन दीजाने वाली सेवाएँ अपर्याप्त हैं और दूरियां बहुत बड़ी हैं।

इसलिए, पर्याप्त चिकित्सा और स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने के लिए मौजूदा सरकारी सुविधाओं को उन्नत किया जाना चाहिए। अर्जन करने वाली संस्था एक सुविधाजनक स्थान पर त्रित्य स्तरीय स्वास्थ्य सुविधा खोल सकता है जो प्रभावित गांवों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ हो और प्रभावित क्षेत्र की जरूरतों को पूरा करने के लिए सुसज्जित हो । आवश्यक परीक्षण उपकरण और रेफरल प्रणाली के साथ निश्चित दिनों पर यात्रा करने के लिए निर्धारित क्षेत्र में एक मोबाइल मेडिकल वैन भी शुरू की जा सकती है। इसके अलावा, टोल फ्री नंबर (जैसे एन.एच.एम की 108 सेवा) के साथ एक एम्बुलेंस सेवा शुरू की जा सकती है।

5. **स्कूल और छात्रवृत्ति** - प्रभावित क्षेत्र में बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए, स्कूल भी शुरू किए जा सकते हैं जहाँ प्रभावित परिवारों के बच्चों को प्रवेश के दौरान पहली प्राथमिकता मिल सकती है। प्रभावित परिवारों के बच्चों को फीस रियायत के लिए भी माना जा सकता है। आवश्यक निकाय परीक्षा में उच्चतम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को छात्र वृत्ति भी प्रदान किया जा सकता है।

आवश्यक निकाय उच्चशिक्षा / व्यावसायिक ट्रेडों जैसे इंजीनियरिंग, चिकित्सा, कानून और सीए / सीएस आदि के लिए चयन करने वाले छात्रों की मदद कर सकते हैं, जिसके लिए वे छात्र की फीस / आवास लागत का प्रतिशत साझाकर सकते हैं और बाद में उन्हें उनके कौशल के अनुसार संगठन में अवशोषित कर सकते हैं। यह अर्जन करने वाली संस्था के लिए एक दीर्घ कालिक निवेश के साथ-साथ प्रभावित परिवारों के लिए एक बड़ी मदद साबित होसकता है जो अपने बच्चों की उच्चशिक्षा के लिए प्रयास कर रहे हैं।

चूंकि अर्जित निकाय पीएसयू है, इसलिए आधिकारिक तौर पर शिक्षा विभाग के साथ एक समझौता ज्ञापन होसकता है।

6. **तकनीकी संस्थान-** क्षेत्र में तकनीकी संस्थानों को स्थापित किया जा सकता है व मौजूदा तकनीकी संस्थानों के साथ सहयोग में खाद्य संरक्षण व प्रसंस्करण असैनिक निर्माण, व मरम्मत अथवा विद्युत् क्षेत्र से सम्बंधित पाठ्यक्रम भीशुरु करवाए जा सकते है। इन पाठ्यक्रम को अंतिम रूप देने से पहले क्षेत्र की भविष्य की जरूरतें व परियोजना प्रभावित परिवारों के साधन व रुचि को समझने के लिए एक स्वतंत्र सर्वेक्षण किया जाना चाहिए।
7. **शमशान घाट** - पहाड़ी इलाकों में शमशान घाट जादातर नदी किनारे स्थित होते है । परियोजना प्रभावित क्षेत्र की जादातर पंचायतों में भी परियोजना की वजह से शमशान घाटप्रभावित हो रहे है । अतः प्रभावित पंचायतों के निवासियों से परामर्श करने क पश्चात् विद्युत्/अन्य शवदाह गृह का निर्माण किया जा सकता है।

8.2.3 पुनर्वास व पुनार्व्यवस्थापन के उपाय

1. विस्थापित हुए PAF और भूमि हारे हुए लोगों के लिए भी जो *अर्जित* भूमि के प्रतिकर के रूप में भूमि का चयन करते हैं, अर्जित निकाय को उसी ग्राम पंचायत या पड़ोसी ग्राम पंचायत में अधिमानतः भूमि प्रदान करनी चाहिए।
2. PAF जिनके घरों का अर्जन किया जा रहा है, उन्हें उचित प्रतिकर दिया जाए और अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत पुनर्वास के कारण होने वाली असुविधा के लिए अतिरिक्त प्रतिकर दिया जाए।

3. जिन PAFs के घरों के अलावा अन्य संरचनाएँ जा रही हैं उन्हें भी उचित प्रतिकर प्राप्त हो। उन 12 पीएफ के लिए जिनकी आजीविका प्रभावित हो रही है, उनकी आजीविका को मौजूदा स्तर पर या बेहतर तरीके से बहाल करने के उपाय किए जाने चाहिए ।
4. **बागवानी और औषधि पौधों का संवर्धन:** परियोजना क्षेत्र की कृषि-जलवायु परिस्थितियाँ उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय फलों के लिए काफी उपयुक्त हैं। क्षेत्र में आमों की विभिन्न प्रजातियाँ, रसीले फल, अमरुद, पपीता, केले और अम्पला जैसे फल उगाये जाते हैं। अर्जन करने वाली संस्था विभाग के समर्थन से क्षेत्र में हर्बल पौधों को भी बढ़ावा दिया जा सकता है ।
5. **पर्यटन को बढ़ावा देना** यदि प्रशासन द्वारा पर्याप्त ध्यान दिया जाता है :, तो यह क्षेत्र एक पर्यटन स्थल के साथ साथ, पानी से संबंधित गतिविधियोंखेलोके लिए केंद्र के रूप में विकसित हो सकता है। पीपीपी मोड में रिवर साइड कैम्प और राफ्टिंग को बढ़ावा दिया जा सकता है जो प्रभावित परिवारों के लिए नियमित आय उत्पन्न कर सकता है।
6. **मत्स्य पालन** को बढ़ावा देना यह परियोजना मत्स्य पालन के विकास के लिए : प्राकृतिक परिस्थितियाँ प्रदान करेगी। प्रभावित क्षेत्र के इच्छुक व्यक्तियों को मछली पालन में प्रशिक्षण दिया जा सकता है। संबंधित विभाग से मछली पकड़ने का लाइसेंस प्राप्त करने में इच्छुक लोगों और मछुआरों (का परिवारों से) प्रभावित समर्थन किया जा सकता है।
7. पशुपालन प्रभावित आबादी के एक बड़े हिस्से के लिए कृषि के : साथ में पशुपालक मुख्य धन है और हर घर में गायों या भैंसों, भेड़, बकरियों, हैं। पशुपालन, जो कि छोटे और सीमांत किसानों की आय बढ़ाने में सहायक है, का व्यवसायीकरण किया जा सकता है। एक दूध सहकारी क्षेत्र को बढ़ावा दिया जा सकता है जिससे न केवल परियोजना प्रभावित परिवारों को बल्कि पूरे क्षेत्र को लाभ होगा।

8. **स्वयं सहायता समूह का गठन व सशक्तिकरण :** महिलाओं को एक साथ आने और स्वयं सहायता समूह बनाने और मौजूदा लोगों को समुचित प्रशिक्षण के साथ मजबूत बनाने और पंजीकृत SHG को दिए गए बैंक ऋण के माध्यम से अपनी आजीविका कमाने के लिए अवसर प्रदान करना चाहिए। हस्तकला, डायरी, शॉल बनाना, सिलाई और कढ़ाई आदि पेश की जा सकती है।
9. **आय बहाली के लिए संस्थागत संपर्क और कौशल उन्नयन:** यह देखा गया कि आय बहाली के लिए पात्र परिवारों में से कुछ बागवानी, क्षुद्र व्यवसायों और पशुधन के माध्यम से अपनी आजीविका कमा रहे थे। अर्जन करने वाली संस्था कुछ व्यावसायिक कौशल / प्रशिक्षण के अवसर प्राप्त करने के लिए स्वयं सहायता समूहों (SHG) को व्यवस्थित करने के लिए प्रभावित परिवार के सदस्यों को जुटाने के लिए सक्रिय भूमिका निभा सकती है और विपणन और ऋण सुविधाओं के अलावा कच्चे माल , इनपुट के लिए अग्रामी व अधोग्रामी संपर्क स्थापित करने में भी सहायता कर सकता है। संस्थागत वित्तपोषण और विपणन में जिला प्रशासन और अन्य हितधारक ऐसी गतिविधियों को करने के लिए सूक्ष्म योजनाएँ तैयार करें। वैकल्पिक आजीविका योजनाओं के निर्माण के मामले में, लक्ष्य आबादी की आवश्यकताओं का अध्ययन किया जाए और भागीदारी तरीके से प्राथमिकता दी जाए। राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न गरीबी उन्मूलन और आय सृजन योजनाएं। और GOI को प्रभावित आबादी को आय बहाली के विकल्प प्रदान करने के लिए अभिसरण किया जाए।
10. **परियोजना आधारित रोजगार परियोजना से संबंधित रोजगार के अवसर जैसे कि :** परियोजना निर्माण, रखरखाव, आपूर्ति और परिवहन ठेकेदारों के तहत काम भी प्रभावित आबादी के लिए खुले हों।
11. **नुकसान हुई फसलों व बागवानी गतिविधियां जिनमें फलदार व गैर फलदार पेड़ भी आते हैं, उनका उचित रूप से प्रतिकार दिया जाना चाहिए।**
12. **अधिग्रहण करने वाली संस्था लोगों के कौशल उन्नयन के लिए कौशल विकास कार्यक्रम भी चला सकती है जिससे उन्हें परियोजना में बेहतर रोजगार के मौके मिल सकें।**

13.परियोजना परिचालन व अन्य चरणों के दौरान निर्माण, स्प्लाइ व यातायात के छोटे ठेकों में महत्व PAPs, PAFs प्रभावित ग्राम पंचायतों के लोकल लोगो को दिया जाना चाहिए।

8.2.4 पर्यावरण उपाय

I) **वनीकरण** क्षेत्र में प्रस्तावित भूमि-अर्जनके कारण वन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। पारिस्थितिक तंत्र को बहाल करने और पारिस्थितिक नुकसान को कम करने के लिए, सरकारी भूमि में वनीकरण किया जा सकता है। इस प्रक्रिया में वन विभाग, निकाय और समुदाय को शामिल करना चाहिए। ये प्रयास न केवल नुकसान को बहाल करने में मदद करेंगे बल्कि स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर भी प्रदान करेंगे।

इसके अलावा, निजी भूमि में मिट्टी के कटाव की जांच के लिए अतिसंवेदनशील क्षेत्र में वृक्षारोपण किया जाना चाहिए। यह मिट्टी की उर्वरता की हानि की जांच करेगा और संबद्ध जोखिमों को कम करेगा। इसके अलावा, नदी के किनारे वृक्षारोपण जल स्तर में वृद्धि और मानसून के दौरान भूस्खलन के खतरे को प्रभावी रूप से कम करेगा।

II) शोर प्रदूषण और वाहन यातायात

- शोर प्रदूषण और यातायात को कम से कम किया जा सकता है:
- भारी परिवहन वाहनों के प्रवेश के लिए दिन के विशिष्ट घंटे को परिभाषित करना।
- एक दिन में परियोजना स्थल में प्रवेश करने / छोड़ने वाले भारी वाहनों की संख्या को विनियमित करना।
- हॉर्न के उपयोग को कम करने के लिए ड्राइवरों को सख्त निर्देश।
- परिवहन वाहनों पर दबाव हॉर्न पर पूर्ण प्रतिबंध।
- सड़कों और यातायात स्थितियों पर अनावश्यक अधिभार से बचने के लिए पूरे दिन समान रूप से परिवहन वाहनों के समय को नियोजित करना ।
- भारी वाहनों के चालकों को, छोटे वाहनों को प्राथमिकता देने और गति सीमा का पालन करने के लिए नियमित ओवरटेक करने के लिए सख्त निर्देश देना

III) वायु प्रदूषण

परिवहन, निर्माण, उत्खनन, खनन और डंपिंग के दौरान धूल के कारण उत्पन्न होने वाले वायु प्रदूषण को निर्माण स्थल, परिवहन वाहनों जैसे ट्रकों, टिपरों आदि के खनन और डंपिंग साइटों को ढकने से कम किया जा सकता है। साथ ही, परियोजना क्षेत्र में पूरे दिन नियमित पानी का छिड़काव भी वायु प्रदूषण को कम करने में मदद करेगा।

चेबरी पंचायत के ग्रामीणों ने डंपिंग साइट को गांव से दूर स्थानांतरित करने का अनुरोध किया है क्योंकि वे वायु प्रदूषण से चिंतित हैं कि उन्हें इसका सामना करना पड़ेगा।

IV) जल प्रदूषण, जल जनित रोग और बढ़ी हुई आर्द्रता

1. जल प्रदूषण को सख्ती से आश्वासन देकर कम किया जा सकता है कि खुदाई और खनन के दौरान नदी में न्यूनतम डंपिंग होती है।
2. डंपिंग साइट को नदी के किनारों से दूर बनाया जाना चाहिए ताकि बारिश और मॉनसून के दौरान विशेष रूप से नदी में प्रवेश करने से बचें।
3. निर्माण सामग्री की भंडारण इकाइयों को विशेष रूप से रेत और कुल मिलाकर नदी के किनारे से दूर रखना चाहिए।
4. जलाशय के निर्माण के बाद विशेष रूप से खड़े पानी को जल जनित बीमारियों से बचने के लिए नियमित रूप से छिड़काव किया जाना चाहिए।
5. जलाशय के कारण आर्द्रता में वृद्धि हुई है जो कि वनीकरण द्वारा कम से कम हो सकती है। हालांकि विदेशी सजावटी पेड़ों के बजाय पेड़ पौधों का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। इसके अलावा, केवल उन किस्मों के पेड़ों को लगाया जाना चाहिए जो नमी को कम करते हैं और परिवेश को अपेक्षाकृत ठंडा रखने में मदद करते हैं।

V) जल स्तर में वृद्धि के कारण भूमि स्लाइड का जोखिम

सक्षम अधिकारी नदी के बहाव की जांच करने और नदी में पानी के स्तर में वृद्धि के कारण भूस्खलन के जोखिम को कम करने के लिए कमजोर स्थानों पर तटबंध की दीवारों रिटेनिंग / दीवारों आदि का निर्माण सुनिश्चित कर सकते हैं।

ड्रेनेज सिस्टम प्रभावित गाँवों में उचित ड्रेनेज सिस्टम विकसित करने की आवश्यकता है। दिए गए इलाकों की स्थितियों मेसड़कों के साथ जल निकासी पाइप की व्यवहार्यता का पता लगाया जाना चाहिए।

8.2.5 अन्य उपाय

1. परियोजना प्रभावित लोगों को प्रतिकर निश्चित समय सीमा में दिया जाना चाहिए।
2. परियोजना प्रभावित लोगों को प्रतिकर मुआवज़े का उत्पादक उपयोग व सुरक्षित निवेश क लिए तकनीकी व वित्तीय सलाह दी जानी चाहिए।
3. PAPs व PAFs जिन्होंने चरणबंध प्रतिकर को चुनना है उनके लिए प्रतिकर का वितरण करने क लिए उचित चरणबंध योजना की युक्ति की जानी चाहिए।
4. स्थानीय क्षेत्र विकास निधि LADF योगदान परियोजना की निर्माण अवधि के दौरान परियोजना लागत का 1.5% है। तत्पश्चात LADF द्वारा परियोजना के जीवन पर निरंतर और निरंतर आधार पर आय सृजन और कल्याणकारी योजनाओं की एक नियमित धारा प्रदान करने के लिए 1% निर्धारित किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश सरकार भी अपने 12% शेयर में से 1% का भाग योजना/ बजट प्रावधान में से LADF को प्रदान करेगी। यह प्रावधान PAFs के साथ विस्तार में चर्चित किये जाने चाहिए और इसीलिए स्थानीय क्षेत्र विकास कमिटी (LADC) बनाई जानी चाहिए जिसमें विभिन्न हितधारक जैसे सरकारी विभाग, परियोजना प्रभावित परिवारों के सदस्य और अपेक्षित निकाय के अधिकारी हो ।
5. **सर्किल दरों में संशोधन:** कई PAPs और PAF को लगता है कि उनकी भूमि के मौजूदा सर्कल रेट बहुत कम हैं। इसलिए उन्होंने सर्कल दरों को संशोधित करने और बढ़ाने का अनुरोध किया है। संबंधित अधिकारी इस मुद्दे को देख सकते हैं और संबंधित कानूनों के अनुसार पंचायतों के सर्कल दरों को उचित रूप से संशोधित कर सकते हैं।

6. **जागरूकता और वित्तीय साक्षरता शिविर-** स्वस्थ, स्वच्छता, पोषण, सामाजिक अधिकार इत्यादि से सम्बंधित जागरूकता कार्यक्रमों का क्षेत्र में बार बार आयोजन किया जाना चाहिए। यह प्रभावित ग्रामीणों को सामाजिक परिवर्तनों का सामना करने में मदद करेगा जोकि बड़े पैमाने में आई जनसँख्या में वृद्धि व स्वास्थ्य सम्बंधित पैटर्न में प्रत्यक्ष परिवर्तन का सामना करेंगे ।

इसके अलावा ग्रामीणों को सुरक्षित निवेश, निवेश योजनाओं, धन प्रबंधन इत्यादि के बारे में शिक्षित करने के लिए खास वित्तीय साक्षरता शिविर का आयोजन किया जाना चाहिए क्योंकि इनमें से बहुत लोगों को भरी मात्रा में प्रतिकर प्राप्त होगा।

कई भूमि अर्जन परियोजनाओं में यह देखा गया है कि जब भी परिवारों को भारी मात्रा में धन दिया जाता है, उस धन का उपयोग परिवार के सदस्यों द्वारा न्यायिक रूप से उपयोग नहीं किया जाता है और आम तौर पर विलासिता और अनावश्यक वस्तुओं पर खर्च किया जाता है और व्यक्ति / परिवारों के खर्च करने के तरीके और जीवन शैली को भी बदलता है। कभी-कभी, इससे समाज में प्रचलित पारंपरिक और सांस्कृतिक प्रथाओं का नुकसान भी होता है। कई परिवारों को समग्र रूप से वित्तीय प्रबंधन के बारे में पता नहीं है, इसलिए यहां चिंता है कि प्रतिकर के पैसे लंबे समय तक नहीं रहेंगे और अंततः परिवारों के साथ-साथ समाज को भी लंबे समय में प्रतिकूल रूप से प्रभावित करेंगे।

इसके अलावा, अशिक्षित ग्रामीणों और दुर्बल समूहों के साथ धोखाधड़ी और धोखाधड़ी के कई मामले हैं, जब उन्हें प्रतिकर मिला है।

इसलिए, आवश्यक निकाय विशेष बाहरी एजेंसी की सहायता से प्रभावित परियोजना क्षेत्र में वित्तीय साक्षरता शिविर आयोजित कर सकते हैं।

8.3 R&R और अधिनियम 2013 में शामिल उपाय

यह एस आई ए रिपोर्ट भूमि अर्जन प्रक्रिया को करने के लिए आवश्यक निकाय के लिए और सार्वजनिक परामर्श और सर्वेक्षण के दौरान परियोजना प्रभावित परिवारों और अन्य हितधारकों द्वारा बताई गई आकांक्षा के अनुसार कार्ययोजना तैयार करने के लिए फायदेमंद होगी। अध्ययन

धौलासिध जल विद्युत् परियोजना (66 मेगावाट) के लिए की जा रही प्रस्तावित भूमि अर्जन का सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन ।

के निष्कर्षों के प्रकाश में, अपेक्षित सामाजिक प्रभावों के शमन के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा सकते हैं।

तालिका 60: पहचाने गए और संबंधित शमन उपाय

क्र० सं	प्रभाव	सुझाव / शमन उपाय
1	निजी भूमि का नुकसान)246.8062 हेक्टेयर(RTFCTLARR अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार शीर्षक धारकों और हितधारकों को उचित प्रतिकर
2	निजी संपत्तियों के नुकसान के कारण अर्जन जैसे आवासीय और वाणिज्यिक संरचनाएं, सीमा की दीवारें, फसलें, फल असर और गैर-फल वाले पेड़। प्राप्त की जा रही निजी संपत्तियों की सूची तालिका 26 में उल्लिखित है	RTFCTLARR अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार मालिकों और हितधारकों को उचित प्रतिकर
	सर्किल दरों का संशोधन	जिला कलेक्टर व् अपेक्षित निकाय के फैसले के अनुसार
3	विस्थापित परिवारों और व्यक्तियों के लिए अर्जन के कारण असुविधा	नए स्थान के निर्माण और नए घरों के निर्माण के लिए RTFCTLARR अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार मालिकों और हितधारकों को उचित प्रतिकर
4	भूमि पर निर्भर रोजगार आय / आजीविका / का नुकसान।	RTFCTLARR अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार व्यक्तियों को उचित प्रतिकर। 2) अर्जित निकाय परियोजना के निर्माण और निर्माण के बाद के चरण में इन व्यक्तियों का रोजगार सुनिश्चित कर सकता है जो उनके कौशल सेट, योग्यता, आयु और मौजूदा आय पर निर्भर करता है।

क्र० सं	प्रभाव	सुझाव / शमन उपाय
		<p>3) अर्जन करने वाला निकाय परियोजना में बेहतर रोजगार के अवसर प्राप्त करने में सक्षम होने के लिए इन व्यक्तियों के कौशल उन्नयन के लिए कौशल विकास कार्यक्रम भी चला सकता है।</p> <p>4) इस परियोजना के परिचालन और अन्य चरणों के दौरान PAP और पफ को और प्रभावित ग्राम पंचायतों के स्थानीय लोगों को निर्माण, आपूर्ति और परिवहन में छोटे अनुबंधों को देने के लिए प्राथमिकता दीजानी चाहिए।</p>
5	सामुदायिक आस्तियों का नुकसान जैसे कि शमशान घाट, बावड़ी, चगाह, मंदिर आदि।	प्रभावित होने वाले सभी सांस्कृतिक और सामुदायिक आस्तियों को या तो स्थानांतरित किया जाना चाहिए या निर्माण शुरू होने से पहले संबंधित समुदाय की पूर्व सहमति के साथ एक समान उन्नत / विकल्प के साथ प्रदान किया जाना चाहिए।
6	आम संसाधनों की हानि जैसे जल संसाधन जिसमें पेयजल संसाधन जैसे स्प्रिंग्स और / बावड़ियां शामिल हैं। चरागाहों चरागाहों की हानि /, जलाऊ लकड़ी के संग्रहण के लिए जंगल।	प्रभावित होने वाली सभी सामान्य संपत्तियों को निर्माण शुरू करने से पहले संबंधित समुदाय की पूर्व सहमति के साथ एक समान उन्नत विकल्प के साथ प्रदान किया जाना चाहिए।
7	दुर्बल समूहों पर प्रभावसर्वेक्षण से पता चलता है कि 857 महिलाएं HH, 8 तलाक, 763 विधवा, 82 शारीरिक रूप से अक्षम PAP हैं।	<p>1) RTFCTLARR अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार व्यक्तियों को उचित प्रतिकर प्रदान करें।</p> <p>2) इसके अलावा, उन्हें विशेष सहायता</p>

क्र० सं	प्रभाव	सुझाव / शमन उपाय
		<p>प्रदान की जा सकती है जैसे कौशल विकास और आय की बहाली के संदर्भ में अतिरिक्त सहायता प्रदान करने के लिए प्रत्येक कमजोर परिवार से कम से कम एक सदस्य।</p> <p>3) अधिकारी यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि प्रतिकर का संबंधित हिस्सा कमजोर व्यक्तियों को सीधे हस्तांतरित किया जाए ताकि धोखाधड़ी और धोखाधड़ी की संभावना से बचा जा सके।</p>
8	खाद्य सुरक्षा और पशुपालन पर प्रभावखेती : योग्य भूमि और चरागाह के नुकसान से कृषि और पशुपालन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।	<p>कृषि विभाग को सलाह दी जाती है कि वह प्रभावित परिवारों को बची हुई भूमि या वैकल्पिक भूमि में गहन खेती करने में मदद करे।</p> <p>इसी तरह, उन्हें पशुपालन प्रथाओं को चलाने के लिए सहायता और बढ़ावा दिया जाना चाहिए</p>
9	शोर प्रदूषण और वाहनों का आवागमन	<p>1) स्थानीय लोगों के परामर्श से स्वीकार्य सीमा के भीतर शोर, यातायात, धूल के बढ़े हुए स्तर को कम करने के लिए एक प्रबंधन योजना का विकास और कार्यान्वयन,</p> <p>2) ध्वनि प्रदूषण और यातायात को कम से कम किया जा सकता है:</p> <p>a) भारी परिवहन वाहनों के प्रवेश के लिए दिन के विशिष्ट घंटों को परिभाषित करना।</p>

क्र० सं	प्रभाव	सुझाव / शमन उपाय
		<p>b एक दिन में परियोजना स्थल में प्रवेश (छोड़ने / ले जाने वाले भारी वाहनों की संख्या को विनियमित करना।</p> <p>cसींगों के उपयोग को कम करने के लिए (ड्राइवरों को सख्त निर्देश।</p> <p>dपरिवहन वाहनों पर दबाव सींगों पर पूर्ण (प्रतिबंध।</p> <p>eसड़कों और यातायात स्थितियों पर (अनावश्यक अधिभार से बचने के लिए पूरे दिन समान रूप से परिवहन वाहनों के समय को डगमगाते हुए।</p> <p>fभारी वाहनों के चालकों को सख्त निर्देश (देने के लिए छोटे वाहनों को प्राथमिकता देने और गति सीमा का पालन करने के लिए नियमित ओवरटेक करना।</p>
10	वायु प्रदूषण	<p>3) परिवहन, निर्माण, उत्खनन, खनन और डंपिंग के दौरान धूल के कारण उत्पन्न होने वाले वायु प्रदूषण को निर्माण स्थल, ट्रकों जैसे परिवहन वाहनों, टिपरों आदि के खनन और डंपिंग स्थलों को स्नेहपूर्वक कम किया जा सकता है। साथ ही, परियोजना क्षेत्र में पूरे दिन नियमित पानी का छिड़काव भी वायु प्रदूषण को कम करने में मदद करेगा।</p>
11	जल प्रदूषण, जल जनित रोग और बढ़ी हुई आर्द्रता।	<p>1) जल प्रदूषण को सख्ती से आश्वासन देकर कम किया जा सकता है कि खुदाई</p>

क्र० सं	प्रभाव	सुझाव / शमन उपाय
		<p>और खनन के दौरान नदी में न्यूनतम डंपिंग होती है।</p> <p>2) डंपिंग साइट को नदी के किनारों से दूर बनाया जाना चाहिए ताकि बारिश और मॉनसून के दौरान विशेष रूप से नदी में प्रवेश करने से बचें।</p> <p>3) निर्माण सामग्री की भंडारण इकाइयों को विशेष रूप से रेत और कुल मिलाकर नदी के किनारे से दूर रखना चाहिए।</p> <p>4) जलाशय के निर्माण के बाद विशेष रूप से खड़े पानी को जल जनित बीमारियों से बचने के लिए नियमित रूप से छिड़काव किया जाना चाहिए।</p> <p>5) जलाशय के कारण आर्द्रता में वृद्धि हुई है जो कि वनीकरण द्वारा कम से कम हो सकती है।</p>
12	जल स्तर में वृद्धि के कारण भूमि स्लाइड का जोखिम	<p>सक्षम अधिकारी नदी के पाठ्यक्रम की जांच करने और नदी में पानी के स्तर में वृद्धि के कारण भूस्खलन के जोखिम को कम करने के लिए कमजोर स्थानों पर तटबंध की दीवारों रिटेनिंग दीवारों आदि / का निर्माण सुनिश्चित कर सकते हैं।</p> <p>2) नदी के किनारों पर वृक्षारोपण और वृक्षारोपण, विशेष रूप से कमजोर और अतिसंवेदनशील स्थलों पर भी भूस्खलन के खतरे को कम करेगा।</p>

* स्रोत: टीम SIA

8.4 SIMP कार्यान्वयन का व्यय

परियोजना प्रभावित के लिए लागू कानूनी प्रावधानों की पृष्ठभूमि में पात्रता ढांचे और पुनर्वास और पुनर्वास की प्रक्रिया नीचे दी गई है।

भारत सरकार और हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों, नियमों और नीतियों के अनुपालन में एक एंटाइटेल्मेंट मैट्रिक्स विकसित किया गया है। एंटाइटेल्मेंट मैट्रिक्स नुकसान और संबंधित प्रकृति और एंटाइटेल्मेंट के दायरे के प्रकार को सारांशित करता है।

तालिका 61: एंटाइटेल्मेंट मैट्रिक्स

क्र.सं.	प्रभाव श्रेणी	हक की इकाई	पात्रता का विवरण	टिप्पणी
भूमालिकों के परिसम्पत्ती का नुकसान-				
	निजी भूमि	भूमि मालिक / शीर्षकधारी	(बाजार मूल्य पर भूमि के लिए नकद प्रतिकर, जिसे RFCTLARR अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित किया जाएगा खोए हुए परिसंपत्तियों के प्रतिस्थापन के लिए प्रतिकर की राशि पर वर्तमान स्टांप शुल्क के बराबर राशि। प्रशिक्षण सहायता ग) बारहमासी और गैर-बारहमासी फसलों और पेड़ों के नुकसान की भरपाई बागवानी और कृषि विभाग के प्रावधानों के अनुसार लागू की जाएगी। d) 25,000 रुपये का	

क्र.सं.	प्रभाव श्रेणी	हक की इकाई	पात्रता का विवरण	टिप्पणी
			अनुदान पशु शेड या अल्प दुकानों का प्रतिस्थापन।	
	संरचना का नुकसान आवासीय या) वाणिज्यिक या आवासीय-सह- (वाणिज्यिक	भूमि मालिक / शीर्षकधारी	क) स्वीकार्य मानदंडों के अनुसार वर्तमान दरों के आधार पर निर्धारित नकद प्रतिकर (बी) रुपये का स्थानांतरण भत्ता के प्रावधानों के अनुसार 50000 RFCTLARR अधिनियम, 2013 के लिए विस्थापित परिवार (c) RFCTLARR अधिनियम 2013 के अनुसार मुक्त घर का प्रावधान पूरी तरह से विस्थापित आवासीय / वाणिज्यिक या इसके बदले में घर की समान लागत की पेशकश की जा सकती है घर का निर्माण किया (घ) विस्थापित परिवारों के लिए 36,000 रुपये का अनुदान भत्ता (RFCTLARR अधिनियम 2013) () विस्थापित परिवारों के लिए ५०,००० रुपये का	

धौलासिध जल विद्युत् परियोजना (66 मेगावाट) के लिए की जा रही प्रस्तावित भूमि अर्जन का सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन ।

क्र.सं.	प्रभाव श्रेणी	हक की इकाई	पात्रता का विवरण	टिप्पणी
			पुनर्वास भत्ता (RFCTLARR Act 2013)	
	किरायेदारों और पट्टे धारकों	किरायेदारों और पट्टे धारकों	पंजीकृत पट्टियां लागू स्थानीय कानूनों के अनुसार संरचना के मालिक को देय प्रतिकर के एक परिशोधन के लिए हकदार होंगी।	
आवासीय और वाणिज्यिक संरचनाओं का नुकसान गैर-शीर्षकधारक -				
	कब्जा करने वालों के	प्रभावित व्यक्ति (व्यक्ति/ परिवार)	(ए) अतिक्रमणकारियों को दिया जाएगा 2 महीने की अग्रिम सूचना जो परिसंपत्तियों / फसलों को हटाने के लिए। (b) प्रभावित संरचना से बचाव सामग्री का अधिकार	
आजीविका की हानि शीर्षक और गैर-शीर्षकधारक -				
	आजीविका का नुकसान - शीर्षक धारक, कृषि श्रम और वाणिज्यिक बोली	(व्यक्ति/ परिवार)	एक बार का अनुदान 25,000 रु (मान के तहत निर्धारित RFCTLARR अधिनियम 2013)	वाणिज्यिक के लिए स्कवाटर्स, जनगणना सर्वेक्षण की तारीख से पात्रता होगी
	निर्माण के चरण के दौरान संभावित और अप्रत्याशित प्रभाव की	स्वामी, प्रभावित व्यक्ति	यदि कोई हो, तो हर्जाना का भुगतान संरचनाएं अस्थायी पहुंच होगी जहाँ भी आवश्यक हो, प्रदान किया गया	जैसे संरचनाओं पर अस्थायी प्रभाव, पहुंच या मार्ग के लिए अस्थायी

धौलासिध जल विद्युत् परियोजना (66 मेगावाट) के लिए की जा रही प्रस्तावित भूमि अर्जन का सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन ।

क्र.सं.	प्रभाव श्रेणी	हक की इकाई	पात्रता का विवरण	टिप्पणी
	संभावना है			व्यवधान
	मोबाइल कियोस्क की आय का अस्थायी नुकसान, यदि कोई हो	कियोस्क मालिक	दो महीने का अग्रिम नोटिस क्षेत्र खाली करें	
	SC, ST		सरकारी मानदंड योजनाओं में शामिल करने के लिए सहायता यदि शामिल नहीं है, तो सरकारी मानदंडों के अनुसार पात्र; और RFCTLARR अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार एससी और एसटी को अतिरिक्त लाभ अनुसूची	
	प्रभावहीन प्रभाव		किसी भी अप्रत्याशित प्रभाव को अधिनियम के सिद्धांतों और उद्देश्यों के अनुसार प्रलेखित और कम किया जाएगा।	

पुनर्वास और पुनर्वास की लागत का विवरण निम्नलिखित अनुभाग में तालिकाओं में दिया गया है।

परियोजना प्रभावितों के लिए लागू कानूनी प्रावधानों की पृष्ठभूमि में पहले से ही पात्रता की रूपरेखा और पुनर्वास और पुनार्व्यस्थापन की प्रक्रिया को समाप्त कर दिया गया है। पुनर्वास और पुनार्व्यस्थापन की लागत का विवरणकाम किया गया है और इसे 8.3 से 8.6 तक दिया गया है।

धौलासिध जल विद्युत् परियोजना (66 मेगावाट) के लिए की जा रही प्रस्तावित भूमि अर्जन का सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन ।

तालिका 62: भूमि पर अनुमानित मुआवजे का विवरण

ज़िला	तहसील	पंचायत	क्रमांक	गाँव	कुल क्षेत्रफल वर्ग मीटर	प्रत्येक श्रेणी (वर्ग मीटर में) के तहत भूमि अर्जन का क्षेत्र										कुल भूमि मूल्य (करोड़ों में)	100% सोलेशियम (करोड़ों में) सहित कुल भूमि मुआवजा	
						श्रेणी I 0 से 25 मी० तक		श्रेणी II 25 to 50 मी०		श्रेणी III 50 to 100 मी०		श्रेणी IV 100 to 1000 मी०		श्रेणी V >1000 मी०				
						सिंचित	असिंचित	खेती युक्त	खेती रहित	खेती युक्त	खेती रहित	खेती युक्त	खेती रहित	खेती युक्त	खेती रहित			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	18	19	
हमीरपुर	सुजानपुर	सुजानपुर	1	सुजानपुर	53,087	-	-	-	-	30,777	22,310	-	-	-	-	25.24	50.47	
			2	बल्ला गिरथान	33,328	-	-	-	-	768	32,560	-	-	-	-	-	12.25	24.51
		दारला	3	भाद्रियाणा बलेठ	27,952	-	-	-	-	-	-	-	7,870	20,082	-	-	0.89	1.77
			4	गाहलियाँ	17,470	1,475	2,053	-	2,304	-	3,551	-	8,087	-	-	-	0.95	1.89
			5	रोपा	3,954	-	-	-	-	-	-	-	57	3,897	-	-	0.12	0.24

धौलासिध जल विद्युत् परियोजना (66 मेगावाट) के लिए की जा रही प्रस्तावित भूमि अर्जन का सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन ।

ज़िला	तहसील	पंचायत	क्रमांक	गाँव	कुल क्षेत्रफल वर्ग मीटर	प्रत्येक श्रेणी (वर्ग मीटर में) के तहत भूमि अर्जन का क्षेत्र										कुल भूमि मूल्य (करोड़ों में)	100% सोलेशियम (करोड़ों में) सहित कुल भूमि मुआवजा
						श्रेणी I 0 से 25 मी० तक		श्रेणी II 25 to 50 मी०		श्रेणी III 50 to 100 मी०		श्रेणी IV 100 to 1000 मी०		श्रेणी V >1000 मी०			
						सिंचित	असिंचित	खेती युक्त	खेती रहित	खेती युक्त	खेती रहित	खेती युक्त	खेती रहित	खेती युक्त	खेती रहित		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	18	19
			6	मियाना	16,702	-	-	-	-	-	-	-	16,702	-	-	0.38	0.75
			7	मिहड़पुर	3,475	-	-	-	3,475	-	-	-	-	-	-	0.31	0.61
			8	चौकी	10,923	-	-	-	6,815	-	4,108	-	-	-	-	0.36	0.71
			9	दारला	41,202	-	-	-	-	-	-	479	40,723	-	-	2.73	5.45
			10	हार	1,053	-	-	-	-	-	-	593	460	-	-	0.03	0.05
			11	गगला	25,321	-	-	-	-	-	-	-	25,321	-	-	0.57	1.14

धौलासिध जल विद्युत् परियोजना (66 मेगावाट) के लिए की जा रही प्रस्तावित भूमि अर्जन का सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन ।

ज़िला	तहसील	पंचायत	क्रमांक	गाँव	कुल क्षेत्रफल वर्ग मीटर	प्रत्येक श्रेणी (वर्ग मीटर में) के तहत भूमि अर्जन का क्षेत्र										कुल भूमि मूल्य (करोड़ों में)	100% सोलेशियम (करोड़ों में) सहित कुल भूमि मुआवजा	
						श्रेणी I 0 से 25 मी० तक		श्रेणी II 25 to 50 मी०		श्रेणी III 50 to 100 मी०		श्रेणी IV 100 to 1000 मी०		श्रेणी V >1000 मी०				
						सिंचित	असिंचित	खेती युक्त	खेती रहित	खेती युक्त	खेती रहित	खेती युक्त	खेती रहित	खेती युक्त	खेती रहित			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	18	19	
		करटोल	12	बलेहु	41,643	-	-	-	-	-	-	-	41,643	-	-	1.04	2.08	
	13		मथान	24,017	-	-	-	-	-	-	-	4,319	19,698	-	-	0.62	1.24	
	14		लौंगनी	71,576	-	-	-	-	-	-	-	-	22,080	49,496	-	-	1.90	3.80
		चमियाना	15	भरमाड़	40,320	-	-	-	-	-	-	-	38	40,282	-	-	1.01	2.02
	16		घरौड़ बुल्ला	228	-	-	-	-	-	-	-	-	-	228	-	-	0.00	0.01
		17	काछ															

धौलासिध जल विद्युत् परियोजना (66 मेगावाट) के लिए की जा रही प्रस्तावित भूमि अर्जन का सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन ।

ज़िला	तहसील	पंचायत	क्रमांक	गाँव	कुल क्षेत्रफल वर्ग मीटर	प्रत्येक श्रेणी (वर्ग मीटर में) के तहत भूमि अर्जन का क्षेत्र										कुल भूमि मूल्य (करोड़ों में)	100% सोलेशियम (करोड़ों में) सहित कुल भूमि मुआवजा	
						श्रेणी I 0 से 25 मी० तक		श्रेणी II 25 to 50 मी०		श्रेणी III 50 to 100 मी०		श्रेणी IV 100 to 1000 मी०		श्रेणी V >1000 मी०				
						सिंचित	असिंचित	खुली युक्त	खुली रहित	खुली युक्त	खुली रहित	खुली युक्त	खुली रहित	खुली युक्त	खुली रहित			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	18	19	
					228	-	-	-	228	-	-	-	-	-	-	-	0.01	0.02
			18	परगना	33,636	-	901	-	2,380	21,443	8,912	-	-	-	-	1.18	2.36	
			19	पलाही	381,791	-	-	-	-	-	-	8,985	372,806	-	-	10.55	21.10	
			20	बीड़ खास	12,497	-	-	-	-	-	-	8,254	4,243	-	-	0.39	0.78	
			21	समौना	53,737	-	-	-	-	-	-	13,208	40,529	-	-	1.13	2.26	

धौलासिध जल विद्युत् परियोजना (66 मेगावाट) के लिए की जा रही प्रस्तावित भूमि अर्जन का सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन ।

ज़िला	तहसील	पंचायत	क्रमांक	गाँव	कुल क्षेत्रफल वर्ग मीटर	प्रत्येक श्रेणी (वर्ग मीटर में) के तहत भूमि अर्जन का क्षेत्र										कुल भूमि मूल्य (करोड़ों में)	100% सोलेशियम (करोड़ों में) सहित कुल भूमि मुआवजा
						श्रेणी I 0 से 25 मी० तक		श्रेणी II 25 to 50 मी०		श्रेणी III 50 to 100 मी०		श्रेणी IV 100 to 1000 मी०		श्रेणी V >1000 मी०			
						सिंचित	असिंचित	खेती युक्त	खेती रहित	खेती युक्त	खेती रहित	खेती युक्त	खेती रहित	खेती युक्त	खेती रहित		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	18	19
		धाबरियाना	22	रियाह	152,311	7,296	21,789	7,524	80,854	-	34,848	-	-	-	-	6.17	12.34
		बानल	23	सरोहल	19,428	-	-	-	-	-	-	190	19,238	-	-	0.78	1.56
		टीहरा	24	टीहरा	6,737	-	-	-	-	-	6,737	-	-	-	-	0.29	0.58
		बगेहड़ा	25	बगेहड़ा बुल्ला	302,322	-	-	-	-	-	-	-	302,322	-	-	11.34	22.67
नादौन	चौरू	26	जांगल महफूज महदूदा झीण		122,798	-	-	-	-	-	-	-	-	2,590	120,208	6.78	13.56

धौलासिध जल विद्युत् परियोजना (66 मेगावाट) के लिए की जा रही प्रस्तावित भूमि अर्जन का सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन ।

ज़िला	तहसील	पंचायत	क्रमांक	गाँव	कुल क्षेत्रफल वर्ग मीटर	प्रत्येक श्रेणी (वर्ग मीटर में) के तहत भूमि अर्जन का क्षेत्र										कुल भूमि मूल्य (करोड़ों में)	100% सोलेशियम (करोड़ों में) सहित कुल भूमि मुआवजा	
						श्रेणी I 0 से 25 मी० तक		श्रेणी II 25 to 50 मी०		श्रेणी III 50 to 100 मी०		श्रेणी IV 100 to 1000 मी०		श्रेणी V >1000 मी०				
						सिंचित	असिंचित	खेती युक्त	खेती रहित	खेती युक्त	खेती रहित	खेती युक्त	खेती रहित	खेती युक्त	खेती रहित			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	18	19	
कौंगड़ा	खुनडीया	टीपरी	27	बुल्ली	108,540	-	-	-	-	-	-	28,573	79,967	-	-	7.14	14.28	
			28	टीपरी	17,401	-	-	-	-	-	-	-	-	17,401	-	-	1.09	2.18
			29	कियोध	1,995	-	-	-	-	-	-	-	-	1,995	-	-	0.12	0.25
			30	चौकी	179,666	-	-	-	-	11,149	168,517	-	-	-	-	-	13.64	27.28
	आलमपुर	कहनु	31	डल्ली	21,304	-	-	-	-	-	-	364	20,940	-	-	0.27	0.54	

धौलासिध जल विद्युत् परियोजना (66 मेगावाट) के लिए की जा रही प्रस्तावित भूमि अर्जन का सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन ।

ज़िला	तहसील	पंचायत	क्रमांक	गाँव	कुल क्षेत्रफल वर्ग मीटर	प्रत्येक श्रेणी (वर्ग मीटर में) के तहत भूमि अर्जन का क्षेत्र										कुल भूमि मूल्य (करोड़ों में)	100% सोलेशियम (करोड़ों में) सहित कुल भूमि मुआवजा
						श्रेणी I 0 से 25 मी० तक		श्रेणी II 25 to 50 मी०		श्रेणी III 50 to 100 मी०		श्रेणी IV 100 to 1000 मी०		श्रेणी V >1000 मी०			
						सिंचित	असिंचित	खेती युक्त	खेती रहित	खेती युक्त	खेती रहित	खेती युक्त	खेती रहित	खेती युक्त	खेती रहित		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	18	19
		लाहूरू	32	बलौंधर	31,286	-	-	-	-	-	-	8,227	23,059	-	-	0.25	0.51
		बालकरूपी	33	डाडु	23,022	-	-	-	-	-	-	361	22,661	-	-	0.18	0.36
	34		नीचली बेहरी	104,486	-	-	-	-	-	-	-	19,148	85,338	-	-	0.83	1.67
	35		पपरोला	2,507	-	-	-	-	-	-	-	-	2,507	-	-	0.11	0.21
		जांगल	36	बीड़	1,471	-	-	-	-	-	-	-	1,471	-	-	0.07	0.14
			37	साईं	825	-	-	-	-	-	-	-	825	-	-	0.04	0.08

धौलासिध जल विद्युत् परियोजना (66 मेगावाट) के लिए की जा रही प्रस्तावित भूमि अर्जन का सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन ।

ज़िला	तहसील	पंचायत	क्रमांक	गाँव	कुल क्षेत्रफल वर्ग मीटर	प्रत्येक श्रेणी (वर्ग मीटर में) के तहत भूमि अर्जन का क्षेत्र										कुल भूमि मूल्य (करोड़ों में)	100% सोलेशियम (करोड़ों में) सहित कुल भूमि मुआवजा
						श्रेणी I 0 से 25 मी० तक		श्रेणी II 25 to 50 मी०		श्रेणी III 50 to 100 मी०		श्रेणी IV 100 to 1000 मी०		श्रेणी V >1000 मी०			
						सिंचित	असिंचित	खेती युक्त	रहित खेती	खेती युक्त	रहित खेती	खेती युक्त	रहित खेती	खेती युक्त	रहित खेती		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	18	19
		आलमपुर र	38	आलमपुर	2,958	-	-	-	-	2,768	190	-	-	-	-	0.17	0.34
		आलमपुर र	39	बाग	467,488	-	-	-	-	20,612	446,876	-	-	-	-	23.11	46.22
		सकौह	40	लियूँड़ा	1,169	-	-	-	-			300	869	-	-	0.04	0.09
कुल					2,461,854	8,771	24,743	7,524	96,056	87,517	728,609	123,046	1,262,790	2,590	120,208	134.06	268.12

*स्त्रोत: टीम SIA

धौलासिध जल विद्युत् परियोजना (66 मेगावाट) के लिए की जा रही प्रस्तावित भूमि अर्जन का सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन ।

भूमि की उपर्युक्त लागत एक अनुमानित क्षतिपूर्ति है जिसके लिए आवश्यक निकाय को प्रावधान करना पड़ सकता है। यह राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी के अनुसार परिवर्तन के अधीन है, लेकिन दिए गए अनुमान से कम नहीं हो सकता।

*ध्यान दें: क्योंकि हिमाचल प्रदेश क लिए प्रतिकर फैक्टर अभी निश्चित नहीं किया गया है, इसीलिए ऊपर किया गया हिसाब में इस फैक्टर को 1 माना गया है ।

तालिका 63: पेड़ों पर प्रतिकर का विवरण

	फलदार पेड़	गैर फलदार पेड़	कुल पेड़
अर्जन के तहत पेड़	77,724	17,280	95,004
दर	Rs. 5000/tree	Rs. 3000/tree	-
राशि (रु)	38,86,20,000	5,18,40,000	44,04,60,000

*स्रोत: टीम SIA

उपरोक्त अनुमान और पेड़ों की दर (फलदार और गैर फलदार पेड़) सक्षम प्राधिकारी द्वारा पेड़ों की गणना, सत्यापन और मूल्यांकन के अनुसार बदलने के अधीन हैं।

तालिका 64: पुनर्वास और पुनार्व्यस्थापन के लिए प्रतिकर

आवास इकाई के नुकसान के कारण परिवार विस्थापित हो गए	लागत का विवरण	राशि
प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के तहत एक घर प्रदान किया जाएगा। प्रत्येक परिवार को केवल एक घर मिलेगा। अगर घर के लिए चुना नहीं है, की बराबर लागत घर की पेशकश की जाएगी।	PMAY 2016 की अधिसूचना के तहत HP सरकार, के लिए भत्ता प्रत्येक घर में 1.30 लाख रुपये होंगे पहाड़ी राज्य 13x 130000	1,690,000
प्रति PAF पर 5 लाख का एकमुश्त भुगतान या, वार्षिकी नीति के तहत, 20 साल के लिए प्रति परिवार 2000 / - प्रति माह	13 x 500000	6,500,000

धौलासिध जल विद्युत् परियोजना (66 मेगावाट) के लिए की जा रही प्रस्तावित भूमि अर्जन का सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन ।

आवास इकाई के नुकसान के कारण परिवार विस्थापित हो गए	लागत का विवरण	राशि
प्रत्येक परिवार के लिए 3000 / - का अनुदान एक साल**	13 x 36000	468,000
एक बार की शिफ्टिंग लागत 50000 / - प्रति परिवार	13 x 50,000	650,000
एक बार का "रिसेटमेंट अलाउंस" 50000 / - प्रति परिवार	13 x 50000	650,000
गौशाला व् दूकान बनाने के लिए एक बार की 25,000/- की ग्रांट	13 families x 25,000	325,000
कुल अनुमान		10,283,000
* एससी एसटी के मामले में /, प्रत्येक परिवार को 50000 / - का अतिरिक्त एकमुश्त अनुदान दिया जाना चाहिए।		

*स्रोत: टीम SIA

उपरोक्त अनुमान लागत की गणना अधिनियम 2013 के तहत किए गए प्रावधानों के तहत की जाती है।

तालिका 65: आर एंड आर के लिए अनुमानित लागत

क्रमांक	क्रियाएँ	करोड़ों में राशि (₹)
1	आर एंड आर गतिविधियों की लागत	0.47
2A	RTFCTLARR अधिनियम, 2013 की अनुसूची III के अनुसार अवसंरचनात्मक सुविधाओं का प्रावधान	1.00
2B	आईपीएच योजनाएँ	0.65
3	पहचान की गई लगभग 13 पीएफ के लिए दुकानों, शौचालयों, कोठों, अरामिल आदि जैसे मौजूदा निजी संरचनाओं के नुकसान के लिए अतिरिक्त मुआवजा और (लगभग)।	1.00
4	अन्य	1.00
5	कुल	4.12

धौलासिध जल विद्युत् परियोजना (66 मेगावाट) के लिए की जा रही प्रस्तावित भूमि अर्जन का सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन ।

तालिका 66: भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्वस्थापन के लिए कुल लागत का विवरण

क्र० सं०	लागत का विवरण	राशि (करोर रु में)
1	भूमि के लिए प्रतिकर **	268.12
2	प्रतिकर पर 12% ब्याज (जमीन)	32.17
3	पेड़ों के लिए प्रतिकर	44.05
4	पुनर्वास और पुनर्वास लागत ***	4.12
5	कुल लागत	348.46
6	विविध कुल लागत का)10%)	34.85
7	गैड टोटल)5 + 6)	383.31
<p>** भूमि अर्जन के प्रतिकर में खड़ी फसलों का प्रतिकर शामिल नहीं है, जिसकी गणना सक्षम प्राधिकारी द्वारा की जाएगी</p> <p>*** प्रतिकर में घाटों का प्रतिकर शामिल नहीं है, जिसकी गणना सक्षम प्राधिकारी द्वारा की जाएगी</p>		

*स्रोत: टीम SIA

सर्वेक्षण के दौरान एकत्र की गई जानकारी उत्तरदाताओं के साक्षात्कार पर आधारित है और उनके द्वारा प्रदान की गई जानकारी को सत्य माना जाता है लेकिन यह स्वामित्व के अधिकार का प्रामाणिक संस्करण नहीं है। निजी भूमि से संबंधित कुल भूमि का क्षेत्रफल 246.8062 हेक्टेयर है, जिसके लिए मुआवजे के फार्मूले की गणना के आधार पर, अस्थायी भूमि क्षतिपूर्ति (खड़ी फसलों के मुआवजे को छोड़कर) रु। अधिनियम 2013 की धारा 30 (3) के अनुसार भुगतान के लिए 12% ब्याज सहित 300.3 करोड़ रुपये का अनुमान लगाया गया है।

पेड़ों के मुआवजे का अनुमान रु 44.05 करोड़ है। हालांकि, पेड़ों की संख्या की गणना की जाएगी और सक्षम अधिकारियों द्वारा वास्तविक मूल्य का आकलन किया जाएगा।

भूमि अर्जन के मुआवजे के अनुमान में खड़ी फसलों का मुआवजा शामिल नहीं है। फसलों के खिलाफ नकद मुआवजा औसत उत्पादन के आधार पर परिपक्व फसलों की बाजार लागत पर प्रदान किया जाएगा।

धौलासिध जल विद्युत् परियोजना (66 मेगावाट) के लिए की जा रही प्रस्तावित भूमि अर्जन का सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन ।

आरएंडआर खर्चों के लिए पात्रता कुल मिलाकर रु 4.12 करोड़ रुपये है। R & R सहित भूमि अर्जन के लिए कुल लागत रुपये के रूप में अनुमानित 383.31 करोड़ है । हालांकि, भूमि अर्जन और संरचनाओं के लिए अंतिम मुआवजा राशि अधिनियम 2013 के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित की जाएगी। इसके अलावा, उक्त गणना में शमन योजना की लागत को शामिल नहीं किया गया है।

8.5 अर्जन करने वाली संस्था द्वारा प्रस्तावित आर एंड आर उपाय

आवश्यक निकाय ने 4 पीएएफ की पहचान की है जो अर्जन के कारण विस्थापित हो रहे हैं। पीएएफ के 3 परगना में स्थित हैं जबकि 1 पीएएफ सुजानपुर में स्थित है।

4 पीएएफ के विस्थापित होने के लिए आवश्यक निकाय द्वारा प्रस्तावित पुनर्वास योजना

तालिका 67: अवश्यक निकाय द्वारा प्रस्तावित विस्थापन योजना

क्र मां क	पीएएफ का विवरण				प्रस्तावित पुनर्वास योजना		
	प्रभावित व्यक्ति का नाम	राजस्व गांव	खसरा न0	क्षेत्र (कनाल - मरला)	राजस्व गांव का नाम जहां भूमि की पहचान पुनर्वास के लिए की जाती है	पहचानी गयी जमीन के खसरा न0	चिन्हित भूमि का क्षेत्रफल (कनाल - मरला)
A) घरहीन							
1	करम चाँद पिता हरभजन	सुजानपुर	791	0-15	सुजानपुर	791/3	1-0
2	बाबा सिंह पिता शम्भू	काछ परगना	162	0-2	परगना	76/2	2-0
			59	0-16			
			60	0-11			
			कुल	1-9			

धौलासिध जल विद्युत् परियोजना (66 मेगावाट) के लिए की जा रही प्रस्तावित भूमि अर्जन का सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन ।

क्रमांक	पीएफ का विवरण				प्रस्तावित पुनर्वास योजना		
	प्रभावित व्यक्ति का नाम	राजस्व गांव	खसरा न0	क्षेत्र (कनाल - मरला)	राजस्व गांव का नाम जहां भूमि की पहचान पुनर्वास के लिए की जाती है	पहचानी गयी जमीन के खसरा न0	चिन्हित भूमि का क्षेत्रफल (कनाल - मरला)
3	कहणु राम उपनाम ॐ प्रकाश पिता तोखा	परगना	76	0-6	परगना	76/3	1-0
4	मनोज कुमार पिता जगत राम	परगना	76	0-6	परगना	76/4	1-0
B) भूमि हीन							
1	प्रभुदयल पिता शकर	परगना	13	1-15	परगना	57/2	1-7
						38/2	0-12
						कुल	1-19

पुनर्वास कॉलोनी में विस्थापित परिवारों को ढांचागत सुविधाएं:

आवश्यक निकाय द्वारा प्रस्तावित आर एंड आर योजना के अनुसार, पुनर्वास कॉलोनी में 25 सुविधाएं विकसित की जानी हैं। इस पंक्ति में, 4 विस्थापित PAF के लिए पुनर्वास क्षेत्र पर कुछ बुनियादी सुविधाएं विकसित करने का प्रस्ताव है, जिसमें सड़क, जल निकासी सुविधा, पेयजल, बिजली की सुविधा, खेल का मैदान सामुदायिक केंद्र आदि शामिल हैं। इन कार्यों के लिए 28,57,000 प्रस्तावित है।

8.6 आवश्यक निकाय द्वारा निर्धारित अतिरिक्त उपाय

आवश्यक निकाय ने निम्नलिखित आईपीएच योजनाओं को विकसित करने के लिए कहा है जो प्रत्येक योजना के लिए बजट प्रावधानों के साथ जलमग्न होने के कारण प्रभावित होगी।

धौलासिध जल विद्युत् परियोजना (66 मेगावाट) के लिए की जा रही प्रस्तावित भूमि अर्जन का सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन ।

तालिका 68: आवश्यक निकाय द्वारा निर्धारित अतिरिक्त उपर्यो का बजट

क्रमांक	तहसील	गाँव	आईपीएच योजना का विवरण (सं)	क्या योजना सरकार / कार्यान्वयन पर लागू होगी। भूमि	बजट आवंटन @ Rs 5,00,000 प्रति योजना
जिला हमीरपुर					
1.	सुजानपुर	भदरियाना	2	निजी	10,00,000
2.		रियाह	2	निजी	10,00,000
3.		पलाही	2	निजी	10,00,000
4.		बगेहड़ा बुल्ला	1 कुआँ	निजी	5,00,000
5.		लौंगनी	1	सरकारी	5,00,000
6.		मियाना	1	सरकारी	5,00,000
7.		सुजानपुर	1	सरकारी	5,00,000
जिला काँगड़ा					
8.	खुनडीया	चौकी	1	निजी	5,00,000
9.		डाडु	1	निजी	5,00,000
10.		डल्ली	1	सरकारी	5,00,000
11.	कुल		13		65,00,000

निम्नलिखित बजट को आर एंड आर योजना के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक निकाय द्वारा निर्धारित किया गया है जिसमें आर एंड आर लाभ, अवसंरचनात्मक सुविधाएँ और विविध व्यय शामिल हैं।

तालिका 69: आवश्यक निकाय द्वारा निर्धारित अतिरिक्त उपर्यो का कुल बजट

क्रमांक	गतिविधियाँ	मूल्य (रुपए)
1	आर एंड आर गतिविधियों की लागत	47,00,000

2A	RTFCTLARR अधिनियम, 2013 की अनुसूची III के अनुसार अवसंरचनात्मक सुविधाओं का प्रावधान	1,00,00,000
2B	आईपीएच योजनाएँ	65,00,000
3	अन्य तरह का	1,00,00,000
4	कुल	3,12,00,000

8.7 पुनर्वास और पुनर्स्थापन योजना के कार्यान्वयन के लिए संस्थागत व्यवस्था

अधिनियम के अनुसार 2013, जहां अधिगृहीत की जाने वाली भूमि एकड़ से अधिक के 100 बराबर है, सरकार कलेक्टर की अध्यक्षता में एक पुनर्वास और पुनर्वास समिति" का गठन " करेगी। इस समिति का उद्देश्य पुनर्वास और पुनर्स्थापन योजनाओं या योजना के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा करना और ग्राम सभा के परामर्श से कार्यान्वयन के बाद के सामाजिक अंकेक्षण को अंजाम देना है।

उसके बाद कार्यान्वयन और सामाजिक अंकेक्षण की प्रक्रिया में शामिल होने वाले सदस्य निम्नानुसार हो सकते हैं:

1. प्रभावित क्षेत्र में रहने वाली महिलाओं का प्रतिनिधि।
2. प्रभावित क्षेत्र में रहने वाली एससी आबादी का एक प्रतिनिधि।
3. क्षेत्र में काम करने वाले एक स्वैच्छिक संगठन (एनजीओ) का प्रतिनिधि।
4. परियोजना का भूमि अर्जन अधिकारी।
5. प्रभावित क्षेत्र के पंचायत अध्यक्ष या उनके नामित / अध्यक्ष। /
6. संसद सदस्य और असंबद्ध क्षेत्र की विधानसभा के सदस्य या उनके सद ग्राम पंचायत प्रधान)
7. आवश्यक शरीर का एक प्रतिनिधि।
8. R&R के संयोजक के रूप में प्रशासक।

8.8 शिकायत निवारण समिति (G.R.C)

PAF की सहायता के लिए उनकी जिज्ञासाओं और शिकायतों को सुलझाने के लिए कुशल शिकायत निवारण तंत्र विकसित किया जाएगा। PAF की शिकायतों को पहले परियोजना के क्षेत्र


स्तर के अधिकारियों के ध्यान में लाया जाएगा। यदि उनके द्वारा निवारण ना हो तो शिकायतों को शिकायत निवारण समिति (जीआरसी) में लाया जाएगा। प्रस्तावित जीआरसी की संरचना R&R समिति के समान हो सकती है। यह समिति मासिक आधार पर मिल सकती है या राज्य सरकार द्वारा मामले को परिभाषित किया जा सकता है।

G.R.C की मुख्य जिम्मेदारियां हो सकती हैं:

- I. भूमि संपत्ति /अर्जन से उत्पन्न समस्याओं पर PAFको सहायता प्रदान करें ;
- II. PAF की शिकायतों को रिकॉर्ड करें, शिकायतों को वर्गीकृत करें और प्राथमिकता दें और उन्हें हल करें; तथा,
- III. जीआरसी की उनकी शिकायतों और निर्णयों के बारे में घटनाक्रम पर PAF को रिपोर्ट करें।

कानून की अदालत के तहत मालिकाना हक से संबंधित विवादों के अलावा, जीआरसी सभी पुनर्वास लाभों, प्रतिकर, पुनर्वास, प्रतिस्थापन लागत और अन्य सहायता से संबंधित शिकायतों की समीक्षा करेगी। जब किसी भी शिकायत को क्षेत्र स्तर के अधिकारियों के पास लाया जाता है, तो उसे शिकायत की तारीख से 15 दिनों के भीतर हल किया जाना चाहिए। जीआरसी हर महीने (यदि शिकायत समिति के पास लाई जाती है) मिलेंगे, प्रत्येक शिकायत की योग्यता का निर्धारण करेंगे, और शिकायत प्राप्त होने के एक महीने के भीतर शिकायतों का समाधान करेंगे - जिसे विफल करते हुए, शिकायत को निवारण के लिए उपयुक्त विधि न्यायालय में भेजा जाएगा। प्राप्त होने वाली सभी शिकायतों का रिकॉर्ड रखा जाएगा: शिकायत का विवरण, शिकायत की तारीख, शिकायत की प्रकृति, सुधारात्मक कार्रवाइयाँ और इन तारीखों से प्रभावित थे, और अंतिम परिणाम। शिकायत निवारण तंत्र का प्रवाह चार्ट नीचे चित्र में दर्शाया गया है:

चित्र 10: शिकायत निवारण तंत्र



*स्रोत: टीम SIA

8.8.1 शिकायत निवारण के चरण

8.8.1.1 निगरानी और मूल्यांकन

SIMP कार्यान्वयन की निगरानी और मूल्यांकन आवश्यक है क्योंकि गतिविधियों को कई एजेंसियों द्वारा समयबद्ध तरीके से निष्पादित किया जाना है। मॉनिटरिंग में यह पता लगाने के लिए समय-समय पर जाँच शामिल है कि क्या कार्यक्रम अनुसूची प्रगति कर रहे हैं, जबकि मूल्यांकन SIMP.के प्रदर्शन का आकलन करना है। इस प्रयोजन के लिए, परियोजना अधिकारियों को प्रतिक्रिया देने के लिए एक निगरानी और मूल्यांकन योजना विकसित करने की आवश्यकता है। R&R की निगरानी और मूल्यांकन R&R उद्देश्यों, रणनीतियों और दृष्टिकोणों की सफलता

को प्रतिबिंबित करने और R&R गतिविधियों, उनके प्रभाव और स्थिरता के कार्यान्वयन में दक्षता और प्रभावकारिता का आकलन करने का अवसर देता है। निगरानी परियोजना प्रभावित कमजोर परिवारों और अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, BPL परिवारों, महिलाओं के नेतृत्व वाले घरों, विधवाओं, वृद्धों और शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों जैसे समूहों पर विशेष ध्यान देगी। SIMP कार्यान्वयन के मध्य और अंतिम अवधि के मूल्यांकन के लिए तीसरे पक्ष के माध्यम से एक स्वतंत्र मूल्यांकन भी आवश्यक है।

8.8.1.2 आंतरिक निगरानी

SIMP कार्यान्वयन के लिए आंतरिक निगरानी परियोजना अधिकारियों द्वारा की जाएगी जहां मुख्य उद्देश्य SIMP अनुसूची के खिलाफ प्रगति की रिपोर्ट करना होगा; प्रभावित परिवारों और लोगों को पूर्ण रूप से वितरित पात्र ताकी जाँच करें; SIMP कार्यान्वयन से उत्पन्न कि सीभी समस्या, समस्या या कठिनाई की पहचान करना और सुधारात्मक कार्रवाई करना; शिकायत प्रणाली की प्रभावशीलता की निगरानी करें और PAF की संतुष्टि को मापें। आंतरिक निगरानी SIMP में परिभाषित कार्यों की अनुसूची के खिलाफ प्रगति को मापने पर ध्यान केंद्रित करेगी। परियोजना अधिकारियों द्वारा की जाने वाली गतिविधियों में भूमि अर्जन टीम, निर्माण एजेंसियों और परियोजना प्रभावित समुदायों के साथ संपर्क और प्रगति की समीक्षा करना शामिल होगा; SIMP के अनुसार पात्रता के विरुद्ध भूमि अर्जन प्रतिकर वितरण का सत्यापन; पीए एफ की आय और जीवनस्तर को बहाल करने के लिए सहमत उपायों के कार्यान्वयन का सत्यापन; पुनर्वास समस्याओं से उत्पन्न किसीभी समस्या, मुद्दे या कठिनाई की पहचान; पुनर्वास प्रभावित परिणामों के साथ परियोजना प्रभावित परिवारों और लोगों की संतुष्टि का आकलन करें; और PAF की शिकायतों का निवारण करने के लिए उस उपयुक्त सुधारात्मक कार्यों का पालन करना। SIMP कार्यान्वयन के प्रभारी SJVN के फील्डस्तर के अधिकारी R&R प्रगति को ट्रैक करेंगे। इस उद्देश्य के लिए, सुझाए गए संकेत नीचे तालिका में दिए गए हैं।

तालिका 70: SIMP प्रगति की निगरानी के लिए संकेतक

1	भौतिक	अर्जित भूमि की संख्या, ध्वस्त संरचनाओं की संख्या, परिवारों की संख्या प्रभावित, भूमि खरीदने वाले परिवारों की संख्या और खरीदी गई भूमि की सीमा,
---	-------	---

		PAF की सहायता /प्रतिकरप्राप्त करने की संख्या , प्रदान की गई PAF की संख्या परिवहन सुविधाओं स्थानांतरण भत्ता /, सरकारी भूमि की पहचान की सीमा घर साइटों के लिए, भूमि उपयोगकर्ताओं और निजी संरचना मालिकों की संख्या ने प्रतिकर का भुगतान किया
2	वित्तीय	भूमि संरचना के लिए /प्रतिकरकी राशि , स्थानांतरण के लिए नकद अनुदान, PAF के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के लिए भुगतान की गई राशि।
3	सामाजिक	PAF अपने अधिकारों, सांप्रदायिक सद्भाव, रुग्णता और के बारे में ज्ञान रखता है मृत्यु दर, कमजोर आबादी की देखभाल आदि।
4	आर्थिक	हकदार परिवारों को प्रदान की गई नौकरियों की संख्या, व्यवसाय की संख्या फिर से स्थापित, प्रतिकर का उपयोग, घर साइटों व्यापार / साइटों को खरीदा आय बहाली योजनाओं का सफल क्रियान्वयन
5	शिकायत	सामुदायिक स्तर की बैठक की संख्या, शिकायत निवारण बैठकों की संख्या की संख्या, परियोजना अधिकारियों द्वारा संतुष्टि के लिए निपटाए गए मामलों की संख्या ,PAF, संबंधित अधिकारियों द्वारा संदर्भित और संबोधित शिकायतों की संख्या

*स्रोत: टीमSIA

8.8.1.3 स्वतंत्र मूल्यांकन

एक स्वतंत्र मूल्यांकन एजेंसी को निम्नलिखित प्राप्त करने के लिए मध्य और अंतिम अवधि के मूल्यांकन के लिए परियोजना द्वारा काम पर रखा जा सकता है: (a) आंतरिक निगरानी के परिणामों को सत्यापित करना; (b) मूल्यांकन करें कि क्या पुनर्वास उद्देश्यों को पूरा किया गया है, विशेष रूप से, क्या आजीविका और जीवन स्तर को बहाल किया गया है; (c) पुनर्वास क्षमता, प्रभावशीलता, प्रभाव और स्थिरता का आकलन; (d) यह पता लगाना कि क्या पुनर्वास पात्रता उद्देश्यों को पूरा करने के लिए उपयुक्त थी और (तुलना) जीवन स्तर की यह तुलना उपलब्ध

धौलासिध जल विद्युत् परियोजना (66 मेगावाट) के लिए की जा रही प्रस्तावित भूमि अर्जन का सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन ।

आधारभूत जानकारी के संबंध में होगी। SIMP के बाह्य मूल्यांकन में संकेतक के लिए निम्न तालिका को आधार माना जाना चाहिए।

तालिका 71: परियोजना के मूल्यांकन के संकेतक

क्र० सं०	उद्देश्य	खतरे	परिणाम
1	परियोजना से प्रभावित व्यक्तियों पर नकारात्मक प्रभाव कम से कम होगा	पुनर्वास योजना के कार्यान्वयन में प्रत्याशित से अधिक समय लग सकता है	प्रतिकर की सहायता से भूस्वामियों की संतुष्टि। भूस्वामियों द्वारा प्रतिकर और सहायता के उपयोग का प्रकार प्रतिकर और उत्पीड़न के साथ संरचना के मालिकों की संतुष्टि संरचना मालिकों द्वारा प्रतिकर और सहायता के उपयोग का प्रकार
2	परियोजना के लिए संपत्ति खोने वाले व्यक्तियों और परिवारों को अधिनियम और नियमों के अनुसार प्रतिकर दिया जाएगा	संस्थागत व्यवस्था अपेक्षा के अनुरूप कुशलतापूर्वक कार्य नहीं कर सकती है	PAF के प्रतिशत ने केवल आर्थिक गतिविधि के रूप में हासिल किए गए कौशल को अपनाया। PAF के प्रतिशत ने माध्यमिक आर्थिक गतिविधि के रूप में हासिल किए गए कौशल को अपनाया
3	प्रभावित व्यक्तियों और परिवारों को सुधारने में सहायता की जाएगी या उनके जीवन स्तर को पुनः प्राप्त करना	SIMP को लागू करने वाले अधिकारी कार्य निष्पादित नहीं कर सकते हैं उम्मीद के मुताबिक कुशलता से	PAF के प्रतिशत में वृद्धि के कारण आय में वृद्धि की सूचना है, PAF के प्रतिशत को उनकी पसंद के कौशल में प्रशिक्षित किया गया कौशल सुधार के लिए चयनकर्ता में PAF की मदद करने में परियोजना अधिकारियों की भूमिका एक समय के आर्थिक पुनर्वास अनुदान के तहत PAF को प्रदान की जाने वाली उत्पादक परिसंपत्तियों का उपयोग
4	दुर्बल समूहों की पहचान की जाएगी और उनके जीवन स्तर को बेहतर	PAF के नीचे गिरने की अप्रत्याशित संख्या	दुर्बल समूह द्वारा अतिरिक्त सहायता राशि के उपयोग का प्रकार प्राप्त शिकायतों के प्रकार शिकायत के लिए अग्रेषित शिकायतों की संख्या

धौलासिध जल विद्युत् परियोजना (66 मेगावाट) के लिए की जा रही प्रस्तावित भूमि अर्जन का सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन ।

क्र० सं०	उद्देश्य	खतरे	परिणाम
	बनाने में सहायता की जाएगी	में शिकायतें आ सकती हैं उनके मौजूदा जीवन स्तर	निवारण समिति (जीआरसी) और हल करने में लगने वाला समय PAF के प्रतिशत के बारे में अवगत कराना जीआरसी तंत्र के बारे में PAF के प्रतिशत को पात्रता के बारे में पता है परियोजना अधिकारियों के दृष्टिकोण और पहुंच के बारे में PAF की राय

* स्रोत :टीम SIA

9 संदर्भ

- Aggarwal, M. (n.d.). Vulnerable Groups in India- Status, Schemes, Constitution of Indi.
- Authority, C. E. (2015). *Guidelines for Formulation of Detailed Project Reports for Hydro Electric Schemes, their Acceptance and Examination for Concurrence*. New Delhi .
- (2011). *जनगणना*.
- Company Profile: SJVN Limited*. (2019, February). Retrieved from SJVN Limited Web Site: www.sjvn.nic.in
- DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND RURAL ECONOMICS, E. E. (2011). *SOCIO ECONOMIC SURVEY ON DHAULASIDHA HYDRO ELECTRIC PROJECT 66 MW जिला हमीरपुर, HIMACHAL PRADESH*. SJVNL.
- Department of MPP and Power, G. o. (2019). Notification, Dhaulasidh HEP Project.
- Himachal Pradesh Department of Revenue*. (n.d.). Retrieved from Department of Revenue: http://admis.hp.nic.in/circlerate/en/Home/CalculateDuty?PeriodId=05&Dis_Code=09&Teh_Code=06&Kan_Code=01&Pwr_Code=09-06-01-01-000000&Vill_Code=09-06-01-01-008901&Area_Code=0&DeedType=01
- Himachal Pradesh Forest Clearance: Ministry of Environment, Forest and Climate Change*. (2019, February). Retrieved from Ministry of Environment, Forest and Climate Change: <http://forestsclearance.nic.in/viewreport.aspx?pid=FP/HP/HYD/31019/2017>
- Planning Commission, G. o. (n.d.). *Press Note on Poverty Estimates, 2011-12*.
- Prof. S. K. Sharma, T. G. (2016). *Environmental Baseline Data Studies for the EIA of Dhaulasidh Hydroelectric Power Project, Himachal Pradesh*. International Journal of Engineering Research & Technology.
- (n.d.). *Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013* .
- SMEC. (2011). *Detailed Project Report, DSHEP (2X33 MW)*. SJVNL.
- (n.d.). *The Himachal Pradesh Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement (Social Impact Assessment and Consent) Rules, 2015* .

धौलासिध जल विद्युत् परियोजना (66 मेगावाट) के लिए की जा रही प्रस्तावित भूमि अर्जन का सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन ।

10 अनुलग्नक